खण्ड-482, अंक-3
मंगलवार, 06 अग्रहायण, शक संवत् 1934
(27 नवम्बर, 2012 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

-: 0 :-

(अधिकृत विवरण)

(सोलहवीं विधान सभा, द्वितीय सत्र, 2012)

(खण्ड 482 में 3 अंक हैं)

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2012

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे ।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये ।

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	1-6
सदन के वेल में जाने वाले रास्तों से अवरोधकों को हटाकर सुविधाजनक करवाने हेतु श्री अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद	7
प्रश्नोत्तर	7-103
प्रश्नों का समय बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	103-104
वित्तीय वर्ष 2012-2013 के अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान	104
अनुदान संख्या-03-उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन).... (स्वीकृत)...	122
अनुदान संख्या-05-उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग)..... (स्वीकृत) ...	122
अनुदान संख्या-06-उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग).... (स्वीकृत) ...	122-123
अनुदान संख्या-07-उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग).... (स्वीकृत) ...	123
अनुदान संख्या-09-ऊर्जा विभाग ..... (स्वीकृत)	123
अनुदान संख्या-10-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास) ..... (स्वीकृत)	123
अनुदान संख्या-11-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) ..... (स्वीकृत) ...	124
अनुदान संख्या-13-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)..... (स्वीकृत)...	124
अनुदान संख्या-14-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)..... (स्वीकृत)...	124
अनुदान संख्या-15-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) ..... (स्वीकृत) ...	124-125
अनुदान संख्या-16-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)..... (स्वीकृत)	125
अनुदान संख्या-18-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) ..... (स्वीकृत)...	125
अनुदान संख्या-21-खाद्य तथा रसद विभाग..... (स्वीकृत)	125
अनुदान संख्या-22-खेल विभाग..... (स्वीकृत)	126
अनुदान संख्या-23-गन्ना विकास विभाग (गन्ना) ..... (स्वीकृत)... ...	126
अनुदान संख्या-26-गृह विभाग (पुलिस) ..... (स्वीकृत)	126
अनुदान संख्या-28-गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)..... (स्वीकृत)...	126-127
अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)..... (स्वीकृत)...	127
अनुदान संख्या-32-चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)..... (स्वीकृत) ...	127

विषय	पृष्ठ-संख्या
अनुदान संख्या-35-चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)..... (स्वीकृत) ...	127
अनुदान संख्या-37-नगर विकास विभाग ..... (स्वीकृत)	128
अनुदान संख्या-40-नियोजन विभाग..... (स्वीकृत)	128
अनुदान संख्या-41-निर्वाचन विभाग..... (स्वीकृत)	128
अनुदान संख्या-42-न्याय विभाग..... (स्वीकृत)	128
अनुदान संख्या-43-परिवहन विभाग..... (स्वीकृत)	129
अनुदान संख्या-44-पर्यटन विभाग..... (स्वीकृत)	129
अनुदान संख्या-47-प्राविधिक शिक्षा विभाग..... (स्वीकृत)	129
अनुदान संख्या-48-अल्पसंख्यक कल्याण विभाग..... (स्वीकृत)	129
अनुदान संख्या-49-महिला एवं बाल कल्याण विभाग..... (स्वीकृत)... ...	130
अनुदान संख्या-58-लोक निर्माण विभाग (संचार साधन सड़कें)..... (स्वीकृत) ...	130
अनुदान संख्या-59-लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)..... (स्वीकृत)...	130
अनुदान संख्या-60-वन विभाग ..... (स्वीकृत)	130
अनुदान संख्या-62-वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें) ..... (स्वीकृत) ...	131
अनुदान संख्या-65-वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि)..... (स्वीकृत)...	131
अनुदान संख्या-68-विधन सभा सचिवालय..... (स्वीकृत)	131
अनुदान संख्या-71-शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)..... (स्वीकृत)... ...	131
अनुदान संख्या-72-शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)..... (स्वीकृत)... ...	132
अनुदान संख्या-73-शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)..... (स्वीकृत)	132
अनुदान संख्या-75-शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्).... (स्वीकृत)	132
अनुदान संख्या-76-श्रम विभाग (श्रम कल्याण)..... (स्वीकृत)	132-133
अनुदान संख्या-78-सचिवालय प्रशासन विभाग..... (स्वीकृत)	133
अनुदान संख्या-80-समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)..... (स्वीकृत)	133
अनुदान संख्या-81-समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)..... (स्वीकृत) ...	133
अनुदान संख्या-82-सतर्कता विभाग ..... (स्वीकृत)	134
अनुदान संख्या-83-समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)..... (स्वीकृत)	134
अनुदान संख्या-84-सामान्य प्रशासन विभाग..... (स्वीकृत)	134

विषय	पृष्ठ-संख्या
अनुदान संख्या-88-संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)..... (स्वीकृत) ...	134-135
अनुदान संख्या-91-संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)..... (स्वीकृत) ...	135
अनुदान संख्या-92-संस्कृति विभाग..... (स्वीकृत)	135
अनुदान संख्या-94-सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)..... (स्वीकृत)... ...	135
अनुदान संख्या-95-सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)..... (स्वीकृत)	135-136
उत्तर प्रदेश विनियोग (2012-2013 का अनुपूरक) विधेयक, 2012 ..... (पारित)...	136-141
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं	141-143
जनपद लखीमपुर खीरी में चावल खरीद न शुरू होने व फर्जी धान क्रय केन्द्रों के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	143
जनपद वाराणसी में हैरीटेज योजना हेतु उपलब्ध 1 अरब 25 करोड़ की धनराशि का प्रयोग जनप्रतिनिधियों की सहमति से खर्च किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	143-144
वाराणसी नगर निगम के संविदा कर्मियों की सेवायें समाप्त होने से उनके परिवारों को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	144
नगर फिरोजाबाद में पेयजल की भीषण समस्या एवं भू-गर्भ के गिरते जल स्तर के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	144
जनपद सहारनपुर स्थित दया शुगर मिल में किसानों के बकाये का भुगतान न किये जाने एवं अन्य समस्याओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	145
जनपद सीतापुर की नगरपालिका परिषद् खैराबाद की करोड़ों की जमीन भू-माफियाओं के कब्जे से मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	145
प्रदेश के भूतपूर्व विधायकों की विधवाओं एवं महिला विधायकों के पतियों को पेंशन एवं इलाज दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	146
जनपद सीतापुर के अन्तर्गत मनरेगा योजना में क्षेत्र पंचायत मिश्रिख में कराये गये कार्यों का भुगतान न किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	146
विधान सभा क्षेत्र कपिलवस्तु के अन्तर्गत सेमरा घाट (बूढ़ी राप्ती नदी) पर पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	146-147
जनपद अम्बेडकर नगर की तहसील आलापुर के अन्तर्गत ग्राम माझा कम्हरिया में लगी भीषण आग से प्रभावित परिवारों को सहायता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	147
जनपद महोबा में भूमि संरक्षण विभाग में हो रहे भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	147-148

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद चन्दौली क्षेत्र मुगलसराय के औद्योगिक क्षेत्र रामनगर में फैक्ट्रियों द्वारा किये जा रहे प्रदूषण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	148
विधान सभा क्षेत्र शामली में फैली विद्युत अव्यवस्था के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	148-149
जनपद शाहजहांपुर के थाना कलान के थानाध्यक्ष के द्वारा फर्जी मुकदमा कायम करने एवं मा0 सदस्य का अपमान किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	149
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	149-150
माननीय मुख्य मंत्री जी की घोषणानुसार स्थानीय विधायकों की संस्तुति के आधार पर समग्र विकास के लिये लोहिया ग्राम/जनेश्वर मिश्र ग्राम का चयन न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ...	150-152
विधान सभा क्षेत्र विकास निधि के अन्तर्गत शासन द्वारा नामित कार्यदायी संस्थाओं द्वारा मा0 सदस्यों के प्रस्तावित कार्यों को कराने में टाल-मटोल किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	152-154
जनपद हरदोई के थाना मल्लावां के अन्तर्गत दिनांक 25 अक्टूबर, 2012 को मा0 सदस्य पर जानलेवा हमला करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ...	154-155
उत्तर प्रदेश विधान सभा का सत्र एक वर्ष में 90 दिन चलाये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	155-157
वर्तमान अल्पकालिक सत्र में अल्पसूचित तारांकित प्रश्नों में कटौती/शासन द्वारा स्थगित कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ...	157-158
मा0 मुख्य मंत्री द्वारा सभी विधायकों को डा0 लोहिया समग्र ग्राम्य विकास योजनान्तर्गत गांव दिये जाने विषयक सदन में की गयी घोषणा का अनुपालन ग्राम विकास, चिकित्सा एवं नगर विकास आदि विभागों द्वारा न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	158-159
प्रदेश के असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को किसान दुर्घटना बीमा की भांति आकस्मिक दुर्घटना में मृत्यु अथवा विकलांग होने की दशा में मुआवजा प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न...	159-161
नियम-311 की सूचनाओं के सम्बन्ध में व्यवस्था	161
आज की कार्य-सूची में मद संख्या-31 कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं पहले लिये जाने का अनुरोध	162-163
आज की कार्य-सूची में मद संख्या-7 से पूर्व मद संख्या-31 पर कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं पहले लिये जाने का प्रस्ताव ..... (स्वीकृत) ...	163
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें (जारी)...	163-184

विषय	पृष्ठ-संख्या
सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र नकुड़ में कुएं के अन्दर दबे दो लोगों को बचाने हेतु तत्काल कार्यवाही किये जाने का अनुरोध	184
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	184-204
उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग (निरसन) अध्यादेश, 2012 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग (निरसन) विधेयक, 2012 .... (जारी)	204
सहारनपुर के नकुड़ क्षेत्र में ट्यूबवेल में गिरे दो व्यक्तियों की दुःखद मृत्यु की सूचना	204
उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग (निरसन) अध्यादेश, 2012 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग (निरसन) विधेयक, 2012..... (संकल्प अस्वीकृत एवं विधेयक पारित)	205-207
छत्रपति शाहू जी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश (संशोधन) अध्यादेश, 2012 के अननुमोदन का संकल्प तथा छत्रपति शाहू जी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2012..... (संकल्प अस्वीकृत एवं विधेयक पारित)	207-211
उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2012..... (विधेयक पारित)	211-214
उत्तर प्रदेश सोलहवीं विधान सभा के प्रथम सत्र, 2012 में नियम-301 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण ..... (सदन के पटल पर रखा गया)	214
उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2012 .... (विधान परिषद् से वापस प्राप्त न होने की सूचना)...	214-215
उत्तर प्रदेश सोलहवीं विधान सभा की नियम समिति (2012-2013) का प्रथम प्रतिवेदन ..... (प्रस्तुत किया गया)	215
उत्तर प्रदेश सोलहवीं विधान सभा की प्राक्कलन समिति (2012-2013) का प्रथम प्रतिवेदन ..... (प्रस्तुत किया गया)	215
उत्तर प्रदेश सोलहवीं विधान सभा की प्राक्कलन समिति (2012-2013) का द्वितीय प्रतिवेदन ..... (प्रस्तुत किया गया)	215
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव ..... (स्वीकृत)	215-217

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश जल प्रबन्धन और नियामक आयोग (निरसन) विधेयक, 2012 ..... (पुरःस्थापित)	217-218
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2012 ..... (पुरःस्थापित) ...	218
उत्तर प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2012 ..... (पुरःस्थापित) ...	218
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं	218-221
नत्थियां	222-242

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोलहवीं विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 27 नवम्बर, 2012 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री माता प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में आरम्भ हुई)

उपस्थित सदस्य-358

1. अंसार अहमद, श्री — इलाहाबाद
2. अखिलेश कुमार सिंह, श्री — रायबरेली
3. अखिलेश प्रताप सिंह, श्री — देवरिया
4. अगयश राम सरन वर्मा, श्री — पीलीभीत
5. अजय मिश्र टेनी, श्री — लखीमपुर खीरी
6. अजय कपूर, श्री — कानपुर नगर
7. अजय कुमार, डा0 — इलाहाबाद
8. अजय कुमार 'लल्लू', श्री — कुशीनगर
9. अजीत कुमार, श्री — फर्रुखाबाद
10. अजीमुलहक पहलवान, श्री — अम्बेडकर नगर
11. अताउर्रहमान, श्री — बरेली
12. अनिल कुमार, श्री — मुजफ्फरनगर
13. अनिल कुमार दोहरे, श्री — कन्नौज
14. अनिल वर्मा, श्री — उन्नाव
15. अनीसुर्रहमान, श्री — मुरादाबाद
16. अनुग्रह नारायण सिंह, श्री — इलाहाबाद
17. अनूप कुमार गुप्ता, श्री — सीतापुर
18. अनूप सण्डा, श्री — सुल्तानपुर
19. अबरार अहमद, श्री — सुल्तानपुर
20. अब्दुल मशहूद खाँ, श्री — बलरामपुर
21. अभय सिंह, श्री — फैजाबाद
22. अभिषेक मिश्र, श्री — लखनऊ
23. अमर पाल शर्मा, श्री — गाजियाबाद
24. अमित गौरव यादव, श्री — एटा
25. अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्री — बाराबंकी
26. अरविन्द सिंह यादव, श्री — कन्नौज
27. अरूण वर्मा, श्री — सुल्तानपुर
28. अरूण कुमार, डा0 — बरेली
29. अरूण कुमारी कोरी, श्रीमती — कानपुर नगर
30. अलगू प्रसाद चौहान, श्री — सन्तकबीर नगर
31. अली यूसूफ अली, श्री — रामपुर
32. अवधेश कुमार सिंह उर्फ मंजू सिंह, श्री — गोण्डा
33. अवधेश प्रसाद, श्री — फैजाबाद
34. अवस्थी बाला प्रसाद, श्री — लखीमपुर खीरी
35. अविनाश कुशवाहा, श्री — सोनभद्र
36. अशफाक अली खां, श्री — ज्योतिबाफूले नगर
37. आदिल शेख, श्री — आजमगढ़
38. आनन्द सिंह, कुंवर — गोण्डा
39. आबिद रजा खां, श्री — बदायूं
40. आरिफ अनवर हाशमी, श्री — बलरामपुर
41. आलमबदी, श्री — आजमगढ़
42. आशा किशोर, श्रीमती — छत्रपति शाहूजी महराज नगर
43. आशीष कुमार यादव, श्री — एटा
44. आशीष यादव, श्री — बदायूं
45. आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री — बदायूं
46. इकबाल, श्री — बिजनौर
47. इकबाल महमूद, श्री — भीमनगर
48. इन्दल कुमार, श्री — लखनऊ
49. इन्द्रजीत कोरी, श्री — कानपुर नगर
50. इन्द्रजीत सरोज, श्री — कौशाम्बी
51. इन्द्रपाल सिंह, श्री — रमाबाईनगर
52. इन्द्राणी देवी, श्रीमती — श्रावस्ती
53. इरफान सोलंकी, हाजी — कानपुर नगर
54. उत्कर्ष वर्मा मधुर, श्री — लखीमपुर खीरी

55. उदयराज, श्री उन्नाव
56. उदय लाल मौर्या, श्री वाराणसी
57. उपेन्द्र तिवारी, श्री बलिया
58. उमाकान्ती, श्रीमती जालौन
59. उमाशंकर, श्री बलिया
60. उमेश पाण्डेय, श्री मऊ
61. ओमकार सिंह, श्री बदायूं
62. ओम कुमार, श्री बिजनौर
63. ओम प्रकाश, श्री गाजीपुर
64. ओम प्रकाश 'बाबा' दुबे, श्री जौनपुर
65. ओम प्रकाश वर्मा, श्री फिरोजाबाद
66. कमाल अख्तर, श्री ज्योतिबाफूले नगर
67. कमाल यूसूफ मलिक, श्री सिद्धार्थनगर
68. कलराज मिश्र, श्री लखनऊ
69. काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां नवाब रामपुर
70. काली चरन सुमन, श्री आगरा
71. कुलदीप सिंह सेंगर, श्री उन्नाव
72. कृष्णपाल सिंह राजपूत, श्री झांसी
73. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
74. केशव प्रसाद (कुशवाहा) मौर्य, श्री कौशाम्बी
75. कैलाश, श्री गाजीपुर
76. कैलाश चौरसिया, श्री मिर्जापुर
77. कौशल सिंह कुंवर, श्री महराजगंज
78. गंगा, श्री कुशीनगर
79. गजराज सिंह, श्री पंचशील नगर
80. गजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
81. गयाचरण दिनकर, श्री बांदा
82. गयादीन अनुरागी, श्री हमीरपुर
83. गायत्री प्रसाद, श्री छत्रपति शाहूजी महराज नगर
84. गिरीश चन्द्र उर्फ गामा पाण्डेय, श्री इलाहाबाद
85. गुटियारी लाल दुवेश, श्री आगरा
86. गुलाब चन्द, श्री जौनपुर
87. गुलाम मौहम्मद, श्री मेरठ
88. गेंदा लाल चौधरी, श्री महामायानगर
89. गोमती यादव, श्री लखनऊ
90. गोरख पासवान, श्री बलिया
91. चन्द्रभान सिंह पटेल, श्री चित्रकूट
92. चन्द्रा रावत, श्रीमती लखनऊ
93. चितरंजन स्वरूप, श्री मुजफ्फरनगर
94. छोटेलाल वर्मा, श्री आगरा
95. जगतम्बा सिंह, श्री मिर्जापुर
96. जगन प्रसाद गर्ग, श्री आगरा
97. जगपाल, श्री सहारनपुर
98. जगराम पासवान, श्री बलरामपुर
99. जन्मेजय सिंह, श्री देवरिया
100. जफर आलम, श्री अलीगढ़
101. जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री फर्रुखाबाद
102. जमीर उल्ला खां, श्री अलीगढ़
103. जमील अहमद कास्मी, श्री मुजफ्फरनगर
104. जय प्रकाश निषाद, श्री गोरखपुर
105. जय प्रकाश अंचल, श्री बलिया
106. जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
107. जाकिर अली, श्री गाजियाबाद
108. जियाउद्दीन रिजवी, श्री बलिया
109. जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्री बस्ती
110. ज्योत्सना श्रीवास्तव, श्रीमती वाराणसी
111. तसलीम, श्री बिजनौर
112. तेजपाल सिंह, श्री मथुरा
113. त्रिलोकीराम, श्री अलीगढ़
114. दयाशंकर वर्मा, श्री जालौन
115. दलजीत सिंह, श्री बांदा
116. दलवीर सिंह, श्री अलीगढ़
117. दिलनवाज खान, श्री बुलन्दशहर
118. दीपक कुमार, श्री उन्नाव
119. दीपक पटेल, श्री इलाहाबाद
120. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
121. देवनरायन उर्फ जी0एम0 सिंह, श्री महराजगंज

122. देवेन्द्र अग्रवाल, श्री महामायानगर
123. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री रायबरेली
124. धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
125. धर्मपाल सिंह, डा0 आगरा
126. धर्मराज, श्री बाराबंकी
127. धर्मसिंह सैनी, डा0 सहारनपुर
128. धर्मेश सिंह तोमर, श्री पंचशील नगर
129. नजीवा खान जीनत, श्रीमती कांशीराम नगर
130. नदीम जावेद, श्री जौनपुर
131. नन्दिता शुक्ल, श्रीमती गोण्डा
132. नरेन्द्र सिंह यादव, श्री फर्रुखाबाद
133. नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सीतापुर
134. नवाजिश आलम खान, श्री मुजफ्फरनगर
135. नागेन्द्र सिंह ''मुन्ना यादव'', श्री प्रतापगढ़
136. नारद राय, श्री बलिया
137. नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
138. निरंजन ज्योति, साध्वी हमीरपुर
139. नीरज (कुशवाहा) मौर्य, श्री शाहजहांपुर
140. पंकज कुमार मलिक, श्री प्रबुद्धनगर
141. परवेज अहमद (टंकी), हाजी इलाहाबाद
142. पारस नाथ यादव, श्री जौनपुर
143. पिंकी सिंह, श्रीमती भीमनगर
144. पीटर फैन्थम, श्री नाम-निर्देशित
145. पीतमराम, श्री पीलीभीत
146. पूजा पाल, श्रीमती इलाहाबाद
147. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
148. पूर्णमासी देहाती, श्री कुशीनगर
149. प्रदीप चौधरी, श्री सहारनपुर
150. प्रदीप कुमार यादव, श्री औरैया
151. प्रदीप माथुर, श्री मथुरा
152. प्रमोद कुमार गुप्ता, श्री औरैया
153. प्रमोद तिवारी, श्री प्रतापगढ़
154. प्रेम प्रकाश सिंह, श्री देवरिया
155. फतेह बहादुर, श्री गोरखपुर
156. फरीद महफूज किदवई, श्री बाराबंकी
157. फसीहा बशीर (गजाला लारी), चौधरी देवरिया
158. फेरन लाल, श्री ललितपुर
159. बंशी सिंह पहाड़िया, श्री बुलन्दशहर
160. बदलू खां, श्री उन्नाव
161. बब्बन, श्री चन्दौली
162. बाबूलाल, श्री गोण्डा
163. बावन सिंह, श्री गोण्डा
164. बिमला सिंह सोलंकी, श्रीमती बुलन्दशहर
165. बृज लाल सोनकर, श्री आजमगढ़
166. बृजेश कुमार, श्री हरदोई
167. बेचई सरोज, श्री आजमगढ़
168. बैजनाथ, श्री मऊ
169. ब्रह्माशंकर त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
170. भगवत सरन गंगवार, श्री बरेली
171. भगवती प्रसाद, श्री अलीगढ़
172. भगवान सिंह कुशवाहा, श्री आगरा
173. भाई लाल कोल, श्री मिर्जापुर
174. भीम प्रसाद सोनकर, श्री अम्बेडकरनगर
175. मदन गोपाल वर्मा, श्री फतेहपुर
176. मदन चौहान, श्री गाजियाबाद
177. मदन सिंह उर्फ सन्तोष, श्री औरैया
178. मधुबाला, श्रीमती सन्त रविदास नगर (भदोही)
179. मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
180. मनीष रावत, श्री सीतापुर
181. मनोज कुमार, श्री चन्दौली
182. मनोज कुमार पाण्डेय, श्री रायबरेली
183. मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
184. ममतेश शाक्य, श्री काशीराम नगर
185. महबूब अली, श्री जे0पी0नगर
186. महावीर सिंह, कुं0 हरदोई
187. महावीर सिंह राणा, श्री सहारनपुर
188. महेन्द्र अरिदमन सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री आगरा

189. महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री सीतापुर
190. महेश नारायण सिंह, श्री इलाहाबाद
191. माइकल चन्द्रा, श्री जे0पी0नगर
192. माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सिद्धार्थनगर
193. माधुरी वर्मा, श्रीमती बहराइच
194. मानपाल सिंह, श्री काशीराम नगर
195. मित्रसेन यादव, श्री फैजाबाद
196. मुकुट बिहारी, श्री बहराइच
197. मुख्तार अंसारी, श्री मऊ
198. मुनीन्द्र शुक्ला, श्री कानपुर नगर
199. मुसर्रत अली बिट्टन, श्री बदायूं
200. मुहम्मद गाजी, श्री बिजनौर
201. मुहम्मद रमजान, श्री श्रावस्ती
202. मूलचन्द्र चौहान, ठा बिजनौर
203. मो0 अयूब, डा0 सन्तकबीर नगर
204. मो0 आसिफ, श्री फतेहपुर
205. मो0 आसिफ जाफरी, श्री कौशाम्बी
206. मो0 जासमीर अंसारी, श्री सीतापुर
207. मो0 मुस्लिम, श्री छत्रपति शाहूजी महाराज नगर
208. मो0 रेहान, श्री लखनऊ
209. मोहम्मद आजम खां, श्री रामपुर
210. मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद
211. मौ0 इरफान, श्री मुरादाबाद
212. मौहम्मद युसुफ अंसारी, श्री मुरादाबाद
213. यासर शाह, श्री बहराइच
214. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
215. योगेन्द्रपाल सिंह, श्री रमाबाईनगर
216. योगेश प्रताप सिंह 'योगेश भइया', श्री गोण्डा
217. रघुनन्दन सिंह भदौरिया, श्री कानपुर नगर
218. रघुराज प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
219. रणजीत सुमन, श्री एटा
220. रमेश चन्द, श्री मिर्जापुर
221. रमेश चन्द्र दुबे, श्री सोनभद्र
222. रमेश प्रसाद कुशवाहा, श्री ललितपुर
223. रविदास मेहरोत्रा, श्री लखनऊ
224. रविन्द्र कुमार मोल्हू, श्री सहारनपुर
225. रविन्द्र जायसवाल, श्री वाराणसी
226. रविन्द्र भड़ाना, श्री मेरठ
227. रवि शर्मा, श्री झांसी
228. राकेश कुमार, श्री अलीगढ़
229. राकेश प्रताप सिंह, श्री छत्रपति शाहूजी महाराज नगर
230. राघव लखनपाल, श्री सहारनपुर
231. राजकिशोर सिंह, श्री बस्ती
232. राजकुमार रावत, श्री मथुरा
233. राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज, श्री महोबा
234. राजबली जैसल, श्री इलाहाबाद
235. राजमती, श्रीमती गोरखपुर
236. राजाराम, श्री प्रतापगढ़
237. राजीव कुमार सिंह, श्री बाराबंकी
238. राजेन्द्र, श्री गोरखपुर
239. राजेन्द्र सिंह राणा, श्री सहारनपुर
240. राजेश अग्रवाल, श्री बरेली
241. राजेश त्रिपाठी, श्री गोरखपुर
242. राजेश यादव, श्री शाहजहांपुर
243. राजेश्वरी, श्रीमती हरदोई
244. राधा मोहन दास अग्रवाल, डा0 गोरखपुर
245. राधेलाल रावत, श्री उन्नाव
246. राधेश्याम, श्री छत्रपति शाहूजी महाराज नगर
247. राधेश्याम सिंह, श्री कुशीनगर
248. राधेश्याम जायसवाल, श्री सीतापुर
249. रामकरन आर्य, श्री बस्ती
250. रामखिलाड़ी सिंह यादव, श्री भीमनगर
251. रामगोपाल, श्री बाराबंकी
252. राम गोविन्द, श्री बलिया
253. रामचन्द्र चौधरी, श्री सुल्तानपुर

254. रामचन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
255. रामपाल यादव, श्री सीतापुर
256. रामपाल राजवंशी, श्री सीतापुर
257. राम प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
258. राम मगन, श्री बाराबंकी
259. राममूर्ति वर्मा, श्री अम्बेडकर नगर
260. राममूर्ती सिंह वर्मा, श्री शाहजहांपुर
261. रामलाल अकेला, श्री रायबरेली
262. रामवीर उपाध्याय, श्री महामाया नगर
263. रामशरन, श्री लखीमपुर खीरी
264. राम सिंह, श्री प्रतापगढ़
265. रामस्वरूप सिंह, श्री रमाबाई मार्ग
266. रामहेत भारती, श्री सीतापुर
267. रामेश्वर सिंह यादव, श्री एटा
268. रियाज अहमद, श्री पीलीभीत
269. रीता बहुगुणा जोशी, प्रो0 लखनऊ
270. रूबी प्रसाद, श्रीमती सोनभद्र
271. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहांपुर
272. लक्ष्मीकान्त उर्फ पप्पू निषाद, श्री सन्तकबीर नगर
273. लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा0 मेरठ
274. लक्ष्मी गौतम, श्रीमती भीमनगर
275. ललितेशपति त्रिपाठी, श्री मिर्जापुर
276. लालमुन्नी सिंह, श्रीमती सिद्धार्थनगर
277. लोकेन्द्र सिंह, श्री बिजनौर
278. लोकेश दीक्षित, श्री बागपत
279. वकार अहमद शाह, डा0 बहराइच
280. वसीम अहमद, श्री आजमगढ़
281. वहाब चौधरी, श्री गाजियाबाद
282. विजमा यादव, श्रीमती इलाहाबाद
283. विजय कुमार पासवान, श्री सिद्धार्थनगर
284. विजय कुमार, डा0 गोरखपुर
285. विजय कुमार दूबे, श्री कुशीनगर
286. विजय कुमार मिश्र, श्री गाजीपुर
287. विजय बहादुर पाल, श्री कन्नौज
288. विजय बहादुर यादव, श्री गोरखपुर
289. विजय सिंह, श्री रामपुर
290. विनय तिवारी, श्री लखीमपुर खीरी
291. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
292. विवेक कुमार सिंह, श्री बांदा
293. विशम्भर सिंह, श्री बांदा
294. वीरपाल राठी, श्री बागपत
295. वीर सिंह, श्री चित्रकूट
296. वेदराम भाटी, श्री गौतमबुद्ध नगर
297. शंखलाल मांझी, श्री अम्बेडकरनगर
298. शकुन्तला देवी, सुश्री शाहजहांपुर
299. शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या, श्री लखीमपुर खीरी
300. शमीमुल हक, श्री मुरादाबाद
301. शहजिल इस्लाम, श्री बरेली
302. शाकिर अली, श्री देवरिया
303. शारदा प्रताप शुक्ला, श्री लखनऊ
304. शाह आलम उर्फ गुड्डु जमाली, श्री आजमगढ़
305. शाहिद मंजूर, श्री मेरठ
306. शिव कुमार बेरिया, श्री रमाबाई नगर
307. शिवपाल सिंह यादव, श्री इटावा
308. शिव प्रताप यादव, डा0 बलरामपुर
309. शिवाकान्त ओझा, प्रो0 प्रतापगढ़
310. शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री महाराजगंज
311. शेर बहादुर, श्री अम्बेडकरनगर
312. शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री जौनपुर
313. श्यामदेव राय चौधरी (दादा), श्री वाराणसी
314. श्याम प्रकाश, श्री हरदोई
315. श्याम बहादुर सिंह यादव, श्री आजमगढ़
316. श्रद्धा यादव, श्रीमती जौनपुर
317. संगीत सिंह सोम, श्री मेरठ
318. संग्राम यादव, डा0 आजमगढ़
319. संजय कपूर, श्री रामपुर
320. संजय प्रताप जयसवाल, श्री बस्ती

321. सईद अहमद, श्री — इलाहाबाद
322. सचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री — जौनपुर
323. सतीश कुमार निगम 'एडवोकेट', श्री — कानपुर नगर
324. सतीश महाना, श्री — कानपुर नगर
325. सत्यदेव पचौरी, श्री — कानपुर नगर
326. सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री — मेरठ
327. सत्यवीर मुन्ना, श्री — इलाहाबाद
328. सन्त प्रसाद, श्री — गोरखपुर
329. सन्तराम कुशवाहा, श्री — जालौन
330. सन्तोष पाण्डेय, श्री — सुल्तानपुर
331. सलिल विश्नोई, श्री — कानपुर नगर
332. सावित्री बाई फूले, सुश्री — बहराइच
333. सिबगतुल्ला अंसारी, श्री — गाजीपुर
334. सियाराम सागर, डा0 — बरेली
335. सीमा, श्रीमती — जौनपुर
336. सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री — फतेहपुर
337. सुखदेवी वर्मा, श्रीमती — इटावा
338. सुदामा प्रसाद, श्री — महराजगंज
339. सुदेश शर्मा, श्री — गाजियाबाद
340. सुधाकर, श्री — मऊ
341. सुधीर कुमार, श्री — उन्नाव
342. सुनील कुमार सिंह यादव, श्री — सोनभद्र
343. सुनील कुमार लाला, श्री — लखीमपुर खीरी
344. सुब्बा राम, श्री — गाजीपुर
345. सुभाष पासी, श्री — गाजीपुर
346. सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री — रायबरेली
347. सुरेश राणा, श्री — प्रबुद्धनगर
348. सुरेश कुमार खन्ना, श्री — शाहजहांपुर
349. सुरेश बंसल, श्री — गाजियाबाद
350. सुल्तान बेग, श्री — बरेली
351. सूरज पाल सिंह, श्री — आगरा
352. सोबरन सिंह यादव, श्री — मैनपुरी
353. स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री — कुशीनगर
354. हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, श्री — लखीमपुर खीरी
355. हरिओउम् यादव, श्री — फिरोजाबाद
356. हुकुम सिंह, श्री — प्रबुद्धनगर
357. हेमराज वर्मा, श्री — पीलीभीत
358. हेमलता चौधरी, श्रीमती — बागपत
359. रिक्त — देवरिया

नोट :-राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास एवं लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी) एवं पंचायती राज मंत्री (श्री बलराम यादव) भी सदन में उपस्थित थे।

सदन के वेल में जाने वाले रास्तों से अवरोधकों को हटाकर सुविधाजनक करवाने हेतु श्री अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद

श्री प्रमोद तिवारी-

माननीय अध्यक्ष जी आपको बहुत-बहुत धन्यवाद कहना कि आपने रास्ता सरल कर दिया।

श्री अध्यक्ष-

आपको वेल में आने में कठिनाई हो रही थी और आपसे ज्यादा हमारी महिला सदस्यों को कठिनाई हो रही थी।

श्री प्रमोद तिवारी-

इसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री पूरन प्रकाश-

गन्ने का दाम घोषित करो।

(राष्ट्रीय लोक दल के श्री पूरन प्रकाश, श्री वीरपाल राठी आदि सदस्य गन्ने का दाम घोषित करो के नारे लगाते हुये वेल में आ गये)

श्री अध्यक्ष-

माननीय पूरन प्रकाश जी जब आपका यह नियम-56 में लगा है तो आप क्यों वेल में आ गये हैं ? आप वापस जायें। अब हो गया। आप बैठ जायें। माननीय नेता लोक दल आपसे आग्रह है कि आपने नियम-56 में दे रखा है और नियम 56 में उस पर चर्चा होनी है तो अब आप इनको वापस बुला लें। आपका हो गया, प्रेस में भी चल गया, शासन में भी चला गया। जनता तक बात पहुंच गयी। माननीय सदस्य मेरा आपसे आग्रह है कि आप वापस चले जायें।

(राष्ट्रीय लोक दल के नेता सदस्य के वापस चले गये)

प्रश्नोत्तर

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

*1-श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा) एवं श्रीमती विमला सोलंकी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डीजल के बढ़े हुए मूल्य के कारण आम उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों में बेतहाशा हुई वृद्धि से प्रदेश की जनता को राहत दिलाने हेतु सरकार वैट की दरों को कम करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव)-

उत्तर प्रदेश में राज्य के सर्वांगीण विकास के लिये वित्तीय आवश्यकता एवं संसाधनों को जुटाने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुये उपभोक्ता वस्तुओं पर कर की दर युक्तिसंगत रूप से निर्धारित है। अतः इन पर कर की दर कम करने का कोई औचित्य नहीं है।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी यह एक सर्वमान्य तथ्य है कि जब डीजल और पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि होती है तो उसका असर आम उपभोक्ता वस्तुओं पर पड़ता है और उसका सबसे सीधा असर

गरीबों पर पड़ता है। तो यह जो डीजल की कीमतों में वृद्धि हुयी तो उसका सीधा असर गरीबों पर पड़ रहा है। उनकी पहले से ही टेढ़ी कमर अब टूटने की कगार पर इसलिये मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि जो औचित्य के रूप में आपने गिनाया है यह सिर्फ उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ही यह औचित्य में बताया जा रहा है जबकि देश के अन्य कई राज्यों में डीजल और पेट्रोल में वृद्धि और उससे आम उपभोक्ता वस्तुओं पर पड़ने वाले असर को देखते हुये उन्होंने वैट की दर को कम किया है। तो गरीबों की परेशानी को देखते हुये इसको कम करने पर विचार किया जाना चाहिये। और मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार यह बतायेगी कि क्या वैट की जो दर डीजल पर उत्तर प्रदेश में लागू है उसकी तुलना में अन्य प्रदेशों में क्या एकरूपता है अथवा कम है।

नियोजन राज्य मंत्री (श्री फरीद महफूज किदवई)-

माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश में वैट अधिनियम के अन्तर्गत जो बहुत खास चीजें हैं उन पर पहले से ही वैट नहीं लगा हुआ है जैसे आटा, मैदा, सूची बेसन, ज्वार, बाजरा, मक्का, गुड़, जौ कर मुक्त हैं तो डीजल के दाम बढ़ने से इन पर कोई असर नहीं हुआ। जो एल0पी0जी0 है यह कर मुक्त है। तो डीजल के दाम बढ़ने से इस पर असर नहीं हुआ। मान्यवर, बहुत सी जगहों के मुकाबले में इस प्रदेश में वैट कम है। आन्ध्र प्रदेश में 5 प्रतिशत, झारखण्ड में 5 प्रतिशत, मध्य प्रदेश में 5 प्रतिशत, महाराष्ट्र में 3 प्रतिशत है। जबकि हमारे यहां इन सब चीजों पर कर नहीं है। दूसरी बात यह है कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तराखण्ड, राजस्थान में डीजल पर उत्तर प्रदेश की तुलना में वैट की दर ज्यादा है। उत्तर प्रदेश में 17.37 परसेन्ट है और छत्तीसगढ़ में 25 परसेन्ट है, मध्य प्रदेश में 23 परसेन्ट है, केरल में 22 परसेन्ट है, आन्ध्रा प्रदेश में 22 परसेन्ट है, तमिलनाडु में 21 परसेन्ट है। मान्यवर, हमारे मा0 सदस्य जहां इनकी सरकार है यानी गुजरात में वहां 21 परसेन्ट है और हमारे यहां 17.37 परसेन्ट है मैं अगर भूल नहीं रहा हूं। तो मान्यवर, 13 जगहों पर वैट उत्तर प्रदेश के मुकाबले ज्यादा है या कहिये कि उत्तर प्रदेश में कम है।

श्री प्रमोद तिवारी-

माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं, सिर्फ 13 जगह से वैट कम है और बाकी जगहों से ज्यादा है आपके यहां। मुझे इस पर कुछ नहीं कहना है, हर राज्य को अपने संसाधन जुटाने पड़ते है आपने लगा रखा है, लेकिन मान्यवर अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा, फूड आयल के दाम बढ़े इन दोनों के कारण मान्यवर, दाम बढ़े हैं डीजल के। मैं आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करूंगा, आभार व्यक्त करूंगा कि अन्य राज्यों की तरह आप भी वैट वापस लेने का विचार करेंगे क्योंकि डीजल सीधे किसान से जुड़ा हुआ है, डीजल सीधे परिवहन से जुड़ा हुआ है, जनहित को देखते हुये क्या आप विचार करेंगे कि जैसे कांग्रेस शासित राज्यों में वैट नहीं लिया जा रहा है डीजल पर, क्या यहां पर भी विचार करेंगे, सिर्फ विचार की बात कर रहा हूं।

श्री फरीद महफूज किदवई-

मान्यवर, अभी तक तो ऐसा कोई विचार नहीं है।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

माननीय अध्यक्ष जी, गम्भीर प्रश्न है, केन्द्र की और राज्यों की आर्थिक नीति से जुड़ा हुआ प्रश्न है और इसमें कोई दो राय नहीं कि पेट्रोल की कीमत बढ़ने से आम आदमी पर बहुत असर नहीं पड़ता है, लेकिन जब डीजल की कीमत बढ़ती है और कैरोसिन आयल की कीमत बढ़ती है या गैस की

कीमत बढ़ती है तो उससे आम आदमी की कमर टूटती है। केन्द्र के असीमित संसाधन हैं, राज्यों के सीमित संसाधन हैं। ऐसे राज्य जो उसी पार्टी के हैं जिसकी केन्द्र में सरकार है उन राज्यों को केन्द्र से मिलने वाले धन की राशि ज्यादा है, राज्य सरकारों की कम है, उनके साथ उनका उपकार भी ज्यादा है और जहां नहीं है वहां उपकार कम है। केन्द्र सरकार यह कह कर अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती या प्रमोद तिवारी जी जो कांग्रेस को यहां रिप्रजेन्ट करते हैं कि कच्चे तेल की कीमत बढ़ गई है। बहुत सी चीजों की कीमतें बढ़ गई हैं, लेकिन केन्द्र की नीति क्या है ? केन्द्र की नीति क्या आम आदमी को राहत देने की है या नहीं है। कल ही एक नीति घोषित हुई है जिस तरह कैरोसिन आयल लेने वाले को अलग से केन्द्र सरकार पैसा देगी कई राज्यों में यह नीति लागू हुई और फ्लाप हो गई। उसी तरह एक नीति की घोषणा और हुई है जिसका मैं जिक्र नहीं कर रहा हूं। इसी तरह से उत्तर प्रदेश के लिये या पूरे देश के लिये कोई ऐसी नीति घोषित की जायेगी कि वह डीजल जो किसान अपने खेत में इस्तेमाल करता है, वह डीजल जो किसान अपने ट्रैक्टर में इस्तेमाल करता है, उसे सब्सीडाइज रेट पर देंगे, अगर देंगे तो यह ज्यादा बड़ी राहत होगी बनिस्पत इसके कि राज्य सरकार उत्तर प्रदेश की समाजवादी सरकार जिसने पहले भी वैट लागू नहीं किया था, एक अर्से तक पिछली सरकार में वैट लागू नहीं रहा और वह राहत यहां के प्रदेश वासियों को मिली। तो क्या हम यह उम्मीद कर सकते हैं, प्रमोद तिवारी जी के माध्यम से कि डीजल पर उन किसानों को राहत देने के लिये उसी तरह की कोई नीति घोषित करेंगे, जिस तरह प्रधानमंत्री जी ने कल एक नीति घोषित की है।

श्री पूरन प्रकाश-

माननीय अध्यक्ष जी, मा0 मंत्री जी ने 13 राज्यों का हवाला दे दिया, मान्यवर, यह बड़ी विषमता है, किसानों से जुड़ा हुआ यह विषय है डीजल का और किसान हमारे उत्तर प्रदेश में और बराबर में हरियाणा पड़ता है।.. मथुरा की सीमा मिला हुई है। मान्यवर, आगे दिल्ली पड़ता है, किसान यू0पी0 में डीजल भरवाना नहीं पसन्द करता है, वह हरियाणा जाता है, दिल्ली में फुल टंकी करवा कर आता है। मान्यवर, 2 रुपये का फर्क है। इतनी विषमता है मा0 अध्यक्ष जी। अगर दो रुपये की राहत प्रदेश सरकार किसान का डिक्लियर करें, तो यह जनहित में रहेगा और किसान हित में रहेगा। मा0 अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि हरियाणा की तर्ज पर, दिल्ली की तर्ज पर क्या उत्तर प्रदेश सरकार भी डीजल के रेट 2 रुपये कम करेगीं।

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य अब आप बैठ जाइये।

श्री पूरन प्रकाश-

मा0 अध्यक्ष जी, मेरे प्रश्न का जवाब तो आ जाने दीजिये।

श्री अध्यक्ष-

अरे, अब आप बैठ जाइये।

श्री हुकुम सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 संसदीय कार्यमंत्री जी ने जो चिन्ता व्यक्त की, उस चिन्ता के साथ में मैं भी अपने आपको जोड़ता हूं और असली दोष जहां पर है, असली दोष तो वही पर रहना चाहिये न वह इतनी कीमत बढ़ाते और न ही जनता का इतना शोषण हुआ होता, फिर भी मेरा एक प्रश्न है मान्यवर, और प्रश्न यह है क्योंकि वैट के माध्यम से प्रदेश सरकार की आमदनी बढ़ती है और उसी

आमदनी से सारे कामकाज चलते हैं। मान्यवर, आमदनी बढ़ जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन सोचना यह है कि कहीं हमारे अविवेकपूर्ण निर्णय से आमदनी तो बढ़ नहीं रही और आम जनता पर बोझ बढ़ रहा है। अब मैं आपके सामने वही प्रश्न प्रस्तुत करता हूं, जो अभी किया गया। आपने बहुत दूर-दूर की मिसाल दी, आप पड़ोस की मिसाल पर जाइये, जहां से मिला हुआ आपका बार्डर, सीमा है। वहां से नजाने कितने लाख लीटर डीजल प्रतिदिन प्रदेश में आता है, न उस पर वैट लगता है और न कुछ लगता है। आप अपनी आमदनी से पूर्ण रूप से वंचित रहते हैं और किसान जाकर लेकर आते हैं और उसके साथ-साथ मान्यवर, जितना हमारा कृषि का व्यवसाय और व्यापार है, वह भी वहीं जाकर शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि जब यहां से जायेंगे तो सारा सामान भी वहीं पर बेचने जायेंगे। हमें उतना फायदा नहीं हो रहा है, जितने हम नुकसान में हैं, क्या इस पर आप विचार करेंगे कि दोनों राज्यों में समानता बनी रहे चाहे वह हरियाणा हो या दिल्ली हो या कोई अन्य प्रदेश जो है, उनमें समानता नहीं है, ताकि हमारा व्यवसायी वहां पर न जाऐ और वहां से स्मगल होकर डीजल भी यहां न आये, इससे प्रदेश सरकार को बेतहाशा नुकसान हो रहा है। इस पर विचार करेंगे आप।

श्री फरीद महफूज किदवई-

मान्यवर, अभी कोई ऐसा विचार नहीं है, लेकिन अगर आगे आयेगा तो देखा जायेगा।

(डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी के खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

बाजपेयी जी, आप दूसरा पूछ लीजियेगा। आपके दो सदस्य पूछ चुके हैं। बाजपेयी जी आप बाद में पूछ लीजियेगा। अभी और सवाल हैं। अभी बहुत से सवाल हैं, अभी 20 सवाल हैं।

(डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी और श्री प्रदीप माथुर के एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

अब हम आगे बढ़ चुके हैं। आप बाद में बोल लीजियेगा।

श्री प्रदीप माथुर-

मा0 अध्यक्ष जी, सरकार किसानों को राहत देने की बात नहीं कर रही है, वैट कम करने की बात नहीं कर रही है। मान्यवर, श्री हुकुम सिंह जी ने कहा, श्री पूरन प्रकाश जी ने कहा कि आज प्रदेश को नुकसान हो रहा है। अध्यक्ष जी, पड़ोस के हरियाणा प्रदेश से, राजस्थान से, किसान डीजल ला रहे हैं। इस जन विरोधी मामले में हमारी पार्टी बर्हिगमन करती है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, वह आपका अधिकार है।

(तत्पश्चात् कांग्रेस विधान मण्डल दल के सदस्यगण सरकार विरोधी नारे लगाते हुए श्री प्रदीप माथुर के साथ सदन से बर्हिगमन कर गये)

तारांकित प्रश्न

*01-श्री संजय कपूर-

क्या होमगार्ड्स मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में होमगार्ड के जवानों को अस्थायी सेवकों के रूप में पूरे साल में लगभग छः महीने ही ड्यूटी दी जाती है ? क्या यह भी सही है कि इनको

प्रतिदिन 160/-रुपये भत्ता दिया जाता है जो बढ़ती मंहगाई के हिसाब से बहुत कम है ? यदि हां, तो क्या सरकार इनकी सेवा को देखते हुए इन्हें नियमित करने तथा नियमित न होने तक भत्ता 300/-रुपये प्रतिदिन करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

होमगार्ड्स, प्रांतीय रक्षक दल, व्यावसायिक शिक्षा मंत्री (श्री ब्रह्माशंकर त्रिपाठी)-

होमगार्ड्स संगठन एक स्वयंसेवी संगठन है, आवश्यकता व मांग के अनुरूप इन्हें रोस्टर के अनुसार ड्यूटियों पर नियुक्त किया जाता है। अतः लगातार पूरे वर्ष होमगार्ड्स स्वयंसेवकों को ड्यूटी पर तैनात किया जाना संभव नहीं है।

वर्तमान में होमगार्ड्स स्वयंसेवकों को शासनादेश संख्या-1998/छःनासु-11-258 होगा/81 दिनांक 09-9-2011 द्वारा रु0 160/- प्रतिदिन ड्यूटी भत्ता अनुमन्य है।

होमगार्ड्स संगठन पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। अतः इन्हें नियमित किया जाना संभव नहीं है।

प्रदेश की वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए ड्यूटी भत्ता बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में समय-समय पर विचार किया जाता है।

श्री संजय कपूर-

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जो मैनें प्रश्न पूछा था, उसका जवाब नहीं आया। मैंने पूछा था कि समान कार्य के लिये समान वेतन देने की जो प्रथा चली आ रही है, उसके आधार पर सरकार क्या होमगार्ड्स को नियमित करने पर विचार करेगी, सरकार ने कह दिया कि नियमित नहीं किया जा सकता। मान्यवर, आज की तारीख से 160 रुपये में तो मजदूर भी नहीं मिलता, हमारी तरफ पश्चिम में जाइये, 300 रुपये रोज की दिहाड़ी पर मजदूर मिल रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाह रहा हूं कि क्या सरकार 160 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये दैनिक भत्ता बढ़ाने पर विचार करेगी ?

श्री ब्रह्माशंकर त्रिपाठी-

माननीय कपूर साहब, आपने जवाब को ठीक से पढ़ा नहीं, इसमें लिखा है कि वित्तीय संसाधन ज्यों-ज्यों उपलब्ध होता है, उसके हिसाब से ड्यूटी भत्ता बढ़ाया जाता है।

श्री संजय कपूर-

माननीय अध्यक्ष जी, 160 रुपये में मजदूर नहीं मिल रहा है। आज जो दिन रात 24 घन्टे काम करके पुलिस की तरह सेवा कर रहा है, उसे आप 160 रुपये मानदेय दे रहे हैं तो क्या सरकार इसको बढ़ाकर 300 रुपये रोज करने पर विचार करेगी ?

श्री अध्यक्ष-

अब उत्तर आ गया कि वित्तीय संसाधन हमारे सीमित हैं, इसलिये संभव नहीं है।

श्री संजय कपूर-

माननीय अध्यक्ष जी, पूरे प्रदेश में एक लाख सत्रह हजार होगगार्ड हैं। बहुत ज्यादा नहीं हैं, इनका तो किया ही जा सकता है।

*श्री ब्रह्माशंकर त्रिपाठी-

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि 1 लाख 17 हजार होमगार्ड नहीं हैं, बल्कि भारत सरकार में 1 लाख 18 हजार 348 पद स्वीकृत हैं और यह स्वयंसेवी संगठन हैं और इसमें भारत सरकार की कोई नीति नहीं है न उत्तर प्रदेश सरकार की नीति है कि इनको स्थाई किया जाये। मैनें आपको बताया कि आपने जो ड्यूटी भत्ता बढ़ाने की बात की है तो वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने के बाद ही इसको बढ़ाया जाता है।

श्री राजेश त्रिपाठी-

माननीय मंत्री जी से हम जानना चाहेंगे कि आज ही एक अतारांकित प्रश्न हमारा इसी आशय का लगा हुआ है, होमगार्ड्स के विषय पर ही, हमने यह मांग की थी कि क्या उनको नियमित किया जा सकता है तो उसका जवाब आया कि नियमित नहीं किया जा सकता और भारत सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति की जाती है। जब भारत सरकार द्वारा कुछ सहयोग किया जाता है, अगर हम उन्हें नियमित करेंगे तो वह सहयोग रुक जायेगा। अभी माननीय मंत्री जी का यह कहना है कि भारत सरकार द्वारा कोई नीति नहीं बनाई गयी है। दूसरी तरफ जवाब में यह कहा जा रहा है कि भारत सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति की जाती है। तो जब आप नियमित नहीं कर सकते और भारत सरकार से इसके लिये पैसा आ रहा है तो क्या आप उनका ड्यूटी भत्ता बढ़ाने पर विचार करेंगे।

श्री ब्रह्माशंकर त्रिपाठी-

माननीय त्रिपाठी जी, यह स्वयंसेवी संगठन है, मैं इसके डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन इतना बता देना चाहता हूं कि इसका जो स्वरूप है वह स्वयंसेवक के रूप में है। इसकी उत्पत्ति कहां से हुई, जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उस समय इंग्लैंड की सारी सेनायें और सिविल फोर्स जब बार्डर पर चली गयीं तो वहां के जो सिविलयन थे, तो उन लोगों ने अपने पूरे राष्ट्र का ट्रैफिक कंट्रोल करना, रखवाली करने का काम किया और उसी समय होमगार्ड की स्थापना हुई। यह हमारे होमगार्ड स्वयं सेवक की पांच बटालियनें 1971 में बांग्लादेश की लड़ाई में गई थीं। मैं बताना चाहता हूं कि स्वयंसेवक निःस्वार्थ भाव से सेवा करने के लिए भर्ती होते हैं, इनको ड्युटी भत्ता वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता होने पर दिया जाता है।

(तारांकित प्रश्न सं0-2 पुकारे जाने पर)

श्री संजय कपूर-

मान्यवर, एक मिनट का समय दे दें।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी ने बता दिया कि स्वयंसेवी संगठन है यह सरकारी कर्मचारी नहीं हैं। अब हो गया, मा0 मंत्री जी को जवाब देने दीजिए। बहुत लोगों के सवाल हैं, आप कृपया बैठ जाएं, यदि आपका जवाब नहीं आये तो आप हमारे पास आ जाइयेगा, हम समझा देंगे।

मा0 मंत्री जी, आप जवाब दें।

प्रदेश में गिरते जल स्तर को रोकने एवं भू-जल रिचार्ज सम्बन्धी समग्र नीति

*02-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या लघु सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में हो रहे अत्यधिक जल दोहन से लगातार गिर रहे जल स्तर को रोकने के लिए सरकार अन्य राज्यों की भांति प्रदेश में भी कोई कानून लागू करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लघु सिंचाई, पशुधन मंत्री (श्री पारस नाथ यादव)-

प्रदेश में हो रहे अत्यधिक जल दोहन से लगातार गिर रहे जल स्तर को रोकने के लिए भू-गर्भ जल प्रबन्धन, वर्षा जल संचयन, भू-जल रिचार्ज के सम्बन्ध में समग्र नीति बनाए जाने की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर की जा रही है। प्रस्तावित समग्र नीति के आलेख पर शासन के अन्य सभी सम्बन्धित विभागों का अभिमत मांगा गया है। तदोपरान्त समग्र नीति पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर समग्र नीति लागू की जाएगी।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री पारसनाथ यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आभारी हूं कि आपने माननीय सदस्य को बता दिया। मैं भी मा0 सदस्य को बताना चाहता हूं कि अभी हमारी सरकार को कुल मिलाकर 8 महीने हुए और जो बांध बने हैं पीछे की सरकारों में, उन बांधों की हम जांच करवा लेंगे, जहां इस तरीके की कठिनाई होगी उसको दूर किया जायेगा।

डा0 धर्मपाल सिंह-

मान्यवर, मैने सीधा प्रश्न किया है जो बांध सिल्ट अप हो गये हैं। मैं आदरणीय बहन मायावती जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने सिंचाई की तरफ ध्यान दिया।

श्री अध्यक्ष-

धर्मपाल सिंह जी, आपकी बात आ गयी अब आप बैठिये। श्री राज नारायण बुधौलिया जी आप अनुपूरक पूछें।

श्री राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू भैय्या-

माननीय अध्यक्ष जी, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। अध्यक्ष जी, मा0 मंत्री महोदय ने बहुत विस्तार से भू-गर्भ जल पर चिन्ता व्यक्त की है, जवाब भी उनका बहुत विस्तार से आया है। जैसाकि हम सभी जानते हैं पूरे प्रदेश में अगर भू-गर्भ जलस्तर सर्वाधिक नीचे गया है तो वह बुन्देलखण्ड क्षेत्र है, जहां पेयजल की भी भारी दिक्कत है और सिंचाई के संसाधन भी अपर्याप्त हैं। वहां सबसे ज्यादा भू-गर्भ जल स्तर नीचे गया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र के लिए जैसाकि अभी माननीय सिंचाई मंत्री जी ने हमारे जनपद का दौरा भी किया था, वहां पूरे जनपद की समस्या से, सिंचाई के संसाधनों से तथा पेयजल की समस्या को ले करके, भू-गर्भ जल स्तर को ले करके जनता का काफी आक्रोश भी सामने आया था। वहां पर काफी ब्लाक डार्क जोन भी घोषित कर दिये गये हैं और वहां पर ट्यूबवेल विफल हो रहे हैं, हैण्डपम्प में पानी आना बन्द हो गया है। समग्र नीति इस सरकार ने बनायी है, उस समग्र नीति में प्राथमिकता के आधार पर बुन्देलखण्ड क्षेत्र के लिए कोई चिन्ता व्यक्त की है या नहीं मैं यह जानना चाहूंगा।

*श्री पारसनाथ यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, बुधौलिया जी वरिष्ठ सदस्य हैं पिछले सत्र में भी यह सवाल आया था बुन्देलखण्ड क्षेत्र की चर्चा इन्होंने की थी। बुन्देलखण्ड के लिए भारत सरकार भी चिन्तित है और उत्तर प्रदेश सरकार भी चिन्तित है कि जल स्तर वहां बहुत नीचे हैं, उस जल स्तर को जो वहां पर हमारी

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रीचार्जि ग की व्यवस्था चल रही है, उसको मा0 बुधौलिया जी देखे होंगे कि हमने इस वर्ष 400 चेकडैम बनाने की योजना तैयार की है और उसके टेण्डर हो गये हैं। हम उस जल स्तर को, जो हमारी संचयन की व्यवस्था है, चेकडैम के साथ-साथ बन्धी और पक्के कुएं बनाने की हम विशेष करके बुन्देलख्ण्ड में वह कार्य-योजना चला रहे हैं, और हम अतिशीघ्र ही रिचार्जिंग के माध्यम से जल स्तर को ऊपर लाने की नीति बना रहे हैं।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मैं बहुत आभारी हूं। आप का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय पर जिस पर सबकी चिन्ता स्वाभाविक है, आपने मुझे उस पर एक सप्लीमेण्ट्री पूछने की अनुमति दी है। मान्यवर, यह सही बात है कि अत्यधिक जल दोहन के कारण जल स्तर नीचे जा रहा है और उससे भी ज्यादा चिन्ता का है कि जो जल निकल रहा है या जो जल बरस रहा है वर्षा के माध्यम से हम उसका प्रबन्धन नहीं कर पा रहे हैं। एक बहुत बड़ी मात्रा मान्यवर, जल की बहकर चली जा रही है। हम उसे रोक नहीं पा रहे हैं जो आपने चेकप्वाइण्ट का जिक्र किया है। मैं एक अत्यन्त व्यावहारिक प्रश्न और सुझाव दोनों देना चाहता हूं आपको कि ये जो मनरेगा के अन्तर्गत तालाब बनाये गये हैं मान्यवर, इनमें बरसात का पानी अन्दर नहीं जा पा रहा है। वो ऊंचाई पर बने हैं और जो बरसात का पानी है वह बहकर जा रहा है तो उसको आपको अतिरिक्त रूप से भरना पड़ रहा है और भरना पड़ रहा है नीचे से पानी निकाल करके, जो आपकी चिन्ता का विषय है तो क्या उनके लिये कोई ऐसी योजना चल रही है। जो गलत बन गये, किस हालात में बन गये उसको छोड़ दीजिये और उनमें बरसात का पानी पहुंचाने का अगर आप प्रबन्धन कर लें मान्यवर, तो जल संचयन काफी बढ़ सकता है। इसी से एक दूसरा जुड़ा हुआ है और जैसा कि मैंने कहा कि जितना जल निकासी से नीचे जा रहा है, उससे ज्यादा जल की बरबादी से जा रहा है। मान्यवर, मेरा सुझाव है कि मा0 सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी होकर के आये हैं कि इज़राइल ने चमत्कार किया है मान्यवर, इजराइल ने सिंचाई के क्षेत्र में। उसने जो पानी है मान्यवर, उसका सही प्रबन्धन किया है। यानी सिंचाई उतने ही पानी से की जाये जितने पानी की आवश्यकता हो। तो मान्यवर, मेरा सुझाव है कि क्या इजराइल का जो पैटर्न है, इजराइल की जो सिंचन व्यवस्था है मा0 मंत्री जी अभी हो करके आये हैं उसको देख लें और दूसरा मान्यवर कि मनरेगा के अन्तर्गत ये जो बने हुये जलाशय हैं। इनमें नीचे से या नहर का पानी लाकर डाला न जाये। इनमें मान्यवर, जो पानी बरसात का वह रहा है और व्यर्थ जा रहा है उसको उसमें डालने की कोई व्यवस्था करायेंगे मान्यवर। ये दोनों मेरे प्रश्न और सुझाव हैं, मा0 मंत्री जी उत्तर दें।

श्री पारसनाथ यादव-

मा0 अध्यक्ष जी, हमारे वरिष्ठ नेता मा0 प्रमोद तिवारी जी, मैं इनको सम्मान करता हूं, आभार भी व्यक्त करता हूं। इन्होंने बहुत अच्छा सुझाव दिया। मनरेगा भारत सरकार की स्कीम है और भारत सरकार की ये स्कीम सीधे गांव तक पहुंचे। यह सपना स्वर्गीय राजीव गांधी जा का था और उस सपने के तहत हर विकास खण्ड में तालाब के निर्माण के लिये गांव चयनित हुये, उन गांवों में तालाबों की खुदाई का काम प्रधान के माध्यम से शुरू किया गया और वो तालाब, जो तालाब वास्तव में खोदने लायक थे, उन तालाबों की खुदाई नहीं हुयी। इन्होंने खुद ही तसलीम किया है और हम समझते हैं कि हमारा यह समूचा सदन तसलीम करेगा इस बात को कि निश्चित रूप से आज जो ये तालाब बन गये, उन तालाबों में बरसात का पानी भी नहीं जा पा रहा है। मजबूरी में हम ट्यूबवेल से या नहरों से

पानी उसमें भर रहे हैं। यह हकीकत है इसको काटा नहीं जा सकता है लेकिन इनका जो सुझाव है हम उसे शिरोधार करते हैं और इनको विश्वास दिलाते हैं कि इन्होंने जो बात प्रबन्धन की कही है तो इसमें कोशिश की जायेगी कि हम जल प्रबन्धन में इसीलिये जो छोटे-छोटे नाले हैं, उन नाली पर जो बहाव होता है। पानी का निकास गांव से चलता है, उन्हीं पर हमने एक आदेश किया है अपने विभाग के लोगों को कि चेकडैम हमारा वहीं बनेगा, जहां थोड़ा भी पानी बरसेगा और वह पानी उधर से निकलेगा, वहां रूका रहेगा और जो इन्होंने इजराइल पैटर्न की बात की है तो हमारे मा0 पी0डब्ल्यू0डी0 मंत्री जी वहां गये भी थे। हम सरकार में इसके विचार विमर्श के बाद जो नीति हमारी बनेगी, हम उसको लागू करने का प्रयास करेंगे।

श्री हुकुम सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, जो प्रश्न आए थोड़ा बहुत उन्हीं प्रश्नों से अपने आपको जोड़ते हुए और जो माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया उसी को आगे बढ़ाते हुए एक तो जो आपकी धारणा है कि बारिस की कमी की वजह से जल स्तर कम हुआ है इस धारणा को सही कर लेना चाहिए पानी की बरबादी से जल स्तर पर ज्यादा फर्क पड़ा है। अभी आपने तालाब की बात कही मनरेगा की बात कही। मेरा अनुभव अलग है मनरेगा से तालाबों का निर्माण कहीं हुआ होगा लेकिन अधिकांश क्षेत्र ऐसे है जहां केवल कागज पर है। निर्माण का तो कोई सवाल ही नहीं है। तालाब के बारे में मैं सुझाव भी देना चाहता हूं मनरेगा के तालाब तो बाद में आएंगे जो तालाब बने हुए थे पूर्व से ही बने हुए थे सर्वोच्च न्यायालय से लेकर केन्द्र सरकाार, प्रदेश सरकार सबने ही तो आदेश कर लिए। आदेश के बावजूद भी शायद ही कहीं आपको तालाब वजूद में मिलें। अतिक्रमण उन पर हो रहा है। अतिक्रमण के लिए आप और मैं जिम्मेदार नहीं हैं जिनको आपने कहा कि मैंने आदेश दे दिए हैं जिनको आपने आदेश दिए हैं उनके ऊपर आदेशों का कितना प्रभाव होता है यह देखने की बात है। जनप्रतिनिधियों को इसमें शामिल कीजिए जिले जिले की रिपोर्ट उनको बिठाकर लीजिए क्षेत्रों की रिपोर्ट लीजिए आपके सामने सही स्थिति आ जाएगी। मैं सुझाव के रूप में कह रहा हूं आप उसे मान लें तो अच्छा है। मान्यवर, ब्रिटिश काल के न जाने कितने नाले बने हुए हैं वह इसीलिए बने थे कि जो एक्सेस पानी होगा वह उनमें छोड़ दिया जाएगा। नाले तो बहुत हद तक वजूद में हैं लेकिन पानी उनमें छोड़ा नहीं जा रहा है। पानी है लेकिन थोड़ा उसके प्रति ध्यान देने की बात है। अन्तिम सुझाव मेरा यह है कि जो डार्क ब्लाक घोषित कर दिए थे नहर की सिंचन व्यवस्था वहां पर है नहीं बिजली कनेक्शन आप देंगे नहीं क्योंकि डार्क घोषित कर दिया आप यह बताइए कि वह लाखों किसानों की संख्या कहां जाएगी कहां से सिंचन कर लेगी। ट्यूबवूल का पानी उन्हें मिलेगा नहीं नहर का पानी वहां है नहीं बिजली के कनेक्शन आपने बन्द कर दिए तो क्या हमें इस बात पर चिन्ता व्यक्त नहीं करनी चाहिए। आदेश देना बहुत आसान है लेकिन आदेश की व्यवहारिकता देखना उतना ही महत्वपूर्ण है। मेरी विधान सभा क्षेत्र में तीन ब्लाक हैं तीनों डार्क घोषित हैं कहां पर वहां के किसान जाएं और कहां उनका जनप्रतिनिधि जाय। दुःख की बात यह है थाना भवन हमारा है शामली है कैराना है तीनों क्षेत्र आज प्रभावित हैं जहां आपने डार्क घोषित कर दिया यह चिट्ठी मेरे पास आ रही है जितने डार्क ब्लाक घोषित हुए हैं उनके बारे में आप कुछ न कुछ नीति बनाकर हमें दें। आखिर किसानों की सिंचन व्यवस्था कहां से होगी अगर सिंचन नहीं होगा तो खेती में पैदावर नहीं होगी किसान क्या भूखों मरेंगे मैंने आपके माध्यम से जनहित की बात है इस पर सरकार का कुछ पक्ष आना चाहिए।

(श्री शारदा प्रताप शुक्ला के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

शुक्ला जी आप बैठ जाएं। माननीय मंत्री जी क्या सुझाव के बारे में आपको कुछ कहना है। शुक्ला जी बैठिए। मंत्री जी ने जवाब दिया नहीं आप पहले खड़े हुए हैं।

श्री पारसनाथ यादव-

शुक्ला जी क्या जवाब देने के लिए खड़े हुए हैं। माननीय अध्यक्ष जी मैं बड़े सम्मान के साथ आदरणीय हुकुम सिंह जी के सवालों का उत्तर देना चाहता हूं। इन्होंने सही हकीकत की बात कही कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक ने चिन्ता व्यक्त की कि जो हमारे तालाब हैं उनका इंक्रोचमेंट या उन पर कब्जे हो रहे हैं। यह राजस्व विभाग से जुड़ा हुआ मामला है पिछली बार भी इन्होंने यह सवाल किया था और राजस्व मंत्री जी को इंगित किया था हम स्वयं भी इसमें शामिल हैं राजस्व विभाग की भूमि सम्बन्धी प्रबन्धन की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को ठीक करने के लिए हमने एक बैठक की थी और बैठक के बाद हमने यह बात कही थी राजस्व मंत्री जी से और उनके विभागीय अधिकारियों से कि जो हमारे तालाब हैं उन तालाबों की खुदाई प्राथमिकता के आधार पर मुझे जानकारी मिली भी है कि जिलाधिकारियों के ऐसे पत्र चले गए हैं कि जो तालाब हैं जो खुदाई योग्य हैं उनकी खुदाई करा दी जाए और उनमें पानी इकट्ठा करने की व्यवस्था की जाय लेकिन इन्होंने जो दूसरा सुझाव इस बात का दिया माननीय हुकुम सिंह जी ने कि तालाब के इन्क्रोचमेंट के साथ-साथ मनरेगा से किसी तालाब की खुदाई नहीं हुई मुझे जो जानकारियां हैं मैं पूरब से बिलॉग करता हूं पश्चिम की स्थिति बहुत नहीं जानता लेकिन पूरब से बिलांग करने के कारण मैं जानता हूं कि कोई गांव पंचायत हमारी ऐसी बाकी नहीं है।

प्रदेश के अन्य जनपदों में भी मथुरा के सघन अक्षय फल संस्था द्वारा मिड-डे-मील उपलब्ध कराये जाने की मांग

*03-श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में मिड-डे-मील योजना में बच्चों को निम्न स्तर के खाद्यान्न उपलब्ध कराये जाने की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं ? क्या जनपद मथुरा में अक्षय पात्र संस्था द्वारा उच्च श्रेणी का मिड-डे-मील उपलब्ध कराया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त व्यवस्था प्रदेश के सभी जनपदों में लागू करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

बाल विकास एवं पुष्टाहार, बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री गोविन्द चौधरी)-

जी नहीं।

जी हां।

''अक्षय पात्र फाउन्डेशन संस्था'' से 04 अन्य जनपदों (लखनऊ, कानपुर नगर, कन्नौज, आगरा) में मध्याह्न भोजन योजनान्तर्गत मिड-डे-मील योजना संचालित कराए जाने का निर्णय लिया गया है। इस सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश सं0-1112/79-6-2012-1(2)/2012 दिनांक 28-09-2012 में यह भी व्यवस्था की गयी है कि यदि भविष्य में प्रश्नगत संस्था अक्षयपात्र फाउन्डेशन द्वारा अन्य जनपदों में योजना के विस्तार विषयक प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाता है, तो इस सम्बन्ध में अन्तिम निणय लेने हेतु मा0 मुख्य मंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त कर कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य-

मान्यवर, बेसिक शिक्षा के सम्बन्ध में तीन हमारे सवाल लगे थे जिसमें से एक यह मथुरा की 'अक्षय पात्र योजना' के तहत हमने सरकार से यह मांग की थी, यह प्रश्न लगाया था कि 'अक्षय पात्र फाउन्डेशन' से पूरे प्रदेश के प्रत्येक जनपद में मिड-डे-मील की व्यवस्था चलाई जाय। जैसा कि आज मिड-डे-मील प्राइमरी स्कूलों में चल रहा है वहां पर अध्यापकों और प्रधानों के इसमें व्यस्त होने के नाते हमारे प्रदेश की प्राइमरी स्कूल की जो शिक्षा है उसका स्तर भी काफी गिर रहा है। सरकार ने यह जो चार जनपदों का चयन किया है उसका मैं स्वागत करता हूं लेकिन यह चाहता हूं क्या सरकार भविष्य में स्वयं प्रयास करके व्यवस्था करेगी, माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है कि अगर संस्था प्रस्ताव करेगी तो हम इस पर विचार करेंगें। लेकिन मैं यह चाहता हूं और मैं समझता हूं कि पूरा सदन इस पर सहमत होगा कि सरकार स्वयं प्रयास करे। अभी मैं मथुरा गया था। वहां 'अक्षय पात्र' के जो अधिकारीगण हैं उनसे बात की और साथ ही साथ आज ही मेरा एक अतारांकित प्रश्न माननीय मंत्री जी के विभाग से लगा है। यह जो जवाब आया है वह पूर्णतया गलत दिया गया है।

श्री अध्यक्ष-

वह अलग से लगेगा। आप इसमें पूछिये। आपने कहा था कि यह अच्छी योजना है क्या आप इसे और लागू करेंगें ? माननीय मंत्री जी ने कहा कि 3-4 जनपदों में चलाये जाने का निर्णय लिया गया है।

श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य-

मथुरा में हमारा एक विद्यालय है उसकी दीवार आज भी टूटी पड़ी है।

श्री अध्यक्ष-

मिड-डे-मील में दीवार टूटी पड़ी है का क्या सवाल है ? माथुर जी आपको पूछना है तो आप पूछ लें।

डा0 धर्मपाल सिंह-

माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे प्रदेश में अत्यधिक जल दोहन होने के कारण भूजल स्तर बहुत तेजी से नीचे गिर रहा है और भूजल स्तर नीचे गिरने के कारण पूरे प्रदेश के किसानों के ट्यूबवेल खड़े हो रहे हैं। जो गांवों में पीने के पानी की योजनाएं चलाई जा रही हैं वह भी ट्यूबवेल खड़े हो रहे हैं और बहुत गम्भीर स्थिति पैदा हो गई है। माननीय मंत्री जी ने कहा कि समग्र नीति सरकार बना रही है तो माननीय मंत्री जी से जनना चाहता हूं कि यह समग्र नीति कब तक बनकर तैयार हो जायेगी ? दूसरा प्रश्न मैं यह पूछना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश में अब तक कितने ब्लॉक पूरी तरह से डार्क घोषित किये जा चुके हैं ? माननीय मंत्री जी के विभाग द्वारा पूरे प्रदेश में नदियों पर नालों पर बांध बनाये गये हैं, इसी बरसात में वह बांध सिल्टप हो गये हैं। यह बांध डेढ़ मीटर के बनाये गये हैं, उनमें मिट्टी सिल्टप हो गई है और गहराई कम हो गई है तो मान्यवर, जो सिल्ट जमा हो गई है उसे साफ कराने के लिए क्या सरकार कोई योजना बनायेगी ?

श्री पारस नाथ यादव-

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात सत्य है कि भूजल तेजी से नीचे भाग रहा है और इसके भागने का कारण वर्षा की कमी होना है और वर्षा के पानी का जमीन के नीचे न जाना है। मान्यवर, यह देश कृषि प्रधान देश है यहां 70 प्रतिशत सिंचाई भूजल से की जाती है और देश के कई राज्यों में

इस तरह के ऐक्ट बने हैं लेकिन यदि इस तरह के कानून बनाये जायेंगे तो वह किसानों के हित में नहीं होगें और ऐसा करना प्रदेश के भी हित में नहीं होगा क्योंकि जो खेती योग्य हमारी जमीने हैं उसको सिंचित करने के लिए समाजवादी पार्टी संकल्पित है और पांच साल में हम उन्हें सिंचित करना चाहते हैं। माननीय सदस्य ने जो दूसरा सवाल किया कि जो भूजल स्तर भागने के कारण ट्यूबवेल खड़े हो रहे हैं उसे रोकने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है। मान्यवर, इसे रोकने के लिए भूजल रिचार्जिंग के लिए प्रयास किया जा रहा है, बांध बनाये जा रहे हैं, भारत सरकार की जो मनरेगा स्कीम है इस स्कीम के तहत तालाबों की खुदाई की जा रही है। जो हमारी समग्र नीति का सवाल है भूजल ऑकलन समिति, भारत सरकार की ओर से चार साल में रिपोर्ट दी जाती है जिसमें बताया जाता है कि भूजल की स्थिति क्या है। वर्ष 2009 की जो रिपोर्ट थी वह वर्ष 2012 में प्रदेश सरकार को मिली और प्रदेश सरकार को अप्रैल माह में यह सूचना मिली कि प्रदेश में 215 ब्लॉक प्रभावित हैं और इसमें तीन कटेगरी बनायी गई है। एक अति दोहित ब्लाक, एक क्रिटिकल ब्लाक और एक सेमी क्रिटिकल ब्लाक अति दोहित हैं। 108 अति दोहित ब्लाकों की रिचार्जिंग करने के लिए 15 मई, 2012 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हमारी नीति तैयार हुई, उसमें हमने इन ब्लाकों जहां से 36 जनपदों में हमारे ब्लाक विभाजित हैं, उन 36 जनपदों में हमने रिचार्जिंग के लिए वहां के जिलाधिकारी के माध्यम से पूरी व्यवस्था की सूचना मांगी है और इस सूचना के प्राप्त हो जाने के बाद हम एक समग्र नीति के तहत इस पर बात करेंगें। उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है इसलिए एक्ट बनाना या कानून बनाना यह उचित नहीं होगा। इसलिए रिचार्जिंग की जो भी व्यवस्था होगी, समाजवादी सरकार उसके लिये कटिबद्ध है। भू-जल पेयजल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इस प्रदेश में 65 से 70 प्रतिशत लघु सीमान्त और सीमान्त कृषक हैं, इनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए सिंचाई की तरफ जब आप ध्यान देंगें तो 77.39 प्रतिशत सिंचाई निजी साधनों से हो रही है, 3 प्रतिशत हम राजकीय नलकूप से कर रहे हैं और 19 प्रतिशत हम नहरों से सिंचाई कर रहे हैं। इस तरीके से 22 प्रतिशत जो भू-गर्भ जल का पानी है उसमें हम सिंचाई कर रहे हैं तो यह उचित नहीं होगा। माननीय सदस्य ने जो चिंता व्यक्त की है, हम उस चिन्ता से अपने आप को सम्बद्ध करते हैं, चूंकि पानी सबसे महत्वपूर्ण चीज है और खेती इस प्रदेश के लिए सबसे महत्वपूर्ण है इसलिए भू-गर्भ जल को ठीक रखने के लिए हमारा पूरा प्रयास है।

डा0 धर्मपाल सिंह-

मान्यवर, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया। अध्यक्ष जी, मैंने यह पूछा था माननीय मंत्री जी से कि लघु सिंचाई द्वारा नदियों पर जो बांध बनाये गये हैं वह पहली ही बरसात में सिल्ट-अप हो गये हैं और जब वह सिल्ट-अप हो जायेंगे तो उस बांध का उपयोग खत्म हो जायेगा, पानी निकल जायेगा। उनकी जो गहराई थी जिस गहराई को देखकरके वह बांध बनाये गये थे वह सिल्ट-अप हो गये हैं। मैंने मा0 मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहा था कि जो सिल्ट-अप हो गये हैं उनकी मिट्टी निकलवाने के लिए सरकार कोई कार्ययोजना बनायेगी ?

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी ने जवाब दे दिया कि समग्र योजना के अन्तर्गत महात्मा गांधी रष्ट्रीय रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत उसको ठीक करायेंगे, वह तो जवाब आ गया है। अब आप बैठिये।

श्री प्रदीप माथुर-

माननीय अध्यक्ष जी, मथुरा जनपद में वृन्दावन की अक्षयपात्र संस्था हमारे प्रदेश का गौरव है। मैं मा0 मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि वह वृन्दावन गये थे किचन का उद्घाटन करने, और उन्होंने उससे प्रभावित होकर चार जनपदों में घोषणा कर दी मैं मा0 सदस्य से अपने को सम्बद्ध करता हूं कि अक्षय पात्र जैसी संस्था यदि मिड-डे-मील को बांटने के लिए, बनाने के लिए प्रदेश में आएगी तो जो गड़बड़ घोटाले होते हैं शिक्षक और बच्चे खाना बनाने में लगे रहते हैं वह नहीं होगा और गरम खाना खाना बच्चों को मिलेगा। इनका किचन एकदम मॉर्डन है। हाथ से खाना नहीं बनाना पड़ता है अच्छी क्वालिटी का खाना रहता है। स्टीम से अच्छा चावल बनता है मशीन से रोटी सब्जी बनती है। किन्तु एक दिक्कत है मैंने वहां के मैनेजमेंट से बात की थी।

श्री अध्यक्ष-

सवाल पूछें।

श्री प्रदीप माथुर-

वहीं आ रहा हूं क्यों सरकार उस अक्षय पात्र संस्था को, अभी चार जनपदों के लिए मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की है सरकार यदि और जनपदों में भूमि उपलब्ध कराये और किचेन बनाने के लिए पैसा उपलब्ध कराए तो वह अक्षय पात्र संस्था और जनपदों के लिए तैयार हो जाएगी। मैं सरकार की तरफ आश्वासन चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

आप उत्तर पढ़ लें। अन्य जनपदों में अगर प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाते हैं तो उस पर विचार कर लेंगे।

तारांकित प्रश्न-4

श्री अध्यक्ष-

यह सुरेश खन्ना जी का प्रश्न है। इसमें लक्ष्मीकांत बाजपेई जी ने भी 300 में दिया है।

श्री प्रदीप माथुर-

आश्वासन दिलवा दें।

श्री अध्यक्ष-

आप उत्तर तो पढ़ लें। मंत्री जी क्या आप जबाव देना चाहते हैं।

श्री रामगोबिन्द चौधरी-

जो प्रश्न माननीय सदस्य ने किया पहली बात कहीं कि खाद्यान्न घटिया किस्म का जाता है। तो मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि खाद्यान्न अच्छी किस्म का जाता है और जहां तक उन्होंने कहा कि मास्टर और बच्चे खाना बनाते हैं तो मैं बताना चाहूंगा कि हर विद्यालय में दो-दो रसोइयें काम कर रहे है। कहीं मिड-डे-मील में मास्टर या बच्चों को भोजन नहीं बनाना है। जनप्रतिनिधि अगर अपना सम्मान जनता में पेश करना अच्छी तरह से जानते हैं तो प्रधान भी जनप्रतिनिधि हैं। हम लोगों को और प्रधान को वोट जनता देती है। अगर हम जनप्रतिनिधि हैं तो प्रधान भी जनप्रतिनिधि है। प्रधान घोटाला करता है यह कहना सही नहीं है। अगर कहीं गड़बड़ी की बात आती है तो उसमें कार्यवाही की जाएगी। जहां तक अक्षय पात्र का मामला है तो अक्षय पात्र को हमने

चार और जनपद दिए हैं। ढाई एकड़ जमीन और उसका किचेन बनाने का पैसा मिल रहा है। सरकार ने जो जनता से वायदा किया है पहले हम उसको पूरा करेंगे जब वायदा पूरा हो जाएगा तो निश्चित रूप से इस पर विचार करेंगे।

*04-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[13वें बुधवार के तारांकित प्रश्न संख्या-01 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में सहायक अध्यापकों तथा प्रधानध्यापकों की मानक के अनुसार नियुक्ति की जानकारी

*05-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप (अनुपस्थित)-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में शासनादेशों तथा मानकों के अनुसार सहायक अध्यापकों तथा प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति की गई है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार मानक के अनुसार प्रदेश के सभी विद्यालयों में शिक्षकों/प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामगोविन्द चौधरी-

जी हां।

प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में छात्र अध्यापक अनुपात को मानक के अनुसार लागू करने हेतु शिक्षा मित्रों को भी प्रशिक्षण देकर पठन-पाठन के लिये आबद्ध किया गया है। प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापकों के कुल सृजित पदों के सापेक्ष कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षा मित्रों का वितरण निम्नवत् है :--

प्रदेश के कुल सृजित पद प्र0अ0/स0अ0	कार्यरत प्र0अ0/स0अ0	कार्यरत शिक्षा मित्र	रिक्तियां	कार्यरत शिक्षा मित्र+स0अ0+ प्र0अ0	कुल छात्र संख्या (करोड़ में)	पी0टी0 आर0
380743	177866	172389	202877	350255	1.34	38.1

उपरोक्त से स्पष्ट है कि छात्र एवं अध्यापक अनुपात 38.1 के मानक के अनुसार है।

सहायक अध्यापकों के रिक्त पदों के सापेक्ष उन्हें भरने की प्रक्रिया चल रही है। प्रदेश में 72,825 पदों के सापेक्ष प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती का प्रस्ताव विचाराधीन है।

उक्तवत।

प्रश्न नहीं उठता।

*06-श्री संगीत सिंह सोम,

प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी,

श्री दलवीर सिंह एवं

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[2सरे बुधवार के तारांकित प्रश्न संख्या-12 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में बी0टी0सी0 2004 में चयनित अभ्यर्थियों में से शेष प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में

*07-श्री उपेन्द्र तिवारी एवं
श्री दलवीर सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में द्विवर्षीय सेवा पूर्व बी0टी0सी0 2004 (प्रशिक्षण वर्ष 2009) में चयनित 9900 अभ्यर्थियों में से लगभग 5600 अभ्यर्थियों की नियुक्ति जुलाई, 2011 में कर दी गई है ? यदि हां, तो शेष प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामगोविन्द चौधरी-

जी हां।

27 जुलाई, 2011 के पूर्व जिन अभ्यर्थियों का परिणाम घोषित हो चुका है उनकी नियुक्ति जनपदों में की जा चुकी है।

27 जुलाई, 2011 के बाद टी0ई0टी0 परीक्षा अनिवार्य घोषित कर दी गयी। अतः शेष प्रशिक्षित अभ्यर्थी जिन्होंने टी0ई0टी0 परीक्षा उत्तीर्ण की है, उनकी नियुक्ति हेतु कार्यवाही गतिमान है। जनपदों में विज्ञापन प्रकाशित किया जा चुका है जिसका आवेदन-पत्र दिनांक 20-11-2012 तक आमंत्रित किया गया था।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री उपेन्द्र तिवारी-

माननीय अध्यक्ष जी, हम उन अभ्यर्थियों की बात करना चाहते हैं जो बी0टी0सी0 परीक्षा वर्ष 2004-05 थी, उसके विज्ञापन में स्पष्ट लिखा था कि परीक्षणोपरान्त प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के पदों पर यह नियुक्त होंगे। टी0ई0टी0 की अनिवार्यता 27 जुलाई, 2011 को लागू हुई, इसके पूर्व में यह अभ्यर्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे, परीक्षा कराना और परीक्षाफल घोषित करना सरकार का दायित्व है। माननीय अध्यक्ष जी, यदि सरकार की लापरवाही का दण्ड छात्रों को दिया जाय तो यह जनहित में ठीक नहीं है। इसलिए हम माननीय मंत्री जी से आश्वासन चाहते हैं, क्योंकि यह पूरे प्रदेश का मामला है। मान्यवर, मेरा प्रश्न है कि जो अभ्यर्थी वर्ष 2004-05 में बी0टी0सी0 में एडमीशन लिए थे, वर्ष 2009-10 में उनकी परीक्षा हुई, सरकार की लापरवाही के कारण उनका परीक्षाफल समय से घोषित नहीं हो पाया। अब माननीय मंत्री जी का कहना है कि 27 जुलाई, 2011 को टी0ई0टी0 परीक्षा पास करना अनिवार्य कर दिया गया है और अब नियुक्तियां टी0ई0टी0 पास करने के बाद ही होंगी। मान्यवर, जिसका प्रशिक्षण एक बार बी0टी0सी0 के माध्यम से हो गया, जिनका चयन वर्ष 2004-05 में हुआ था, उनकी परीक्षा 2009 में ली गयी और वर्ष 2011 तक उनका परीक्षाफल घोषित नहीं किया गया, इसमें जो सरकार का ही दोष है। मान्यवर, 9900 अभ्यर्थियों में से लगभग 5600 अभ्यर्थियों की नियुक्ति हो चुकी है, कुछ अभ्यर्थी ही बाकी हैं। मैं चाहता हूं कि शेष बचे अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु माननीय मंत्री जी आश्वासन दें।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने प्रश्न भी किया और उसका उत्तर भी स्वयं ही दे दिया। उत्तर प्रदेश में 2011 में बाल शिक्षा अधिनियम लागू हो गया और उसमें यह प्रतिबन्धित हो गया कि अब प्रदेश में जो भी टीचर नियुक्त होंगे, वह टी0ई0टी0 पास होंगे। माननीय सदस्य का कहना सही है कि

कुछ अभ्यर्थियों की भर्ती हो गयी लेकिन कुछ लोगों का रिजल्ट बाद में आया, तब तक पिछली सरकार ने 2011 में उत्तर प्रदेश में भी निःशुल्क शिक्षा अधिनियम लागू कर दिया तो अब तो विभाग के लिए या सरकार के लिए यह बाध्यकारी हो गया कि जिसने टी0ई0टी0 पास नहीं किया है, उसको अध्यापक के रूप में नियुक्त करने में सरकार को असमर्थता जाहिर करनी पड़ रही है। शिक्षा सलाहकार बोर्ड की बैठक दिल्ली में हुई थी, वहां पर भी मैंने इस बात को उठाया कि बहुत से ऐसे हैं, जैसे पत्राचार बीटीसी है, नर्सरी बी0टी0सी0 है, विशिष्ट बी0टी0सी0 2004 है, कुछ ऐसे बी0टी0सी0 की नियुक्ति पिछली सरकार में नहीं हो पायी तो मैंने केन्द्र सरकार से भी इस बात का आग्रह किया कि आप टी0ई0टी0 में ढील दीजिए, कुछ छूट दीजिए क्योंकि ऐसे जो अभ्यर्थी हैं, जिनका जीवन बेकार हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, पढ़-लिख करके, जो नियुक्त होने लायक हैं भी, लेकिन आज यह अधिनियम लागू होने के कारण हम उनको नियुक्त करने में अक्षम हैं। मेरे कहने के बाद बिहार के माननीय मंत्री जी ने भी इस बात को रखा। जिस दिन हमने इस बात को रखा, उस दिन तो माननीय केन्द्रीय शिक्षा मंत्री जी ने कुछ हां में सिर हिलाया था लेकिन 3-4 दिन बाद पत्र में आया, अखबार में पढ़ा कि उन्होंने इसको मानने से इन्कार कर दिया है। फिर भी हम उनसे आग्रह करेंगे। हमारी सहानुभूति उनके ऊपर है। टी0ई0टी0 लागू होने के कारण हम सक्षम नहीं हो पा रहे हैं।

चौधरी दलवीर सिंह-

मान्यवर, सुदूर देहाती क्षेत्रों में जो अध्यापक जाना नहीं चाहते हैं, उनको वहां भेजने के लिये क्या सरकार कोई प्रोत्साहन धनराशि देने पर विचार करेगी।

श्री राजेश त्रिपाठी-

श्रीमन् उत्तर में यह बताया गया है कि 2011, 2012 तक आवेदन-पत्र आमंत्रित किये गये हैं, तो अब तक कुल कितने आवेदन-पत्र आए हैं और उनकी नियुक्ति कब तक हो जायेगी।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

श्रीमन् दिसम्बर के अन्त तक यह जनवरी के प्रथम सप्ताह तक इनकी नियुक्ति हो जाएगी।

प्रदेश में मछुआ आदि समुदाय को मौरंग का पट्टा वरीयता के आधार पर दिये जाने की मांग

*08-साध्वी निरंजन ज्योति-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गंगा यमुना नदी के किनारे जीवन यापन करने वाले निषाद, केवट, मल्लाह, मछुआ आदि का मुख्य व्यवसाय नौका चालन, मौरंग ढोना, मछली पकड़ना आदि था ? क्या बालू माफियाओं के कारण उनका धन्धा छिन गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार केवट, निषाद, मल्लाह, मछुआ आदि को भी मौरंग का पट्टा दिलाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

जी नहीं।

जी नहीं।

वर्तमान में सरकार द्वारा उ0प्र0 उप खनिज परिहार नियमावली, 1963 के अध्याय-4 के अन्तर्गत ई-टेण्डरिंग प्रणाली के माध्यम से खनन पट्टे स्वीकृत किये जाने की व्यवस्था की है जिसमें

सर्वोच्च एवं संतोषजनक बोली ही एकमात्र खनन पट्टा स्वीकृत किये जाने का आधार है। इसमें मछुआ समुदाय को वरीयता दिये जाने की व्यवस्था नहीं है।

साध्वी निरंजन ज्योति-

मान्यवर, उत्तर प्रदेश को छोड़ करके मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा अन्य प्रान्तों में इस समाज की जाति के आधार पर पट्टे अभी भी दिये जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इस समाज के लोगों को प्राथमिकता के आधार पर पट्टे दिए गये थे। यह समाज अत्यन्त पिछड़ा हुआ है। यह लोग नदियों के किनारे रहने वाले लोग हैं और मछलियों का ठेका लेकर अपना जीवन-यापन करते हैं। यह बात अलग है कि मछलियों के ठेके निषाद लोगों के नाम पर जारी होते हैं और चलाते दूसरे लोग है। मैं मंत्री जी के जवाब से संतुष्ट नहीं हूं। मान्यवर, जो मैंने सवाल पूछा था प्रथम भाग में उसका उत्तर 'जी हां' में आया है। मान्यवर, खनन के कारण उनके जो सब्जी उत्पादन का व्यवसाय था, वह भी खत्म हो गया है। मैं केन्द्र सरकार का ऐक्ट पढ़ रही थी अभी वह ऐक्ट लागू है या नहीं इसकी मुझे पूर्णतया जानकारी नहीं है लेकिन मुझे यह जानकारी है कि मा0 मुलायम सिंह यादव जी के मुख्यमंत्रित्व काल में इस समाज को अनुसूचित जाति मानने की बात हुई थी। तो यदि आप इन्हें किन्हीं कारणों से अभी पट्टे नहीं दे सकते हैं तो क्या यह सरकार निषाद समुदाय को अनुसूचित जाति का दर्जा देने की घोषणा करेगी।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न तो यह नहीं है।

श्री फरीद महफूज किदवई-

मान्यवर, इसमें रोक लगी हुई है। मा0 उच्च न्यायालय के द्वारा रोक लगी हुई है। मान्यवर, पहले यह प्राविधान था, लेकिन उसके बाद रामचन्द्र बनाम उत्तर प्रदेश व अन्य के वाद में इनको चुनौतियां दी गई हैं, जिस कारण उच्च न्यायालय ने इस पर रोक लगा दी है। मान्यवर, अब ई-टेण्डरिंग प्रणाली के माध्यम से खनन पट्टे स्वीकृत किये जाने की व्यवस्था की गई है।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

माननीय अध्यक्ष जी, इसमें अन्तिम प्रश्न है कि क्या सरकार निषाद, केवट, मल्लाह, बिन्द, मछुआ आदि को मौरंग का पट्टा दिलाने पर विचार करेगी ? मान्यवर, यह इसलिए संवेदनशील प्रश्न है क्योंकि समाजवादी पार्टी सरकार ने पिछड़े वर्गों की लगभग एक दर्जन जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल किये जाने का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा है। चूंकि अनुसूचित जाति में मछुवा, केवट, बिन्द, निषाद, मल्लाह, राजभर आदि को आप तो शामिल कर नहीं सकते लेकिन प्रस्ताव भेजा है केन्द्र सरकार को, लेकिन यह आपके वश में है कि इनको मौरंग निकालने का पट्टा देने में आरक्षण दे सकते हैं। जब आप इनको अनुसूचित जाति मानने के लिए मानसिक रूप से तैयार हैं और आप सिद्धांततः प्रस्ताव भी भेज चुके हैं तो इनको मौरंग निकालने के लिए आरक्षण कोटा निर्धारित करने पर क्या सरकार विचार करेगी, यह मेरा प्रश्न है ?

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी ने बता दिया सुप्रीमकोर्ट का फैसला है उसी के आधार पर यह बना है अब दूसरा यह जब तक सुप्रीमकोर्ट का डिसीजन नहीं हो जाता तब तक कैसे आरक्षण लागू किया जा सकता है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, चूंकि अभी इनके लिए आरक्षण लागू ही नहीं हुआ इसलिए यह सर्वोच्च न्यायालय से परे है, अभी इस पर यह प्रभावित नहीं होता। यह तो अलग से, चूंकि मान्यवर, आपने अनुसूचित जाति में शामिल किये जाने का एक प्रस्ताव भेजा है इसका मतलब है कि आप इनके प्रति हमदर्दी रखते हैं तो उसी हमदर्दी को ध्यान में रखते हुए क्या मौरंग बालू निकालने में मछुआ, बिन्द, केवट, मल्लाह को पट्टा देने में आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करने का काम करेंगे ?

श्री फरीद महफूज किदवई-

मान्यवर, उच्च न्यायालय का आदेश है कि ई-टेण्डरिंग के द्वारा ही पट्टे दिये जायें और यह स्टे है इस सिलसिले में तो उसके आगे कुछ नहीं कहा जा सकता।

श्री अध्यक्ष-

हम समझ गये आपका सवाल।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, अभी तो मैं समझाने जा रहा हूं। यह बिन्द, निषाद, केवट, मल्लाह की आंख में धूल झोकने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार कर रही है, यह उन्हें अनुसूचित जाति में शामिल करने का केवल नाटक कर रही है, ढोंग कर रही है, यह इसका पिछड़ा विरोधी चरित्र है, पिछड़ों के साथ धोखा कर रही है। इसलिए मान्यवर, इस समाजवादी पार्टी के पिछड़ा विरोधी रवैये के खिलाफ बहुजन समाज पार्टी सदन से बर्हिगमन करती है।

[नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य) अपने दल के साथ सदन का बर्हिगमन कर गये]

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, अभी प्रश्न नम्बर-8 के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने यह जवाब दिया कि ई-टेण्डर के माध्यम से प्रदेश में खनन व्यवस्था लागू की गयी उसके ऊपर न्यायालय का स्टे है। पूरे प्रदेश में मान्यवर, इसी सम्बन्ध में मेरा सवाल 15 नम्बर पर था, वह आ नहीं पायेगा इसलिए मैं माननीय मंत्री जी के उत्तर के सम्बन्ध में केवल एक बात जानना चाहता हूं। पूरे प्रदेश के अन्दर बालू के खनन के ऊपर स्टे लागू है और इस सरकार ने कोई ऐसी व्यवस्था कोई ऐसी प्रभावी पैरवी न्यायालय में नहीं की जिससे वह स्टे खारिज हो सकता। विधायक निधि के काम बालू न होने से बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। एक-एक ट्राली बालू 14-1400 रुपये की मिलती है, ब्लैक में लेनी पड़ती है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बालू के खनन पर पूरे प्रदेश में रोक है तो ऐसी कौन सी व्यवस्था यह सरकार करने जा रही है जिससे विधायक निधि के काम न प्रभावित हों और जो जरूरतमंद लोग हैं, जो अपना किसी प्रकार से निर्माण कार्य में जहां पर बालू उपयोग होती है, उसको सस्ते दर पर बालू उपलब्ध कराने के लिए यह सरकार क्या प्रबन्ध करने जा रही है यह मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया कि न्यायालय से स्टे है, माननीय मंत्री जी के उत्तर के सम्बन्ध में मेरा प्रश्न बनता है।

श्री फरीद महफूज किदवई-

माननीय अध्यक्ष जी, जवाब प्रश्न संख्या-8 में दिया गया है और माननीय सदस्य प्रश्न संख्या-15 का जवाब पूछ रहे हैं। तो क्या मैं प्रश्न संख्या-8 का जवाब देते हुए प्रश्न संख्या-15 में आ जाऊं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

आपने जवाब दिया कि ई-टेण्डरिंग लागू है।

श्री अध्यक्ष-

आपका कहना है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया कि ई-टेण्डरिंग से होगा दूसरा कोई नहीं पाएगा तो नहीं मिल रहा है जिसके कारण लोगों के मकान के निर्माण रुके हैं तो क्या आप ऐसी व्यवस्था करेंगे जिससे लोगों को आसानी से बालू उपलब्ध हो जाये।

श्री फरीद महफूज किदवई-

मान्यवर, हमारी अपील मा0 न्यायालय के पास है और रोजाना के हिसाब से वह इसको आगे बढ़ा देते हैं। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। मा0 सदस्य का कहना बिलकुल ठीक है। क्योंकि ईंट भट्ठे बन्द हैं और खुदायी बन्द है। बालू का खनन बन्द है। लेकिन हम न्यायालय में लगातार कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कोर्ट में अभी तक स्टे खत्म नहीं हो पाया है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, अवैध खनन जारी है।

श्री दलवीर सिंह-

मान्यवर, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है पूरे प्रदेश का कामकाज बन्द है। भट्ठा चल नहीं रहे हैं मजदूर घर बैठे हैं। कोई काम नहीं चल रहा है। जहां तक खनन का प्रश्न है रिश्वत ले देकर पुलिस से मिलकर इतना महंगा खनन हो रहा है कि आम आदमी काम नहीं कर पा रहा है। मेरा निवेदन है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर सदन गंभीरता से चर्चा करे। सरकार सुप्रीम कोर्ट जाकर कोई न कोई आवश्यक निर्देश पारित करावे। जिससे कि यह बन्द काम शुरू हो सकें। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता लोक दल, मा0 मंत्री जी ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट में लगे हैं। तारीख बढ़ जाती है और हम प्रयास कर रहे हैं कि स्टे खारिज हो जाये और यह चीजें सबको उपलब्ध हो जायें।

श्री दलवीर सिंह-

मान्यवर, इससे पूरा प्रदेश पिछड़ जाएगा।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, यह प्रश्न विकास के साथ सामाजिक न्याय से सम्बन्धित है। यह सारे के सारे वर्ग वह हैं जो नदियों से सम्बन्धित थे वहीं से अपनी गुजर करते थे। चाहे नाव चलाकर करते हों या रेत का खनन करके करते हों। उनको वंचित कर दिया गया और इसका परिणाम यह हुआ कि प्रदेश के समस्त माफिया जिनको जेल में होना चाहिए था वह इसके ठेकेदार बन गये वही इसके जिम्मेदार बन गये। आज यह तमाम खनन पर कंट्रोल किये हुए हैं और यह जातियां जो पूर्णतया जन्मों से परम्पराओं से इस पर आधारित थीं उनको वंचित कर दिया गया। माननीय मंत्री जी स्पष्ट रूप से बतायें कि क्या वह यह नीति बनायेंगे कि केवल और केवल इन्हीं वर्गों के लिए खनन का आरक्षण करने की कृपा करेंगे।

श्री फरीद महफूज किदवई-

मान्यवर, कोर्ट से स्टे है इसलिए इस पर ज्यादा कुछ कहना मुनासिब नहीं होगा।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, सरकार गुमराह करने की कोशिश कर रही है। स्टे किस बात पर है। नीति बनाने पर कोई स्टे नहीं है। मैंने नीति बनाने की बात कही। क्या आप सदन में यह आश्वासन देंगे।

श्री अध्यक्ष-

मा0 हुकुम सिंह जी, आप वरिष्ठ सदस्य हैं, उपाध्यक्ष भी रहे हैं। अब मंत्री जी जो जवाब दे रहे हैं तो उससे अलग तो हम दिलवा नहीं सकते।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, आपमें अपार शक्ति है। यह सरकार गरीब विरोधी है, पिछड़ा वर्ग विरोधी है। इस मुद्दे पर और इस प्रश्न पर जो उत्तर दिया है उसके विरोध में मैं और मेरा दल सदन से बहिर्गमन करता है।

(भाजपा के मा0 सदस्यगण श्री हुकुम सिंह के साथ सदन से बहिर्गमन कर गये)

(राष्ट्रीय लोक दल के सदस्यों सहित श्री दलवीर सिंह ने भी सदन का बहिर्गमन किया)

श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, मा0 मंत्री जी ने कहा कि इसमें कोर्ट का स्टे है, लेकिन आप रि-टेण्डरिंग के माध्यम से भी निर्णय ले सकते हैं और यह तय कर सकते हैं कि इन जातियों को ही खनन की इजाजत दी जायेगी, लेकिन मा0 मंत्री जी की तरफ से इस प्रश्न का कोई भी स्पष्ट संतोषजनक उत्तर नहीं आया है, इसलिए इसके विरोध स्वरूप मैं और मेरा दल इस मुद्दे पर सदन का बर्हिगमन करते हैं।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के मा0 सदस्यगण श्री प्रदीप माथुर के साथ सदन से बहिर्गमन कर गये)

प्रदेश में 5 वर्ष तक के बच्चों में कुपोषण को रोकने हेतु कार्य योजना

*09-श्री सुनील कुमार सिंह यादव एवं

श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल-

क्या बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कुल 5 वर्ष तक के कितने ऐसे बच्चे हैं जो कुपोषण का शिकार हैं तथा कितने बच्चे कुपोषण की स्थिति से गुजर रहे हैं ? क्या सरकार ने बच्चों में हो रहे कुपोषण को रोकने हेतु कोई कार्य योजना बनायी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा 06 माह से 06 वर्ष की आयु के बच्चों की वृद्धि-निगरानी की जाती है। विभागीय सर्वे के अनुसार सितम्बर, 2012 में 156.41 लाख बच्चों का वजन लिया गया। इनके सापेक्ष 61.18 लाख बच्चे कुपोषण की श्रेणी में पाये गये।

बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा बाल विकास परियोजना के अन्तर्गत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। कुपोषण से बचाव के लिए बच्चों के वजन के आधार पर कुपोषित व अति कुपोषित बच्चों का वर्गीकरण किया जाता है। बच्चों को अनुपूरक पुष्टाहार तथा कुपोषित की श्रेणी में आने वाले बच्चों को अतिरिक्त पोषाहार उपलब्ध कराया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल-

मान्यवर, मा0 मंत्री जी ने जवाब दिया है इससे हम संतुष्ट नहीं हैं। इन्होंने सीधा-सीधा जवाब दे दिया कि हमने कार्य योजना बनाई है, लेकिन हकीकत में कोई कार्य योजना इनके पास नहीं है। हमने पूछा कुल 05 वर्ष तक के कितने बच्चे कुपोषण का शिकार हुए हैं, इन्होंने कहा कि वजन लिया गया, तो कहां-कहां बच्चों का वजन लिया गया और कुपोषण की श्रेणी में कहां-कहां कितने बच्चे पाये गये और उनको कुपोषण से बचाने के लिए आपने कहां-कहां और क्या-क्या कार्य योजना बनाई ? इसका जवाब आप दे दें। जो बच्चे अभी भी कुपोषण की स्थिति से गुजर रहे हैं उनके बारे में आपकी क्या कार्य योजना है ? और आपने कहां-कहां यह कार्य योजना लागू की है ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, हर गांव में आंगबाड़ी केन्द्र हैं और आंगनबाड़ी केन्द्रों में कुपोषित बच्चों को पुष्टाहार देने की व्यवस्था है और जितने भी कुपोषित बच्चे उस क्षेत्र में आते हैं, सबकी हम नाप करवाते हैं और उनकी लम्बाई नपवाते हैं और कुपोषण किन कारणों से है उसकी हम जांच करके उनको भरपूर पुष्टाहार दे करके उनको कुपोषण से हम बचाते हैं, इस तरह के हर गांव में आंगनबाड़ी केन्द्र हैं, हर जगह यह होता है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, उत्तर आ गया, अब मैं अगला प्रश्न ले रहा हूं।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, अगर आप अनुमति दें तो एक निवेदन आपसे करना चाहता हूं। श्रीमन् इस सदन के सदस्यों को सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार है और सरकार को उचित जवाब भी देने का प्राविधान है लेकिन अगर आपकी अनुमति हो तो मैं एक प्रश्न तमाम मा0 सदस्यों से पूछ लूं।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, पूछ लें।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, पिछले सत्र में आप ही के सामने मैंने पूरे सदन से इस बात का निवेदन किया था कि हमारे दोनों विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग और बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग बच्चों से सम्बन्धित विभाग हैं और बहुत संवेदनशील विभाग हैं और मैंने सभी माननीय सदस्यों से आग्रह किया था कि मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि हमारे प्राइमरी स्कूलों का निरीक्षण करें और आंगनबाड़ी केन्द्रों का निरीक्षण करें और जो कमी हो उसको आप सुधारने का सुझाव दें, जो कमियां हों हमसे बतायें मैं निश्चितरूप से आपकी मंशा के अनुरूप कार्यवाही करूंगा। सरकार जवाब नहीं देती है तो भर्त्सना होती है। मैं माननीय सदस्यों से जानना चाहता हूं कि आज तक क्या एक भी माननीय सदस्य ने हमसे मिल कर या पत्र के माध्यम से हमको यह जानकारी दिया कि मैं फला गांव के फला केन्द्र पर गया या फला प्राइमरी स्कूल में गया और वहां पर निरीक्षण के दौरान यह कमियां मिली। तो अपना जवाब तो देते नहीं, सरकार से ही क्यों जवाब चाहते हैं। श्रीमन् इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

प्रदेश में खेल नीति को और प्रभावी बनाये जाने की मांग

*10-श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

क्या खेलकूद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्रभावी खेल नीति न होने तथा प्रतिभा सम्पन्न विभिन्न क्षेत्रों के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन न मिलने से उनका पलायन दूसरे राज्यों में होने से राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उ0 प्र0 राज्य के खिलाड़ियों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है ? यदि हां, तो क्या सरकार वर्तमान खेल नीति को और प्रभावी बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वाह्य सहायतित परियोजना, डा0 अम्बेडकर ग्रामीण समग्र विकास, खेल कूद व युवा कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामकरन आर्य)-

खेल विभाग द्वारा खिलाड़ियों के प्रोत्साहन हेतु प्रदेश के समस्त जनपदों में प्रशिक्षण शिविर, राष्ट्रीय चैम्पियन में भाग लेने से पूर्व प्रशिक्षण शिविर, प्रदेश के जनपदों में खेल अवस्थापनाओं का निर्माण तथा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर महिला एवं पुरुष पदक विजेता खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने हेतु नकद पुरस्कार एवं लक्ष्मण व रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाता है। भूतपूर्व खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता तथा विभिन्न खेल संघों को प्रतियोगिता आयोजित करने हेतु अनुदान भी दिया जाता है।

विभाग की महत्वपूर्ण योजना के अन्तर्गत बालक एवं बालिकाओं के विभिन्न खेलों में आवासीय छात्रावास एवं स्पोर्ट्स कालेज की स्थापना की गयी है जिसमें प्रतिभावान खिलाड़ियों को भोजन, आवास एवं शिक्षा की निःशुल्क व्यवस्था की जाती है जिससे खिलाड़ी राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रौशन कर रहे हैं।

विभाग के पास किसी खिलाड़ी के पलायन करने की सूचना नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि मेरे प्रश्न में जो निहित है कि पलायन हो जाता है तो पलायन से तात्पर्य यह है कि जो प्रतिभावान खिलाड़ी होते हैं उनकी प्रतिभा को देख करके दूसरे राज्य उनको अपने यहां कोई न कोई सेवा में ले लेते हैं और इसलिये जब वो अपनी प्रतिभा को राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर दिखाते हैं तो वहां का नाम आता है, उत्तर प्रदेश का नाम नहीं आता है इसलिये मैं आपके माध्यम से सरकार से यह जानना चाहता हूं कि ये सारी चीजें तो आपने बता दी कि पुरस्कार दिया जाता है, प्रोत्साहन दिया जाता है, निःशुल्क भोजन दिया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है तो इन सारे प्रयासों के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश के ऐसे कौन से खिलाड़ी हैं जिन्होंने राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा को निखारा है और उनको क्या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सेवा में लिया गया है ?

श्री राम करन आर्य-

मा0 अध्यक्ष महोदय, मा0 वरिष्ठ सदस्य ने जो सवाल पूछा है तो ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप बता रहे हैं। हमारे यहां खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दिया जाता है। आपने स्वयं कहा कि प्रशिक्षण लगा करके और आपने जो बात कही कि कौन से पदक हैं तो मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं

कि हमारे उत्तर प्रदेश से राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर कम से कम 50 स्वर्ण पदक, 82 रजत पदक और 70 कांस्य पदक हमारे यहां राष्ट्रीय स्तर पर आया है और मान्यवर, हमारे छात्रावासों से भी 65 लड़के आये हैं। मैं आपको ये पूरी सूची दे दूंगा कि किन-किन विधाओं में, किन-किन खेलों में हमारे यहां उत्तर प्रदेश के छात्र और खिलाड़ी राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक ले करके आये हैं। मान्यवर, अगर आप कहें तो मैं लिस्ट पढ़ करके सुना दूं।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

ठीक है, आप सूची दे दीजियेगा। मेरा एक छोटा सा अनुपूरक है और मैं यह जानना चाहता हूं कि इन्होंने जो कमाल किया और उसके फलस्वरूप आपने जो इनको पुरस्कृत किया वह तो अपनी जगह है लेकिन उनके भविष्य को सुरक्षित रखने के लिये क्या आपने उनको किसी सेवा में लिया आपने, क्या कोई नौकरी उनको दी।

श्री रामकरन आर्य-

मान्यवर, ये जो खिलाड़ी होते हैं, खेल विभाग में जो निकलता है उनसे तो आते ही हैं। संविदा पर रखे जा रहे हैं। इसके अलावा खिलाड़ी विभिन्न विभागों में भी अपने शौर्य के अनुसार और अपनी कला के अनुसार, अपने स्टेटस के अनुसार उनको नौकरी मिलती है। हमारे विभाग में संविदा पर लिये जा रहे हैं। मान्यवर, उन्हीं खेल में जो राज्य स्तर के हैं, राष्ट्रीय स्तर के हैं, हम उन्हीं को संविदा में लेते हैं। आपने जो सवाल किया है कि क्या इनको वरीयता दी जाती है तो मान्यवर, जो मेरे विभाग में है उसमें तो दी ही जाती है लेकिन अन्य विभागों में भी है।

श्री अध्यक्ष-

अब प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

यह उन खिलाड़ियों का अपमान है कि उनकी प्रतिभा का पूरा सम्मान नहीं हो रहा है। उनको पक्की नौकरी देने के स्थान पर आप उनको संविदा में ले रहे हैं।

प्रदेश में गोवंश की हत्या एवं तस्करी पर प्रतिबन्ध

*11-श्री केशव प्रसाद (कुशवाहा) मौर्य-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोवंश निवारण अधिनियम के अनुसार प्रदेश में गोवंश की हत्या एवं तस्करी पर पूर्ण प्रतिबन्ध है ? यदि हां, तो उसके अनुपालन के लिए क्या कोई ठोस कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री पारस नाथ यादव-

उत्तर प्रदेश गो-वध निवारण अधिनियम, 2002 के द्वारा प्रदेश में गो-वंश वध एवं तस्करी पूर्णतया निषिद्ध है।

जी हां।

प्रदेश में 01 अप्रैल, 2012 से 30 जून, 2012 तक 898 अपराध पंजीकृत किये गये तथा 2059 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके 9932 गो-वंशीय पशुओं को बचाया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

नोट :-तारांकित प्रश्न संख्या-10 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

प्रदेश में खनन कार्य रोके जाने के कारण राजस्व व्यय

*12-श्री जय प्रकाश निषाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में खनन कार्य (बालू, मौरंग, पत्थर) संचालन हेतु नीति निर्धारित है ? यदि हां, तो क्या ? क्या सरकार की जानकारी में है कि बालू, मौरंग एवं पत्थर (गिट्टी और बोल्डर) के खनन का कार्य अप्रैल, 2012 से ठप पड़ा है ? यदि हां, तो खनन स्थगित होने से प्रदेश को कितने राजस्व का घाटा है एवं कितने मजदूर रोजगार से वंचित हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसके दोषियों के खिलाफ कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

ई-टेन्डरिंग।

जी हां।

लगभग रु0 156.08 करोड़ एवं लगभग पांच से सवा पांच लाख मजदूर।

मा0 न्यायालय के आदेश से खनन कार्य प्रभावित हुआ है।

*13-श्रीमती विमला सोलंकी-

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

*14-डा0 धर्मपाल सिंह-

[3सरे गुरुवार के तारांकित प्रश्न सं0-3 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश के उपभोक्ता को सस्ते दर पर बालू/रेता उपलब्ध कराये जाने की मांग

*15-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार की बालू खनन सम्बन्धी नीति क्या है ? क्या सरकार आम उपभोक्ता के हित में जनपदों में सस्ती दर पर बालू/रेता उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

खनन पट्टों की स्वीकृति में पारदर्शिता लाने के प्रयोजन से नदी तल में उपलब्ध बालू, मौरंग, बजरी, बोल्डर के 5.00 हेक्टेयर अथवा उससे अधिक विस्तार में संगठित कर, खनन क्षेत्रों का ई-टेण्डरिंग प्रणाली के माध्यम से 3 वर्ष की अवधि हेतु सर्वोच्च एवं संतोषजनक निविदादाता के पक्ष में स्वीकृत करने की नीति शासनादेश दिनांक 31 मई, 2012 द्वारा बनायी गयी है।

ई-टेण्डरिंग के तहत खनन पट्टे स्वीकृत करने पर मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा अंतरिम स्थगन आदेश पारित किये जाने के कारण खनन कार्य किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। इसके अतिरिक्त मा0 सर्वोच्च न्यायालय एवं मा0 उच्च न्यायालय द्वारा खनन कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व पर्यावरण क्लियरेंस प्राप्त करने की अनिवार्यता लागू कर दिये जाने के कारण भी खनन कार्य प्रभावित हुआ है। मा0 न्यायालय से अंतिम निर्णय कराने हेतु प्रभावी पैरवी की जा रही है। मा0 न्यायालय का निर्णय होने के उपरान्त खनन कार्य प्रारम्भ हो सकेगा जिससे उप खनिजों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी।

प्रदेश में प्रति व्यक्ति औसत आय बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा किये गये उपाय

*16-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्रति व्यक्ति औसत आय क्या है तथा औसत आय का निर्धारण किस मानक के आधार पर किया गया है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि प्रदेश में प्रति व्यक्ति अधिकतम तथा न्यूनतम आय कितनी है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या-क्या उपाय किये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

वर्ष 2011-12 में उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 30052 रुपये आंकलित हुई है।

प्राथमिक माध्यमिक तथा सेवायें क्षेत्रक में आंकलित राज्य आय को जनसंख्या से विभाजित कर प्रति व्यक्ति आय आंकलित होती है।

प्रति व्यक्ति न्यूनतम एवं अधिकतम आय का आंकलन पृथक से नहीं होता है।

राज्य सरकार प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने के लिए कटिबद्ध है। प्रदेश में विभिन्न सेक्टरों में विनियोजन बढ़ाने के साथ ही निजी क्षेत्र में विनियोजन को आकर्षित करने के लिए कदम उठाये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

*17-श्री जय प्रकाश निषाद, श्री श्यामदेव राय चौधरी एवं श्री केशव प्रसाद (कुशवाहा) मौर्य-

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

प्रदेश में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बनाने एवं राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दिया जाना

*18-श्री रविन्द्र जायसवाल-

क्या खेलकूद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बनाने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो कहां ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार बतायेगी कि प्रदेश के राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिये सरकार द्वारा कोई आर्थिक सहायता दी जाती है ? यदि हां, तो क्या-क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामकरन आर्य-

जी हां।

जनपद लखनऊ के ग्राम अरदौनामऊ में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम बनाये जाने की योजना है।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हां।

शासनादेश दि0 31 मई, 2005 द्वारा राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन करने पर अनुमन्य व्यवस्था के अनुसार रु0 300/-प्रतिमाह धनराशि दिये जाने का प्राविधान है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में वर्ष 2012 में इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण छात्राओं को सहायता राशि

*19-श्री सतीश महाना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2012 की इण्टरमीडिएट परीक्षा में सभी वर्गों की कितनी छात्रायें उत्तीर्ण हुई तथा उनमें से कितनी छात्राओं को सरकार द्वारा निर्धारित 30 हजार रुपये की सहायता राशि दी गयी है ? क्या उक्त सहायता राशि सभी वर्गों की छात्राओं के लिए अनुमन्य है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

वर्ष 2012 में माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उ0 प्र0, इलाहाबाद की परीक्षा में 10,79,246 तथा उ0 प्र0 माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद् की उत्तर मध्यमा की परीक्षा में कुल 12,773 छात्रायें उत्तीर्ण हुईं।

शासनादेश संख्या-826/15-10-12-47(2)/12 टी0सी0, दिनांक 22-08-2012 द्वारा प्रदेश में कन्या विद्याधन योजना संचालित की गयी। योजनान्तर्गत उपलब्ध बजट को देखते हुए लाभार्थियों के लक्ष्य जनपदवार निर्धारित किये गये हैं तथा पात्र छात्राओं के परिवारों की आय को आधार मानते हुए आरोही क्रम में सूची बनाकर लक्ष्य के अनुरूप लाभान्वित किये जाने की व्यवस्था है। लाभार्थियों की संख्या को आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि की सीमा तक सीमित रखने की व्यवस्था निर्धारित की गयी है। योजनान्तर्गत निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष अद्यतन कुल 19,145 छात्राओं को लाभान्वित किया जा चुका है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों से शिक्षण कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्यों का कराया जाना

*20-श्री सुरेश कुमार खन्ना एवं श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों से शिक्षण कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्य भी लिये जाते हैं ? यदि हां, तो क्या शिक्षण कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्य लिये जाने से शिक्षण कार्य प्रभावित होता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त समस्या के निराकरण हेतु कोई उपाय करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

अधिसूचना दिनांक 27-7-2011 में निःशुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत निर्गत अधिसूचना की धारा-213 में अध्यापन के अतिरिक्त अध्यापक को किन-किन कार्यों में लगाया जा सकता है, का उल्लेख किया गया है। उक्त के अनुसार अध्यापकों को जनगणना, आपदा राहत कर्तव्य अथवा संसद, राज्य विधान मण्डल या स्थानीय निकाय सम्बन्धी निर्वाचन कार्यों से इतर कार्यों में नहीं लगाया जा सकता है।

अतारांकित प्रश्न

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रुधौली में आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु सरकारी भवनों का निर्माण कराये जाने की मांग

01-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रुधौली में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र सरकारी भवन के अभाव में किराये के भवनों में संचालित हो रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवनों का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

जी हां।

वित्तीय संसाधनों तथा विभागीय बजट की उपलब्धता के अनुसार आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवनों के निर्माण की कार्यवाही की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के रुधौली विधान सभा क्षेत्र में सरकार द्वारा संचालित एम0डी0एम0 योजना हेतु हाट कुक्ड प्लान्ट एवं साप्ताहिक मीनू की व्यवस्था

02-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद के रुधौली विधान सभा क्षेत्र में सरकार द्वारा संचालित एम0डी0एम0 योजना के लिए हाट कुक्ड प्लान्ट एवं साप्ताहिक मीनू की व्यवस्था की गयी है ? यदि हां, तो क्या हाट कुक्ड प्लान्ट की व्यवस्था सभी विद्यालयों पर की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

बस्ती जनपद के रुधौली विधान सभा क्षेत्र में सरकार द्वारा संचालित एम0डी0एम0 योजना के लिए हाट कुक्ड प्लान्ट की व्यवस्था नहीं की गयी है। शासन द्वारा योजनान्तर्गत साप्ताहिक मीनू निर्धारित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में बी0टी0सी0 2004 के शेष प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की नियुक्ति

03-डा0 अरुण कुमार-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बी0टी0सी0 2004 के शेष प्रशिक्षित अभ्यर्थियों जिन्होंने सितम्बर, 2011 में प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया है, की नियुक्ति किस आधार पर कब तक की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

27 जुलाई, 2011 के उपरान्त टी0ई0टी0 परीक्षा अनिवार्य घोषित किये जाने के फलस्वरूप बी0टी0सी0 2004 के शेष प्रशिक्षित अभ्यर्थी जिन्होंने टी0ई0टी0 परीक्षा उत्तीर्ण की है, उनकी नियुक्ति

हेतु कार्यवाही गतिमान है। जनपदों से विज्ञापन प्रकाशित किया जा चुका है, जिसका आवेदन-पत्र दिनांक 20-11-2012 तक आमंत्रित किया गया था।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति

04-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच में जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति मानक के अनुसार की गयी है ? क्या सरकार बतायेगी कि विकास खण्डवार कितने जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षक तथा प्रधानाध्यापक नहीं हैं ? क्या सरकार रिक्त पदों पर यथाशीघ्र नियुक्ति करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

अध्यापकों की कमी के कारण नियुक्ति मानक के अनुसार नहीं की गयी है।

जनपद बहराइच में कुल 14 विकास क्षेत्र हैं, जिनमें कुल 981 उच्च प्राथमिक विद्यालय संचालित हैं, जिनके सापेक्ष कुल 730 प्रधानाध्यापक एवं 220 सहायक अध्यापक कार्यरत हैं।

विकास क्षेत्र-विशेश्वरगंज-15, पयागपुर-05, चित्तौरा-05, जरवल-11, कैसरगंज-11, हुजूरपुर-08, फखरपुर-20, तजवापुर-05, महसी-10, शिवपुर-24, बलहा-19, नवाबगंज-15, मिहिपुरवा-63, रिसिया-12। इस प्रकार पूरे जनपद में 223 विद्यालयों में शिक्षक तथा प्रधानाध्यापक नहीं हैं।

जूनियर हाई स्कूल के सहायक अध्यापक एवं प्रधानाध्यापक का पद पदोन्नति का है, पदोन्नति की प्रक्रिया निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है, परन्तु सहायक अध्यापक की कमी के कारण पदोन्नति नहीं हो पा रही है। वर्तमान में अध्यापकों की नियुक्ति की प्रक्रिया गतिमान है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में भोजनालयों में भोजन पर वैट की दर कम करने की मांग

05-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में भोजनालयों में भोजन करने पर वैट की दर 13.50 प्रतिशत है जबकि मिठाइयों पर यही दर मात्र 4 प्रतिशत है ? यदि हां, तो क्या सरकार भोजनालयों में भोजन करने पर वैट की दर 13.50 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

प्रदेश में भोजन पर वैट की दर 12.5 प्रतिशत तथा अतिरिक्त कर 1.5 प्रतिशत है। मिठाई पर वैट की दर 4 प्रतिशत तथा अतिरिक्त कर 1 प्रतिशत है।

जी नहीं।

प्रदेश के सर्वांगीण विकास एवं वित्तीय आवश्यकता के दृष्टिगत युक्तिसंगत रूप से कर की दरें निर्धारित की गयी हैं।

जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड जलालाबाद के गांव अब्दुल्लानगर में प्राथमिक विद्यालय बनाये जाने की मांग

06-श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड जलालाबाद के गांव अब्दुल्लानगर में प्राथमिक विद्यालय बनाये जाने की कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

जी नहीं।

जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड जलालाबाद का गांव अब्दुल्लानगर मानक के अनुसार प्राथमिक विद्यालय से सेवित है।

प्रदेश में विगत चार वर्षों में पिछड़े वर्ग की लड़कियों की शादी हेतु दिये गये अनुदान का विवरण

07-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पिछड़े वर्ग की लड़कियों की शादी हेतु वर्ष 2009-10, 2010-11, 2011-12 तथा 2012-13 में कितनी लड़कियों की शादी हेतु अनुदान दिया गया है तथा जिलों को अनुदान प्रदान करने के मानक क्या हैं ?

श्री अखिलेश यादव-

पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा पिछड़े वर्ग की लड़कियों की शादी हेतु वर्ष 2009-10 में 38771, वर्ष 2010-11 में 39162 एवं वर्ष 2011-12 में 49264 को अनुदान दिया गया है। वर्ष 2012-13 के लिए पुत्रियों की शादी योजना के अन्तर्गत धनराशि का आवंटन जनपदों को माह सितम्बर, 2012 में कर दिया गया है। इस योजना के अन्तर्गत जनपदों को जनसंख्या के आधार पर निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप धनराशि आवंटित की जाती है।

जनपद बस्ती के भानपुर तहसील में मिनी स्टेडियम बनाये जाने की मांग

08-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या युवा कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के भानपुर तहसील में युवाओं के खेलकूद के लिए मिनी स्टेडियम बनाये जाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसे कब तक क्रियान्वित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम करन आर्य-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) में नियोजन विभाग द्वारा ग्रामीण स्टेडियम के नवनिर्माण से सम्बन्धित योजना को समाप्त कर दिया गया है।

जनपद रामपुर की तहसील विलासपुर के ग्रामों में पशुओं के रख-रखाव एवं उपचार की जानकारी

09-श्री संजय कपूर-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रामपुर की तहसील विलासपुर के ग्राम गजरौला में पशु प्रसार भवन का अधूरा निर्माण कराया गया है एवं ग्राम अहरों में पशु चिकित्सालय केन्द्र के नये भवन का निर्माण हो गया है किन्तु चिकित्सक एवं अन्य स्टाफ की तैनाती न होने से क्षेत्र के पशुओं का उपचार नहीं हो पा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पशुप्रसार भवन का निर्माण

कराने एवं पशु चिकित्सालय पर पशु चिकित्सक एवं अन्य स्टाफ तैनात कर चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री पारस नाथ यादव-

जी नहीं। पशु सेवा केन्द्र गुजरैला का भवन निर्माण पूर्ण हो गया है एवं पशुचिकित्सालय अहरों पर डा0 कर्णवीर सिंह, पशु चिकित्साधिकारी तैनात हैं तथा श्री राकेश पाल सिंह, वेटनरी फार्मासिस्ट को पशु चिकित्सालय केमरी के कार्यों के साथ-साथ सप्ताह में तीन दिन पशु चिकित्सालय अहरों पर कार्य करने हेतु तैनात कर दिया गया है। पशुधन प्रसार अधिकारी तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मी का पद सृजित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के संस्कृत विद्यालयों/महाविद्यालयों को अनुदान सूची में लिये जाने की योजना

10-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के 246 संस्कृत विद्यालयों को अनुदान सूची में लेने हेतु दिनांक 14 फरवरी, 2007 को शासनादेश जारी हुआ था ? यदि हां, तो सरकार की उक्त शासनादेश दिनांक 14 फरवरी, 2007 के द्वारा 246 संस्कृत विद्यालयों को अनुदान सूची में लेने की कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

प्रदेश के संस्कृत विद्यालयों/महाविद्यालयों को अनुदानित करने के सम्बन्ध में प्रदेश सरकार द्वारा निर्णय लेते हुए इन विद्यालयों को अनुदान सूची पर लिये जाने हेतु शासनादेश दिनांक 11 अक्टूबर, 2008 द्वारा पात्रता मानक नियत करते हुए निदेशालय स्तरीय समिति की संस्तुति मांगी गयी थी। तदनुक्रम में ऐसे 28 संस्कृत विद्यालयों/महाविद्यालयों को शासनादेश दिनांक 12 अगस्त, 2010 द्वारा अनुदान सूची पर लिया जा चुका है, जो पात्रता मानक सम्बन्धी उक्त शासनादेश दिनांक 11 अक्टूबर, 2008 द्वारा नियत किये गये समस्त मानकों को पूरा करते थे।

प्रदेश में वर्ष 2011-12 में चयनित डा0 अम्बेडकर गांवों के विकास कार्यों की जानकारी

11-श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य-

क्या समग्र ग्राम विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2011-12 में चयनित डा0 अम्बेडकर गांवों के अधूरे विकास कार्यों को सरकार पूरा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम करन आर्य-

डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 2011-12 हेतु चयनित अम्बेडकर ग्रामों में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष शत-प्रतिशत कार्य पूर्ण हो जाने के कारण डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना को समाप्त करते हुए तथा पूर्व संचालित समग्र ग्राम्य विकास योजना के स्वरूप को संशोधित एवं विस्तृत करते हुए राज्य सरकार द्वारा राजस्व ग्रामों के चहुंमुखी विकास हेतु विभिन्न

अवस्थापना, आधारभूत सुविधाओं तथा लाभार्थीपरक कार्यक्रमों के साथ प्रदेश में शासनादेश दिनांक 17 मई, 2012 द्वारा ''डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना'' लागू की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अलीगढ़ में वाणिज्य कर कार्यालयों के निर्माण का प्रकरण

12-श्री दलवीर सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ में वाणिज्य कर विभाग के विभिन्न कार्यालय किराये के भवनों में संचालित हैं ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि अलीगढ़ वाणिज्य कर विभाग हेतु यू0पी0एस0आई0डी0सी0 की तालानगरी योजना में कार्यालय बनाने हेतु अब तक कुल कितनी धनराशि खर्च की जा चुकी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

वाणिज्य कर कार्यालय बनाने हेतु भूमि क्रय मद में अब तक कुल रु0 94.59 लाख का व्यय किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में एंग्लो इण्डियन कान्वेन्ट स्कूल के संचालन हेतु प्राविधान

13-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में एंग्लो इण्डियन कान्वेन्ट स्कूल संचालित करने हेतु शासन द्वारा किन-किन शर्तों पर अनापत्ति जारी किया जाता है तथा इन शर्तों की पूर्ति का समय-समय पर परीक्षण का कोई प्राविधान है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इन स्कूलों के नियमानुसार सफल संचालन हेतु कोई प्राविधान नियत करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

वर्तमान में माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा एंग्लो इण्डियन कान्वेन्ट स्कूल संचालित करने हेतु अनापत्ति जारी नहीं किया जाता है, बल्कि सी0बी0एस0ई0/आई0सी0एस0ई0 बोर्ड नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाता है। इस हेतु मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति अधिकृत है।

उपरोक्तानुसार।

ऐसे विद्यालय के सफल संचालन हेतु पूर्व से प्रावधान नियत है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में पी0आर0डी0 के स्वयं सेवकों का मानदेय बढ़ाये जाने का प्रकरण

14-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या होमगार्ड्स मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्रान्तीय रक्षा दल (पी0आर0डी0) के स्वयं सेवकों का मानदेय बढ़ाने एवं अन्य सुविधायें देने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्माशंकर त्रिपाठी-

प्रान्तीय रक्षक दल (पी0आर0डी0) के स्वयंसेवकों का दैनिक पारिश्रमिक (ड्यूटी भत्ता) बढ़ाये जाने का प्रकरण विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद ललितपुर में विधान सभा क्षेत्र महरौनी में एक गर्ल्स इण्टर कालेज की स्थापना की मांग

15-श्री फेरन लाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद ललितपुर में विधान सभा क्षेत्र महरौनी के अन्तर्गत मात्र एक गर्ल्स इण्टर कालेज होने की वजह से हजारों लड़कियां कक्षा-9 में प्रवेश से वंचित रह जाती हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र महरौनी में एक अन्य गर्ल्स इण्टर कालेज की स्थापना करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उक्तवत्।

जनपद शाहजहांपुर के गांव ठिंगरी के प्रा0 वि0 की बाउन्ड्रीवाल बनवाये जाने की मांग

16-श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के खण्ड विकास क्षेत्र जलालाबाद के गांव ठिंगरी के प्रा0वि0 की बाउन्ड्रीवाल अराजक तत्वों द्वारा गिरा दी गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त दीवाल को पुनः बनवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

17-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[1ले बुधवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-181 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में सम्मिलित राज्य सेवा परीक्षा 1999 पर्वतीय संवर्ग हेतु चयनित अभ्यर्थियों को माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा नियुक्ति न दिये जाने का प्रकरण

18-श्री पंकज कुमार मलिक-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सम्मिलित राज्य सेवा परीक्षा 1999 द्वारा पर्वतीय संवर्ग के लिए चयनित अभ्यर्थियों को माध्यमिक शिक्षा के अलावा अन्य विभागों ने यथा निबन्धन विभाग, परिवहन विभाग, पिछड़ा वर्ग कल्याण आदि ने नियुक्ति दे दी है ? यदि हां, तो माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा नियुक्ति न दिये जाने का क्या कारण है ?

श्री अखिलेश यादव-

प्रश्न में उल्लिखित अन्य विभागों द्वारा कुछ चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की गई है।

मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-3032-3040/2002 उत्तराखण्ड राज्य बनाम सिद्धार्थ श्रीवास्तव व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 5-6-2003 के अनुपालन में उ0 प्र0 शासन द्वारा सम्यक् विचार कर निर्णय लेते हुए कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-15/45/2000-का-4/2004 दिनांक 20-2-2004 द्वारा यह आदेश निर्गत किया गया कि भिन्न-भिन्न विभागों के भिन्न-भिन्न पदों पर पर्वतीय उप संवर्ग हेतु चयनित अभ्यर्थियों को उ0 प्र0 राज्य में नियुक्ति न प्रदान की जाय, साथ ही पर्वतीय उप संवर्ग हेतु चयनित समस्त अभ्यर्थियों को लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में आगामी 03 वर्षों तक अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जाय।

उक्त निर्णय/शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में सम्मिलित राज्य सेवा परीक्षा 1999 द्वारा पर्वतीय संवर्ग के लिए चयनित अभ्यर्थियों को माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा नियुक्ति प्रदान नहीं की गयी है।

जनपद ललितपुर के विधान सभा क्षेत्र महरौनी के अन्तर्गत विद्यालयों का सुचारु रूप से संचालन

19-श्री फेरन लाल-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद ललितपुर के विधान सभा क्षेत्र महरौनी के अन्तर्गत ऐसे सैकड़ों विद्यालय हैं जोकि प्रायः पढ़ाई के समय बन्द रहते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार बन्द पड़े विद्यालयों को सुचारु रूप से संचालित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

जी नहीं।

कोई भी विद्यालय बन्द नहीं हैं अस्थायी व्यवस्था के अन्तर्गत विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद में पिछड़े वर्ग की लड़कियों को इस वर्ष शादी हेतु दिये गये अनुदान की जानकारी

20-श्री मनीष असीजा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में पिछड़े वर्ग की लड़कियों के लिए वर्ष 2011-12 में कितनी बालिकाओं को शादी हेतु अनुदान दिया गया ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि शेष बालिकाओं को शादी हेतु अनुदान कब तक दे दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जनपद फिरोजाबाद में वर्ष 2011-12 में अन्य पिछड़े वर्ग की पात्र 473 बालिकाओं की शादी हेतु रु0 47.30 लाख की धनराशि आवेदकों को उनके द्वारा खोले गये खाते के माध्यम से प्रदान की गयी। उक्त वित्तीय वर्ष में कोई भी पात्र व्यक्ति अनुदान हेतु शेष नहीं रहा है।

जनपद फिरोजाबाद के दाऊदयाल स्टेडियम में खिलाड़ियों हेतु सुविधायें

21-श्री मनीष असीजा-

क्या खेलकूद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनपद फिरोजाबाद में दाऊदयाल स्पोर्ट स्टेडियम में खिलाड़ियों को न्यूनतम आवश्यक सुविधायें उपलब्ध हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामकरन आर्य-

जी हां। जनपद फिरोजाबाद में दाऊदयाल स्पोर्ट्स स्टेडियम में खिलाड़ियों को न्यूनतम सुविधायें उपलब्ध हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागपत में बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के कम्प्यूटर आपरेटर का कथित प्रकरण

22-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीपति शुक्ल, कम्प्यूटर आपरेटर, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बागपत को मा0 उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ के आदेश दिनांक 3-4-2003 में स्पष्ट निर्देश के बावजूद न तो उनको कार्य पर लिया जा रहा है न ही वेतन आदि का भुगतान किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार श्रीपति शुक्ल, कम्प्यूटर आपरेटर को कार्य पर लेने तथा वेतन भुगतान करने का आदेश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

जी नहीं।

उल्लेखनीय है कि मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 3-4-2003 के अनुपालन में श्रीपति शुक्ल को कार्यालय बेसिक शिक्षा अधिकारी, शाहजहांपुर में कम्प्यूटर आपरेटर के पद पर संविदा अनुसार कार्यभार ग्रहण कराया गया। श्रीपति शुक्ल जनपद शाहजहांपुर में वर्ष 2004 तक कार्यरत रहे।

श्रीपति शुक्ल द्वारा जनपद शाहजहांपुर में जानमाल का खतरा बताया गया था। अतः सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए उनको कार्यालय बेसिक शिक्षा अधिकारी बागपत में रिक्त कम्प्यूटर आपरेटर के पद पर नवीन संविदा के आधार पर तैनात किया गया। श्रीपति शुक्ल द्वारा संविदा पर अनुबन्ध-पत्र भरते हुए दिनांक 01-7-2004 को योगदान आख्या दी गयी। समय-समय पर उनकी संविदा अवधि बढ़ायी जाती रही तथा अन्तिम आदेशों के अनुसार श्री शुक्ल की संविदा दिनांक 31-3-2005 तक बढ़ायी गयी थी। श्री शुक्ल दिनांक 25-1-2005 से बिना अवकाश सूचना के कार्यालय से निरन्तर अनुपस्थित चल रहे हैं। अतः उनकी संविदा अवधि दिनांक 31-3-2005 से आगे नहीं बढ़ायी गयी।

श्रीपति शुक्ल को कार्यरत अवधि माह जुलाई, 2004 से दिसम्बर, 2004 तक रु0 8000/- प्रतिमाह की दर से (800x6) कुल 06 माह का मानदेय रु0 48000/- भुगतान किया जा चुका है।

श्री श्रीपति शुक्ल द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में रिट याचिका योजित की गयी जिसमें पारित आदेश दिनांक 11-10-2011 के अनुपालन में श्री शुक्ल का प्रत्यावेदन निस्तारित किया जा चुका है।

देय अवधि का भुगतान किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर में वार्ड नं0-19 में प्राथमिक विद्यालय के निर्माण की मांग

23-डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर महानगर के नकहा नं0-1, वार्ड नं0-19 में एक प्राथमिक विद्यालय का निर्माण कराये जाने के संदर्भ में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0-ख-5 नं0-308019, दिनांक 8-8-12 जिलाधिकारी, गोरखपुर को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

जी हां।

प्रकरण के परीक्षणोपरान्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर द्वारा गोरखपुर नगर क्षेत्र नकहा नं0-1 नवीन प्राथमिक विद्यालय खोलने के मानक के अनुसार असेवित पाया गया है।

24-श्री अजय मिश्र 'टेनी'-

[2सरे सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-191 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद झांसी के बबीना क्षेत्रान्तर्गत पहुंज नदी के पास बालू खनन के पट्टे का प्रकरण

25-श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के बबीना विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत पहुंज नदी के पास किसानों की जमीन के बालू खनन का पट्टा सम्बन्धित किसानों को देने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

वर्तमान में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा उपखनिज परिहार नियमावली, 1963 के अध्याय-4 के अन्तर्गत ई-टेण्डरिंग प्रणाली से स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया है। शासनादेश के अनुसार अब रिक्त खनन क्षेत्रों का व्यवस्थापन उत्तर प्रदेश उपखनिज नियमावली, 1963 के अध्याय-2 एवं अध्याय-6 के माध्यम से अनुमन्य नहीं होने के कारण खनन पट्टा/खनन अनुज्ञा प्रणाली से कोई भी क्षेत्र परिहार पर व्यवस्थापित किया जाना संभव नहीं है। वर्तमान में निजी भूमि पर उपलब्ध उपखनिजों के परिहार हेतु कोई अन्य व्यवस्था लागू नहीं है।

प्रदेश के शासकीय माध्यमिक विद्यालयों में तदर्थ सेवा को विनियमित माने जाने का कथित प्रकरण

26-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के शासकीय माध्यमिक विद्यालयों में तदर्थ रूप से नियुक्त एवं तदुपरान्त विनियमित आयोग से चयनित शिक्षकों की तदर्थ सेवा को विनियमित सेवा मानते हुए पेंशनरी लाभ स्वीकृत किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

विनियमित सेवाएं ही पेंशन हेतु अर्ह हैं।

जनपद गाजियाबाद के लोनी विधान सभा क्षेत्र के 300 अम्बेडकर ग्रामों के विकास कार्यों का विवरण

27-श्री जाकिर अली-

क्या समग्र ग्राम विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद के लोनी विधान सभा क्षेत्र के डा0 अम्बेडकर ग्रामों के विकास के लिए वर्ष 2010 से 2012 तक आवंटित धनराशि, संचालित योजनाओं एवं कार्यदायी संस्थाओं द्वारा कराये गये कार्य का विवरण क्या है ? क्या सरकार उक्त कार्यों का भौतिक सत्यापन तथा कराये गये कार्यों का विवरण ग्राम सभावार उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम करन आर्य-

विधान सभा लोनी में डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना में वर्ष 2010-11 में ग्राम असालत फरुखनगर एवं शरफुद्दीनपुर जावली का चयन किया गया तथा वर्ष 2011-12 में कोई ग्राम

का चयन नहीं किया गया। वर्ष 2010-11 में चयनित ग्रामों में कराये गये कार्यों का विवरण संलग्न† है।

उक्त कराये गये कार्यों का भौतिक सत्यापन जिला स्तरीय अधिकारी द्वारा कराया गया है। कराये गये कार्यों के भौतिक सत्यापन का विवरण मेरे कार्यालय कक्ष में उपलब्ध है जिसे मा0 सदस्य किसी भी कार्य दिवस में देख सकते हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया में राजकीय बालिका इण्टर कालेज हेतु भवन निर्माण का प्रकरण

28-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया में राजकीय बालिका इण्टर कालेज की भूमि पहले से बैरिया में उपलब्ध है, परन्तु विद्यालय किराये के भवन में काफी दिनों से चल रहा है ? क्या सरकार धन उपलब्ध कराकर भवन निमार्ण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

जी नहीं।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी के बबीना विधान सभा क्षेत्र में पशु चिकित्सालयों में चिकित्सकों की मांग

29-श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के बबीना विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड-चिरगांव, बड़ागांव, बबीना में पशु चिकित्सालयों में मानक के अनुरूप चिकित्सक उपलब्ध नहीं हैं ? यदि हां, तो रिक्त पदों पर नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री पारस नाथ यादव-

जनपद-झांसी के विकास खण्ड चिरगांव, बड़ागांव, बबीना के अन्तर्गत कुल 12 पशु चिकित्साधिकारियों के पद सृजित हैं, जिसके सापेक्ष 08 पशु चिकित्सालयों पर चिकित्सक तैनात हैं। 04 पद रिक्त हैं।

विभाग में पशु चिकित्साधिकारियों के रिक्त पदों के सापेक्ष चयन हेतु अधियाचन लोक सेवा आयोग को प्रेषित किया गया है। आयोग से संस्तुति प्राप्त होने पर यथाप्रक्रिया रिक्त पदों पर तैनाती की कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

30-श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

[एक से अधिक विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त]

---

† (देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 222-223 पर)

जनपद ललितपुर के विधान सभा क्षेत्र महरौनी के विद्यालयों में मानक अनुसार अध्यापकों की तैनाती की मांग

31-श्री फेरन लाल-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद ललितपुर के विधान सभा क्षेत्र महरौनी के लगभग 100 विद्यालय ऐसे हैं जिनमें ताले पड़े हैं और लगभग 100 विद्यालय ऐसे हैं जिनमें सिर्फ एक ही अध्यापक तैनात है जबकि कस्बा अथवा रोड के नजदीक के विद्यालयों में मानक से अधिक अध्यापक तैनात हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इस अनियमितता को दूर करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

32-श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या-

[1ले बुधवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-186 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में 11वीं एवं 12वीं के विज्ञान वर्ग में राजकीय प्रकाशन की सस्ती पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने की मांग

33-श्री मनीष असीजा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सरकारी विद्यालयों में कक्षा 11वीं एवं 12वीं में विज्ञान वर्ग की फिजिक्स, कमेस्ट्री, बायलोजी, जूलॉजी-बॉटनी एवं गणित आदि विषयों की पाठ्य पुस्तकें (टेक्स्ट बुक) राजकीय प्रकाशन की न होकर निजी प्रकाशनों की होने के कारण मूल्य रु0 400/-से 800/-रु0 प्रति पुस्तक है ? यदि हां, तो क्या सरकार राजकीय प्रकाशन की सस्ती पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

माध्यमिक शिक्षा परिषद् के नियंत्रणाधीन हाई स्कूल/इण्टर स्तर की पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण/लेखन तथा प्रकाशन अर्हतायुक्त निजी प्रकाशकों को परिषद् द्वारा उपलब्ध कराये गये निर्धारित पाठ्यक्रम के आधार पर कराया जाता है। दिनांक 08 जुलाई, 2011 को सम्पन्न हुई बोर्ड की बैठक में इण्टर विज्ञान वर्ग में भारतीय स्कूली शिक्षा बोर्ड (कोबसे) द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रम लागू करने सम्बन्धी लिये गये निर्णय के फलस्वरूप इण्टर विज्ञान वर्ग के प्रत्येक विषय में केवल 02 पुस्तकों को ही प्रचलन में रखे जाने से अलग-अलग प्रकाशकों द्वारा नवीनतम पाठ्यक्रमानुसार तैयार की गयी पुस्तकों की पृष्ठ संख्या अलग-अलग होने के कारण एक ही विषय की पुस्तकों के मूल्य में अन्तर है। परिणामतः गणित विषय की पुस्तकों का न्यूनतम मूल्य रु0 75/-है तथा इण्टर विज्ञान विषय में पुस्तक का न्यूनतम मूल्य रु0 288/- है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद लखीमपुर के निघासन विधान सभा क्षेत्र में ग्रामीण खेल स्टेडियम बनाने की मांग

34-श्री अजय मिश्र 'टेनी'-

क्या युवा कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखीमपुर जिले के निघासन विधान सभा क्षेत्र में ग्रामीण खेल स्टेडियम बनाने की कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम करन आर्य-

12वीं पंचवर्षीय योजना में नियोजन विभाग द्वारा ग्रामीण स्टेडियम के नवनिर्माण से सम्बन्धित योजना को समाप्त कर दिया गया है। इस योजना को पुनर्जीवित किये जाने हेतु विचार किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के लिये खेल नीति सम्बन्धी योजना

35-श्री अजय मिश्र 'टेनी'-

क्या युवा कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कोई खेल नीति बनायी गयी है ? यदि हां, तो क्या बजट में खेलों व स्टेडियम निर्माण हेतु सभी विधान सभा क्षेत्रों को बराबर-बराबर धन वितरित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम करन आर्य-

युवा कल्याण विभाग की कोई प्रख्यापित खेल नीति नहीं है। पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान (पायका) योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2008-09 से 2016-17 तक प्रदेश की समस्त ग्राम एवं क्षेत्र पंचायतों में खेल उपकरण उपलब्ध कराकर खेल मैदानों का विकास किया जाना प्राविधानित है।

ग्रामीण स्टेडियम के निर्माण की योजना वित्तीय वर्ष 2012-13 से समाप्त कर दी गयी है। वित्तीय वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 में पायका योजनान्तर्गत 9,860 ग्राम एवं क्षेत्र पंचायतों में खेल मैदान का विकास कराया जा रहा है। इस योजनान्तर्गत भारत सरकार से अनुमोदित योजना के अनुसार धनराशि आवंटित की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के ग्राम खुर्दराई में जूनियर व प्राइमरी स्कूलों की जमीन का विवरण

36-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम खुर्दराई, ब्लाक ददरौल, शाहजहांपुर में जूनियर हाई स्कूल तथा प्राइमरी स्कूल के पास कितनी जमीन किस-किस नम्बर की है ? क्या यह सही है कि विद्यालय की कुछ जमीन पर ग्रामवासियों ने कब्जा कर रखा है तथा स्कूल की चाहरदीवारी को तोड़ दिया गया है ? यदि हां, तो इसके दोषियों के विरुद्ध सरकार कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

ग्राम खुर्दराई, ब्लाक ददरौल, जनपद शाहजहांपुर में गाटा संख्या-22 रकबा 0.0930 में उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा गाटा संख्या-17 रकबा 0.0650 प्राथमिक विद्यालय के नाम दर्ज है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में गौशालाओं के रख-रखाव हेतु धन का प्राविधान

37-श्री संगीत सिंह सोम-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गौशालाओं के रख-रखाव हेतु प्रतिवर्ष जिला योजना से धन दिये जाने का प्राविधान वर्तमान में समाप्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार पूर्व की भांति गौशालाओं के रख-रखाव हेतु धन का प्राविधान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री पारस नाथ यादव-

जी हां।

जिला योजना से धन दिये जाने का प्राविधान समाप्त होने के उपरान्त वर्तमान में मण्डी परिषद् के लाभांश के एक प्रतिशत के रूप में प्राप्त होने वाली धनराशि को उ0 प्र0 गो-सेवा आयोग के माध्यम से प्रदेश में स्थित पंजीकृत गो-शालाओं को अनुदान के रूप में प्रदान किया जाता है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद सोनभद्र के म्योरपुर विकास खण्ड में डा0 अम्बेडकर ग्राम योजनान्तर्गत निर्मित सड़क में अनियमितता की शिकायत

38-श्री सुनील कुमार सिंह यादव-

क्या समग्र ग्राम विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र के म्योरपुर विकास खण्ड में चयनित डा0 अम्बेडकर ग्राम योजना के अन्तर्गत निर्माण की जा रही सड़कों को मानक के अनुरूप न बनाये जाने विषयक मुख्य मंत्री को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का शिकायती पत्रांक 43/वि0ओ0/दिनांक 11/06/2012 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम करन आर्य-

उक्त पत्र दिनांक 11-06-2012 समग्र ग्राम विकास विभाग में नहीं अपितु लोक निर्माण विभाग में प्राप्त हुआ है।

उक्त पत्र में उल्लिखित शिकायतों की जांच लोक निर्माण विभाग द्वारा मुख्य अभियन्ता वाराणसी/मुख्य अभियन्ता (परिवाद) लोक निर्माण विभाग से करायी गई। मुख्य अभियन्ता वाराणसी द्वारा उपलब्ध करायी गयी जांच आख्या पर मुख्य अभियन्ता (परिवाद)/मुख्य अभियन्ता (मु-1) की आख्या/संस्तुति लोक निर्माण विभाग में अभी प्राप्त नहीं हुई है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के शासकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की पदोन्नति सम्बन्धी नियमावली में संशोधन

39-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के शासकीय माध्यमिक विद्यालयों में बी0टी0सी0 वेतन क्रम के अर्ह शिक्षकों का एल0टी0 वेतन क्रम (महिला शाखा) के पदों पर पदोन्नति का शिक्षा निदेशालय उ0प्र0 का प्रस्ताव पत्रांक नि0 (2)/3542/2003-04, दिनांक 10-11-2003 शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार उन शिक्षकों की पदोन्नति करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं, अपितु शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-नि0 (2)/5542/2003-04 दिनांक 10-11-2003 द्वारा राजकीय कन्या विद्यालय के एल0टी0 ग्रेड के 30 प्रतिशत पदों पर अर्ह बी0टी0सी0 ग्रेड के शिक्षकों की पदोन्नति देने सम्बन्धी सेवा नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव प्राप्त हुआ।

सेवा नियमावली में संशोधन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद झांसी के कतिपय विधान सभा क्षेत्र में राजकीय बालिका इण्टर कालेज खोले जाने की मांग

40-श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के वि0स0 क्षेत्र बबीना के विकास खण्डों बबीना बड़ागांव, चिरगांव में कोई भी राजकीय बालिका इण्टर कालेज नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत उक्त ब्लाकों में बालिका इण्टर कालेज खोले जाने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जनपद झांसी के वि0 स0 क्षेत्र बबीना के विकास खण्ड बबीना में पूर्व से राजकीय बालिका इण्टर कालेज, रसोई, विकास खण्ड बड़ा गांव में राजकीय बालिका, इण्टर कालेज, बरूआ सागर, विकास खण्ड चिरगांव में राजकीय हाई स्कूल बकुआं बुजुर्ग (सह शिक्षा) तथा राजकीय हाई स्कूल धमना खुर्द (सह शिक्षा) संचालित है।

जी नहीं।

पूर्व से राजकीय बालिका इण्टर कालेज एवं राजकीय हाई स्कूल (सह शिक्षा) संचालित है।

जनपद देवरिया में शिवानी बालिका जूनियर हाई स्कूल को अनुदानित किये जाने की कार्यवाही का विवरण

41-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शिवानी बालिका जूनियर हाई स्कूल, बांसी, पो0 बौरडीह, जिला देवरिया को अनुदानित किये जाने के सम्बन्ध में अनु सचिव शिक्षा अनुभाग-6 के पत्र संख्या-129/79-6-2012, दिनांक 6 फरवरी, 2012 द्वारा शिक्षा निदेशक बेसिक उ0प्र0 से मांगी गयी आख्या शासन को प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

जी हां।

मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में संस्था प्रबन्धक के प्रत्यावेदन को पूर्व में ही शासनादेश दिनांक 05-10-2010 द्वारा निस्तारण किया जा चुका था। प्रकरण में शासन के पत्र दिनांक 06-02-2012 के क्रम में प्राप्त शिक्षा निदेशक (बेसिक) की आख्या दिनांक 19-06-2012 में कोई नवीन तथ्य नहीं बताये गये हैं। अतः प्रकरण में पुनर्विचार का औचित्य नहीं पाया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

42-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

[1ले शुक्रवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-113 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद महराजगंज की तहसील फरेन्दा में पशु चिकित्सालयों में डाक्टर स्टाफ एवं दवाओं की उपलब्धता की जानकारी

43-श्री बजरंग बहादुर सिंह-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महराजगंज की तहसील फरेन्दा में पशु चिकित्सालयों में डाक्टर, स्टाफ एवं दवाओं की भारी कमी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त चिकित्सालयों में मानक के अनुरूप डाक्टर, स्टाफ एवं दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री पारस नाथ यादव-

जनपद-महराजगंज की तहसील-फरेन्दा के अन्तर्गत 05 पशु चिकित्सालय के सापेक्ष 03 पशु चिकित्सालयों पर पशु चिकित्साधिकारी एवं स्टाफ कार्यरत है। 02 पशु चिकित्सालयों पर पशु चिकित्साधिकारियों का पद रिक्त है।

विभाग में रिक्त पशु चिकित्साधिकारियों के रिक्त पदों के सापेक्ष चयन हेतु अधियाचन लोक सेवा आयोग को प्रेषित किया गया है। आयोग से संस्तुति प्राप्त होने पर यथा प्रक्रिया रिक्त पदों पर तैनाती की कार्यवाही की जायेगी। अन्य रिक्त पदों पर भर्ती हेतु संगत नियमावली एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार कार्यवाही की जा रही है।

वित्तीय वर्ष 2012-13 में उपलब्ध बजट के अनुसार दवायें क्रय कर पशु चिकित्सालयों ब्रजमनगंज, कोल्हुई, धानी, फरेन्दा एवं महादेवा पर दवाइयां उपलब्ध कराये जाने के साथ-साथ जनपद के अन्य पशु चिकित्सालयों पर वितरित की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महराजगंज में फरेन्दा के प्राथमिक विद्यालय गनेशपुर में कतिपय सुविधाओं की जानकारी

44-श्री बजरंग बहादुर सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महराजगंज के विधान सभा क्षेत्र फरेन्दा के प्राथमिक विद्यालय गनेशपुर में बाउन्ड्रीवाल, शौचालय, बिजली एवं पानी की समुचित व्यवस्था नहीं है ? यदि हां, तो उक्त व्यवस्था कब तक करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

जनपद महराजगंज के विधान सभा क्षेत्र फरेन्दा के प्राथमिक विद्यालय गनेशपुर प्रथम व प्राथमिक विद्यालय गनेशपुर द्वितीय में शौचालय, बिजली एवं हैण्डपम्प की व्यवस्था है, किन्तु चहारदीवारी नहीं बनी हुई है।

इन विद्यालयों की चहारदीवारी का निर्माण भारत सरकार द्वारा वर्ष 2012-13 की कार्य योजना में प्राविधानित राशि प्राप्त होने पर निर्भर करता है।

प्रश्न नहीं उठता।

45-श्री बजरंग बहादुर सिंह-

[1ले गुरुवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-56 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद हाथरस में मृतक आश्रित कोटे में सहायक अध्यापक की नियुक्ति का प्रकरण

46-श्री उपेन्द्र तिवारी-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री संतोष वर्मा पुत्र स्व0 भगवान वर्मा, सहायक अध्यापक, निवासी-सन्त विनोबा नगर, गली नं0-4 सादाबाद, हाथरस की नियुक्ति मृतक आश्रित कोटे के अन्तर्गत मा0 मुख्य मंत्री के आदेश दिनांक 12-06-12 के क्रम में की गयी है ? यदि नहीं, तो नियुक्ति कब तक की जायेगी ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

जी नहीं।

स्व0 भगवान वर्मा, सहायक अध्यापक, प्रा0 वि0 लखनपुरा, खेरागढ़, जनपद आगरा की मृत्यु सेवाकाल में दिनांक 25-7-1999 को हुई और उनके आश्रित श्री संतोष वर्मा द्वारा सेवायोजन हेतु अपना प्रथम आवेदन-पत्र दिनांक 24-6-2010 को दिया गया, जो सेवायोजन हेतु निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत नहीं है। प्रकरण के कालबाधित होने और इस विलम्ब हेतु युक्तियुक्त औचित्य नहीं होने के कारण श्री संतोष वर्मा के मृतक आश्रित के रूप में सेवायोजन हेतु निर्धारित समयावधि में शिथिलीकरण का औचित्य नहीं पाया गया।

प्रदेश में खनन सम्बन्धी नीति

47-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में खनन सम्बन्धी नीति क्या है ? क्या यह सत्य है कि अधिकांश जिलों में व्यापक पैमाने पर अवैध खनन होने के कारण आम उपभोक्ताओं को खनन सामग्री बहुत अधिक दाम देकर उपलब्ध हो रही है ? यदि हां, तो उपभोक्ताओं का शोषण एवं अवैध खनन को रोकने हेतु सरकार कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

खनन पट्टों की स्वीकृति के सम्बन्ध में पारदर्शिता लाने के दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश में बालू, मौरंग, बजरी एवं बोल्डर के रिक्त क्षेत्रों को उ0 प्र0 उप खनिज परिहार नियमावली, 1963 के अध्याय-4 में निहित निविदा व्यवस्था के अनुसार ई-टेण्डरिंग के माध्यम से परिहार पर तीन वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृति किये जाने की व्यवस्था है। उपरिलिखित उप खनिजों को छोड़कर अन्य उप खनिजों के परिहार नियमावली, 1963 के अध्याय-2 एवं 6 के प्राविधानों के अन्तर्गत विभिन्न अवधियों हेतु स्वीकृत किये जाने की नीति निर्धारित है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती में आंगनबाड़ी कर्मियों के मानदेय भुगतान की मांग

48-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती में भारत सरकार द्वारा संचालित बाल विकास परियोजनाओं में कार्यरत आंगनबाड़ी कर्मियों (कार्यकत्री/सहायिका)

का बढ़े हुये मानदेय के भुगतान सहित नियमित भुगतान भी 03 माह से बन्द है ? यदि हां, तो क्या सरकार बढ़े हुये मानदेय सहित उक्त कर्मियों के मानदेय का नियमित भुगतान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

जी नहीं।

जनपद बस्ती में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों एवं सहायिकाओं को बढ़े हुए मानदेय के साथ ही नियमित मानदेय का भुगतान माह सितम्बर, 2012 तक कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सोनभद्र में विगत वर्षों में क्रिटिकल गैप हेतु आंवटित धनराशि एवं कराये गये कार्यों का विवरण

49-श्री सुनील कुमार सिंह यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य नियोजन विभाग से जिलाधिकारी, सोनभद्र को क्रिटिकल गैप हेतु वर्षवार 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12 तक कितनी-कितनी धनराशि आवंटित की गयी तथा उसमें से जनपद के राबर्ट्सगंज, चोपन तथा म्योरपुर विकास खण्ड में कितनी-कितनी धनराशि व्यय की गयी है ? क्या सरकार व्यय की गयी धनराशि तथा कराये गये कार्यों का विवरण उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

क्रिटिकल गैप हेतु वर्षवार 2007-08 से 2011-2012 तक प्रतिवर्ष रु0 50.00 लाख की दर से धनराशि आवंटित की गई। उक्त धनराशि में से विकास खण्ड राबर्ट्सगंज, चोपन तथा ग्योरपुर में निम्नानुसार व्यय हुआ :--

(लाख रु0 में)

	राबर्ट्सगंज	चोपन	म्योरपुर
वर्ष 2007-08 एवं 2008-09	57.34	5.60	0.00
वर्ष 2009-10	17.63	0.00	0.00
वर्ष 2010-11	11.88	0.00	11.60
वर्ष 2011-12	15.87	0.00	0.00

योजना के अन्तर्गत प्रश्नगत विकास खण्डों में कार्यों का विवरण संलग्नक† में दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

† (देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ -------- पर)

प्रदेश में कन्या विद्याधन योजनान्तर्गत आय प्रमाण-पत्र बनवाने में होने वाले शोषण को रोकने की मांग

50-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कन्या विद्याधन योजनान्तर्गत 30 हजार रु0 देने की घोषणा 35 हजार तक की आय वाले परिवारों की कन्याओं के लिये की गयी है ? यदि हां, तो क्या यही भी सही है कि आय प्रमाण-पत्र प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को तहसील स्तर पर

कर्मचारियों तथा अधिकारियों द्वारा शोषण किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसे रोकने हेतु कोई नीति बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

ऐसी कोई सूचना विभाग के संज्ञान में नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में भू-जल के दोहन को रोकने हेतु प्रभावी योजना की मांग

51-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

क्या लघु सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में भू-जल का व्यापक दोहन होने से नागरिकों/पर्यावरण को व्यापक क्षति हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसे रोकने हेतु कोई प्रभावी योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री पारस नाथ यादव-

प्रदेश में 70 प्रतिशत सिंचाई मुख्य रूप से भू-गर्भ जल संसाधनों पर ही निर्भर है। साथ ही अधिकांश पेयजल एवं औद्योगिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी भू-गर्भ जल से की जाती है इस सम्बन्ध में लघु सिंचाई एवं सिंचाई (यॉ0) विभाग द्वारा नलकूपों के माध्यम से सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध करायी जाती है। जबकि उ0प्र0 जल निगम द्वारा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में भू-जल आधारित पेयजल योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है। इस प्रकार भू-जल संसाधन की कृषि पेयजल एवं औद्योगिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका है। भू-जल के व्यापक दोहन होने से नागरिकों/पर्यावरण को व्यापक क्षति के सम्बन्ध में वर्तमान में विभाग को कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शामली, तहसील कैराना के पंजीठ ग्राम में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय भवन निर्माण के दोषियों के दण्डित करने की मांग

52-श्री हुकुम सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का भवन जनपद शामली की तहसील कैराना के पंजीठ ग्राम में विगत चार वर्षों से बनकर तैयार है परन्तु शिक्षण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है ? क्या यह सही है कि उक्त शिक्षण संस्थान की भौगोलिक स्थिति ऐसी है जहां बच्चों को सुरक्षित रखना सम्भव नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसके दोषियों को दण्डित कर उनसे धन की वसूली करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का भवन निर्माण नहीं कराया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के ब्लाक रामनगर में शेष विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा की मांग

53-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के ब्लाक रामनगर में 98 परिषदीय प्राथमिक तथा 35 जूनियर हाई स्कूलों में से मात्र 2 विद्यालयों में कम्प्यूटर की शिक्षा दी जा रही है ? क्या यह भी सही है कि शेष परिषदीय विद्यालयों में कम्प्यूटर और शिक्षकों के अभाव में छात्र कम्प्यूटर की शिक्षा पाने से वंचित हैं ? यदि हां, तो शेष विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा की व्यवस्था कब तक करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

जनपद बस्ती के रामनगर ब्लाक में 98 परिषदीय प्राथमिक तथा 35 जूनियर हाई स्कूलों में से 03 उच्च प्राथमिक विद्यालयों, उच्च प्राथमिक विद्यालय नस्खोरिया, उच्च प्राथमिक विद्यालय संकरपुर में कम्प्यूटर सहायतित शिक्षा प्रदान की जा रही है।

भारत सरकार द्वारा प्राथमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर सहायतित शिक्षा कार्यक्रम स्वीकृत नहीं किया गया है।

भारत सरकार द्वारा सर्व शिक्षा अभियान में नवाचारी कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष में एक जनपद के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर सहायतित शिक्षा कार्यक्रम हेतु अधिकतम रु0 50 लाख का प्राविधान भारत सरकार द्वारा किया गया है। तद्नुसार भारत सरकार द्वारा अनुमन्य सीमित धनराशि के दृष्टिगत यह कार्यक्रम चरणबद्ध रूप में लागू किया गया है।

सर्व शिक्षा अभियान की वर्तमान गाइड लाइन्स के अनुसार प्रत्येक वर्ष की कार्य-योजना में भारत सरकार से स्वीकृति के अनुसार कम्प्यूटर शिक्षा की चरणबद्ध रूप में व्यवस्था लागू है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजियाबाद के हापुड़ में राजकीय कन्या इण्टर कालेज के निर्माण का प्रकरण

54-श्री गजराज सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद (पंचशीलनगर) के नूरपुर ब्लाक हापुड़ में स्वीकृत राजकीय कन्या इण्टर कालेज का निर्माण सरकार द्वारा कराया गया है अथवा नहीं ? यदि हां, तो कब और नहीं तो क्यों ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त कालेज में कितने अध्यापक स्वीकृत हैं ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां। निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया गया था, किन्तु भूमि विवाद से सम्बन्धित मा0 उच्च न्यायालय में बाद योजित होने के कारण निर्माण कार्य रोक दिया गया था।

बाद निस्तारित निर्माण कार्य प्रारम्भ किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

उक्त विद्यालय में 07 सहायक अध्यापक एवं 09 प्रवक्ता के पद सृजित है।

प्रदेश में खनन पट्टे हेतु मछुआ समुदाय को वरीयता दिये जाने की मांग

55-श्री जय प्रकाश निषाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पूर्व शासनादेश के अनुसार पंजीकृत मत्स्य जीवी सहकारी समितियों के माध्यम से मछुआ समुदाय की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के उद्देश्य

से उक्त समुदाय को प्रथम वरीयता के क्रम में बालू खनन, नाव घाट आदि के पट्टे दिये जाते थे ? यदि हां, तो क्या अब सार्वजनिक कर देने के कारण खनन माफिया ही पूर्ण लाभ ले लेते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार पूर्व व्यवस्था की भांति मछुआ समुदाय को वरीयता के आधार पर बालू खनन, नाव घाट आदि के पट्टे देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्तमान में सरकार द्वारा उ0प्र0 उप खनिज परिहार नियमावली, 1963 के अध्याय-4 के अन्तर्गत ई-टेण्डरिंग प्रणाली के माध्यम से खनन पट्टे स्वीकृत किये जाने की व्यवस्था की है जिसमें सर्वोच्च एवं संतोषजनक बोली ही एकमात्र खनन पट्टा स्वीकृत किये जाने का आधार है। इसमें मछुआ समुदाय को वरीयता दिये जाने की व्यवस्था नहीं है।

जनपद ललितपुर में नये इण्टर कालेज खोले जाने का प्रकरण

56-श्री फेरन लाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद ललितपुर में हाई स्कूल में क्षमता से अधिक दाखिला होने के बावजूद अधिकांश छात्र शिक्षा ग्रहण करने से वंचित रह जाते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार जनपद ललितपुर में नये इण्टर कालेज खोलेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद ललितपुर में 08 राजकीय इण्टर कालेज तथा 17 राजकीय हाई स्कूल है। 10 सहायता प्राप्त इण्टर कालेज एवं 02 सहायता प्राप्त हाई स्कूल संचालित है। 09 वित्त विहीन मान्यता प्राप्त इण्टर कालेज तथा 18 वित्त विहीन हाई स्कूल संचालित हैं। उक्त के अतिरिक्त जनपद में 01 केन्द्रीय विद्यालय एवं 01 जवाहर नवोदय विद्यालय है, जिसमें छात्र-छात्राएं अध्यनरत हैं।

जनपद अलीगढ़ में निर्माणाधीन सड़क एन0एच0-91 में उपयोगित मिट्टी के सम्बन्ध में जानकारी

57-श्री दलवीर सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ से होकर गुजरने वाले निर्माणाधीन एन0एच0-91 पर जनपद अलीगढ़ की सीमा में कुल कितनी मिट्टी का उपयोग किया गया है ? क्या इस मिट्टी पर खनन अधिनियम के तहत मिट्टी खनन की अनुमति ली गयी है तथा इस मिट्टी पर खनन अधिनियम के तहत राजस्व का निर्धारण किया गया है ? यदि हां, तो क्या यह राजस्व सरकार के कोष में जमा हो गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जनपद अलीगढ़ की सीमा में निर्माणाधीन एन0एच0-91 पर जनपद अलीगढ़ की सीमा में अभी तक 2,33,910 घनमीटर मिट्टी का उपयोग किया गया है। इस मिट्टी कार्य हेतु खनन

अधिनियम के तहत अभी तक 2,34,744 घनमीटर की अनुमति प्राप्त की गई है। इसके लिए रियायतग्राही द्वारा कुल रु0 21,12,696/- राजस्व कोष में जमा कराये गये हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी के बबीना क्षेत्र में चेकडैम के निर्माण की योजना

58-श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

क्या लघु सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के बबीना विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम विठरी-रनगुवां-आरी-पोहरा एवं वैदौरा, पलींदा-परवई के मध्य प्रवाहित पहुंज नदी पर जल संरक्षण हेतु चेकडैम के निर्माण की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री पारस नाथ यादव-

जनपद झांसी के बबीना विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत पहूंज नदी में ग्राम बिठरी एवं पोहरा के मध्य ग्राम खिरियापाली में लघु सिंचाई विभाग द्वारा एक चेकडैम पूर्व से निर्मित है तथा ग्राम बिठरी में एक चेकडैम प्रस्तावित है। इसी प्रकार पहूंज नदी में ग्राम बैदोरा-परवई के मध्य ग्राम बैदोरा में दो, मुरारी में एक तथा अठौदना में एक चेकडैम पूर्व से विभाग द्वारा निर्मित है, तथा ग्राम पलीदा में समोगर नाला, जोकि पहूंज नदी का सहायक नाला है, पर एक चेकडैम प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

59-श्री उमेश पाण्डेय-

[दिनांक 26-11-2012 के अता0प्रश्न सं0-149 द्वारा उत्तरित]

प्रदेश में सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत कम्प्यूटर आपरेटरों की नियुक्ति के सम्बन्ध में जानकारी

60-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के समस्त जनपदों में विभाग में कम्प्यूटर आपरेटरों के कुल कितने पद सृजित हैं तथा उसके सापेक्ष किन-किन जिलों में कम्प्यूटर आपरेटर तैनात हैं ? क्या सरकार रिक्त पदों पर कम्प्यूटर आपरेटरों की नियुक्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रत्येक जनपद में कम्प्यूटर ऑपरेटर का एक पद सृजित है, जिसके सापेक्ष 62 जनपदों आगरा, अलीगढ़, एटा, मथुरा, हाथरस, मैनपुरी फिरोजाबाद, आजमगढ़, बलिया, इलाहाबाद, कौशाम्बी, फतेहपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, फैजाबाद, अम्बेडकरनगर, बाराबंकी, सुल्तानपुर, गोण्डा, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, गोरखपुर, महराजगंज, देवरिया, बस्ती, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, झांसी, जालौन, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, ललितपुर, कानपुर देहात, कानपुर नगर, इटावा, औरेया, फर्रूखाबाद, कन्नौज, मेरठ, बागपत, बुलन्दशहर, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, सहारनपुर, मुरादाबाद, जे0पी0नगर, रामपुर, बिजनौर, वाराणसी, चन्दौली, जौनपुर, मिर्जापुर, भदोही, सोनभद्र, गाजीपुर, लखनऊ, सीतापुर, लखीमपुर एवं रायबरेली में कम्प्यूटर आपरेटर कार्यरत हैं।

उक्त के अतिरिक्त प्रत्येक ब्लाक पर एक कम्प्यूटर ऑपरेटर का पद सृजित किया गया है, जिसके सापेक्ष सेवा प्रदाता के माध्यम से 665 कम्प्यूटर आपरेटर तैनात हैं।

जी हां।

यथाशीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के शासकीय माध्यमिक विद्यालयों में सी0टी0 वेतनक्रम में कार्यरत शिक्षकों हेतु आदर्श विद्यालयों के शिक्षकों की भांति वेतन निर्धारण की मांग

61-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के शासकीय माध्यमिक विद्यालयों में सी0टी0 वेतनक्रम में कार्यरत शिक्षकों को आदर्श विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की भांति वेतन निर्धारण करने हेतु मा0 उच्च न्यायालय में याचिका संख्या 10666/2006 में पारित आदेशों के अनुरूप वेतन निर्धारण करने हेतु क्या सरकार कार्रवाई करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

रिट याचिका संख्या-10666/2006 माध्यमिक शिक्षा विभाग से सम्बन्धित नहीं है।

जनपद कौशाम्बी में तकनीकी शिक्षा के प्रसार हेतु योजना

62-श्री केशव प्रसाद (कुशवाहा) मौर्य-

क्या व्यावसायिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कौशाम्बी में निजी क्षेत्र के कुल कितने औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र हैं ? क्या तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये सरकार की निजी क्षेत्र के प्रशिक्षण केन्द्रों को प्रोत्साहित करने की कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्माशंकर त्रिपाठी-

जनपद कौशाम्बी में निजी क्षेत्र के कुल 08 (आठ) औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र हैं।

जी हां। तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निजी क्षेत्र में स्थापित प्राइवेट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को बी0टी0पी0 (वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइडर) के रूप में पंजीकृत कर प्रशिक्षण संचालन हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में स्लाटर हाउस बन्द कराने की मांग

63-श्री केशव प्रसाद (कुशवाहा) मौर्य-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने हेतु गोवंश की तस्करी और हत्या तथा पशुधन की कीमत पर चालित स्लाटर हाउस बन्द कराने की सरकार की कोई योजना हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री पारस नाथ यादव-

उ0 प्र0 गोवध निवारण अधिनियम, 1995 एवं संशोधित अधिनियम, 2002 लागू है, जिसके द्वारा गोवध पर पूर्णतया प्रतिबन्ध है। प्रदेश में स्लाटर हाउस बन्द कराने की सरकार की कोई योजना नहीं है।

प्रदेश में स्थानीय लोगों के मांस उपयोग हेतु स्थानीय निकाय/नगर निगम/नगर निकाय द्वारा अधिकृत वधशालाओं में पशुवध किया जाता है। स्थायी मांस उपयोग को बन्द नहीं किया जा सकता है। साथ ही निर्यातोन्मुखी पशु वधशालाओं में पशुवध मांस निर्यात हेतु किया जाता है। मांस निर्यात भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है।

प्रदेश के पशु चिकित्सालयों में रिक्त पशु चिकित्साधिकारियों की नियुक्ति की योजना

64-श्री सुरेश राणा-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शामली सहित प्रदेश के पशु चिकित्सालयों पर आवश्यकता के अनुसार डाक्टर व कर्मचारी उपलब्ध हैं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार ने रिक्त पदों को भरने के लिये कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री पारस नाथ यादव-

जी नहीं,

शामली सहित प्रदेश के कुछ पशु चिकित्सालयों में पशु चिकित्साधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों के पद रिक्त हैं।

विभाग में पशु चिकित्साधिकारियों के रिक्त पदों के सापेक्ष चयन हेतु अधियाचन लोक सेवा आयोग को प्रेषित किया गया है। आयोग से संस्तुति प्राप्त होने पर यथा प्रक्रिया रिक्त पदों पर तैनाती की कार्यवाही की जायेगी। अन्य रिक्त पदों पर भर्ती हेतु संगत नियमावली एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में पशु बांझपन निवारण योजना

65-श्री सुरेश राणा-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के पशुओं में आ रही भीषण बांझपन की समस्या के समाधान के लिये सरकार ने कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री पारस नाथ यादव-

जी हां।

पशु बांझपन निवरण योजना संचालित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी में पशु चिकित्सालयों में चिकित्सकों की नियुक्ति का प्रकरण

66-श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र धौरहरा में कुल कितने पशु चिकित्सालय निर्मित हैं तथा कितने स्वीकृत हैं ? क्या निर्मित सभी चिकित्सालयों में डाक्टरों की तैनाती है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार चिकित्सालयों में रिक्त पदों पर नियुक्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री पारस नाथ यादव-

जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र धौरहरा खीरी में कुल 03 पशु चिकित्सालय निर्मित हैं तथा 05 स्वीकृत हैं।

जी नहीं, 03 निर्मित पशु चिकित्सालयों में से 01 पशु चिकित्सालयों में पशु चिकित्सक कार्यरत है। शेष में पद रिक्त हैं।

जी हां। नियुक्ति प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच में विद्यालय निर्माण का प्रकरण

67-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विकास खण्ड हजूरपुर के ग्राम आदिलपुर में प्रस्तावित विद्यालय का निर्माण मजरा लालापुरवा में न कराकर भक्तिनपुरवा में कराये जाने सम्बन्धी प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-वि0प0/ज0हि0/012- 13/क-एस0नं0-138670/1047, दिनांक 20-08-12 बेसिक शिक्षा अधिकारी, बहराइच को तथा पत्र संख्या-वि0प0/ज0हि0/012-13/क-एस0नं0-148544/528-529, दिनांक 02-06-12 जिलाधिकारी, बहराइच को प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो उक्त पत्रों पर क्या कार्रवाई की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

जी हां।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पत्रांक एस0एस0ए0/1156--58/2012-13, दिनांक 18-7-2012 द्वारा उप जिलाधिकारी, कैसरगंज, बहराइच से चयनित असेवित भक्तिनपुरवा में विद्यालय निर्माण हेतु सरकारी भूमि उपलब्ध कराने की मांग की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मऊ के ग्राम सभा लखनौर में राजकीय कन्या जू0 हा0 स्कूल हेतु भवन निर्माण का प्रकरण

68-श्री उमेश पाण्डेय-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मऊ के विधान सभा क्षेत्र मधुबन के विकास खण्ड फतहपुर मण्डॉव के ग्राम सभा लखनौर में वर्ष 1967 से राजकीय कन्या जू0हा0 स्कूल एक प्राइवेट भवन में चल रहा है, जबकि विद्यालय के नाम से चार एकड़ भूमि आवंटित है ? यदि हां, तो अभी तक उक्त विद्यालय के भवन का निर्माण न हो पाने का क्या कारण है ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

वर्ष 1967 से प्राइवेट भवन में संचालित प्रश्नगत विद्यालय जुलाई, 2010 से परिषदीय प्रा0वि0 लखनौर के तीन अतिरिक्त कक्ष में संचालित है।

विद्यालय हेतु आवंटित 04 एकड़ जमीन में भवन निर्माण हेतु अनुदान/धनराशि स्वीकृत न होने के कारण विद्यालय भवन का निर्माण नहीं हो सका है।

जनपद कौशाम्बी के विधान सभा क्षेत्र सिराथू में गोवध निवारण अधिनियम अन्तर्गत पकड़े जाने वाले गोवंश के रख-रखाव हेतु व्यवस्था के सम्बन्ध में जानकारी

69-श्री केशव प्रसाद (कुशवाहा) मौर्य-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कौशाम्बी के विधान सभा क्षेत्र सिराथू में गोवध निवारण अधिनियम के अन्तर्गत पकड़े जाने वाले गोवंश के रख-रखाव की कोई व्यवस्था है ? यदि हां, तो कहां-कहां और क्या-क्या व्यवस्था है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री पारस नाथ यादव-

विधान सभा क्षेत्र सिराथू, कौशाम्बी में गोवध निवारण अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत पकड़े जाने वाले गोवंश के रख-रखाव हेतु कोई पंजीकृत गौशाला नहीं है। पंजीकृत गौशाला न होने के कारण गोवंश के रख-रखाव की कोई व्यवस्था नहीं है। पंजीकृत गौशाला न होने के कारण, पकड़े गये गोवंश को स्थानीय पुलिस द्वारा क्षेत्रीय पशु पालकों की सुपुर्दगी में दे दिया जाता है।

स्थानीय स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा स्वेच्छा से गौशालायें स्थापित की जाती हैं, उक्त क्षेत्र से किसी भी संस्था का, गौशाला के पंजीकरण हेतु कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ।

जनपद शाहजहांपुर के तिलहर क्षेत्र में खनन माफियाओं पर अकुंश लगाये जाने की मांग

70-श्री रोशन लाल वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र तिलहर, शाहजहांपुर में खनन माफियाओं द्वारा दिन दहाड़े रेत आदि खनन कर ब्लैक में बेचा जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार खनन माफियाओं की सांठ-गांठ से हो रहे इस अवैध धंधे पर अंकुश लगायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में प्राइमरी/जूनियर स्कूलों के जर्जर भवनो की मरम्मत कराये जाने की मांग

71-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में प्राइमरी/जूनियर स्कूलों के भवन मरम्मत न कराये जाने से जर्जर हो गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त विद्यालयों की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

जी नहीं।

जर्जर विद्यालयों के स्थान पर छात्र संख्या के आधार पर पर्याप्त कक्षा-कक्षों का निर्माण करा दिया गया है।

प्रत्येक वर्ष विद्यालय भवनों की लघु मरम्मत एवं रख-रखाव की व्यवस्था है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बाराबंकी में शिक्षकों को जी0पी0एफ0 भुगतान बढ़ाये जाने की मांग

72-श्री रामचन्द्र यादव-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी में बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित विद्यालयों के शिक्षकों को सामान्य भविष्य निधि से लगभग बीस वर्षों से रुपया 40,000.00 अधिकतम सीमा तक का ही भुगतान वर्तमान में भी किया जा रहा है ? क्या यह सही है कि जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ, बाराबंकी द्वारा कई बार जिला बेसिक शिक्षाधिकारी से बीमारी, बेटा-बेटी की शादी व भवन निर्माण आदि के लिये अधिकतम सीमा में बढ़ोत्तरी किये जाने का अनुरोध किया है ? यदि हां, तो क्या सरकार अन्य जनपदों के राज्य कर्मचारियों की भांति जी0पी0एफ0 से अधिकतम भुगतान की सीमा बढ़ायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

जी नहीं।

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0प्र0 बेसिक शिक्षा भविष्य निधि नियमावली, 1975 यथा संशोधित उ0प्र0 बेसिक शिक्षा भविष्य निधि (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1995 की व्यवस्थानुसार शिक्षकों द्वारा किये गये आवेदन तथा उनके जी0पी0एफ0 खाते में उपलब्ध धनराशि के आधार पर नियमानुसार बीमारी, पुत्र-पुत्री की शादी और भवन निर्माण आदि के लिये धनराशि प्रत्याहरण की स्वीकृति प्रदान कर भुगतान की कार्यवाही की जाती है।

जनपद बाराबंकी में शिक्षकों के विगत चार वर्षों का बोनस भुगतान सम्बन्धी जानकारी

73-श्री रामचन्द्र यादव-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी में बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित प्रा0वि0 व उच्च प्रा0वि0 के शिक्षकों का विगत चार वित्तीय वर्षों का बोनस भुगतान अब तक नहीं किया गया है जबकि विगत चार वर्षों का बोनस बिना भुगतान किये आयकर आगणन में शामिल कर शिक्षकों का आयकर काट लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार लम्बित विगत चार वित्तीय वर्षों का बोनस व अन्य भुगतान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

बोनस हेतु अतिरिक्त धनराशि प्राप्त न होने के कारण चार वर्षों का बोनस का भुगतान नहीं किया जा सका, किन्तु ऐसे कतिपय शिक्षक जो स्वेच्छा से अपने वार्षिक आयकर आगणन प्रपत्र में बोनस की धनराशि सम्मिलित कर प्रपत्र प्रस्तुत करते हैं केवल उनके ही वार्षिक आयकर कटौती में बोनस की धनराशि सम्मिलित होती है।

नियमित वेतन का भुगतान करने के उपरान्त यदि कोई धनराशि वित्तीय वर्ष के दौरान अवशेष बचती है तो उससे लम्बित अन्य देयों एवं बोनस का भुगतान कर दिया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बारांबकी क्षेत्र में कार्यरत शिक्षकों को कतिपय भत्तों का भुगतान किये जाने की मांग

74-श्री रामचन्द्र यादव-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्त नियंत्रक बेसिक शिक्षा परिषद् उ0प्र0 इलाहाबाद के पत्र संख्या-बे0शि0प0/ले0स0/न0प्रति0म0/9680-92/2011-12, दिनांक 23 नवम्बर, 2011 द्वारा जिला बेसिक शिक्षाधिकारी, लखनऊ, बाराबंकी एवं आगरा को लखनऊ महानगर क्षेत्र एवं आगरा महानगर क्षेत्र विस्तार के सम्बन्ध में उ0प्र0 सरकार नगर विकास अनुभाग-7 संख्या 6450/नौ-7-2006-67ज/95, दिनांक 30 नवम्बर, 2006 की अधिसूचना के सापेक्ष जनपद बाराबंकी के वि0 खण्ड-देवा, निन्दूरा, बंकी नगर पालिका परिषद् नवाबगंज आच्छादित महानगर विस्तार के क्षेत्र में कार्यरत शिक्षकों को लखनऊ महानगर के सापेक्ष नगर प्रतिकर भत्ता, आवास भत्ता के भुगतान का आदेश जारी हुआ है ? यदि हां, तो इसके सापेक्ष जनपद बाराबंकी के आच्छादित शिक्षकों को दिनांक 23 नवम्बर, 2011 से भुगतान किया जा रहा है ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

जी हां।

जी नहीं, क्योंकि प्रश्नगत भुगतान हेतु वित्त विभाग का निर्देश/आदेश अपेक्षित है।

प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त शिक्षकों के पेंशन का प्रकरण

75-श्री अगयश राम शरन वर्मा-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त हुये शिक्षकों की पेंशन अप्रैल, 2012 से अब तक का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो इतने विलम्ब के क्या कारण हैं ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में प्रतिभाओं के प्रोत्साहन हेतु खेल नीति

76-श्री सुरेश राणा-

क्या युवा कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में प्रतिभाओं को निखारने के लिये ग्रामीण स्तर पर खेल का सामान देने व प्रतियोगिता आयोजित कराने की सरकार की कोई नीति है ? यदि हां, तो जनपद शामली के थानाभवन विधान सभा क्षेत्र में मार्च, 2012 के बाद इस प्रकार की कितनी प्रतियोगितायें आयोजित करायी गयी हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम करन आर्य-

युवा कल्याण विभाग के माध्यम से भारत सरकार एवं राज्य सरकार के संयुक्त तत्वाधान में संचालित पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान योजना (पायका) के अन्तर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत पर पायका केन्द्र स्थापित कर खेल उपकरण उपलब्ध कराने तथा विकास खण्ड एवं जनपद स्तर पर खेल प्रतियोगितायें आयोजित किये जाने क प्राविधान है।

इस वर्ष प्रदेश के समस्त विकास खण्डों एवं जनपदों में खेलकूद प्रतियोगिताओं के आयोजन की तिथियां निर्धारित कर दी गयी हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के संस्कृत विद्यालयों में भवन निर्माण का प्रकरण

77-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के सिद्धनाथ संस्कृत माध्यमिक विद्यालय सेमरौना, विकास खण्ड विशेश्वरगंज तथा महाजनान संस्कृत विद्यालय भूपगंज बाजार पयागपुर के जर्जर भवनों, पेयजल, शौचालय, बाउन्ड्रीवाल के निर्माण सम्बन्धी प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-वि0प0/ज0हि0/012-13/ क-एस0नं0-138690/1063, दिनांक 20-08-12 जिला विद्यालय निरीक्षक, बहराइच को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

प्रकरण में वस्तुस्थिति से जिला विद्यालय निरीक्षक, बहराइच द्वारा अपने पत्र दिनांक 9-10-12 के माध्यम से मा0 सदस्य, विधान सभा को अवगत कराया जा चुका है।

अशासकीय सहायता प्राप्त संस्कृत विद्यालयों में विषयगत निर्माण कार्यों की कोई शासकीय योजना वर्तमान में प्रचलित नहीं है और न ही इस आशय के कार्यों हेतु कोई बजट व्यवस्था की गयी है।

जनपद गोण्डा के कटरा बाजार विधान सभा क्षेत्र के प्राथमिक/जू0 हाई स्कूलों में समुचित व्यवस्था की मांग

78-श्री बावन सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के कटरा बाजार विधान सभा क्षेत्र में स्थित कितने प्राथमिक/जू0 हाई स्कूलों में पेयजल/शौचालय/बाउन्ड्रीवाल/ विद्युतीकरण हीं हुआ है ? क्या सरकार बच्चों की सुरक्षा व स्वास्थ्य को ध्यान में रख कर उक्त सुविधायें उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

जनपद गोण्डा के कटरा बाजार विधान सभा क्षेत्र में 13 विद्यालयों में पेयजल सुविधा नहीं है, 349 विद्यालयों में चहारदीवारी नहीं है तथा 257 विद्यालयों में विद्युतीकरण नहीं हुआ है। शौचालय सभी विद्यालयों में निर्मित है।

पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने हेतु सूची जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, गोण्डा द्वारा उ0प्र0 जल निगम को उपलब्ध करा दी गयी है।

चहारदीवारी का निर्माण कराया जाना भारत सरकार से वर्ष 2012-13 की कार्य योजना में प्राविधानित राशि प्राप्त होने पर निर्भर है।

जनपद को 83 प्राथमिक विद्यालय तथा 55 जूनियर हाई स्कूलों के विद्युतीकरण का लक्ष्य प्राप्त हुआ है, जिसके सम्बन्ध में विद्यालय चयन की कार्यवाही गतिमान है।

विद्यालयों में चहारदीवारी निर्माण हेतु धनराशि की उपलब्धता के आधार पर चरणबद्ध रूप में कराये जाने की योजना है और तद्नुसार वार्षिक कार्य योजना में प्रस्ताव सम्मिलित कर भारत सरकार को भेजा जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा के विधान सभा कटरा बाजार में रिक्त पशु चिकित्सक के तैनाती की मांग

79-श्री बावन सिंह-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र कटरा बाजार के पशु चिकित्सालयों में पशु चिकित्सक के कितने पद रिक्त हैं ? क्या सरकार रिक्त पदों पर चिकित्सकों की तैनाती करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री पारस नाथ यादव-

जी हां।

जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र कटरा बाजार के अन्तर्गत 06 पशु चिकित्सालय सृजित हैं, जिसके सापेक्ष 02 पशु चिकित्सालयों पर पशु चिकित्सक तैनात हैं। 04 रिक्त हैं।

विभाग में पशु चिकित्साधिकारियों के रिक्त पदों के सापेक्ष चयन हेतु अधियाचन लोक सेवा आयोग को प्रेषित किया गया है। आयोग से संस्तुति प्राप्त होने पर यथा प्रक्रिया रिक्त पदों पर तैनाती की कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा के तहसील कर्नैलगंज में रेत और मिट्टी से हुई आय के सम्बन्ध मे जानकारी की मांग

80-श्री बावन सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा की तहसील कर्नैलगंज के अन्तर्गत वर्तमान में रेत और मिट्टी खनन कहां-कहां हो रहा है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि वर्ष 2008 से 30 अगस्त, 2012 तक खनन से कितनी आय हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जनपद गोण्डा की तहसील कर्नैलगंज के अन्तर्गत ग्राम पंचायत गोडवा के गाटा संख्या-8 मि0/4-00 एकड़ व अल्लीपुर गोकुला खण्ड-1 के गाटा संख्या 549, 555, 135मि0/2-50 एकड़ से बालू खनन हो रहा है।

वर्ष 2008 से 30 अगस्त, 2012 तक तहसील कर्नैलगंज के खनन क्षेत्र से कुल 6,40,536.00 (मु0 छः लाख चालीस हजार पांच सौ छत्तीस) रु0 की आय हुई है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सोनभद्र के ओबरा विधान सभा क्षेत्र में पशु चिकित्सालयों तथा उनमें उत्तम नस्ल के पशु गर्भाधान के सम्बन्ध में जानकारी

81-श्री सुनील कुमार सिंह यादव-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र के ओबरा विधान सभा क्षेत्र में कुल कितने पशु चिकित्सालय हैं ? क्या उनमें उत्तम नस्ल के पशु गर्भाधान हेतु रखे गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उसका विवरण उपलब्ध कराते हुये प्रत्येक गर्भाधान केन्द्र पर उत्तम नस्ल के पशु उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री पारस नाथ यादव-

कुल 05 पशु चिकित्सालय हैं।

जी नहीं, पशुपालन विभाग द्वारा प्रत्येक पशु चिकित्सालय पर उत्तम नस्ल के अतिहिमीकृत वीर्य द्वारा कृत्रिम गर्भाधान का कार्य किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सोनभद्र के किसानों पर अपने निजी खेतों में घरेलू उपयोग के लिए खोदे गये मिट्टी के लिए हुये मुकदमों को वापस लेने की मांग

82-श्री सुनील कुमार सिंह यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र के किसानों द्वारा अपने घरेलू उपयोगार्थ अपने निजी खेत से मिट्टी खोदने पर खनन एक्ट का उल्लंघन माना जाता है ? यदि हां, तो जनपद सोनभद्र में कितने किसानों पर इस प्रकार के मुकदमें विगत 05 वर्षों में दायर हुये हैं ? क्या सरकार ऐसे मुकदमों को वापस लेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सोनभद्र के ओबरा विधान सभा के भाट एरिया में पशुओं के इलाज की समुचित व्यवस्था की मांग

83-श्री सुनील कुमार सिंह यादव-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र के ओबरा विधान सभा क्षेत्र के भाट एरिया में कोई पशु चिकित्सालय न होने से पशुओं के इलाज की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार वहां पर पशु अस्पताल खोलने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री पारस नाथ यादव-

जी नहीं। जनपद सोनभद्र के भाट एरिया में 06 पशु चिकित्सालय एवं 05 पशु सेवा केन्द्र स्थापित हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

84-श्री सुनील कुमार सिंह यादव-

[1ले बुधवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-199 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद सोनभद्र के विधान सभा क्षेत्र ओबरा में चयनित डा0 अम्बेडकर ग्रामों में अपूर्ण निर्माण कार्यों को पूरा कराने की मांग

85-श्री सुनील कुमार सिंह यादव-

क्या समग्र ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र के विधान सभा क्षेत्र ओबरा में वर्ष 2011-12 में कुल कितने डा0 अम्बेडकर ग्राम चयनित हुये थे ? क्या चयनित डा0

अम्बेडकर ग्रामों को विकास कार्यों से संतृप्त कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार अपूर्ण निर्माण कार्यों को पूरा करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम करन आर्य-

डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजनान्तर्गत जनपद सोनभद्र के विधान सभा क्षेत्र ओबरा में वर्ष 2011-12 में कुल 08 अम्बेडकर ग्रामों (रनटोला, खैराही, पिपरी, रणहोर, परनी, भरहरी, बिल्लह मारकुण्डी, वर्दिया) का चयन किया गया।

उपर्युक्त चयनित ग्रामों में गत वित्तीय वर्ष में आवंटित धनराशि के सापेक्ष कार्य कराये गये, जिसके अनुसार इन ग्रामों को सम्पर्क मार्ग निर्माण, सी0सी0 रोड निर्माण, के0सी0ड्रेन निर्माण, स्वच्छ पेयजल निर्माण, स्वच्छ शौचालय, आवासहीन को आवासीय पट्टा एवं भूमिहीन को कृषि योग्य भूमि से संतृप्त कर दिया गया है। मजरों को आपस में जोड़ने से सम्बन्धित मार्गों के निर्माण कार्यक्रम में 01 ग्राम संतृप्त है, 07 ग्रामों में कार्य प्रगति पर है। इन्दिरा आवास कार्यक्रम में 05 ग्राम संतृप्त हैं, 03 ग्राम असंतृप्त हैं। ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम में 05 ग्राम संतृप्त तथा 03 ग्राम असंतृप्त है। शासनादेश दिनांक 16-05-12 द्वारा डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना को समाप्त कर हुए उसके स्थान पर अब डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना लागू की गयी है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मिर्जापुर के विकास खण्ड सिटी के ग्राम सभा भोरसर में राजकीय कन्या इण्टरमीडिएट कालेज के निर्माण की मांग

86-श्री रमेश चन्द-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर के विकास खण्ड सिटी के अन्तर्गत ग्राम सभा भोरसर में राजकीय कन्या इण्टरमीडिएट कालेज का निर्माण कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम सभा भरूहना, विकास खण्ड सिटी, मिर्जापुर में राजकीय हाई स्कूल सह शिक्षा के अन्तर्गत निर्माणाधीन है जो ग्राम सभा भोरसर से 5 किमी0 की परिधि के अन्तर्गत है। फलतः उक्त ग्राम सभा में नवीन राजकीय कन्या इण्टरमीडिएट कालेज की स्थापना का औचित्य नहीं है।

जनपद बहराइच, ग्राम मैना, ग्राम पंचायत अकरौरा, पोस्ट-मनिकापुर, वि0खं0 पयागपुर के श्री जगदम्बा प्रसाद को मृतक आश्रित के रूप में नियुक्ति का प्रकरण

87-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच ग्राम मैना ग्राम पंचायत अकरौरा, पो0 मनिकापुर वि0खं0 पयागपुर के श्री जगदम्बा प्रसाद को मृतक आश्रित के रूप में नियुक्ति प्रदान करने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-वि0प0/ज0हि0/012-13/क-एस0नं0-053836/709,

दिनांक 25-6-12 विशेष सचिव, शिक्षा अनुभाग-5, उ0प्र0 लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्रवाई की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

जी हां।

कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के प्राइमरी व जूनियर कक्षाओं में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने की मांग

88-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक प्राइमरी व जूनियर कक्षाओं में शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिये क्या सरकार ने कोई कार्य योजना बनाई है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

जी हां। गुणवत्ता संवर्द्धन के अनेक कार्यक्रम संचालित किये गये हैं।

प्रदेश के सभी जनपदों में शिक्षा के स्तर को सुधारने हेतु सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत निम्नांकित कार्यक्रम संचालित हैं :--

- विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाएं सुदृढ़ की गयी हैं। असेवित बस्तियों में नवीन प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय स्थापित किये गये हैं तथा विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा-कक्ष निर्मित कराये गये हैं। विद्यालय भवनों के रख-रखाव हेतु प्रतिवर्ष विद्यालय रख-रखाव अनुदान दिया जाता है।
- राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली द्वारा विकसित राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा-2005 के परिप्रेक्ष्य में कक्षा 1-8 तक का पाठ्यक्रम पुनरीक्षित किया जा चुका है तथा तद्नुसार पाठ्य पुस्तकों का पुनरीक्षण पूर्ण कर नवीन पाठ्य पुस्तकें लागू की जा चुकी हैं। कक्षा 1 से ही अंग्रेजी भाषा का शिक्षण प्रारम्भ कर दिया गया है।
- कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें तथा कक्षा 1-5 तक के बच्चों को भाषा एवं गणित में अभ्यास के अवसर प्रदान करने के लिए निःशुल्क कार्यपुस्तिकाएं उपलब्ध करायी जाती है।
- विद्यालयों में पठन-पाठन प्रक्रिया को उन्नत बनाने हेतु शिक्षकों के शिक्षण कौशल में संवर्द्धन के लिए नियमित रूप से शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये जाते हैं।
- अधिगम अभिवृद्धि कार्यक्रम (लर्निंग एनहैन्समेण्ट प्रोग्राम) के अन्तर्गत उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों को प्रयोग एवं गतिविधि के द्वारा विज्ञान एवं गणित सीखने तथा प्रोजेक्ट कार्य के द्वारा भूगोल सीखने हेतु कार्यक्रम संचालित किये गये हैं।
- ''निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009'' के परिप्रेक्ष्य में शैक्षिक गुणवत्ता संवर्द्धन एवं अकादमिक सपोर्ट प्रदान करने के लिए विकास खण्ड

संसाधन केन्द्रों का पुनर्गठन किया गया है, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक विकास खण्ड संसाधन केन्द्र पर विषयवार 07 विषय-विशेषज्ञ रखे जाने की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त ब्लाक संसाधन केन्द्रों में अवस्थापना सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हमीरपुर में मौरंग बालू के अवैध खनन को बन्द कर पुनः पट्टा चालू कराये जाने की मांग

89-साध्वी निरंजन ज्योति-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हमीरपुर में मौरंग बालू के खनन के पट्टे बन्द होने के कारण ट्रक व्यवसायी एवं होटल व्यवसाय व टायर व्यवसायी आदि बेरोजगार हो चुके हैं ? क्या यह भी सही है कि पट्टा न होने के बावजूद भी अवैध खनन अन्धाधुन्ध जारी है ? यदि हां, तो सरकार उक्त पट्टे कब तक चालू करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

मा0 उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-9416 (एस0बी0)/2010 कौशर जहां बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व रिट याचिका संख्या-10025 (एम0बी0)/2010 श्याम बहादुर शाक्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 29-04-2011 के अनुपालन में स्वीकृत पट्टाधारकों का खनन कार्य दिनांक 01-07-2011 से पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण प्राप्त न होने के अभाव में स्थगित करा दिया गया था, जिसके कारण अधिकांश खनन क्षेत्रों में खनन संक्रियायें बन्द हो गयी थीं, जिससे खनिज परिवहन में कमी परिलक्षित हुई।

अवैध खनन के सम्बन्ध में जिलास्तर पर गठित कमेटी के सदस्यों द्वारा अवैध खनन/परिवहन पर प्रभावी नियन्त्रण लगाने हेतु निरन्तर कार्यवाही की जा रही है और इसमें संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध उ0प्र0 उप खनिज परिहार नियमावली, 1963 व अधिनियम, 1957 की सुसंगत धाराओं के तहत कार्यवाही की जाती है।

पर्यावरण विभाग द्वारा स्वच्छता प्रमाण-पत्र दिये जाने के उपरान्त पट्टे जारी किये जायेंगे।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रदेश के नगर पालिका परिषद् फिरोजाबाद में जूरियर हाई स्कूल के शिक्षकों को नगरीय सुविधायें दिये जाने की मांग

90-श्री मनीष असीजा-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका परिषद् फिरोजाबाद में 20-10-2008 को शामिल 13 ग्राम सभाओं के 23 प्राथमिक तथा 12 जूनियर हाईस्कूल के शिक्षकों को नगरीय क्षेत्र की अनुमन्य सुविधायें दी जा रही हैं ? यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

जी नहीं।

नगर पालिका फिरोजाबाद में दिनांक 20-10-2008 को सम्मिलित की गयी 13 ग्राम सभाओं को मात्र राजस्व ग्राम के रूप में सम्मिलित किया गया है। उक्त ग्राम सभाओं को नगर पालिका परिषद् फिरोजाबाद में शैक्षिक रूप में सम्मिलित करने हेतु कोई शासनादेश अद्यतन निर्गत नहीं हुआ है।

उक्तवत्।

प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड निगोही के ग्राम वरीलापुर में स्वीकृत राजकीय इण्टर कालेज के निर्माण कराये जाने की मांग

91-श्री रोशन लाल वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड निगोही के ग्राम वरीलापुर में वर्ष 2010-11 में शासन द्वारा स्वीकृत राजकीय इण्टर कालेज के निर्माण हेतु 80 प्रतिशत धन आवंटित किया गया है ? यदि हां, तो उक्त कालेज के भवन का निर्माण कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड निगोही के ग्राम सभा वरीलापुर में राजकीय हाई स्कूल का निर्माण कराया जा रहा है। भवन निर्माण हेतु जनपद को शत प्रतिशत धनराशि उपलब्ध करा दी गयी है।

प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र शाहजहांपुर के अनेकों प्रा0 विद्यालय में पीने के पानी उपलध्य कराये जाने की मांग

92-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र शाहजहांपुर के प्रा0 विद्यालय अजीजगंज, प्रा0 विद्यालय खिरनीबाग, प्रा0 विद्यालय, बड़ावन, प्रा0 विद्यालय रौजा, वल्लियां व प्रा0 विद्यालय जफनापुर में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त विद्यालयों में इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प लगवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

- प्राथमिक विद्यालय अजीजगंज नगर क्षेत्र में स्थित है तथा किराये के भवन में संचालित है, जिसमें पेयजल सुविधा उपलब्ध नहीं है।
- प्राथमिक विद्यालय खिरनीबाग नगर क्षेत्र का विद्यालय है तथा भवन हीन होने के कारण प्राथमिक विद्यालय अंटा में संचालित हो रहा है और वहां पर पेयजल सुविधा उपलब्ध है।
- प्राथमिक विद्यालय बड़ावन में पेयजल सुविधा उपलब्ध है।
- प्राथमिक विद्यालय रोजा बल्लिया में पेयजल सुविधा उपलब्ध है।
- प्राथमिक विद्यालय जफ़नापुर में पेयजल सुविधा उपलब्ध नहीं है।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2012-13 में भारत सरकार द्वारा जनपद शाहजहांपुर हेतु 178 विद्यालयों में हैण्डपम्प की स्वीकृति दी गयी है, जिनके सापेक्ष इन विद्यालयों में पेयजल सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।

कार्यवाही गतिमान है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सोनभद्र के ओबरा विधान सभा क्षेत्र में स्थित प्राथमिक/जू0हा0 स्कूलों में समुचित सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के मांग

93-श्री सुनील कुमार सिंह यादव-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र के ओबरा विधान सभा क्षेत्र में स्थित कितने प्राथमिक/ जू0हा0स्कूलों में पेयजल/शौचालय/बाउण्ड्रीवाल नहीं हैं ? क्या सरकार बच्चों की सुरक्षा व स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर उक्त सुविधायें उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

जनपद सोनभद्र के ओबरा विधान सभा क्षेत्र में 290 प्राथमिक विद्यालय तथा 114 जूनियर हाई स्कूल संचालित हैं।

- शौचालय सुविधा सभी विद्यालयों में उपलब्ध है।
- जिनमें पेयजल सुविधा एवं चहारदीवारी उपलब्ध नहीं है, उनकी संख्या निम्नवत् है :--

सुविधा	प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक विद्यालय	योग
पेयजल सुविधा	17	08	25
चहारदीवारी	0	15	15

- पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने हेतु सूची जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सोनभद्र द्वारा उ0प्र0 जल निगम को उपलब्ध करा दी गयी है तथा उ0प्र0 जल निगम द्वारा सम्बन्धित विद्यालयों में हैण्डपम्प लगाने का कार्य गतिमान है।
- विद्यालयों में चहारदीवारी निर्माण हेतु धनराशि की उपलब्धता के आधार पर चरणबद्ध रूप में कराये जाने की योजना है और तद्नुसार वार्षिक कार्य योजना में प्रस्ताव सम्मिलित कर भारत सरकार को भेजा जाता है।

भारत सरकार से धनराशि की व्यवस्था के आधार पर कार्यवाही सम्भव हो सकेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सोनभद्र के ओबरा विधान सभा क्षेत्र में मिनी स्टेडियम बनवाने की मांग

94-श्री सुनील कुमार सिंह यादव

क्या युवा कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र के ओबरा विधान सभा क्षेत्र में खेलों को प्रोत्साहन देने हेतु मिनी स्टेडियम बनाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम करन आर्य-

12वीं पंचवर्षीय योजना में नियोजन विभाग द्वारा ग्रामीण स्टेडियम के नव निर्माण से सम्बन्धित योजना को समाप्त कर दिया गया है। इस योजना को पुनर्जीवित किये जाने हेतु विचार किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सोनभद्र के विकास खण्ड, चोपन, राबर्ट्सगंज व म्योरपुर में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण कराये जाने की मांग

95-श्री सुनील कुमार सिंह यादव-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र के विकास खण्ड-चोपन, राबर्ट्सगंज व म्योरपुर में कुल कितने प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय किन-किन गांवों में स्वीकृत या प्रस्तावित हैं ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि कितने विद्यालयों का निर्माण हो गया है तथा कितने शेष हैं ? शेष विद्यालयों का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

विकास खण्ड-चोपन, राबर्टसगंज व म्योरपुर में स्वीकृत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों का विवरण निम्नवत् है। ग्रामों की सूची संलग्न है।†

विकास खण्ड का नाम	स्वीकृत प्राथमिक विद्यालय	स्वीकृत उच्च प्राथमिक विद्यालय
चोपन	166	05
राबर्ट्सगंज	59	07
म्योरपुर	88	09
योग	313	21

निर्मित/शेष विद्यालयों का विवरण निम्नवत् है:--

विकास खण्ड का नाम	पूर्ण विद्यालयों की संख्या		अपूर्ण विद्यालयों की संख्या	
	प्राथमिक विधालय	उच्च प्राथमिक विद्यालय	प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक विद्यालय
चोपन	115	02	51	03
राबर्ट्सगंज	17	04	42	03
म्योरपुर	64	08	24	03
योग :	196	12	117	09

अपूर्ण विद्यालयों का निर्माण कार्य यथाशीघ्र पूर्ण करा लिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजियाबाद के सोनी इण्टर कालेज मे छात्रों की संख्या अधिक होने के कारण क्लास शिफ्टों में चलवाने की मांग

96-श्री जाकिर अली-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लोनी इण्टर कालेज जनपद गाजियाबाद में छात्रों की संख्या अधिक होने के कारण क्लासरूम में बच्चों के बैठने एवं अध्ययन में परेशानी होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय में छात्रों की संख्या को देखते हुए इसे दो शिफ्टों में चलवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

† (देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 226-236 पर)

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

जी नहीं।

अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों को दो शिफ्टों में संचालित किये जाने के लिए वर्तमान में कोई व्यवस्था नहीं है।

जनपद सोनभद्र के ओबरा विधान सभा क्षेत्र में डा0 अम्बेडकर ग्रामों के विकास के लिए संचालित योजनाओं पर किये गये खर्च का विवरण उपलब्ध कराये जाने की मांग

97-श्री सुनील कुमार सिंह यादव-

क्या समग्र ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र के ओबरा विधान सभा क्षेत्र में डा0 अम्बेडकर ग्रामों के विकास के लिये कौन-कौन सी योजनायें संचालित थीं तथा कौन सी कार्यदायी संस्था को विकास हेतु नामित किया गया था तथा वर्ष 2010 से मार्च, 2012 तक कुल कितनी धनराशि विकास हेतु आवंटित की गई थी ? क्या सरकार कराये गये कार्यों का विवरण उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम करन आर्य-

डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना के अन्तर्गत चयनित डा0 अम्बेडकर ग्रामों में सम्पर्क मार्ग, सी0सी0 रोड निर्माण, के0सी0 ड्रेन निर्माण, मजरों को आपस में जोड़ने से सम्बन्धित मार्गो का निर्माण, ग्रामीण विद्युतीकरण, स्वच्छ पेयजल, स्वच्छ शौचालय, आवासहीन को आवास उपलब्ध कराना, आवासहीन को आवासीय पट्टा, भूमिहीन को कृषि योग्य भूमि पट्टा कार्यक्रम संचालित थे। इन कार्यक्रमों हेतु लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, जल निगम, ऊर्जा विभाग, पंचायती राज विभाग तथा जिला ग्राम्य विकास अभिकरण कार्यदायी संस्थायें नामित की गयी थीं। उक्त कार्यदायी संस्थाओं को वर्ष 2010 से मार्च, 2012 तक विकास हेतु आवंटित की गयी धनराशि का विवरण निम्नवत् है :--

कार्यदायी विभाग	वर्ष 2010-11	वर्ष 2011-12
लोक निर्माण	-	462.74
ग्रामीण अभियन्त्रण	50.99	540.00
जल निगम	3.20	51.03
पंचायती राज	21.70	42.83
जिला ग्राम्य विकास अभिकरण	71.02	274.38
ऊर्जा विभाग	-	-

वर्ष 2010-11 तथा 2011-12 में चयनित सभी ग्रामों में कराये गये कार्यों का विवरण मेरे कार्यालय कक्ष में उपलब्ध है जिसे मा0 सदस्य किसी भी कार्य दिवस में देख सकते हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजियाबाद में कुपोषण के शिकार हुए बच्चों के वास्तविक विवरण उपलब्ध कराने की मांग

98-श्री जाकिर अली-

क्या बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद में कुल कितने बच्चे कुपोषण का शिकार हुए हैं तथा कितने बच्चे कुपोषण की स्थिति से गुजर रहे हैं ? क्या सरकार ग्रामसभा-वार/वार्ड-वार/कालोनी-वार इनका वास्तविक विवरण उपलब्ध कराते हुए बच्चों में हो रहे कुपोषण को रोकने हेतु कोई कार्य योजना बना रही है ? यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

विभागीय सर्वे के अनुसार जनपद गाजियाबाद में 06 माह से 06 वर्ष के 127462 बच्चों का वजन लिया गया, जिसमें 24569 बच्चे कुपोषित पाये गये।

बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार योजना का संचालन आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से होता है। अतः कुपोषण के सम्बन्ध में सूचनाएं आंगनबाड़ी केन्द्र से आच्छादित होने वाले ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों की होती है।

कुपोषण की समस्या के प्रभावी समाधान हेतु राज्य सरकार द्वारा राज्य पोषण मिशन प्रारम्भ किये जाने की कार्यवाही विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उन्नाव की तहसील बीघापुर के ग्राम रम्भाखेड़ा के श्री मुन्नी लाल को ऋण के माफी के पश्चात् धनराशि आहरण की जांच विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

99-श्री रोशन लाल वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव के ग्राम रम्माखेड़ा, मजरा त्रिपुरारपुर, तह0 बीघापुर के श्री मुन्नीलाल के कृषक कार्ड से लिये गये ऋण को केन्द्र सरकार द्वारा माफ करने के उपरान्त भी अवध ग्रामीण बैंक, त्रिपुरारपुर, उन्नाव द्वारा धनराशि के आहरण की जांच कराये जाने विषयक मा0 सभापति, आश्वासन समिति का पत्र संख्या-297/आ0स0/08, दिनांक 12 सितम्बर, 2008, विशेष सचिव, बैंकिंग विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को शासन के कृषि अनुभाग-2 के पत्र संख्या-5147/12-02-2008, दिनांक 21 अक्टूबर, 2008 के साथ प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

प्रकरण में आर्यावर्त ग्रामीण बैंक द्वारा अवगत कराया गया है कि फरवरी, 2008 में भारत सरकार द्वारा घोषित कृषि ऋण माफी व ऋण राहत योजना, 2008 के अन्तर्गत श्री मुन्नी लाल को दिनांक 25-06-2008 को रु0 20,137 की ऋण माफी प्रदान की गयी जबकि पात्रता रु0 10,085 मात्र की थी। सम्बन्धित शाखा द्वारा दिनांक 19-08-2008 को ऋण राहत में दी गयी अधिक धनराशि रु0 10,052 के स्थान पर भूलवश रु0 10,082 को उपरोक्त खाते नामे करके बैंक ने वापस कर लिया है। उक्त खाते को बैंक ने अपने लाभ-हानि खाते से रु0 307 नामे करके दिनांक 21-11-2012 को बन्द कर दिया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई में बन्द हुये कन्या जूनियर हाई स्कूल को खोले जाने का प्रकरण

100-श्री बृजेश कुमार-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई की तहसील बिलग्राम के माधौगंज में कन्या जूनियर हाईस्कूल बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो किसके आदेश पर बन्द करवाया गया है और क्यों ? क्या यह सही है सर्वशिक्षा अभियान के प्रचार-प्रसार के लिये सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष नये जू0हाई स्कूल खोलने की व्यवस्था की जाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसके लिये दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 03 किमी0 की परिधि तथा 800 की आबादी वाले असेवित क्षेत्र में नवीन विद्यालय खोले जाने की व्यवस्था है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में बेसिक शिक्षा में मृतक आश्रितों को सेवा लाभ की व्यवस्था पुनः प्रारम्भ कराने की मांग

101-श्री बृजेश कुमार-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बेसिक शिक्षा में मृतक आश्रितों को सेवा लाभ की व्यवस्था समाप्त कर दी गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस व्यवस्था को पूर्व की भांति पुनः प्रारम्भ करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उक्तवत्।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अवैध गोवध रोकने हेतु सरकारी नीति

102-श्री सुरेश राणा-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिमी उ0प्र0 में हो रहे अवैध गोवध को रोकने के लिये सरकार ने कोई ठोस नीति बनाई है ? यदि हां, तो क्या सरकार यह भी बतायेगी कि मार्च, 2012 के बाद पश्चिमी उ0प्र0 में अब तक अवैध कटान करने वाले कितने लोगों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री पारस नाथ यादव-

जी हां।

गोवध निवारण अधिनियम, 2002 (संशोधित) के तहत गोवंशीय पशुओं का वध पूर्णतया प्रतिबन्धित है। यही अधिनियम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए भी लागू है।

पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ, सहारनपुर, अलीगढ़, आगरा एवं मुरादाबाद मण्डलों में 01 अप्रैल, 2012 से 30 जून, 2012 तक 279 अपराध पंजीकृत किये गये, 571 अभ्युक्तों को गिरफ्तार तथा 2168 गोवंशीय पशुओं को बचाया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा में आंगनबाड़ी में दिये जाने वाले पौष्टिक आहार की गुणवत्ता का प्रकरण

103-श्री बावन सिंह-

क्या बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा में आंगनबाड़ी में दिया जाने वाला पौष्टिक आहार खराब गुणवत्ता का है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसकी जांच कराकर उच्च गुणवत्ता का आहार उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

फूड न्यूट्रीशन बोर्ड, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा अनुपूरक पुष्टाहार की तैयार की गयी रेसिपी के अनुरूप जनपद गोण्डा सहित प्रदेश के आंगनबाड़ी केन्द्रों पर उच्च गुणवत्तायुक्त पोषाहार की आपूर्ति सुनिश्चित हो रही है।

आंगनबाड़ी केन्द्रों पर आपूर्ति किये जाने वाला पुष्टाहार उच्च गुणवत्ता का है और इसकी गुणवत्ता की जांच नियमित रूप से करायी जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त शिक्षकों की नियुक्ति का प्रकरण

104-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में शासकीय तथा अनुदानित हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट कालेजों में रिक्त प्रवक्ता तथा एल0टी0 शिक्षकों की नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा कोई निर्णय लिया गया है ? यदि हां, तो नियुक्ति की कार्रवाई कब तक की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

हाई स्कूल के एल0टी0 शिक्षकों के नियुक्ति की कार्यवाही मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक के स्तर पर एवं इण्टरमीडिएट के प्रवक्ता संवर्ग के चयन की कार्यवाही लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, इलाहाबाद के स्तर पर गतिमान है। प्रदेश के सहायता प्राप्त हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट कालेजों में रिक्त प्रवक्ता तथा एल0टी0 के रिक्त पदों का अधियाचन प्राप्त होने पर उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड, इलाहाबाद द्वारा चयन की कार्यवाही की जाती है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद बहराइच के कतिपय ग्रामों में दुग्ध समितियां खोले जाने की मांग

105-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2012 के तीसरे मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 06 के सन्दर्भ में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के पयागपुर विधान सभा क्षेत्र के

जिन ग्रामों में मार्केटेबुल सरप्लस दूध अधिक है, उन ग्रामों की पहचान कर ली गई है ? यदि हां, तो उन ग्रामों में दुग्ध समितियां कब तक खोलने का विचार है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जनपद बहराइच के पयागपुर विधान सभा क्षेत्र के दुग्ध पट्टी के जिन ग्रामों में मार्केटेबुल सरप्लस दूध अधिक है ऐसे आठ ग्रामों को चिह्नित कर लिया गया है (सूची संलग्न)।†

चिह्नित ग्रामों में दुग्ध समितियां गठित करने की कार्यवाही वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के ब्लाक चिनहट के विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने की मांग

106-श्री गायत्री प्रसाद-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के ब्लाक चिनहट में प्राथमिक तथा पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक तथा प्रधान अध्यापक के रिक्त पदों का विवरण क्या है ? क्या सरकार रिक्त पदों को भरेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

जनपद लखनऊ के ब्लाक चिनहट में प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के सहायक तथा प्रधान अध्यापकों के रिक्त पदों का विवरण संलग्न है।†

जी हां।

प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्ति एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में प्रोन्नति सतत् चलने वाली प्रक्रिया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सोनभद्र के ओबरा में राजकीय कन्या इण्टर कालेज खोलने की मांग

107-श्री सुनील कुमार सिंह यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र के ओबरा विधान सभा के भाट क्षेत्र में लड़कियों की शिक्षा हेतु राजकीय कन्या इण्टर कालेज नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में राजकीय कन्या इण्टर कालेज खोलेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

ओबरा विधान सभा के भाट क्षेत्र के 5 किमी0 की परिधि में स्थित राजकीय बालिका इण्टर कालेज, ओबरा में लड़कियों को शिक्षा हेतु विद्यालय है, जिसमें भाट क्षेत्र की लड़कियां इण्टर स्तर तक की शिक्षा ग्रहण करती है।

औचित्य नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

---

† (देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 237 पर)

† (देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 238-240 पर)

प्रदेश में लोकातन्त्र रक्षक सेनानियों को सम्मान राशि के भुगतान की प्रक्रिया

108-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लोकतंत्र रक्षक सेनानियों को सम्मान राशि अथवा पेंशन के भुगतान की प्रक्रिया कब तक सरकार प्रारम्भ करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

लोकतन्त्र सेनानियों को सम्मान राशि दिये जाने सम्बन्धी शासनादेश दिनांक 14-09-2012 को जारी किया जा चुका है तथा प्रत्येक लोकतंत्र सेनानी को दिनांक 01-04-2012 से रु0 3,000/- मासिक सम्मान राशि अनुमन्य की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के वित्त विहीन माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को मानदेय दिये जाने की मांग

109-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के वित्त विहीन माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक/शिक्षिकाओं को सुनिश्चित मानदेय दिये जाने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

110-श्री हुकुम सिंह-

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

जनपद बस्ती के दुबौलिया ब्लाक में जे0डी0 इण्टर कालेज नामक संस्था की मान्यता का प्रकरण

111-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के दुबौलिया ब्लाक में जे0डी0 इण्टर कालेज के नाम की संस्था सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है ? यदि नहीं, तो उक्त शिक्षण संस्था के विरुद्ध कोई कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जनपद बस्ती के दुबौलिया ब्लाक में जे0डी0 इण्टर कालेज नाम की संस्था सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है, बल्कि जे0डी0 कन्या इण्टर कालेज, दुबौलिया बाजार, बस्ती को वर्ष 2014 से हाईस्कूल नवीन की मान्यता परिषद् कार्यालय के पत्र दिनांक 12-10-2012 द्वारा प्रदान कर दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

उक्तवत्।

जनपद हरदोई के बिलग्राम मल्लावां में पशुचिकित्सालयों में पशुचिकित्सक के पदों के सृजन की मांग

112-श्री बृजेश कुमार-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के विधान सभा क्षेत्र बिलग्राम मल्लावां के परसोला ग्राम व मेहदीखेड़ा ग्राम के पशु चिकित्सालय में पिछले तीन वर्षों से कोई भी चिकित्सक का पद सृजित नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इन दोनों पशु चिकित्सालयों में उक्त पद सृजित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री पारस नाथ यादव-

जी हां।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के खण्ड शिक्षा अधिकारी, हनुमानगंज व गड़वार के विरुद्ध जांच

113-श्री उपेन्द्र तिवारी-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जनपद में तैनात निवर्तमान खण्ड शिक्षा अधिकारी हनुमानगंज व गड़वार के विरुद्ध शिक्षा क्षेत्र नगरा की महिला शिक्षक की शिकायत पर जांच चल रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार निष्पक्ष जांच कराने के लिये उक्त अधिकारी को जनपद बलिया से हटायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

जी हां।

प्रकरण की जांच मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), आजमगढ़ से करायी जा रही है, जांच आख्या प्राप्त होने के उपरान्त गुण-दोष के आधार पर अग्रेतर कार्यवाही करने हेतु निर्णय लिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

114-श्री हुकुम सिंह-

[2सरे सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-190 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

115-श्री हुकुम सिंह-

[2सरे सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-189 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

116-श्री हुकुम सिंह-

[विस्तीर्णता एवं एक से अधिक विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त]

117-श्री सतीश महाना-

[1ले बुधवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-193 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

118-श्री श्यामदेव राय चौधरी 'दादा'-

[1ले बुधवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-194 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद बहराइच के विकास खण्ड पयागपुर के कतिपय ग्रामों का डा0 राममनोहर लोहिया समग्र ग्राम्य विकास योजनान्तर्गत चयन

119-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या समग्र ग्राम विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विकास खण्ड पयागपुर के ग्राम पयागपुर सहित अन्य ग्रामों का चयन डा0 राममनोहर लोहिया समग्र ग्राम्य विकास योजना के अन्तर्गत करने सम्बन्धी प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-वि0प0/ज0हि0/012-13/क-5 नं0 138685-86, दिनांक 20-08-12 मुख्य विकास अधिकारी, बहराइच को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्रवाई की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम करन आर्य-

जी हां।

डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 2012-13 हेतु जनपद बहराइच में चयनित ग्रामों की सूची में विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के विकास खण्ड पयागपुर का ग्राम पयागपुर को छोड़ कर ग्राम लालपुर, विकास खण्ड विशेश्वरगंज का ग्राम जोकहा व रानीपुर तिलक तथा विकास खण्ड हुजरपुर का ग्राम भिडियारी सम्मिलित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के पयागपुर क्षेत्रान्तर्गत छः ग्राम पंचायतों के सम्पर्क मार्गों को डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम्य विकास योजना में आच्छादित किये जाने का प्रकरण

120-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या समग्र ग्राम विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के अन्तर्गत आने वाले छह ग्राम पंचायतों के सम्पर्क मार्गों को डा0 राममनोहर लोहिया समग्र ग्राम्य विकास योजना में आच्छादित करने सम्बन्धी प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या वि0प0/ज0हि0/012-13/क-5 नं0 138681/1057, दिनांक 20.08.12 मुख्यमंत्री उ0प्र0 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम करन आर्य-

मा0 मुख्य मंत्री जी को सम्बोधित उक्त पत्र दिनांक 20-08-12 लोक निर्माण विभाग के माध्यम से समग्र ग्राम विकास विभाग में प्राप्त हुआ है।

डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 2012-13 हेतु जनपद बहराइच में चयनित ग्रामों की सूची में उक्त पत्र में उल्लिखित 06 ग्राम सम्मिलित न होने के कारण सम्पर्क मार्ग का निर्माण किया जाना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर के विकास खण्ड हरगांव के ग्रामों का डा0 राममनोहर लोहिया ग्राम के अन्तर्गत चयन का प्रकरण

121-श्री रामहेतु भारती-

क्या समग्र ग्राम विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र हरगांव में क्षेत्रीय विधायकों के प्रस्ताव पर डा0 राममनोहर लोहिया ग्राम के चयन किये जाने विषयक

प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 01 अगस्त, 2012 प्राप्त हुआ है ? यदि हां,तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम करन आर्य-

जी हां।

शासनादेश दिनांक 13-09-2012 द्वारा योजनान्तर्गत ग्रामों का चयन किये जाने का अधिकार जनपद के मा0 प्रभारी मंत्री जी को दिया गया है जिसके तहत मा0 प्रभारी मंत्री जी द्वारा 30 ग्रामों का चयन करके सूची जिलाधिकारी के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर के वि0ख0 हरगांव के ग्रामों का डा0 राममनोहर लोहिया ग्राम विकास योजनान्तर्गत चयन सम्बन्धी जानकारी

122-श्री रामहेतु भारती-

क्या समग्र ग्राम विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर के विकास खण्ड हरगांव में डा0 राममनोहर लोहिया ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत किन-किन गांवों का चयन किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम करन आर्य-

डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2012-13 हेतु जनपद सीतापुर में जनपद के मा0 प्रभारी मंत्री जी द्वारा जिलाधिकारी के माध्यम से प्राप्त चयनित ग्रामों की सूची मे विकास खण्ड हरगांव का कोई ग्राम सम्मिलित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में गो-वंश में वृद्धि

123-श्री धर्मपाल सिंह-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गोवंश निरन्तर कम हो रहा है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं एवं इसे रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किये जा रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री पारस नाथ यादव-

जी नहीं।

प्रदेश में गोवंश की वृद्धि हो रही है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद संतरविदासनगर के पूर्व मा0 विद्यालय के सेवानिवृत्त कर्मचारी श्री माता प्रसाद पाण्डेय की पेंशन आदि का प्रकरण

124-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-संतरविदासनगर (भदोही) के पूर्व माध्यमिक विद्यालय, भगवानपुर के सेवानिवृत्त कर्मचारी श्री माता प्रसाद पाण्डेय की पेंशन तथा जीवन बीमा आदि देयों के भुगतान के सम्बन्ध में श्री प्रदीप माथुर, नेता, कांग्रेस विधान मण्डल दल का पत्र

संख्या-11/ने0कां0 वि0म0दल/12, दिनांक 18 जून, 2012 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

जी हां।

परीक्षणोपरांत स्पष्ट हुआ है कि नियमित क्रम में कर्मचारी की सेवा अवधि 1-8-96 से अधिवर्षता तिथि 31-1-99 तक 02 वर्ष 06 माह मात्र ही है, जबकि पेंशन हेतु नियमित अर्हकारी सेवा 10 वर्ष अनिवार्य है। बीमा के सम्बन्ध में उक्त कर्मचारी द्वारा बीमा दावा प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के अन्य पिछड़ी जाति के प्रमाण-पत्र जारी किये जाने का प्रकरण

125-श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के अन्य पिछड़ी जातियों की सूची में अधिसूचित 79 जातियों में जाति के नाम के आगे प्रदेश के स्थाई निवासी गैर हिन्दी भाषी पिछड़ी जातियों के टाइटिल का अंकन नहीं किया गया है, जिससे जाति प्रमाण-पत्र जारी करने वाले जिलों के अधिकारियों के समक्ष भ्रम की स्थिति पैदा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस विसंगति को दूर करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां, क्योंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम-1994 की धारा-2 में उल्लेख है कि नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों का तात्पर्य अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गो से है।

अधिनियम की धारा-9 में यह भी उल्लिखित है कि जाति प्रमाण-पत्र ऐसे रीति और ऐसे प्रारूप में जैसा कि राज्य सरकार आदेश द्वारा उपबन्ध करे, जारी किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

126-श्री मनीष असीजा-

[एक से अधिक विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त]

जनपद फैजाबाद की तहसील रूदौली अन्तर्गत खैरनपुर में राजकीय बालिका इण्टर कालेज की स्थापना विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

127-श्री रामचन्द्र यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद की तहसील रूदौली के अन्तर्गत खैरनपुर में राजकीय बालिका इण्टर कालेज की स्थापना विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या ख-5 नं0 068673, दिनांक 19-09-12 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

माध्यमिक शिक्षा निदेशालय एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग में पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में गोशालाओं को सुदृढ़ बनाने हेतु गो-सेवा आयोग के माध्यम से वित्तीय सहायता

128-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गो-वंश के प्रतिबन्ध के चलते विभिन्न जनपदों में रिकवर होने वाले पशुओं को रखने के लिये पर्याप्त स्थान व व्यवस्था नहीं हो पाती है ? यदि हां, तो क्या हर जनपद की वर्तमान गोशाला/गो-सदन को सुदृढ़ करने/सुविधायें बढ़ाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री पारस नाथ यादव-

जी नहीं।

गोशालाओं को सुदृढ़ बनाने एवं कार्य के संचालन के उद्देश्य से गो-सेवा आयोग के माध्यम से वित्तीय सहायता दी जाती है तथा समय-समय पर नई गो-शालाओं को पंजीकृत किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया में छिपकली गिरने से दूषित मिड-डे-मील खाने से बीमार बच्चों के प्रकरण की जांच की मांग

129-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया में छिपकली गिरने से दूषित हुये मिड-डे-मील खाने से 10 सितम्बर, 2012 को 13 बीमार बच्चियों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त प्रकरण की जांच कर दोषियों को दण्डित करने तथा सभी जिलों में गुणवत्ता युक्त मिड-डे-मील उपलब्ध कराने हेतु जवाबदेही सुनिश्चित करने की कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में डायट शिक्षकों की नियुक्ति

130-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2012 के चतुर्थ मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-03 के सन्दर्भ में क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डायट शिक्षकों की नियुक्ति के लिये उ0प्र0 शिक्षक शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग) सेवा नियमावली, 2010 में संशोधन कर दिया गया है ? यदि हां, तो सरकार डायट शिक्षकों की नियुक्ति कब तक करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

जी नहीं। अभी उत्तर प्रदेश शिक्षक शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग) सेवा नियमावली, 2010 में संशोधन की कार्यवाही गतिमान है।

नियमावली में संशोधनोपरान्त लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियुक्ति की कार्यवाही की जायेगी। शेष प्रश्न नहीं बनता।

जनपद सोनभद्र के विकास खण्ड चोपन, राबर्ट्सगंज तथा म्योरपुर में विगत दो वित्तीय वर्ष में डा0 अम्बेडकर ग्रामों का चयन

131-श्री सुनील कुमार सिंह यादव-

क्या समग्र ग्राम विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र के विकास खण्ड-चोपन, राबर्ट्सगंज तथा म्योरपुर में वित्तीय वर्ष 2010-11, 2011-12 में कुल कितने डा0 अम्बेडकर ग्रामों का चयन किया गया था ? क्या सरकार यह बतायेगी कि उक्त ग्रामों से सम्बन्धित किन-किन पुरवों/मजरों का कितना-कितना विकास कार्य हुआ है ? क्या शेष बचे पुरवों/मजरों का विकास कार्य कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम करन आर्य-

डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2010-11 में जनपद सोनभद्र के विकास खण्ड चोपन में शून्य ग्राम, राबर्ट्सगंज में 19 ग्राम तथा म्योरपुर में 6 ग्रामों का चयन किया गया तथा वर्ष 2011-12 में विकास खण्ड चोपन में 18, राबर्ट्सगंज में 3 तथा म्योरपुर में 25 ग्रामों का चयन किया गया था।

योजना के अन्तर्गत कराये गये कार्यों का विवरण निम्नवत् है :--

1-विद्युतीकरण- वर्ष 2010-11 के सभी चयनित ग्राम संतृप्त हैं। वर्ष 2011-12 विकास खण्ड म्योरपुर के 19 ग्राम संतृप्त शेष असंतृप्त। विकास खण्ड चोपन के 11 ग्राम संतृप्त, शेष असंतृप्त। विकास खण्ड राबर्ट्सगंज के 01 ग्राम संतृप्त शेष असंतृप्त।

2-स्वच्छ शौचालय- सभी चयनित ग्राम संतृप्त।

3-आवासहीन को आवास- 40 ग्राम संतृप्त, शेष असंतृप्त।

4-सम्पर्क मार्ग- वर्ष 2010-11 में विकास खण्ड म्योरपुर के चयनित सभी ग्राम संतृप्त। विकास खण्ड राबर्ट्सगंज का 01 ग्राम संतृप्त, शेष असंतृप्त। वर्ष 2011-12 में विकास खण्ड म्योरपुर के कुल चयनित ग्रामों में 11 संतृप्त, शेष असंतृप्त। विकास खण्ड राबर्ट्सगंज के 03 ग्राम असंतृप्त।

शासनादेश दि0 16-05-2012 द्वारा डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना समाप्त करते हुए अब उसके स्थान पर डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना लागू की गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2012 के दूसरे मंगलवार के अतांराकित प्रश्न संख्या-08 के उत्तर के क्रय में जांच आख्या

132-श्री कमाल यूसुफ मलिक-

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2012 के दूसरे मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-08 के उत्तर के क्रम में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या स्पष्ट एवं सन्तोषजनक जांच आख्या प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो जांच आख्या का विवरण क्या है एवं उसके आधार पर कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो जांच में बिलम्बता का क्या कारण है ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

अद्यतन स्पष्ट एवं संतोषजनक जांच आख्या प्राप्त न होने के कारण अग्रेत्तर कार्यवाही अवरुद्ध है।

जांच में विलम्ब का कारण तहसील बॉसी, सिद्धार्थनगर से जाति प्रमाण-पत्र का सत्यापन न हो सकना है।

प्रदेश के मान्यता प्राप्त वित्त विहीन इण्टर कालेजों के शिक्षकों हेतु मानदेय की मांग

133-श्री इन्द्रपाल सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के मान्यता प्राप्त वित्त विहीन इण्टर कालेजों के शिक्षकों को मानदेय देने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पीलीभीत में विगत 12 वर्षों में पंजीकृत सोसाइटी का विवरण

134-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के अनुरूप जनपद पीलीभीत में कितनी सोसायटी वर्ष 2000 से अगस्त, 2012 तक कब-कब पंजीकृत हुई हैं ? उनमें से कितनी निष्क्रिय एवं कितनी कार्यशील हैं एवं किस परिक्षेत्र में क्या-क्या कार्य कर रही हैं ? क्या सरकार निष्क्रिय सोसायटी को समाप्त करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जनपद पीलीभीत में सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, 1860 के अन्तर्गत वर्ष 2000 से अगस्त, 2012 तक कुल 2086 संस्थाएं पंजीकृत हैं, जिनका वर्षवार विवरण निम्नवत् है :--

वर्ष	संख्या
2000	147
2001	193
2002	226
2003	156
2004	142
2005	136
2006	126
2007	172
2008	181
2009	114
2010	165
2011	223
2012	105
कुल योग :--	**2086**

जो सोसाइटी, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 1860 की सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत नवीनीकरण नहीं कराती है वह अपंजीकृत की श्रेणी आ जाती है। जनपद पीलीभीत में वर्ष 2000 से अगस्त, 2012 तक 664 संस्थायें अपंजीकृत श्रेणी में आ गई है तथा 1422 संस्थाओं ने नवीनीकरण करा लिया है, वे पंजीकृत श्रेणी में हैं।

रजिस्ट्रार फर्म्स सोसाइटी एवं चिट्स के कार्यालय में कोई सूचना नहीं रखी जाती है।

सोसाइटी रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, 1860 की धारा-12 घ (1) के अनुसार रजिस्ट्रार निम्नलिखित आधारों में से किसी पर सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द कर सकेगा :--

(क) सोसाइटी का या उसके नाम का या उसके नाम में परिवर्तन का रजिस्ट्रीकरण इस अधिनियम व तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के प्रावधानों के प्रतिकूल है,

(ख) इसका क्रिया-कलाप या प्रस्तावित क्रिया-कलाप सोसाइटी के उद्देश्यों के विरुद्ध या लोकनीति के विरुद्ध रहा है, या है, या होगा,

(ग) रजिस्ट्रीकरण या प्रमाण-पत्र का नवीकरण दुर्व्यपदेशन या कपट द्वारा प्राप्त किया गया है।

अधिनियम में निष्क्रिय एवं कार्यशील समितियों में विभेद करने की व्यवस्था नहीं हैं।

जनपद रमाबाईनगर के ग्राम बिलासपुर बांगर में जूनियर हाई स्कूल के निर्माण का कथित प्रकरण

135-श्री इन्द्रपाल सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम विलासपुर वांगर, तहसील सिकन्दरा, जिला रमाबाईनगर में जूनियर हाई स्कूल का भवन पिछले पांच वर्ष से निर्माणाधीन है ? यदि हां, तो सरकार उसको पूर्ण करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

जूनियर हाई स्कूल, विलासपुर, बांगर तहसील सिकन्दरा, जिला रमाबाईनगर के भवन निर्माण हेतु वर्ष 1993-94 में रु0 1,80,000 में स्वीकृत हुआ था। निर्माण कार्य नींव स्तर तक होने के उपरान्त विवाद उत्पन्न होने के कारण निर्माण कार्य रोकना पड़ा, पुनः कार्य वर्ष 1998-99 में शुरू कराया गया। उस समय निर्माण लागत अधिक हो जाने के कारण निर्माण इकाई द्वारा बढ़ी हुई लागत के अनुसार ग्राम प्रधान एवं आर0ई0एस0जे0ई0 के संयुक्त हस्ताक्षर से रु0 4,00,000 का आगणन प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात् शिक्षा व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में वर्ष 2007-08 में 03 अतिरिक्त कक्षा कक्ष का निर्माण सर्व शिक्षा अभियान योजनान्तर्गत कराया गया, जिससे विद्यालय सुचारू रूप से संचालित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

136-श्री अजय मिश्र 'टेनी'-

[दिनांक 26-11-2012 को अता0 प्रश्न सं0-186 द्वारा उत्तरित]

जनपद फैजाबाद के ग्राम पारा पहाड़पुर में माडल स्कूल की स्थापना का कथित प्रकरण

137-श्री रामचन्द्र यादव-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद के विकास खण्ड रुदौली अन्तर्गत ग्राम पारा पहाड़पुर में मॉडल स्कूल की स्थापना हेतु 2.000 हेक्टेयर भूमि आरक्षित है ? यदि हां, तो क्या उक्त विद्यालय की स्थापना कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

जी नहीं।

बेसिक शिक्षा विभाग में मॉडल स्कूल की स्थापना सम्बन्धी कोई योजना संचालित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उक्तवत्।

प्रदेश में पूर्व माध्यमिक विद्यालयों को ग्रान्ट इन एड पर लेने की योजना

138-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान/आगामी वर्ष में कितने पूर्व माध्यमिक विद्यालय ग्रान्ट इन एड पर लेने की सरकार की योजना है एवं इस हेतु क्या मानक बनाये गये हैं ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि कब तक इस पर अन्तिम निर्णय लेकर ग्रान्ट इन एड पर विद्यालयों को ले लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत विद्यालयों के निरीक्षण कराने के सम्बन्ध में निर्देश निर्गत किये गये हैं। निरीक्षण आख्या प्राप्त होने के उपरान्त मानक निर्धारित किये जायेंगे।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में मा0 उच्च न्यायालय के आदेशानुसार उच्चीकृत जू0 हा0 स्कूलों की अनुदानित सूची निर्गत करने की मांग

139-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 2-12-2009 के अनुपालन के क्रम में उच्चीकृत जू0हा0 स्कूलों की अनुदानित सूची निर्गत कर दी गयी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02-12-2009 के अनुपालन में याची विद्यालयों का निरीक्षण कराकर उनके संस्था प्रबन्धकों को सुनवाई का अवसर देते हुए अनुदान सूची में सम्मिलित किए जाने पर विचार किया गया। सम्यक विचारोपरान्त कोई भी विद्यालय अनुदान सूची में सम्मिलित होने हेतु अर्ह नहीं पाया गया।

प्रदेश में मान्यता प्राप्त वित्तविहीन विद्यालयों के शिक्षकों को मासिक मानदेय का कथित प्रकरण

140-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में मान्यता प्राप्त वित्तविहीन हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट विद्यालयों के शिक्षकों को जीविकोपार्जन के लिए मासिक मानदेय दिया जा रहा है ? यदि हां, तो कितना और कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

सम्प्रति शासन की कोई योजना नहीं है।

जनपद गोरखपुर के ब्लाक बड़हलगंज के पशु चिकित्सालय में स्टाफ की तैनाती की मांग

141-श्री राजेश त्रिपाठी-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के ब्लाक बड़हलगंज में सीधेगौर गांव में एक पशु अस्पताल बनकर तैयार है, परन्तु अभी तक वहां डाक्टर व अन्य स्टाफ की नियुक्ति नहीं होने से बन्द पड़ा है ? यदि हां, तो उक्त पशु अस्पताल पर चिकित्सक व अन्य स्टाफ कब तक तैनात होंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री पारस नाथ यादव-

जी नहीं।

जनपद-गोरखपुर के ब्लाक बड़हलगंज में सीधेगौर गांव के पशु चिकित्सालय पर निकटतम् चिकित्सालय के स्टाक के माध्यम से चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।

पद सृजन कर निःशुल्क की कार्यवाही की जायेगी।

प्रदेश में शासकीय/अनुदानित संस्कृत मा0 विद्यालयों की संख्या तथा उसमें समुचित सुविधाएं प्रदान करने की मांग

142-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कुल कितने शासकीय/अनुदानित संस्कृत माध्यमिक विद्यालय हैं, एवं इनमें से कितने स्कूलों के भवन जर्जर हैं तथा पेयजल, शौचालय व चहारदीवारी की सुविधा नहीं है ? क्या सरकार ऐसे विद्यालयों के जर्जर भवनों के निर्माण पेयजल, शौचालय तथा चहारदीवारी का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

सूचना एकत्र की जा रही है।

अशासकीय सहायता प्राप्त संस्कृत विद्यालयों में विषयगत निर्माण कार्यों की कोई शासकीय योजना वर्तमान में प्रचलित नहीं है।

जनपद गाजियाबाद के विधान सभा क्षेत्र लोनी में अम्बेडकर ग्रामों में विकास कार्य के सम्बन्ध में जानकारी

143-श्री जाकिर अली-

क्या समग्र ग्राम विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद के लोनी विधान सभा क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 में कुल कितने डा0 अम्बेडकर ग्रामों का चयन किया गया था ? उक्त चयनित ग्रामों से सम्बन्धित किन-किन पुरवों/मजरों तथा मुख्य ग्रामों में कितना-कितना विकास कार्य कराया गया है तथा किन-किन में विकास कार्य कराया जाना शेष है ? क्या सरकार शेष पुरवों/मजरों का विकास कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम करन आर्य-

विधान सभा लोनी में डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना में वर्ष 2010-11 में 02 ग्राम असालत फरूखनगर तथा शरफुदीनपुर जावली का चयन किया गया था तथा वर्ष 2011-12 में कोई ग्राम का चयन नहीं किया गया।

वर्ष 2010-11 में चयनित ग्रामों एवं उनके समस्त मजरों में कराये गये कार्यों का विवरण संलग्न है।†

समस्त पुरवों/मजरों को संतृप्त किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पीलीभीत में जिला योजना समिति की बैठक में सड़क एवं पुल के परिव्यय के सम्बन्ध में जानकारी

144-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पीलीभीत में जिला योजना समिति की बैठक दिनांक 25 अगस्त, 2012 की कार्यवृत्त की मद संख्या-17 (सड़क एवं पुल) के अनुसार 2928.98 लाख रु0 परिव्यय निर्धारित करके समान रूप से प्रत्येक विधान सभा में विनियोजन किया जाना प्रस्तावित है ? क्या यह सही है कि अधिशासी अभियन्ता (नोडल) प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0, जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी एवं जिलाधिकारी के प्रस्ताव दिनांक 30 अगस्त, 2012 में प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में असमान परिव्यय दर्शाया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार विनियोजन में समानता का नियम अपनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं। जिला योजना समिति, पीलीभीत बैठक दिनांक 25 अगस्त, 2012 के कार्यवृत्त में सड़क एवं पुल के परिव्यय से प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में समान विनियोजन किये जाने का उल्लेख नहीं है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर विभिन्न विकास कार्यों के लिये धनराशि का उपयोग होता है।

145-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

[1ले गुरुवार के अता0प्र0सं0-187 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद पीलीभीत के विधान सभा क्षेत्र बीसलपुर की प्रा0 पाठशाला मोगापुर के अध्यापक का स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत स्थानान्तरण करने सम्बन्धी जानकारी

146-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पीलीभीत की वि0स0 क्षेत्र बीसलपुर के अन्तर्गत प्रा0 पाठशाला मोगापुर में नगर बीसलपुर निवासी कौन-कौन अध्यापक विगत 20 वर्षों से

† (देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 241-242 पर)

लगातार सेवारत हैं ? क्या सरकार स्थानान्तरण नीति के तहत ऐसे अध्यापकों का स्थानान्तरण करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

ऐसा कोई अध्यापक कार्यरत नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पीलीभीत के क्षेत्र पंचायत बीसलपुर में दान की भूमि पर हीरा राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की स्थापना करने की मांग

147-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पीलीभीत की क्षेत्र पंचायत बीसलपुर में क्या राधारमन पुत्र श्री जगन्नाथ निवासी दौलतपुर हीरा की भूमि संख्या-265 क्षेत्रफल 2.52 एकड़ हीरा राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की स्थापना हेतु 08 सितम्बर, 1992 को दान में दी गयी थी ? यदि हां, तो क्या उक्त भूमि पर विद्यालय स्थापित हो गया है ? यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

जी नहीं।

श्री राधारमन पुत्र श्री जगन्नाथ निवासी दौलतपुर हीरा की भूमि संख्या 265 क्षेत्रफल 252 एकड़ हीरा राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की स्थापना हेतु दिनांक 08-09-1992 को दान-पत्र लिखा, परन्तु उपरोक्त भूमि जिला विद्यालय निरीक्षक, पीलीभीत के नाम 27-08-2009 को अंकित हो पायी। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की वार्षिक कार्य योजना 2012-13 में उक्त स्थान पर नवीन राजकीय हाईस्कूल की स्थापना प्रस्तावित की गयी है।

जनपद बहराइच में शिक्षकों के अभाव में अन्य पड़े विद्यालयों में शिक्षण कार्य प्रारम्भ कराये जाने की मांग

148-श्री मुकुट बिहारी वर्मा-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बहराइच जनपद में कितने विद्यालय शिक्षकों के अभाव में बन्द हैं तथा सरकार द्वारा इन विद्यालयों में शिक्षण कार्य प्रारम्भ कराने हेतु क्या प्रयास किये जा रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

जनपद बहराइच में 226 प्राथमिक तथा 223 उच्च प्राथमिक विद्यालय शिक्षक विहीन हैं, किन्तु शिक्षा मित्रों एवं अन्य विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की व्यवस्था करके शिक्षण कार्य कराया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजियाबाद के अम्बेडकर ग्रामों हेतु आंवटित धनराशि एवं उनके भौतिक सत्यापन कराने की मांग

149-श्री जाकिर अली-

क्या समग्र ग्राम विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद में वर्ष 2010-11, 2011-12 में कुल कितने डा0 अम्बेडकर ग्रामों का चयन हुआ था तथा उनके विकास हेतु कौन-कौन सी कार्यदायी संस्था को नामित किया गया था ? उक्त ग्रामों के विकास हेतु कार्यदायी संस्था को कितनी धनराशि आवंटित की गयी तथा उनसे मुख्यतया क्या-क्या कार्य कराये गये ? क्या सरकार कराये गये कार्यों का सम्यक् भौतिक सत्यापन कराते हुए विवरण विकास खण्डवार उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम करन आर्य-

जनपद गाजियाबाद में वर्ष 2010-11 में 15 तथा 2011-12 में 15 डा0 अम्बेडकर ग्रामों का चयन किया गया। जनपद हापुड़ का सृजन होने के पश्चात् वर्ष 2011-12 में चयनित कुल 15 ग्रामों में से 11 ग्राम जनपद हापुड़ तथा 04 ग्राम जनपद गाजियाबाद में रह गये हैं तथा उनके विकास हेतु लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश जल निगम, विद्युत विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, पंचायती राज विभाग, राजस्व विभाग एवं ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग को कार्यदायी संस्था नामित किया गया था।

उक्त ग्रामों के विकास हेतु कार्यदायी संस्थाओं को आवंटित की गयी धनराशि तथा उनसे कराये गये कार्यों का विवरण निम्नवत् है :--

कार्यदायी संस्था/विभाग	आवंटित धनराशि (लाख रु0 में)	
	वर्ष 2010-11	वर्ष 2011-12
1-लोक निर्माण विभाग	4552.24	243.06
2-ग्रामीण विद्युतीकरण	566.30	162.32
3-उ0प्र0 जल निगम	26.83	250.03
4-ग्राम्य विकास विभाग	4.05	0.90
5-पंचायती राज विभाग	17.025	6.77
6-राजस्व विभाग	-	-
7-ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग	98.34	0.00

आवंटित धनराशि से सम्पर्क मार्ग, सी0सी0 रोड, के0सी0ड्रेन, ग्रामीण विद्युतीकरण, पेयजल हैण्डपम्प, आवासहीन को आवास, स्वच्छ शौचालय, आवासहीन को आवासीय पट्टा एवं भूमिहीन को कृषि योग्य भूमि के पट्टे का आवंटन आदि कार्य किये गये।

वर्ष 2010-11 तथा 2011-12 में चयनित सभी ग्रामों में कराये गये कार्यों का भौतिक सत्यापन कराये जाने हेतु जिला स्तरीय अधिकारियों को सम्बन्धित वर्षों में नामित कर सत्यापन कराया

गया। कराये गये कार्यों के भौतिक सत्यापन का विवरण मेरे कार्यालय कक्ष में उपलब्ध है जिसे मा0 सदस्य किसी भी कार्य दिवस में देख सकते हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के परिषदीय विद्यालयों में विद्युतीकरण का कार्य

150-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद के परिषदीय विद्यालयों में सरकार के बहुकल्याण योजना के तहत कराया जा रहा विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण हो चुका है ? यदि नहीं, तो शेष कार्य कब तक पूर्ण किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

जनपद बस्ती में वर्तमान में कुल 2180 परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय संचालित हैं, जिनमें से 1118 विद्यालयों में विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा 1062 विद्यालयों में विद्युतीकरण का कार्य किया जाना अवशेष है।

शेष विद्यालयों में विद्युतीकरण का कार्य बजट की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

प्रश्न नहीं उठता।

151-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

[1ले बुधवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-197 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में पशु चिकित्सालयों का पुनरूद्धार तथा अतिरिक्त चिकित्सीय उपकरणों की व्यवस्था

152-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार प्रदेश में पशुओं की अच्छी चिकित्सा सुविधा के लिए पशु चिकित्सालयों का पुनरुद्धार तथा आवश्यक चिकित्सीय उपकरणों की व्यवस्था करने की सरकार कोई योजना बना रही है ? यदि हां, तो वित्तीय वर्ष 2012-13 में कितने पशु चिकित्सालयों का पुनरुद्धार तथा अतिरिक्त चिकित्सीय उपकरणों की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि वित्तीय वर्ष 2011-12 में कितने पशु चिकित्सालयों का पुनरुद्धार तथा अतिरिक्त चिकित्सीय उपकरणों की व्यवस्था हेतु कितना धन स्वीकृत व खर्च हुआ था ?

श्री पारस नाथ यादव-

भारत सरकार के सहयोग से योजना पूर्व से ही क्रियान्वित है। वर्ष 2012-13 में 75 पशु चिकित्सालयों का पुनरूद्धार तथा 142 पशुचिकित्सालयों पर अतिरिक्त चिकित्सीय उपकरणों की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है।

प्रश्न नहीं उठता।

वित्तीय वर्ष 2011-12 में 75 पशु चिकित्सालयों के पुनरूद्धार हेतु स्वीकृत कुल रु0 576.72 लाख के सापेक्ष रु0 576.72 लाख व्यय हुआ तथा 08 पशु चिकित्सालयों पर अतिरिक्त चिकित्सीय उपकरणों की व्यवस्था हेतु स्वीकृत धनराशि रु0 10.00 लाख के सापेक्ष रु0 7.27 लाख व्यय हुआ।

जनपद पीलीभीत की क्षेत्र पंचायत विलसण्डा में राजकीय कन्या इण्टर कालेज में शिक्षकों की तैनाती की मांग

153-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पीलीभीत की क्षेत्र पंचायत विलसण्डा में राजकीय कन्या इण्टर कालेज में शिक्षकों की संख्या पद सृजन के अनुसार नहीं है ? क्या सरकार की जानकारी में यह भी है कि न्यूनतम योग्यता से कम योग्यता का प्रधानाचार्य एवं शिक्षक उक्त विद्यालय में हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार योग्यतानुसार प्रधानाचार्य एवं शिक्षकों की तैनाती करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

विद्यालय में प्रधानाचार्य का 01 पद, प्रवक्ता के 06 पद एवं सहायक अध्यापक (स्नातक वेतनक्रम) का 04 पद रिक्त है।

विद्यालय में कार्यरत सभी शिक्षक अपने पद के अनुरूप न्यूनतम योग्यताधारी है। प्रधानाचार्य के रिक्त पद पर विद्यालय की वरिष्ठतम शिक्षिका द्वारा प्रधानाचार्य के दायित्व का निर्वहन किया जा रहा है।

जी हां।

आयोग के चयनोपरान्त नियमित प्रधानाचार्य एवं प्रवक्ता के रिक्त पदों पर एवं मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक द्वारा सहायक अध्यापक (स्नातक वेतनक्रम) के रिक्त पदों पर चयन की कार्यवाही पूर्ण किये जाने पर तैनाती की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश की क्षेत्र पंचापतों में राजकीय इण्टर कालेज स्थापित कराये जाने की मांग

154-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ऐसी कितनी तथा कौन-कौन सी क्षेत्र पंचायतें हैं, जिनमें कि अब तक राजकीय इण्टर कालेज नहीं हैं ? क्या सरकार उन क्षेत्र पंचायतों में राजकीय इण्टर कालेज स्थापित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

प्रत्येक क्षेत्र पंचायतों में राजकीय इण्टर कालेज खोले जाने की कोई भी योजना माध्यमिक शिक्षा विभाग में संचालित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के सभी जू0हा0 स्कूलों में कम्प्यूटर की व्यवस्था

155-श्री दलवीर सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में स्थित सरकारी जू0 हाई स्कूलों में कम्प्यूटर की व्यवस्था की गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार की जानकारी में है कि इनका उपयोग

स्कूलों में सुचारु रूप से नहीं हो पा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत नवाचारी मद में भारत सरकार द्वारा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर सहायतित शिक्षा कार्यक्रम स्वीकृत किया गया है जो भारत सरकार द्वारा अनुमन्य सीमित धनराशि के दृष्टिगत चरणबद्ध रूप में लागू किया गया है।

जी हां।

सभी जनपदों को जांच कराकर विद्यालयवार सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजियाबाद में भवन विहीन विद्यालयों हेतु भवन की व्यवस्था कराये जाने की मांग

156-श्री जाकिर अली-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद के कौन-कौन से प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय किराये के भवन में संचालित हैं ? क्या सरकार उक्त भवन विहीन विद्यालयों को भवन उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

जनपद गाजियाबाद में प्राथमिक विद्यालय शिब्बनपुर, राजनगर, कैला जनरल-2, बजरिया (बालक) किराये के भवन में संचालित हैं।

भूमि उपलब्ध न होने के कारण उक्त विद्यालयों हेतु भवन निर्माण कराया जाना संभव नहीं हो पा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

भूमि की अनुपलब्धता के कारण।

जनपद गाजियाबाद में समेकित विकास सेवा की मानीटरिंग एवं समीक्षा समिति के गठन करने की मांग

157-श्री जाकिर अली-

क्या बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद में समेकित विकास सेवा की मानीटरिंग हेतु जिला स्तरीय, ब्लाक स्तरीय, आंगनबाड़ी स्तरीय मानीटरिंग एवं समीक्षा समिति का गठन हुआ है ? यदि नहीं, तो इन समितियों का गठन कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजियाबाद के विधान सभा क्षेत्र लोनी के शिक्षक विहीन विद्यालयों में तैनाती की मांग

158-श्री जाकिर अली-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद के लोनी विधान सभा क्षेत्र में कौन-कौन से प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय शिक्षक विहीन, एकल शिक्षक एवं मात्र

शिक्षामित्र के द्वारा संचालित हैं ? क्या सरकार उक्त विद्यालयों में मानक के अनुरूप शिक्षकों की तैनाती करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

कोई नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उक्तवत्।

उक्तवत्।

जनपद आजमगढ़ में कस्बे मुबारकपुर में राजकीय इण्टर कालेज खोले जाने की मांग

159-श्री शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के मुबारकपुर कस्बे में राजकीय इण्टर कालेज खोलने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो उक्त कालेज कब तक खोल दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

मुबारकपुर कस्बे में पूर्व से ही दो सहायता प्राप्त विद्यालय संचालित हैं।

160-श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

[एक से अधिक विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त]

जनपद मथुरा की तहसीलों में रजिस्ट्री हेतु 2 प्रतिशत शुल्क से प्राप्त धनराशि का विवरण तथा इस धनराशि से क्षेत्र में विकास कराये जाने की मांग

161-श्री पूरन प्रकाश-

क्या स्टाम्प, न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा के सदर तहसील एवं अन्य तहसीलों में रजिस्ट्री कराने में स्टाम्प शुल्क के साथ-साथ 2 प्रतिशत विकास शुल्क के रूप में पिछले पांच वर्षों में कितना राजस्व प्राप्त हुआ है ? क्या यह सही है कि जिन क्षेत्रों को रजिस्ट्री के साथ विकास शुल्क के रूप में राजस्व प्राप्त हुआ है, उन क्षेत्रों में विकास कार्य कराने में व्यय करने के बजाय आवास विकास परिषद्, मथुरा/नगरपालिका, मथुरा के क्षेत्रों में व्यय किया गया है ? यदि हां, तो किन-किन क्षेत्रों में व्यय किया गया है ?

स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क, पंजीयन, नागरिक सुरक्षा मंत्री (श्री दुर्गा प्रसाद यादव)-

जनपद मथुरा में प्राप्त 2 प्रतिशत विकास शुल्क का विवरण निम्नवत् है :-

वित्तीय वर्ष शुल्क	प्राप्त 2 प्रतिशत विकास
2007-08	12,1943520.00
2008-09	173865276.00
2009-10	212433697.00
2010-11	266706663.00
2011-12	336500877.00

मथुरा नगर सीमा में व्यय किया गया है, जिसमें नगर पालिका मथुरा एवं आवास विकास परिषद् की योजनाएं भी सम्मिलित है।

प्राप्त धनराशि मथुरा नगर सीमा में जिसमें नगरपालिका क्षेत्र, आवास विकास परिषद् योजनाएं एवं कोसी व वृन्दावन में व्यय किया गया है।

162-श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

[प्रदेश सरकार से असम्बद्ध होने के कारण निरस्त]

जनपद देवरिया की क्षेत्र पंचायत बैतालपुर के जनता लघु माध्यमिक विद्यालय के उप प्रबन्धक के विरुद्ध प्राप्त शिकायती-पत्र पर कार्यवाही

163-श्री जन्मेजय सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरिन्द्र राय पुत्र श्री कालिका राय, उप प्रबन्धक, जनता लघु माध्यमिक विद्यालय, क्षेत्र पंचायत बैतालपुर, जिला देवरिया के शिकायती-पत्र सहित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 11-6-12 जो उक्त विद्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त के सन्दर्भ में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

जी हां।

शिक्षा निदेशक (बेसिक) द्वारा प्रकरण की जांच हेतु मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) गोरखपुर को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है, जिस पर जांच आख्या प्रतीक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में अल्पसंख्यक समुदाय की कन्याओं हेतु अनुदान

164-श्री सुनील कुमार सिंह यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अल्पसंख्यक समुदाय की कक्षा-10 पास कन्याओं को दिये जा रहे 30 हजार (तीस हजार) रुपये अनुदान की भांति अन्य वर्गों की 10वीं0 पास कन्याओं को भी 30 हजार रुपये अनुदान देने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां। ''पढ़े बेटियां बढ़े बेटियां'' योजना संचालित की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश की प्रत्येक गांव पंचायत में क्रीड़ाश्री मानदेय के आधार पर नियुक्ति का प्रावधान

165-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

क्या युवा कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेश की प्रत्येक गांव पंचायत में युवा खिलाड़ियों के प्रोत्साहनार्थ युवा क्रीड़ा एवं खेल अभियान योजनान्तर्गत 'क्रीड़ाश्री' की नियुक्ति की गई है ? यदि हां, तो क्रीड़ाश्री को कितना मानदेय भुगतान किया जा रहा है तथा क्रीड़ाश्री की नियुक्ति के लिए कितनी योग्यता निर्धारित है ?

श्री राम करन आर्य-

भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार के संयुक्त तत्वाधान में 4600 की आबादी के राजकीय मानक के आधार पर प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर एवं क्षेत्र पंचायत स्तर पर एक-एक पायका केन्द्र का विकास किया जाना है। प्रत्येक पायका केन्द्र हेतु एक क्रीड़ाश्री की नियुक्ति का प्रावधान है।

भारत सरकार के निर्देशानुसार ग्राम पंचायत स्तर पर रु0 500-00 एवं क्षेत्र पंचायत स्तर पर रु0 1000-00 प्रतिमाह की दर से क्रीड़ाश्री को मानदेय अनुमन्य है। क्रीड़श्री की तैनाती हेतु निम्न व्यवस्था की गयी है :-

क्रीड़ाश्री के चयन में राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी, राज्य स्तर के खिलाड़ी, भूतपूर्व सैनिक (इनकी आयु की गणना 40 वर्ष + सैन्य सेवावधि को जोड़कर की जायेगी) शारीरिक शिक्षा अनुदेशक एवं एन0आई0एस0 पटियाला के डिग्री/डिप्लोमा धारकों को वरीयता दी जायेगी।

सक्रिय खिलाड़ी का न्यूनतम स्तर जनपद स्तर का मान्यता प्राप्त सक्रिय खिलाड़ी हो।

प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में बिजली की व्यवस्था कराये जाने की मांग

166-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित कितने स्कूलों में बिजली की सुविधा नहीं है ? क्या सरकार उक्त स्कूलों को सरकार ऊर्जीकृत करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

प्रदेश के 63,282 परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बिजली की सुविधा नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कौशाम्बी में जिला योजना की बैठक सम्बन्धी जानकारी

167-श्री केशव प्रसाद (कुशवाहा) मौर्य-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कौशाम्बी जिला योजना समिति की प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 01 सितम्बर, 2012 को की गयी बैठक में अधिकृत सदस्यों के अलावा राजनैतिक पदाधिकारियों को भी शामिल किया गया जो योजना समिति सदस्य नहीं हैं ? यदि हां, तो इसका औचित्य क्या है एवं इसके लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के गांवों के चयन में क्षेत्रीय विधायकों की भूमिका

168-श्री केशव प्रसाद (कुशवाहा) मौर्य-

क्या समग्र ग्राम विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना में गांवों के चयन का काम जनपदों के प्रभारी मंत्री द्वारा किया जायेगा ? यदि हां, तो क्षेत्रीय विधायकों की ग्रामों, के चयन में क्या भूमिका होगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम करन आर्य-

जी हां।

शासनादेश दिनांक 13-09-2012 द्वारा योजनान्तर्गत ग्रामों के चयन का अधिकार जनपद के मा0 प्रभारी मंत्री जी को दिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद हापुड़ के गांवों में संचालित प्रा0 विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति की मांग

169-श्री गजराज सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हापुड़ के हापुड़ ब्लाक में प्राइमरी तथा जूनियर हाई स्कूल किन-किन गांवों में संचालित हैं तथा प्रत्येक स्कूल में छात्र व छात्राओं की संख्या के अनुपात में अध्यापक हैं ? यदि नहीं, तो उक्त स्कूलों में रिक्त पदों की पूर्ति कब तक कर दी जायेगी ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

ब्लाक हापुड़ के 112 गांवों में 135 प्राथमिक विद्यालय संचालित हैं, जिनमें 14004 छात्र/छात्रा अध्ययनरत हैं तथा इनमें 335 अध्यापक कार्यरत हैं तथा इस ब्लाक के 62 गांवों में पूर्व माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं, जिनमें 3908 छात्र/छात्रा अध्ययनरत हैं तथा 177 अध्यापक कार्यरत हैं।

प्रत्येक विद्यालय में छात्र/छात्राओं की संख्या के अनुपात में अध्यापक कार्यरत नहीं है।

नियुक्ति एवं पदोन्नति सतत् चलने वाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा सभी विद्यालयों में रिक्त पदों की पूर्ति यथाशीघ्र कर दी जायेगी।

प्रदेश के सहायता प्राप्त एवं राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षक की नियुक्ति किये जाने की मांग

170-श्री गंगा सिंह कुशवाहा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के कितने सहायता प्राप्त एवं राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा संचालित है ? क्या उक्त विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति की गयी है ? यदि हां, तो क्या उन्हें नियमित मानदेय मिल रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

प्रदेश में केन्द्र पुरोनिधानित सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आई0सी0टी0) योजना के अन्तर्गत 4000 सहायता प्राप्त एवं राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर एवं कम्प्यूटर सहायतित शिक्षा संचालित है।

उक्त विद्यालयों में अनुबन्ध-पत्र की शर्तों के अनुसार चयनित एजेन्सी द्वारा कम्प्यूटर अनुदेशकों को रखा गया है।

अनुबन्ध-पत्र की शर्तों के अनुसार चयनित एजेन्सी द्वारा कम्प्यूटर अनुदेशकों को मानदेय दिया जाना एजेन्सी की जिम्मेदारी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के वित्त पोषित मा0 विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के विनियमितीकरण का विचाराधीन प्रकरण

171-श्री गंगा सिंह कुशवाहा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के वित्तपोषित माध्यमिक विद्यालयों में कितने तदर्थ शिक्षक कार्यरत हैं ? क्या उन्हें विनियमित करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

सूचना एकत्र की जा रही है।

वित्त पोषित माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत तदर्थ शिक्षकों के विनियमितीकरण का प्रकरण शासन स्तर पर विचाराधीन है।

उक्तवत्।

प्रदेश के कतिपय जनपदों में निर्माणाधीन ग्रामीण स्टेडियम हेतु स्वीकृत धनराशि

172-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या युवा कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किन-किन जनपदों में ग्रामीण स्टेडियमों का कार्य निर्माणाधीन है ? क्या सरकार इनका निर्माण कार्य पूरा करने के लिए वित्तीय वर्ष 2012-13 में वित्तीय स्वीकृति प्रदान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम करन आर्य-

जनपद क्रमशः अम्बेडकर नगर, जौनपुर, आजमगढ़, बहराइच, बाराबंकी, फिरोजाबाद, कौशाम्बी, गाजीपुर एवं बलिया में ग्रामीण स्टेडियम निर्माणाधीन हैं।

जनपद आजमगढ़ के ग्राम चिउटहरा लौहरा स्टेडियम एवं जनपद कौशाम्बी के ग्राम गिरिछा स्टेडियम के अवशेष निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2012-13 में धनराशि प्राविधानित हैं। जनपद अम्बेडकरनगर के फतेहपुर, आलापुर स्टेडियम को छोड़कर शेष जनपदों के स्टेडियम के निर्माण कार्य को पूर्ण करने हेतु पूर्व में धनराशि उपलब्ध करायी जा चुकी है।

जनपद अम्बेडकरनगर के फतेहपुर आलापुर स्टेडियम की भूमि विवादित होने के कारण कार्य बाधित है।

प्रदेश में फर्जी बोर्डों द्वारा स्कूलों को मान्यता का कथित प्रकरण

173-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में फर्जी बोर्डों द्वारा माध्यमिक/हाई स्कूलों को मान्यता दिये जाने के मामले प्रकाश में आये हैं ? यदि हां, तो ऐसे कितने फर्जी बोर्डों की पहचान की गयी है एवं क्या सरकार इनके विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उक्तवत्।

उक्तवत्।

प्रदेश में होमगार्डों की संख्या एवं उनके नियमितीकरण की मांग

174-श्री केशव प्रसाद (कुशवाहा) मौर्य-

क्या होमगार्ड्स मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कुल कितने होमगार्ड्स हैं और उनसे वर्ष में कितने दिन तक कार्य कराया जाता है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि इनकी सेवा और उपलब्धता को देखते हुए उन्हें नियमित करने की योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्माशंकर त्रिपाठी-

प्रदेश में सम्प्रति 1,10,369 होमगार्ड्स स्वयंसेवक हैं।

कानून एवं व्यवस्था, कारागारों की सुरक्षा तथा विभिन्न सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में आवश्यकता एवं मांग के आधार पर होमगार्ड्स स्वयंसेवकों की रोस्टर से ड्यूटी लगायी जाती है।

होमगार्ड्स स्वयंसेवकों के नियमितीकरण पर विचार करने हेतु वर्ष 1995 में मुख्य सचिव, उ0 प्र0 की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा विचार किया गया था। समिति द्वारा स्वयंसेवकों को नियमित किया जाना औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया। उल्लेखनीय है कि होमगार्ड्स संगठन पर होने वाले व्यय की आंशिक प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। यदि इन्हें नियमित किया जाता है तो प्रतिपूर्ति की धनराशि प्रदेश सरकार को प्राप्त नहीं हो सकेगी।

प्रदेश के वित्तविहीन मान्यता प्राप्त मा0 विद्यालयों में सृजित पद के सापेक्ष अध्यापकों को मानदेय देने की मांग

175-श्री गंगा सिंह कुशवाहा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के वित्तविहीन मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में सृजित पद के सापेक्ष जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा अनुमोदित कितने शिक्षक कार्यरत हैं ? क्या सरकार उन अध्यापकों को मानदेय देने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

प्रदेश के वित्तविहीन मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में सृजित पद के सापेक्ष एवं जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा अनुमोदित कोई शिक्षक कार्यरत नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र फाजिलनगर में मुसहर जाति की जनसंख्या तथा सर्वशिक्षा योजनान्तर्गत उन्हें विद्यालय लाने की कार्य योजना की जानकारी

176-श्री गंगा सिंह कुशवाहा-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र फाजिलनगर, जनपद कुशीनगर में मुसहर जाति की जनसंख्या कितनी है तथा इनमें छः से चौदह वर्ष तक के बच्चों की संख्या कितनी है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि इसमें से कितने प्रतिशत बच्चे सर्वशिक्षा योजना के अन्तर्गत विद्यालय जाते हैं ? क्या सरकार विद्यालय जाने से वंचित बच्चों को सर्वशिक्षा योजना के

तहत विद्यालय लाने हेतु कोई कार्य योजना बनायेगी ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

विकास क्षेत्र फाजिलनगर जनपद कुशीनगर में मुसहर जाति की कुल जनसंख्या 2295 है तथा इसमें 6-14 आयु वर्ग के बच्चों की संख्या 670 है।

लगभग सभी बच्चे नजदीकी प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नामांकित हैं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

विकास क्षेत्र फाजिलनगर, जनपद कुशीनगर में मुसहर जाति के लगभग सभी बच्चे नामांकित हैं। इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि विद्यालय न जाने वाले बच्चों के लिए सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत विशेष प्रशिक्षण की योजना है।

प्रदेश में चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती में रोक सम्बन्धी शासनादेश को समाप्त करने की मांग

177-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 08 दिसम्बर, 2010 द्वारा समस्त विभागों में चतुर्थ श्रेणी के पदों की भर्ती पर रोक लगाई गई है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि इस शासनादेश से माध्यमिक शिक्षा विभाग सबसे अधिक प्रभावित है ? यदि हां, तो क्या सरकार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के सेवानिवृत्त हो जाने से हुई रिक्तियों की पूर्ति हेतु कथित शासनादेश को समाप्त कर माध्यमिक शिक्षा विभाग में नियुक्तियां करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

शासनादेश सं0-वे0आ0-2-2052/दस-59 (एम)/2008, दिनांक 08 सितम्बर, 2010 में यह प्राविधान किया गया है कि भविष्य में चतुर्थ श्रेणी के किसी भी पद (कनिष्ठ वर्ग के प्राविधिक पदों को छोड़कर) पर नियुक्ति नहीं की जायेगी तथा चतुर्थ श्रेणी के रिक्त होने वाले पदों के सम्बन्ध में केवल आउट सोर्सिंग के माध्यम से व्यवस्था की जायेगी। इसी क्रम में निर्गत शासनादेश सं0-वे0आ0-2-3226/दस-59 (एम)/2008, दिनांक 04 जनवरी, 2011 द्वारा यह शिथिलता दी गयी है कि ''उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974'' के अन्तर्गत समूह 'घ' के पदों पर की जाने वाली नियुक्ति पर उक्त व्यवस्था लागू नहीं होगी।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश के प्राइमरी विद्यालयों में बाउन्ड्रीवाल बनाये जाने की मांग

178-श्री विजय बहादुर यादव-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के प्राइमरी विद्यालयों में बाउन्ड्रीवाल बनाये जाने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो जनपद गोरखपुर के ब्लाक खोराबार व

पिपरौली के अन्तर्गत किन-किन प्राथमिक विद्यालयों में बाउन्ड्रीवाल बनाये जाने की योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

जी हां।

ब्लाक खोराबार व पिपरौली के अन्तर्गत निम्नांकित विद्यालयों में बाउन्ड्रीवाल बनाये जाने की योजना है :-

खोराबाद

1-प्राथमिक विद्यालय सिक्टौर

2-प्राथमिक विद्यालय पटपर

पिपरौली

1-प्राथमिक विद्यालय कालेसर

2-प्राथमिक विद्यालय टोटहा

3-प्राथमिक विद्यालय कलानी बुजुर्ग

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक भावलखेड़ा के ग्राम दियुरिया में बच्चों को मिड-डे-मील की व्यवस्था

179-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक भावलखेड़ा के ग्राम दियुरिया में मिड-डे-मील की योजना बन्द है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार की जानकारी में है कि उक्त पिछले 6 माह से प्राइमरी व जूनियर स्कूल में प्रधानाध्यापिका की वजह से बच्चों के लिए खाना नहीं बन रहा है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? क्या सरकार उक्त स्कूल में खाना बनवाना सुनिश्चित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

जी नहीं।

प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक दोनों विद्यालयों में भोजन न बनने के लिए जिम्मेदार प्रधानाध्यापिका न होकर ग्राम प्रधान हैं क्योंकि वह मध्याह्न भोजन निधि से संयुक्त खातेदार हैं और ग्राम प्रधान के हस्ताक्षर के बिना खाते से धन आहरित नहीं हो सकता है। ग्राम प्रधान द्वारा चेकों पर हस्ताक्षर नहीं किये जा रहे थे इसलिए धन प्राप्त न होने के कारण दोनों विद्यालयों में मध्याह्न भोजन नहीं बन रहा था। इस सम्बन्ध में खण्ड शिक्षा अधिकारी भावलखेड़ा, शाहजहांपुर के पत्र दिनांक 08-08-2012 द्वारा ग्राम प्रधान से मध्याह्न भोजन योजना के संचालन में सहयोग करने हेतु अनुरोध किया गया। प्राप्त आख्यानुसार वर्तमान में प्रश्नगत दोनों विद्यालयों में मध्याह्न भोजन का वितरण दिनांक 09-10-2012 से नियमित रूप से हो रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

उक्त विद्यालयों में दिनांक 09-10-2102 से मध्याह्न भोजन का वितरण नियमित रूप से हो रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सोनभद्र के कतिपय विकास खण्डों में शिक्षक विहीन विद्यालयों की संख्या एवं शिक्षक की तैनाती की लक्ष्य

180-श्री सुनील कुमार सिंह यादव-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र के विकास खण्ड चोपन, राबर्ट्सगंज तथा म्योरपुर के अन्तर्गत कौन-कौन से प्राथमिक विद्यालय शिक्षक विहीन, एकल शिक्षक एवं मात्र शिक्षामित्र के द्वारा संचालित हैं ? इनमें से कितने विद्यालय भवन विहीन हैं ? क्या सरकार उक्त विद्यालयों में मानक के अनुरूप शिक्षकों की तैनाती करते हुए भवन विहीन विद्यालयों को भवन उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

जनपद सोनभद्र के विकास खण्ड-चोपन, राबर्ट्सगंज व म्योरपुर में क्रमशः 309, 49 तथा 137 विद्यालय शिक्षक विहीन हैं, जिनका संचालन अन्य विद्यालयों के शिक्षक/शिक्षा मित्रों द्वारा कराया जा रहा है। क्रमशः 136, 153 तथा 76 विद्यालय एकल अध्यापकीय हैं तथा क्रमशः 86, 66 तथा 31 विद्यालय मात्र शिक्षा मित्रों के द्वारा संचालित हैं।

जनपद का कोई भी विद्यालय भवनहीन नहीं है।

जी हां। विद्यालयों में मानक के अनुरूप शिक्षकों की तैनाती नियमानुसार की जायेगी। जनपद का कोई भी विद्यालय भवनहीन नहीं है।

यथाशीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सोनभद्र में समेकित विकास सेवा की मानीटरिंग समीक्षा समिति का गठन करने की मांग

181-श्री सुनील कुमार सिंह यादव-

क्या बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र में समेकित विकास सेवा की मॉनीटरिंग हेतु जिला स्तरीय, ब्लाक स्तरीय, आंगनबाड़ी स्तरीय मॉनीटरिंग एवं समीक्षा समिति का गठन हुआ है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इन समितियों का गठन करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सहारनपुर के अनेकों विकास खण्डों में घोषित डार्क जोन में पेयजल समस्याओं का समाधान

182-श्री महावीर सिंह राणा-

क्या लघु सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सहारनपुर, गंगा व जमुना दो नदियों के बीच में स्थित है, परन्तु गलत सर्वे के आधार पर जिले के आठ विकास खण्डों-मुजफ्फराबाद, सड़ाली, कदीम आदि क्षेत्रों को डार्क जोन घोषित कर दिया गया है ? क्या उक्त के कारण क्षेत्रीय किसानों को पेयजल एवं सिंचाई हेतु अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनपद का पुनः सर्वे कराकर किसानों की सिंचाई एवं पेयजल की समस्याओं का समाधान करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री पारस नाथ यादव-

जी नहीं।

जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गठित भूजल आकलन समिति 1997 के निर्धारित मानक/संस्तुतियों के अन्तर्गत विकास खण्डों को डार्क श्रेणी में वर्गीकृत किये जाने की प्रक्रिया को परिवर्तित कर विकास खण्डों को वर्तमान में भू-जल उपलब्धता, विकास दर एवं भू-जल स्तर में गिरावट की स्थिति के आधार पर अतिदोहित, क्रिटिकल, सेमीक्रिटिकल तथा सुरक्षित श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। इसी आधार पर जनपद सहारनपुर के आठ विकास खण्डों को भू-जल की दृष्टि से अतिदोहित श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है।

क्षेत्रीय किसानों को पेयजल एवं सिंचाई हेतु अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करने सम्बन्धी कोई भी सूचना विभाग के पास उपलब्ध नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चित्रकूट के ब्लाक मानिकपुर के प्रा0 विद्यालय भवन के निर्माण में अनियमितता विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

183-श्री अली यूसुफ अली-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आयुक्त, चित्रकूट धाम मण्डल बांदा को सम्बोधित चन्द्रभान सिंह पटेल, विधायक का पत्र दिनांक 15-6-12 जो प्राथमिक विद्यालय चमरोहा ब्लाक मानिकपुर, जिला चित्रकूट में विद्यालय भवन के निर्माण में अनियमितता किये जाने के सम्बन्ध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र में वर्णित मुख्य बिन्दुओं पर सरकार द्वारा जांचोपरान्त अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

जी हां।

संयुक्त विकास आयुक्त, चित्रकूटधाम मण्डल द्वारा अपने पत्रांक 150/शि0का0/2012-13 दिनांक 19-7-2012 द्वारा जिलाधिकारी, चित्रकूट को संदर्भित प्रकरण की जांच अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग से कराये जाने के निर्देश दिये हैं। जांच आख्या के आधार पर अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत गरीब बच्चों को छात्रवृत्ति हेतु बैंकों में एकाउन्ट खोलने का मामला

184-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत शिक्षा प्रदान करने के लिए झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले गरीब बच्चों को आवासीय प्रमाण-पत्रों के अभाव में उनके बैंक खाते नहीं खुल पाने से उन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रही है ? क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा छात्रवृत्ति सीधे एकाउन्ट में दिये जाने का प्राविधान है ? यदि हां, तो क्या सरकार इन बच्चों को छात्रवृत्ति देने के लिए बैंकों में एकाउन्ट खोलने के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले गरीब बच्चों के लिए कोई छात्रवृत्ति योजना संचालित नहीं है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रदेश के होमगार्ड्स को पुलिस विभाग की तरह स्थाई सेवा में किये जाने की मांग

185-श्री राजेश त्रिपाठी-

क्या होमगार्ड्स मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भारत के अनुच्छेद-14 के तहत उ0 प्र0 के होमगार्ड्स को पुलिस विभाग की तरह स्थायी सेवा में लेने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी-

जी नहीं।

होमगार्ड्स स्वयंसेवकों के नियमितीकरण पर विचार करने हेतु वर्ष 1995 में मुख्य सचिव, उ0 प्र0 की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा विचार किया गया था। समिति द्वारा स्वयंसेवकों को नियमित किया जाना औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया। उल्लेखनीय है कि होमगार्ड्स संगठन पर होने वाले व्यय की आंशिक प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। यदि इन्हें नियमित किया जाता है तो प्रतिपूर्ति की धनराशि प्रदेश सरकार को प्राप्त नहीं हो सकेगी।

जनपद सिद्धार्थनगर के रामजानकी इण्टर कालेज गिरधरपुर कुननाई में लिखित मानक से अधिक कर्मचारियों के वेतन का मामला

186-श्री राजेश त्रिपाठी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रामजानकी इण्टर कालेज, गिरधरपुर कुननाई, जनपद सिद्धार्थनगर में वर्ष 1980 की सूची में केवल 8 कर्मचारी अंकित होने के बावजूद 39 कर्मचारियों को वर्ष 1977 से तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा वेतन दिया गया ? यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रकरण की जांच करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

जी हां। मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, बस्ती को जांच के आदेश दे दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के नरहेजी महाविद्यालय नरही रसड़ा में फर्जी तरीके से मान्यता लेने विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

187-श्री उमाशंकर सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नरहेजी महाविद्यालय, नरही, रसड़ा बलिया द्वारा फर्जी तरीके से मान्यता लेने के खिलाफ कार्यवाही करने विषयक जिलाधिकारी, बलिया के पत्र

सं0-265, दिनांक 6 जून, 2011 स्मरण-पत्र सं0-120 अ0ले0-अ0जि0-शिक्षा, दिनांक 7 मई, 2012 विशेष सचिव, उ0 प्र0 शासन शिक्षा अनुभाग-11 लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त महाविद्यालय के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

जी हां।

श्री नरहेजी महाविद्यालय, नरही, रसड़ा, बलिया को मा0 उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-3006/2011 में पारित निर्णय दिनांक 20-01-2011 के अनुपालन में बी0टी0सी0 पाठ्यक्रम संचालन हेतु वर्ष 2011-12 के लिए सम्बद्धता प्रदान की गयी। महाविद्यालय को प्रदान की गयी सम्बद्धता के परिप्रेक्ष्य में प्रश्नगत महाविद्यालय के भू-स्वामित्व के संदर्भ में शासन द्वारा प्रकरण मण्डलायुक्त, आजमगढ़ को जांच कराकर स्पष्ट-सुसंगत अभिलेखीय आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु संदर्भित किया गया है। रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त ही वर्ष 2102-13 के बी0टी0सी0 पाठ्यक्रम संचालन हेतु सम्बद्धता प्रदान करने पर विचार किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अलीगढ़ के हिन्द एग्रो इण्डस्ट्रीज की स्थापना एवं निगम के बन्द करने के सम्बन्ध में जानकारी

188-श्री दलवीर सिंह-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ में वर्ष 1993 में संयुक्त उद्यम ''हिन्द एग्रो इण्डस्ट्रीज'' की स्थापना की गई थी ? यदि हां, तो इस हिन्द एग्रो इण्डस्ट्रीज की स्थापना से 5 वर्ष के अन्दर ही किन परिस्थितियों में सी0डी0एफ0 को बन्द कर दिया गया ?

श्री पारस नाथ यादव-

जी हां।

जनपद अलीगढ़ में सी0डी0एफ0 परिसर में वर्ष 1993 में संयुक्त उद्यम हिन्द एग्रो इण्डस्ट्रीज लिमिटेड की स्थापना की गई थी। शासनादेश सं0-29-3(32)/73-12, दिनांक 14 मई, 1975 के द्वारा उ0 प्र0 पशुधन उद्योग निगम लिमिटेड की स्थापना की गई तथा 15 मई, 1975 से दुग्धशाला प्रक्षेत्र अलीगढ़ का प्रबन्धन उ0 प्र0 पशुधन उद्योग निगम लि0 को सौंपा गया। निगम के कार्यकलापों की समीक्षा एवं निगम की वित्तीय स्थिति पर सम्यक् विचारोपरान्त मा0 मंत्रि-परिषद् द्वारा निगम को बन्द करने का निर्णय लिया गया। तत्क्रम में शासनादेश दिनांक 31 दिसम्बर, 1998 द्वारा निगम को बन्द कर दिया गया है।

प्रदेश में कुपोषण की समस्या के समाधान हेतु राज्य पोषण मिशन प्रारम्भ किये जाने की कार्यवाही

189-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कुपोषण का प्रभाव लगभग 75 प्रतिशत है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसमें कमी लाने/समाप्त करने हेतु न्यूट्रिशन मिशन योजना लागू करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे (NHFS-3) (2005-06) के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य के बच्चों में कुपोषण का औसत प्रतिशत 41.6 पाया गया।

कुपोषण की समस्या के प्रभावी समाधान हेतु राज्य सरकार द्वारा राज्य पोषण मिशन प्रारम्भ किये जाने की कार्यवाही विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में टेबलेट, पी0सी0 एवं लैपटाप क्रय हेतु ग्लोबल टेण्डर की प्रक्रिया

190-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश सरकार ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर, भारतीय प्रबन्ध संस्थान, लखनऊ, यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन, उ0प्र0, लखनऊ, डेवलपमेंट सिस्टम कारपोरेशन (यू0पी0 डेस्को) एवं नेशनल इन्फारमेटिक सेन्टर (एन0आई0सी0) सहित मात्र पांच संस्थाओं को ही टेबलेट पी0सी0 एवं लैपटाप क्रय करने हेतु नामित किया गया है ? यदि हां, तो क्या इन्हें बाजार मूल्य पर ही टेबलेट पी0सी0 एवं लैपटाप क्रय करने हेतु प्रतिबन्धित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं। केवल यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को क्रय करने हेतु नामित किया गया है।

जी नहीं। टेबलेट, पी0सी0 एवं लैपटाप के क्रय हेतु ग्लोबल टेण्डर किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

12.20 बजे प्रश्नों का समय बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

कहिए।

*श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, आज कार्य-सूची में मेरा तारांकित प्रश्न संख्या-4 लगा था, जो सहकारिता विभाग से सम्बन्धित था, प्रश्न संख्या-4 मान्यवर। मान्यवर, यह आप देख लें कि इसको 13वें बुधवार के लिए तारांकित प्रश्न संख्या-1 के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया जा रहा है। अब आप यह देखिए कि दूसरा प्रश्न-6 भी मेरा था, उसमें भी मेरे हस्ताक्षर थे, वह तारांकित प्रश्न संख्या-12 था, वह भी सहकारिता से सम्बन्धित था, उसको भी स्थगित कर दिया गया है। मान्यवर, इस बार 3 अल्पसूचित प्रश्न मेरे स्वीकार हुए प्रश्न संख्या-107, 111 और 153 ये इसी सत्र के लिए द्वितीय सत्र के लिए 2012 में स्वीकार हुए मान्यवर। अगर आज की कार्य-सूची देख लें मान्यवर, कि कोई भी अल्पसूचित प्रश्न आपकी कार्य-सूची में नहीं दिया। एक तरफ तो यह स्वीकार किया जाता है कि अल्पसूचित प्रश्न आपका स्वीकार है और दूसरी तरफ इस कार्य-सूची में अल्पसूचित प्रश्न का जिक्र न होना मान्यवर, यह अपने आपमें एक विरोधाभास है। मान्यवर, मेरी तीसरी और अन्तिम बात यह है कि 20 प्रश्न तारांकित नियमावली में भी है और परम्परा भी यही रही है, लेकिन होता यह है कि बीसों प्रश्नों पर

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सप्लीमेंटरी हो नहीं पाती है। मान्यवर, जागरूकता बढ़ी है, लोगों ने विधान सभा की कार्यवाही में रुचि लेना शुरू कर दिया है, तो मेरा मान्यवर, अनुरोध यह है कि अगर इसके लिए 10-15 मिनट का समय बढ़ा दिया जाए तो यह ज्यादा उचित होगा। क्योंकि प्रश्न अगर लगता है और तारांकित रूप में उसको स्वीकार किया जाता है, कार्य-सूची में प्रश्न आता है और उस पर यदि हम सप्लीमेंटरी न पूछ पाएं तो यह भी हमारे अधिकारों का हनन है। इसलिए यह तीन बातें हमने आपके संज्ञान में लाई हैं और इस पर हम आपकी व्यवस्था चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष-

यह जो प्रश्न स्थानान्तरित हुआ है और क्यों स्थानान्तरित नहीं हुआ है, इसका अभी हम आपको बताते हैं, क्योंकि यह सदन 4-5 दिन का है और यह जो सवाल स्वीकृत हुए थे, लम्बे समय के लिए स्वीकृत हुए थे। विधान सभा में जब प्रश्न स्वीकृत होते हैं लम्बे समय के लिए और तत्काल इसका जवाब सम्भव नहीं हो पा रहा था, अगर हाऊस और लम्बा चलता तो आपका अल्पसूचित आ जाता किसी न किसी दिन, इसलिए नहीं आया होगा। इस पर अभी श्री बाजपेयी जी का नियम-300 है। आप जो कह रहे हैं अभी हम इसको अपने स्तर से दिखवा लेंगे और आपने जो सुझाव दिया है उस पर नियम समिति में बात करेंगे कि इसमें क्या किया जा सकता है ?

*श्री सतीश महाना-

मान्यवर, इसी से सम्बन्धित है। मा0 सदस्य, बड़े वरिष्ठ सदस्य हैं, उन्होंने अपनी बात कही। मान्यवर, जैसे आपने इसमें व्यवस्था दी कि बहुत लम्बे समय के लिए सत्र होता है, उसको बाद में ध्यान में रखते हुए ऐसा किया गया होगा। मान्यवर, आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, बहुत पहले से इस विधान सभा में हैं, आपके ध्यान में हैं कि कभी किसी एक सत्र में तेरहवां बुधवार भी आया हो। मान्यवर, तेरहवां बुधवार आने का मतलब है कि चार महीने तक लगातार सत्र चले और मान्यवर, 13वां बुधवार क्या कभी आपके ध्यान में आया हो या कभी संसदीय परम्परा में आपकी जानकारी में हो तो बता दें। तेरहवां बुधवार भी किसी एक सत्र में कभी आता है क्या ?

श्री अध्यक्ष-

जो कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश थी, उसमें यह था कि यह अनुपूरक बजट पास कराया जाए इसके बाद फिर और मद लिए जाएं, फिर उसके बाद विधेयक हो, फिर उसके बाद कार्य-स्थगन हो, कल जो पास हुआ था, वह इतना ही हुआ था। इसलिए उस आधार पर अब यह बजट प्रस्तुत करते हैं। अभी बाजपेयी जी इसके बाद आपका आएगा, पहले यह पास हो जाए।

वित्तीय वर्ष 2012-2013 के अनुपूरक अनुदानों की मांग पर चर्चा एवं मतदान

श्री अध्यक्ष-

मा0 हुकुम सिंह जी अनुपूरक मांगों पर आप चर्चा चाहते हैं या पास कराना चाहते हैं।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं कुछ कहना चाहता हूं। मान्यवर, बहुत संक्षेप में मैं अपनी बात कहूंगा। अनुपूरक लाना यह संसदीय परम्परा में हमेशा होता आया है। हमारे यहां संसदीय लोकतंत्र है जो मदें बजट में नहीं आ पाई, खर्चा कम रह गया या कोई ऐसी बहुत आवश्यक मद आ गयी तो उसके लिये अनुपूरक

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

होता है। अगर आप मान्यवर, एक दृष्टि डालें, जो यह अनुपूरक आया है, माननीय सदस्यगण भी इसको गम्भीरता से जरा देख लें तो 2012-13 के लिये अनुपूरक अनुदान, यह लगभग 6 हजार करोड़ रुपये का अनुपूरक अनुदान आया है और विभिन्न मदें इसमें आई हैं। एक तो मेरी शिकायत यह है कि अनुपूरक कुछ विशेष जनपदों तक सीमित होकर रह गया। मान्यवर, मैं उदाहरण जरूर देना चाहूंगा उसका ताकि माननीय सदस्यगण देख सकें। मैं पहली मद से ही शुरू करता हूं। संसदीय कार्य मंत्री जी बैठें हैं, उन्होंने पावरलूम बुनकरों के विद्युत बिलों को माफ करने के लिये 50 हजार करोड़ धनराशि की अतिरिक्त आवश्यकता बताई है, सात महीने पहले भी सरकार की तरफ से यह घोषणा हुयी थी कि जितने पावरलूम लगे हुए हैं उनके विद्युत कनेक्शनों के बिल माफ कर दिये जायेंगे। इन सात महीनों में जितने भी बुनकर लोग थे मेरे पास में कम से कम सैकड़ों लोग आये होंगे, बराबर विभाग का दबाव उन पर बनता गया जिसने बिल रोक दिया, उसका कनेक्शन कट गया, पुलिस में एफ0आई0आर0 दर्ज हो गयी। सात महीने तक उनका उत्पीड़न होता रहा, घोषणायें आपकी चुनाव में भी थी और उसके बाद भी थीं, बजट सत्र में भी थी, आखिर उन बुनकरों के साथ सात महीने तक जो अत्याचार होता रहा, उसकी प्रतिपूर्ति क्या इस अनुपूरक से हो पायेगी। इसलिये खाली घोषणाओं के अनुरूप बिन्दु आते रहें और जनता को एक तरह से धोखे में रखा जाये, यह क्या उचित है मान्यवर। आज अगर आप इसका सर्वेक्षण करा लें कि कितने बुनकरों के बिजली कनेक्शन कटे, कितने बुनकरों के खिलाफ एफ0आई0आर0 दर्ज हुयी, उसकी प्रतिपूर्ति कहां से करेंगे आप। अगर उसको बन्द होना पड़ा और जमानत करानी पड़ी तो क्या उसकी भरपाई इस अनुपूरक से हो जायेगी। मान्यवर, मेरा आपसे आग्रह यह है कि अब कहें इस बात को और सोच समझकर कहें, इसमें लाखों बुनकर प्रभावित हुए हैं और उनका सात महीने तक उत्पीड़न हुआ और आज आप अनुपूरक ला रहे हैं, आपने पहले इसकी व्यवस्था क्यों नहीं की। मान्यवर, आगे चलें थोड़ा सा, जैसा मैंने कहा कि मुझे शिकायत है, खूब इटावा में विकास हो, सैफई में खूब विकास हो, कन्नौज में खूब विकास हो लेकिन 75 जिलों का यह प्रदेश बन गया है और 75 जिलों के प्रदेश में आपको केवल तीन-चार जिले की याद रह गये क्या। जो मंत्री बनता है वह अपने जिले को याद कर लेता है। कृषि प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर कृषि अभियंत्रण कार्य हेतु एक करोड़ की आवश्यकता आपने रखी है। आपने केवल एक छोटी सी संस्था के लिये एक करोड़ की आवश्यकता दिखा दी। आगे चलें, इसी तरह से मान्यवर, एक जनपद में आपने दुग्धशाला लगाई, यह किसानों के लिये अच्छी बात है। कहां पर लगी, जहां के मंत्री हैं, वह जिला आ गया ताकि कोई शिकायत न कर सकें। उसकी शिकायत के साथ स्थापना हेतु इसमें कन्नौज को शामिल कर लिया। जहां दूध पैदा होता है, वहां कुछ नहीं। सारा का सारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश रह गया, पूर्वांचल रह गया और आप केवल दो जिलों तक सीमित होकर रह गये। आजमगढ़ से दुग्ध विकास मंत्री आते हैं, कन्नौज के बिना आपका गुजारा नहीं होने का। मान्यवर, यह शिकायत ऐसी है कि अब तो कुछ परिवर्तन होना चाहिये। मान्यवर, आगे देखें जनपद कन्नौज में क्रिकेट स्टेडियम के लिए एक करोड़ रुपये क्या 75 जिलों में और कहीं जरूरत नहीं है। मान्यवर, मैं बहुत अच्छा उदाहरण दे रहा हूं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुश्ती, वेट लिफ्टिंग, कबड्डी, वालीबाल, बास्केट बाल, बाक्सिंग खेलों हेतु अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं के लिए दो करोड़ रुपया और उसके नीचे ही सैफई में खेलों की सुविधाओं के लिए 25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मान्यवर, एक छोटा सा गांव है वहां खेल सुविधाओं को बढ़ाने के लिए 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था है और पूरे पश्चिमी प्रदेश में आप अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खेलों की व्यवस्था कर रहे हैं, सारी सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं 16 जिलों में

जिसकी आबादी लगभग 5 करोड़ है तो मान्यवर, 5 करोड़ की आबादी के लिए दो करोड़ रुपये की व्यवस्था है और 1600 की आबादी वाले गांव के लिए 25 करोड़ की व्यवस्था है। मान्यवर, क्या समाजवाद की यही परिभाषा है और क्या समाजवाद ऐसे ही आयेगा ?

(विपक्ष की ओर से शेम-शेम)

मान्यवर, आगे देखें रूरल इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंस, सैफई, मान्यवर, फिर सैफई आ गया, इटावा में मेडिकल इंस्टीट्यूट के लिए एक करोड़ पचास लाख रुपये की व्यवस्था, कन्नौज में पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना हेतु 50 लाख रुपये की व्यवस्था। मान्यवर, सारा बजट तो यहीं जा रहा है तो फिर यह बजट किसके लिये लाये हैं इसका नाम तो सैफई-कन्नौज बजट होना चाहिए। मान्यवर, इसके आगे देखें मेडिकल कालेज, कन्नौज में हृदय रोग अस्पताल की स्थापना हेतु 50 लाख रुपये, कैंसर अस्पताल की स्थापना हेतु 50 लाख रुपये, कुल मिलाकर मान्यवर, 1 करोड़ रुपये की व्यवस्था और मान्यवर, जहां और लोग रहते हैं उनके लिए एक पैसे की कोई व्यवस्था नहीं। मान्यवर, मुझे भी अच्छा लगता अगर मेरठ का आ जाता, मुजफ्फरनगर का आ जाता, शामली, बागपत या आगरा का आ जाता, मुरादाबाद का आ जाता, जौनपुर का आ जाता, मथुरा का आ जाता मान्यवर, कहीं का तो आता, हमारे बलिया वाले माननीय मंत्री जी बैठे हैं। मान्यवर, यदि सारे बजट को तीन-चार जिलों में केन्द्रित कर दें क्या यही न्याय है ? मान्यवर, मेरी एक शिकायत है और मेरा अनुरोध है कि इसको अन्यथा न लिया जाए। मान्यवर, समाज की एकरूपता में मेरा विश्वास है, सर्वसमाज में शान्ति बनी रहे, खुशी बनी रहे सर्वसमाज का विकास हो यह हमारे लिए खुशी की बात होगी लेकिन मान्यवर, आज आप संदेश क्या देना चाह रहे हैं, रुपये 36000 की वार्षिक आय वाले अल्पसंख्यक समुदाय के अभिभावकों की कक्षा-10 पास पुत्रियों को आगे की शिक्षा ग्रहण करने अथवा विवाह हेतु तीस हजार रुपये का अनुदान प्रदत्त किये जाने हेतु दो अरब पचास करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। मान्यवर, मैं यह पूछना चाहता हूं कि एक सामान्य वर्ग की पुत्री जो गरीब घर में पैदा हो गई, जिसके घर में केवल फेरी लगाने का काम होता है उस बेटी ने आपका क्या नुकसान किया है। मान्यवर, उस बेटी ने क्या नुकसान किया है जो ग्रामीण अंचल में हैं और जिसके परिवार के पास 10 बिस्वा जमीन नहीं है, मान्यवर, वह परिवार भी बेटी को पढ़ाना चाहता है, वह भी अपनी बेटी की शादी करना चाहता है, उस बेटी ने आपका क्या नुकसान किया है। मान्यवर, उनकी ओर भी आपका ध्यान जाए, इस देश-प्रदेश में हम सब एक हैं लेकिन केवल यह संदेश देना और बाकी लोगों से यह कहना कि तुम्हारा कोई हक नहीं बनता।

(विपक्ष की ओर से शोर)

मान्यवर, मैं इस बात का समर्थक हूं कि गरीब के साथ खड़ा होना चाहिए। डा0 लोहिया के नाम से जो संस्थाएं आप बनाना चाहते हैं तो क्या डा0 लोहिया की यही सोच थी। डा0 लोहिया इस देश में इस प्रदेश में एक सच्चा समाजवाद लाना चाहते थे। वह भेदभाव का समाजवाद नहीं लाना चाहते थे, भेदभाव की नींव सरकार रख रही है। अब आगे चालिये।

श्री अध्यक्ष-

संक्षेप करिये।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, जब आप कहेंगे मैं निश्चित रूप से बैठ जाऊंगा, केवल दो-तीन बातें कहनी हैं।

श्री अध्यक्ष-

नेता विरोधी दल आप भी कुछ बोलेंगे ? सबको अनुपूरक पर बोलना है और आज कई चर्चायें भी लगी हैं इसलिए संक्षेप करिये।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, केवल एक-दो बातें कहकर बैठ जाता हूं। लोहिया ग्राम का चयन होना है और उसके लिए आपने 10 करोड़ रुपये की आवश्यकता दर्शायी है। जबसे यह सरकार बनी है इन्होंने लोहिया ग्राम के चयन का गाना शुरू किया कि ये विकास होगा, वो विकास होगा। आज तक यह चयन प्रक्रिया निश्चित नहीं कर सके। बजट में प्राविधान पहले भी किया और अनुपूरक में भी प्राविधान ले करके आये हैं। जो मंत्री जिला योजना का प्रभारी बन करके जाते हैं अपने-अपने विवेक से वह बात कह करके आते हैं। आज कम से कम आप जब अनुपूरक बजट ले करके आये हैं तो आपको खड़े हो करके कहना चाहिए कि निष्पक्षतापूर्ण ढंग से इन बिन्दुओं के आधार पर इस मानक के आधार पर लोहिया ग्राम का चयन होगा। आपकी देख-रेख में नहीं होगा, भेदभावपूर्ण तरीके से नहीं होगा। इन्होंने एक शिगूफा छोड़ दिया, विधायक के कान में कहते हैं कि आ जाओ तुम्हें लोहिया ग्राम दे देंगे। यह कोई तरीका हुआ। मान्यवर, क्या इस तरह से सरकार चलती है ? आपको विधान सभा में अपने वह सारे मानक बताने चाहिए कि इन मानकों के आधार पर चयन होगा। जब मेरी जिला योजना की बैठक थी वहां पर कुछ बिन्दु अधिकारी बना करके लाये और उन्होंने कहा कि लोहिया ग्राम के फलां-फलां बिन्दु होंगे। ठीक है, हमारे सामने बिन्दु हैं पारदर्शिता है हम बतायेंगे कि बिन्दु सही है या नहीं सही है लेकिन उसके बाद में सन्देश जाता है कि अपने विधायकों से पूछ लेंगे उनसे पूछने की जरूरत नहीं है। अरे, आपसे भी नहीं पूछेंगे।

(भा0ज0पा0 के कई सदस्यों के बोलने पर शोर)

श्री हुकुम सिंह-

आपके ही काम की बात है, मैंने अपने काम की तो कह दी।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य शांत रहें।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, 300 करोड़ रुपये की व्यवस्था कन्या विद्या धन के लिए की गयी है। पहले यह तो देख लें कि जो योजना चल रही थी वह कहां तक सफल हुई ? यह कन्या विद्या धन योजना का मुझे पता है कि कितना दुरुपयोग हो रहा है, कहां ये पैसे जा रहे हैं ? इन दोनों बातों पर मैंने पहले भी प्रश्न किया था और आपने कृपापूर्वक एक कमेटी बना दी थी। यह जितनी भी सामाजिक कल्याण की योजनायें हैं, चाहे कन्या विद्याधन योजना हो, चाहे पिछड़े वर्ग के छात्रों की फीस प्रतिपूर्ति की योजना हो या जो बाकी बातें हैं, विकलांग पेंशन योजना हो, वृद्धावस्था पेंशन योजना हो और इस प्रकार की जितनी योजनायें हैं उनका पैसा कहां जा रहा है ? आपने पहले तो सहमति व्यक्त की थी कि हां, इस पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, हम जांच करेंगे। आज आप अनुपूरक में उसके लिए प्राविधान करने तो आ गये, आप बतायेंगे कि आपने उसमें कुछ संशोधन किया क्या ? क्या वह सही लोगों या पात्रों को मिल रही है या नहीं मिल रही है। शायद शिकायत आपके पास भी आयी होगी। मेरे पास भी आयी है। सरकार के मंत्रियों को पता है कि संस्था से ले करके जो समाज कल्याण अधिकारी हैं उन तक

यहां के बारे में मैं कहने की स्थिति में नहीं हूं। लेकिन सारा पैसा उन तक सीमित हो करके रह जाता है वह छात्र केवल अपने आय प्रमाण-पत्र के बनवाने के लिए तड़पते घूमते हैं। दो-दो, ढाई-ढाई हजार रुपये दे करके उनको आय प्रमाण-पत्र मिलता है उसके बावजूद जब पैसा सरकार से जाता है तो पैसा बीच में रह जाता है तो इन अनुपूरक का फायदा क्या हुआ ? आप 300 करोड़ की योजना ले आये, 300 करोड़ रुपये में 30 रुपये भी उनके पास जायेंगे या नहीं हमको यह सुनिश्चित करना है।

श्री अध्यक्ष-

अब खत्म करिये।

श्री हुकुम सिंह-

ठीक है, मान्यवर, मैं खत्म कर रहा हूं। जब आपने कह दिया तो मैं अब खत्म कर रहा हूं। लेकिन इतना और बता दूं मा0 सदन को कि एक महाउत्सव हो रहा है, नुमाइश होगी, गाने होंगे, वहां मुम्बई से गाने वाले, गाने वालियां आयेंगी। एक दिन का कार्यक्रम होगा उसके लिए 50 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है। खाली एक दिन का होगा। उसके बाद में सुनिये, बराबर में इटावा है वहां नुमाइश लगेगी, पंडाल बनेगा और उसके लिए 50 लाख रुपये की व्यवस्था है। क्या केवल दो ही जगह यह होगी ? एक-आध जगह और करवा देते।

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त करिये।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, यह पैसा उन गरीब लोगों का, मेहनतकश लोगों के खून-पसीने की कमाई का है। यह पैसा [x x x] के लिए नहीं है।

(अनेक सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री हुकुम सिंह-

आज सदन को यह तय करना चाहिए कि इस पैसे को हम लुटायेंगे, इस पैसे को नुमाइश पंडाल पर लगायेंगे इस पैसे को महोत्सव पर लगायेंगे या इस पैसे को विकास पर लगायेंगे। यह पैसा विकास पर लगना चाहिए।

श्री योगेश प्रताप सिंह-

मान्यवर, [x x x] शब्द गलत है। इसे कार्यवाही से निकाल दिया जाय।

श्री हुकुम सिंह-

अनुपूरक की मदें आती हैं आवश्यक कार्य के लिए। यही मेरा कहना है।

श्री अध्यक्ष-

यह [x x x] शब्द कार्यवाही से निकाल दिया जाएगा। माननीय मौर्य जी संक्षेप में अपनी बात कहिएगा। क्योंकि आपको आगे भी कानून-व्यवस्था पर बहस करनी है। इसलिए इसी विषय तक सीमित रहिएगा।

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

मान्यवर, अभी अनुपूरक अनुदान की मांगों पर चर्चा के लिए समय दिया। इस सम्बन्ध में मैं आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहता हूं कि सरकार तो अभी अपने आम बजट का पैसा ही खर्च नहीं कर सकी है तो अनुपूरक बजट का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। क्योंकि मान्यवर, अभी 22 जून को मुख्य सचिव ने सभी विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया था कि सभी विभाग अपने-अपने बजट को तत्काल अवमुक्त करें यह दुर्भाग्य है कि नवम्बर बीतने जा रहा है और अभी तक विभागों का बजट अवमुक्त नहीं हुआ है मुख्य सचिव का विभागीय अधिकारियों को इस तरह का पत्र इस बात को साबित करता है कि यह सरकार उत्तर प्रदेश के विकास के प्रति कितना चिन्तित है और कितना गम्भीर। मान्यवर, माननीय लोक निर्माण मंत्री जी सामने बैठे हुए हैं वह मुस्करा रहे हैं हर हफ्ते बयान देते हैं कि अगर सड़कें गढ्ढा मुक्त नहीं हुई तो विभागीय इंजीनियर के खिलाफ कार्यवाही होगी लेकिन मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि आपको मंत्री का शपथ लिए साढ़े आठ महीना हो गये गड्ढा मुक्त सड़क करने का बयान तो देते हैं लेकिन गड्ढा मुक्त सड़क करने के लिए एक भी पैसे का प्राविधान बजट तक आपने अभी तक अवमुक्त नहीं किया है। एक भी पैसा आपने दिया नहीं इंजीनियर के खिलाफ भयादोहन करके उससे वसूली के लिए यह अर्दब देते हैं। अगर आप पैसा अवमुक्त करें और अगर काम न हो तो उसके खिलाफ कार्यवाही करें। पैसा अवमुक्त करते नहीं और गड्ढा मुक्त सड़क बना रहे हैं। हवा में तीर चला रहे हैं प्रदेश की जनता की आंख में धूल झोंक रहे हैं। यह सरकार है। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि आप भी गांव से आते हैं हम सभी प्रतिनिधि ज्यादातर गांव क्षेत्र के ही हैं यानी शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्र से यहां पर ज्यादा प्रतिनिधि चुनकर आते हैं आज चाहे ग्राम पंचायतें हों चाहे विकास खण्ड हों चाहे जिला पंचायतें हों शत-प्रतिशत विकास काम ठप्प हैं क्योंकि तेरहवें वित्त का एक भी पैसा विकास कार्य के लिए अभी अवमुक्त नहीं किया गया। जिले में पैसा है लेकिन काम पर रोक है। जिला योजना से जो प्रस्ताव आते हैं उनकी टेक्निकल एडमिनिस्ट्रेटिव स्वीकृति प्रदेश मुख्यालय से होती है और नवम्बर महीना हो गया दिसम्बर लगने जा रहा है पंचायतीराज मंत्री जी बैठे हुए हैं ग्रामीण क्षेत्र से हैं आज जहां भी जाते हैं सारे के सारे प्रधान और प्रमुख घेरकर कहते हैं कि आज सारे के सारे विकास कार्य ठप्प हैं पैसा है लेकिन विकास के लिए अवमुक्त नहीं हो रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मान्यवर, कि 13वें वित्त आयोग का पैसा आज विकास के कार्य के लिये नहीं मिला है। बी0आर0जी0एफ0 योजना जो केन्द्र की प्राविधानित योजना है जिसमें केन्द्र ने प्रदेश के 34 ऐसे जिलों को जो पिछड़े हैं उनके पिछड़ेपन को देखते हुए विकास से जोड़ने के लिये इस योजना को संचालित किया था और मान्यवर उसका प्राविधान है कि दिसम्बर तक अपनी कार्य योजना को केन्द्र सरकार के पास नहीं भेजेंगे तो 2013-2104 में जो पैसा आना चाहिए वह लैप्स हो जायेगा यानि हजारों करोड़ो रुपया जो प्रदेश के विकास के लिये केन्द्र से आना चाहिए वह सरकार की लापरवाही से नहीं आ पायेगा। पंचायतीराज मंत्री जी को संज्ञान न हो तो मैं बता देना चाहता हूं कि अगर दिसम्बर महीने तक आपका प्रस्ताव नहीं जायेगा यानि जो अभी वर्तमान की कार्य योजना है इसके कार्य के उपयोग का प्रमाण-पत्र नहीं जायेगा अगली कार्य योजना नहीं जायेगी तो बी0आर0जी0एफ0 योजना के अन्तर्गत जो पैसा अगले साल में इस प्रदेश को मिलना है उससे आप हाथ धो लेंगे। मान्यवर, यहां विकास कार्य ठप्प क्यों हैं ? यहां टेक्नीकल स्वीकृति होनी चाहिए। जब टेक्नीकल स्वीकृति होगी तब ही वहां से पैसा अवमुक्त होगा। टेक्नीकल स्वीकृति मान्यवर, हो नहीं रही है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जब आप एक नये पैसे का काम नहीं कर रहे हैं तो यह अनुपूरक

बजट क्यों ? अनुपूरक बजट तो इसलिये लाया जाता है कि हम कोई कार्य कर रहे हैं, हमारी कोई कार्य योजना चल रही है और उसमें लागत ज्यादा बढ़ गई, पैसा कम पड़ रहा है इसलिये हम अनुपूरक बजट योजना के माध्यम से पैसे का प्राविधान करते हैं या हमारी कोई ऐसी नयी योजना हैं जिसको हम जनहित में लागू करना चाहते हैं लेकिन उसको लागू करने के लिये हम पहले पैसे का प्राविधान बजट में नहीं कर पाये थे अनुपूरक बजट के माध्यम से हम उसको प्राविधानित करते हैं लेकिन मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह सरकार आज सभी विभागों का मैं एक विभाग का नहीं कह रहा हूं। मैंने तो सिर्फ इंगित किया उदाहरण के लिये। सभी विभागों में एक ही हाल है किसी विभाग में एक नये पैसे का विकास कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं हुआ। बरसात बीते तीन-चार महीने हो गये हैं, रबी की बोआई इस समय तेजी में चल रही है, नहरों में पानी नहीं है। हमारे मंत्री जी सिल्ट सफाई की बात करते हैं। कब सिल्ट सफाई करेंगे ? बरसात में सिल्ट सफाई करेंगें ? जिस समय सिल्ट सफाई का मौका है, उस समय नहीं हो रही है। जिस समय नहरों में पानी की आवश्यकता है, नहरों में पानी नहीं है। आज किसान बोआई के लिये खेतों की सिंचाई करना चाहता है। खेतों में पानी देना चाहता है, आज पानी नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह सरकार आज केवल हवा में तीर चला रही है। बेरोजगारी भत्ता, लैप टॉप के नाम पर जैसा कि अभी हुकुम सिंह जी ने भी इंगित किया कि पैसे का दुरूपयोग हो रहा है। यानि जो वाकई में पात्र हैं उन्हें नहीं मिल रहा है और वह कही न कहीं किसी न किसी रूप में एक योजनाबद्ध तरीके से एक साजिश के तहत एक सूची जाती है कि इनको इनको दिया जा रहा है यानि अंधा बांटे रेवड़ी अपन अपन का देय। यह हालात आज बन गये हैं उत्तर प्रदेश में। प्रदेश की जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे का यह सरकार दुरूपयोग कर रही हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि नवम्बर महीना बीतने के बाद भी अभी तक एक पैसा भी विकास के काम के लिये नहीं दिया गया। कब दिया जायेगा ? मार्च महीने में जब जब मार्च के महीने का एक दिन रह जायेगा तो कागज पर काम दिखा करके यह सरकार सारे के सारे पैसे को निगल जायेगी।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मौर्या जी, यह जनरल बजट नहीं है, यह अनुपूरक बजट है। अब आपकी बात आ गई है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं कि यह किसान की हितैषी सरकार बनती है।

श्री अध्यक्ष-

मौर्या जी, आपकी बात आ गई है। आपने कहा अच्छा प्वाइंट उठाया।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, मैं संक्षेप में खत्म कर रहा हूं। यह सरकार किसान की हितैषी बनती है। अपने को किसान का रहनुमा कहती है। मैं कहना चाहता हूं कि प्रत्येक वर्ष 1 अक्टूबर को गन्ना पेराई सीजन शुरू हो जाता है। नवम्बर बीतने जा रहा है लेकिन अभी तक यह सरकार गन्ने की कीमत तय नहीं कर पाई है। किस चीज का अनुपूरक बजट चाहिए ? अनुपूरक बजट किस चीज के लिये चाहिए जब आप किसानों का भला नहीं कर पा रहे हैं, गन्ना की कीमत तय नहीं कर पा रहे हैं, विकास के लिये

पैसा अवमुक्त नहीं कर पा रहे हैं। जो आपने पहले बजट में प्राविधान किया था उस प्राविधानित पैसे को खर्च नहीं कर पा रहे हैं तो अनुपूरक बजट किस बात का। तो मान्यवर, यह सरकार इस अनुपूरक बजट के माध्यम से जनता की जेब के इस पैसे को निगलने की कोशिश कर रही है। साजिश कर रही है, उत्तर प्रदेश की जनता से यह खिलवाड़ कर रही है, इसलिए बहुजन समाज पार्टी, सरकार की इस गलत नीति का घोर विरोध करती है और साथ ही साथ जो जनता से यह सरकार घोषणा करने जा रही है उसमें बहुजन समाज पार्टी शरीक नहीं होगी। इसलिए जो गलत नीति से अनुपूरक बजट लाया जा रहा है इसका हम विरोध करते हैं। यह जनता के पैसे का दुरुपयोग है। साथ ही साथ अपनी थैली को भरने का सरकार का नाटक है इसलिए इस अनुपुरक बजट पास करने के मौके पर इसके विरोध में बहुजन समाज पार्टी सदन से बहिर्गमन करती है।

(बहुजन समाज पार्टी के सदस्यों ने नारे लगाते हुए सदन से बर्हिगमन किया।)

(श्री प्रदीप माथुर के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

जितनी आलोचना होनी थी वह हो गई। अब आप क्या कहना चाहते है। सब मौर्य जी ने कह तो दिया है।

*श्री प्रदीप माथुर-

आज आप अनुपूरक बजट पास करने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी का सरकार पूर्ण बहुमत में आई तो हम लोग सोचते थे अभी जो बहिर्गमन करके गए हैं, उससे बेहतर व्यवस्था कायम होगी। अभी भी उम्मीद कायम है। क्योंकि अभी आठ महीने हुए हैं। छः महीने का हनीमून निकल गया है। दो-तीन महीने रह गए हैं जिसमें कुछ काम कर सकते हैं। अभी मा0 नेता प्रतिपक्ष और मा0 हुकुम सिंह जी ने एक बात कही, जिला स्तर पर अभी पैसा नहीं पहुंचा है। हम रोज बयान पढ़ते हैं मा0 मुख्य मंत्री जी के, मा0 शिवपाल सिंह जी के ....

श्री अध्यक्ष-

नई बात बतायें।

श्री प्रदीप माथुर-

आदरणीय संसदीय कार्य मंत्री के जिनका डंका पिटता है, जिनका लोहा माना जाता है, उसके बाद भी अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। जनता त्राहिमाम-त्राहिमाम कर रही है। सड़कों के गड्ढ़े नहीं भरे गए हैं, नहरों की सफाई नहीं हुई है न ही विधवा पेंशन और वृद्धावस्था पेंशन लोगों को मिल रही है। जो आपने अपने मेनिफ्रेस्टो में घोषणा की है उसमें भी धन चाहिए। टेबलेट नहीं बंटी है कन्या धन योजना में घपला हो रहा है। मदरसा टीचर का पैसा नहीं आया है। मुझे डर है आपने ऊपर तो अधिकारियों के फेरबदल कर दिए हैं लेकिन मुझे लगता है कि बाकी जगह अभी भी पूर्ववर्ती सरकार के लोग बैठे हुए हैं। आप लोग देख नहीं पा रहे हैं। आप लोगों के आंखों पर चश्मा चढ़ा हुआ है। आप लोग माइक्रोस्कोपी स्टडी करा लीजिए। उन अधिकारियों को वहां से हटाइए मैं आपसे बताना चाहता हूं कि अभी केन्द्र सरकार ने गर्वमेन्ट में आई0पी0सी0एस0 और एन0ई0एफ0सी0 के माध्यम से नगद भुगतान पर रोक लगा रखी है कोई भी भुगतान नगद या चेक द्वारा नहीं किया जाएगा। इस सरकार के

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में घपला शुरू हो गया है। 100 करोड़ से ज्यादा भूमि संरक्षण विभाग में नगद भुगतान किया गया है। बहुत बड़ी हेराफेरी हुई है आप इसकी जांच करायें। आज आप यहां पर अनुपूरक बजट पास कराने जा रहे हैं आप इस पर भी निगाह रखें कि आपके अधिकारी जो मंत्रियों को सिखाते हैं वह पूर्ववर्ती सरकार के अधिकारी ऐसे घपले न करा दें कि जिन घपलों के लिए जिन लोगों की जांच की मांग और सी0बी0आई0 की जांच की मांग हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी कहते हैं कि इनको जेल भिजवाया जाए और यह सब जेल जाएंगे ऐसा न हो कि आप लोगों के साथ भी ऐसा ही बीते। क्योंकि आप लोग देख नहीं रहे हैं सौ करोड़ का नगद भुगतान आपके यहां कन्फ्यूजन में या जानबुझकर आप नोट कर लें कि आपके भूमि संरक्षण विभाग में हो गया है।

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैंठें। बात आ गई है।

श्री प्रदीप माथुर-

किसानों के गन्ने का मूल्य कब तय करेंगे। जब मिलें बन्द हो जाएंगी। सत्र शुरू हो चुका है।

श्री अध्यक्ष-

गन्ने पर, जब गन्ना आए तो बोलिएगा।

श्री प्रदीप माथुर-

हत्याकांड इतने बड़े-बड़े हो गए हैं। सप्लीमेंट्री बजट लाने की कोई आवश्यकता नहीं थी।

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठें सब बात आ गई है।

श्री प्रदीप माथुर-

क्योंकि पूर्ववर्ती बजट का पैसा ही खर्च नहीं हुआ है और सप्लीमेन्ट्री बजट आप लाए हैं। मान्यवर, आपने ठीक कहा है कि 2 महीने बाद अगला मेन बजट आयेगा लेकिन जो पैसा पूर्व में स्वीकृत हो चुका है और अब तक वह खर्च नहीं हो पाया है, सड़कों के गड्डे नहीं भरे हैं और भी जो तमाम अधूरे काम बाकी पड़े हैं, उन्हें आप समय से पूरा करायें। सर्दियां आ गयी हैं, सड़कें कब बनेगी ? इसलिए मान्यवर, मैं चाहता हूं कि सप्लीमेन्ट्री बजट जो आप लाए हैं, उस पैसे का दुरुपयोग न हो और समय से काम पूरे कराये जायें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, अब आपकी बात आ गई। माननीय नेता, राष्ट्रीय लोक दल, आप कुछ कहना चाहेंगे। उसके बाद माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी जवाब देंगे। सारी बातें आ गयी हैं, आपको जो एक-दो प्वाइण्ट बताना हो, बता दीजिए। कोई नीतिगत बात बची नहीं है जो न आयी हो।

श्री दलवीर सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, हमारे पूर्व साथी बड़े विस्तार से बता चुके हैं, मेरा सुझाव है, इस बजट में जो कृषि के लिए प्रावधान किया जाना चाहिए था, वह नहीं किया गया है, बहुत कम है। किसानों की ऋण माफी के लिए बहुत कम पैसा है, खाद और पेस्टीसाइड के अनुदान के लिए भी बहुत कम पैसे का प्राविधान किया गया है। जो भी कृषि यन्त्र हैं, पहले उन पर बहुत अनुदान जाता था लेकिन इस बजट में उनके लिए बहुत कम पैसा रखा गया है। इसलिए मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री

जी को अवगत कराना चाहता हूं कि कृपया इस बजट में उसका प्राविधान करें और अधिक से अधिक जितना हित किसानों का कर सकते हैं, करें। कृषि यन्त्रों के लिए, पेस्टीसाइड के लिए, ऋणमाफी के लिए और अधिक पैसे की व्यवस्था करें। अध्यक्ष जी, जैसा अभी माननीय मंत्री जी कह रहे थे, मेरा सुझाव है कि अन्य जितने भी राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, जब तक किसान द्वारा उनसे लिए गए ऋण को माफ करने के लिए आप उन्हें ऋण-माफी योजना में शामिल नहीं करेंगे, तब तक किसानों का भला नहीं होगा। यह जो भूमि विकास बैंक हैं, उनसे तो कोई ऋण लेता ही नहीं हैं। जिन भूमि विकास बैंकों से लोगों ने पैसा लिया भी था, वह भी बैठ गयी हैं, यदि उनको उठाने के लिए आपने यह व्यवस्था की है, तब तो ठीक है लेकिन यदि सही मायने में आप किसानों का ऋण माफ करना चाहते हैं तो आप राष्ट्रीकृत बैंकों को भी इसमें शामिल करें तो बहुत अच्छा रहेगा, धन्यवाद।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता विरोधी दल, माननीय हुकुम सिंह और अन्य नेताओं ने अपने-अपने विचार रखे हैं और आपकी पीठ से यह बात बार-बार कही गयी कि यह अनुपूरक बजट है और जब फरवरी में बजट लाया जायेगा तो सारी बातें ज्यादा विस्तार से कही जा सकती हैं। मान्यवर, अनुपूरक बजट का मतलब ही अनुपूरक होता है, जिन कामों को करने का हमने वायदा किया है या घोषणाएं कर दी हैं, उनमें अगर कहीं धन की कमी रह गयी है अब कोई ऐसी जरूरत जो इस दौरान पेश आयी हो, उस पर पैसे की व्यवस्था करने के लिए अनुपूरक बजट का प्राविधान है और उसी के लिए यह सत्र बुलाया गया है। मान्यवर, हुकुम सिंह जी ने जिस तरह अपने भाषण की शुरूआत की, उससे लगा यह था कि एक हमारे वरिष्ठ साथी समाज में एक सन्देश देंगे चाहे उनका राजनैतिक दल कैसा ही क्यों न हो, जो पूरे देश के कमजोर लोगों को और गुजरे हुए 5 सालों में जिस तरह से उनकी उपेक्षा की गयी, उनका अपमान किया गया, उनको जलील किया गया, उनके अगर किसी हद तक आंसू पोंछने की बात आयेगी तो अपने दल से ऊपर उठकर, इसलिए कि जब हम राजनीति में काम करते हैं तो बहुत से मौके ऐसे आते हैं, जब हम अपने दिल की धड़कनों को भी रोक लेते हैं क्योंकि राजनीति में काम करने वाले लोगों को सबका सहयोग चाहिए। अब तो जमाना इतना बदला है कि गुजरात के मुख्य मंत्री को भी अल्पसंख्यकों के वोट चाहिए हैं, उन्होंने भी कहा है कि मुझे टोपी ओढ़ा दो और अगर उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में जो गंगा-जमुनी तहजीब का बड़ा अलम्बरदार रहा है और जहां के रिश्ते, अगर फैजाबाद के मौजूदा दंगे पर आप नजर डालेंगे तो आपको लगेगा कि मिटाने वालों ने बहुत कुछ मिटाने को कोशिश की। मान्यवर, लेकिन जो रिश्ते हैं उन्हें मिटाने में यह कामयाब नहीं हो सकते हैं। दो लोगों का झगड़ा नहीं था वह दो लोग मुस्लिम नहीं थे, उसमें से एक लोग भागकर दुकान में घुस गये। वह दुकान मुस्लिम की है क्योंकि उन साहब को उन्हें बचाना था इसलिए लोगों ने उसकी दुकान को आग लगा दी। लेकिन इससे यह संदेश जरूर गया कि आपसी एहसास अभी जिंदा है रिश्ते अभी बाकी है। अभी माननीय हुकुम सिंह जी ने कुछ बातें यहां पर रखी हैं उसमें से कुछ बातें उनकी तकलीफदेह लगी। मान्यवर, मुस्लिमों के उत्थान की बात कही गयी। मान्यवर, सच्चर कमेटी गठित की गयी थी उसकी रिपोर्ट आयी उसको आये छह वर्ष हो गये हैं और उसमें भी कहा गया कि मुसलमानों की, अल्पसंख्यक नहीं, आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक स्थिति दलितों से भी बदत्तर है। मगर एक यह राजनीति शुरू होकर रह गयी। दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक कोई काम नहीं हो पा रहा है। मान्यवर, जो लोग बहुत दुःखी हैं, कमजोर लोग हैं, उनके लिए इसमें हाथी बनाने का प्रावधान नहीं किया गया है। इसमें गरीबों का पैसा गरीबों के लिए लगाया

गया है। समाजवादी पार्टी की सरकार ने अपने उसूलों को निभाते हुए इस अनुपूरक बजट में गरीबों के लिए पैसे की व्यवस्था की गयी है। मान्यवर, यह सरकार गरीबों के लिए छात्रों के लिए कमजोर वर्गो के लिए, मेहनतकश लोगों के लिए काम कर रही है और मुसलमानों के हितों के साथ-साथ यहां के इन्सानों के लिए काम कर रही है। अगर इस इंसानी रिश्ते पर इस तरह से हमला करेंगे तो इंसानी रिश्तें कमजोर हो जायेंगे और जब इंसानी रिश्तें कमजोर होंगे तो उसका प्रभाव पूरे देश पर पड़ेगा और उससे फिर पूरा राष्ट्र कमजोर होगा। मान्यवर, जो ऐसी बातें करके यहां पर एक ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं वह इस देश के हितैषी नहीं हैं। क्या आप ऐसी बातें करके यहां की इस दूसरी बड़ी आबादी के लोगों को जाहिल बनाये रखेंगे भूखा नंगा रखेंगे, वह शिक्षित नहीं होंगे तो वह इंसान मरने वाले तो नहीं हैं लेकिन फिर वह इस जमीन पर बोझ बन जायेंगे और फिर यह नुकसान पूरे भारतवर्ष को होगा।

मान्यवर, किसानों के लिए कहा गया कि इस अनुपूरक बजट में उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। मान्यवर, इस बजट में पचास हजार रुपये तक का ऋण उनका माफ किया गया है। मान्यवर, अभी यह कहा जा रहा था कि इन बैंकों से अब कोई लोन नहीं लेता है और बैंक उनसे वसूल भी नहीं पाते हैं। मान्यवर, जहां तक बैंकों के ऋणों की वसूली की बात है तो यह बैंक अर्थी की राख से और कब्र में सड़ी हुई लाश से भी पैसा वसूल लेते हैं। उनके परिवारजनों से वसूली कर लेते हैं। मान्यवर, इसमें वह गरीब किसान जिन्होंने पचास हजार रुपये तक का ऋण लिया था इन बैंकों में और उसमें उनके गुजरने के बाद उनके वारिस लोग उसका भुगतान नहीं कर पा रहे थे। उनके ऋण और ब्याज की रकम को माफ करने का काम इस सरकार ने किया है। मान्यवर, एक दल जो किसानों का दल अपने को कहता है और जिसने आज सुबह 11 बजे इस सदन में गन्ने को कीमतों को बढ़ाने की घोषणा की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था वह लोग क्या इन किसानों के कर्जो को माफ करने का विरोध कर रहे हैं। क्या वह नहीं चाहते हैं कि इन गरीब किसानों का कर्जा माफ हो, उसका ब्याज माफ हो। यह देखकर हमें दुःख हुआ। लेकिन मान्यवर, हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार ने यह तय किया है कि उनके मूलधन और ब्याज को माफ किया जायेगा और इसके लिए इस अनुपूरक बजट में एक हजार छः सौ पचास करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मान्यवर, यह बड़ी रकम है। (मेजों की थपथपाहट)। मान्यवर, अपने नाम के लिए अपनी शोहरत के लिए इनको इस बात का ऐतराज है कि सैफई और कन्नौज के लिए ज्यादा पैसा दिया गया है। मान्यवर, मुख्य मंत्री जी के कुछ प्रिविलेजेस होते हैं, उनके लिए कुछ रियायतें होती हैं। मान्यवर, कन्नौज एवं सैफई में पिछले पांच वर्षों में क्या काम हुआ है। इसको लेकर इनको कोई दुःख नहीं है। वहां गरीब लोग जो विभिन्न योजनाओं में काम कर रहे थे, उसको ठप करके उन गरीबों का निवाला छीन लिया गया। वहां पर एक पैसा सड़क, पुल, पुलिया के लिए और गरीबों के उत्थान के लिए नहीं दिया गया। क्या यह बातें किसी को याद नहीं हैं। मान्यवर, वहां पर जो सरकारी धन विभिन्न प्रोजेक्टस में लगा हुआ था उसका क्या हाल हुआ है। यह किसी को मालूम नहीं, मेरे शहर में सीवर लाइन पर सैकड़ों लाख रुपया खर्च हुआ, मेरा नहीं था पैसा, आपका नहीं था मान्यवर, किसी सरकार के सरकारी मंत्री के जेब का नहीं था पैसा वह पैसा समाज का था, देश का था, राष्ट्र का था उस काम को रोक दिया गया। नतीजा यह हुआ कि इन 6 सालों में सारा सीवर सिस्टम कोलेप्स कर गया। कौन होगा जवाबदेह, इस बरबादी का जवाबदेह कौन होगा मान्यवर ? तो जिन शहरों की ऐसी उपेक्षा की गयी हो कि सरकारी धन को डम्प कर दिया गया हो, वह सारी योजनाएं न सिर्फ रोक दी गयी हो बल्कि बरबाद कर दी गयी हों अगर उन योजनाओं को

शुरू किया जाय और उन्हें पूरा करने के लिए बजट में प्राविधान किया जाय तो क्या यह गलत फैसला होगा। इसी के साथ मान्यवर, हमने वायदा किया था कि सिंचाई का पानी मुफ्त देंगे उस वायदे को पूरा किया है और 200 करोड़ की धनराशि मेरे ख्याल से यह एक बड़ी धनराशि है। यह धनराशि भी मान्यवर, किसी पत्थरों के पार्क के लिए नहीं रखी गयी है, यह धनराशि पत्थर के हाथियों के लिए नहीं रखी गयी है मान्यवर, यह धनराशि नेताओं ने जिन्दा रहते हुए अपनी प्रतिमाएं बनाकर उनमें पर्स टांगने के लिए गरीब की जेब से नहीं उड़ाया है, यह पैसा खर्च हो रहा है उसी व्यक्ति के लिए आज जिसकी सरकार यहां पर बैठी है, जिसका प्रतिनिधित्व यहां बैठा हुआ है और मुझे अफसोस है बहुजन समाज पार्टी के लोग तो इस तरह की मानसिकता रख सकते थे लेकिन भारतीय जनता पार्टी और किसानों की हितैषी पार्टी भी इसका विरोध करेगी और खुद कांग्रेस मुसलमान बच्चियों को मिलने वाले पैसे का विरोध करेगी इस पर हैरत भी हो रही है और इस पर अफसोस भी हो रहा है। मान्यवर, हमारी सरकार की प्राथमिकता थी और है कि गरीब आदमी का इलाज हो और गरीब आदमी का इलाज जाहिर है कि किसी अच्छी जगह पर हो। हमारे खैराती अस्पताल आपको याद होगा आज हम बहुत अच्छे-अच्छे लफ्जों से उनका नाम लेते हैं जिला अस्पताल किसी बड़े आदमी के नाम से भी उसको मन्सूख करते हैं लेकिन सच यह है कि 1947 के बाद आजाद हिन्दोस्तान में इन अस्पतालों को खैराती अस्पताल कहा गया, मैंने नहीं कहा, विचारकों ने कहा क्योंकि यहां जिस तरह से दवा मिलती है जिस तरह से डाक्टर देखते हैं वह किसी से छुपा हुआ नहीं है। मान्यवर, उस अस्पताल का पर्चा 11.00 रुपया हो गया था 8 रुपये से बढ़ाकर जबकि यह 50 पैसे का था गत समाजवादी पार्टी की सरकार ने उस पर्चे की कीमत खत्म की थी और एक रुपया इसलिए रखा था कि कागज और उसकी छपाई का पैसा ले लिया जायेगा। एक ऐसी सरकार गरीब मरीजों के बारे में कैसे नहीं सोचेगी। गरीब किसान की मां कैंसर से पीड़ित है, दिल का मर्ज है, ट्यूमर हो गया है, कैसे नहीं सोचेगी और यह सभी जानते हैं कि जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी मुख्य मंत्री थे तब भी ऐसे तमाम मरीजों को जो इस तरह के मरीज थे उनको धन देने में कभी कोई कंजूसी कोई कमी नहीं की गयी और इसी तरह आठ महीने की इस सरकार में भी मान्यवर, इस तरह के मरीजों के साथ जिस तरह का उदारता का रवैया और बर्ताव होता है उसमें न धर्म देखा जाता है और न जाति, न राजनीतिक दल। इस तरह से मदद होती है। एक और उसका नया प्रारूप तैयार करने की कोशिश की है। मेडिकल कालेजेज बनें, ज्यादा से ज्यादा बने। यह भी एक अजीब बात हुई है कि प्राइवेट मेडिकल कालेजेज बनाने वाले लोगों के रास्ते में बहुत से रोड़े आ गये हैं। मैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के सदस्य यहां बैठे हैं और वह असरदार सदस्य हैं जाहिर है प्रमोद तिवारी जी हैं, माथुर साहब हैं इनके जरिये से बात पहुंचनी चाहिए भारत सरकार तक कि मेडिकल कालेजेज बनाने के लिए मेडिकल कौंसिल ऑफ इंडिया ने जिस तरह की शर्ते कर दी हैं, उन शर्तो से गरीब आदमी का नुकसान हो रहा है। जरूरी नहीं है कि मेडिकल कालेजेज अब यूनिवर्सिटीज सिर्फ वह लोग बनाये जो सिर्फ इसे कारोबार के तौर पर करते हैं अपने कालेधन का सफेद करने के लिए या शौक के लिए या अपने सामाजिक स्तर को बढ़ाने के लिए लोग इस तरह की संस्थाएं बनायें इसके अलावा कुछ अच्छे लोग भी हो सकते हैं। मान्यवर, हमारा कानून यह कहता है कि अगर 99 गुनाहगार छूटते हैं तो छूट जायें। लेकिन किसी एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए और यह उसूल हमारी जिंदगी के हर शोबे में काम आता है। मेडिकल काउंसिल आफ इंडिया को इस बात पर विचार करना चाहिए था कि कैसे ज्यादा से ज्यादा मेडिकल कालेज बन सकें। क्योंकि केन्द्र सरकार व राज्य सरकार के पास न तो इतना धन है और न ही इतने संसाधन हैं कि वह

मेडिकल कालेजेज बना सकें। लेकिन तमाम चुनौतियों के बावजूद अपने घोषणा-पत्र में किये गये वायदों को पूरा करने और ऐसी घोषणायें जिससे पूरा बजट गरीब के जेब तक पहुंचा देने का संकल्प है, मान्यवर, मेडिकल कालेजेज बनाने का हमारा जो वायदा था वह हम पूरा कर रहे हैं और अनुपूरक बजट के माध्यम से बदायूं और जौनपुर में नये मेडिकल कालेज खोलने की शुरूआत की जा रही है। बांदा, आजमगढ़ और सहारनपुर मेडिकल कालेज में जो काम बाकी रह गया है उसे पूरा किया जा रहा है। जापानी इंसेफेलाइटिस के वह परिवार जहां मौतें हुई हैं विकलांग हुए हैं इस बजट में उनकी भी आर्थिक सहायता के लिए प्रावधान किया गया है। मान्यवर, हमें इस बात का सौभाग्य हासिल है कि विगत समाजवादी सरकार में अर्ध कुम्भ हुआ था और उस अर्ध कुम्भ का मैं चेयरमेन था। जब मुझे इसका अध्यक्ष बनाया गया तो इलाहाबाद में मेरे नाम का बहुत विरोध हुआ, काली पट्टियां बांधी गयी मेरे पुतले जलाये गये, मुर्दाबाद के नारे लगे लेकिन उसी में एक पुरी के शंकराचार्य जी थे जब उनके पास एक डेलीगेशन गया और यह कहा कि उसका अध्यक्ष आजम खां को बना दिया गया है तो उन्होंने कहा कि शुभ हुआ। फिर किसी ने कहा कि वह तो बाबरी मस्जिद वाला है बड़ा कम्युनल आदमी है तो बोले अतिशुभ हुआ। मान्यवर, सभी सदस्य और पूरा प्रदेश जानता है कि इलाहाबाद में होने वाला अर्ध कुम्भ किस तरह का हुआ था और यह हमारा सौभाग्य है कि कुम्भ की अध्यक्षता का भी हमें ही सौभाग्य हासिल है। वहां अपनी पिछली सरकार में हमने यह चाहा था कि सबसे बड़ी परेशानी होती है कि वहां पर लाखों की तादात में श्रद्धालु आते हैं और एक ही जगह पर एक ही वक्त पर स्नान होता है। उनके आने उनके रुकने उनके वापस जाने की व्यवस्था एक बड़ी चुनौती होती है। उस वक्त मेरा एक सुझाव था कि एक ऐसा फ्लाई ओवर बनाया जाये जो मेन रोड से आकर उस स्थान पर जहां पर स्नान होता है वहां से होकर गुजरता हुआ दूसरे रास्ते पर जाकर मिल जाये जहां पर हम बसों को खुले मैदानों में खड़ा कर सकें और जहां पर स्नान होता है यहां पर नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां और बुजुर्गों के लिए लिफ्ट लगा दी जायें। यह बात तय हो गयी थी। लेकिन गत बसपा की सरकार ने, क्योंकि वहां पर तो यह कहा जाता है कि किसी को पूजने की जरूरत क्या है किसी देवी देवता पर चढ़ावा की जरूरत क्या है मैं हूं चढ़ावा मुझ पर चढ़ा दो। उनके लिए इसका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि वह तो यह कहते थे कि अगर बाबरी मस्जिद का मसला हल करने का मुझे हक हासिल हो तो मैं बाबरी मस्जिद की जगह लेट्रिन और पाखाने बनवा दूं। मान्यवर, धर्मों और मजहबों के बारे में जिस राजनीतिक दल की यह सोच हो तो अगर उसने यह पुल नहीं बनवाया तो कोई ताज्जुब की बात नहीं। लेकिन हमने तय किया है कि मुमकिन है कि इस कुम्भ के मेले की शुरूआत से पहले वह पुल जो ढ़ाई सौ से चार सौ करोड़ के बीच में होगा और ऐसा पुल होगा जिसके बाद वहां आने और जाने की सारी समस्यायें खत्म हो जायेंगी और सरकारों की ही नहीं बल्कि इन्तजाम करने वालों की भी एक बड़ी चुनौती होती है। तो हम उस पुल का शिलान्यास ही नहीं बल्कि प्रयास है कि आने वाले दो ढ़ाई साल के अन्दर उस पुल को तैयार कर देंगे। देश रहेगा, प्रदेश रहेगा, नदियां रहेंगी, धर्म रहेंगे, मेले रहेंगे। धार्मिक आस्थायें रहेंगी लेकिन उन आस्थाओं के साथ-साथ कम से कम यह याद भी बाकी रहे कि हम जैसे लोग भी हैं जो अगर मुसलमान बच्चियों को उनके पैरों पर खड़ा करना चाहते हैं तो हिन्दू धर्म के साथ भी हमारी उतनी ही आस्था है। मान्यवर, 1165 करोड़ रुपये का प्राविधान है। भारत सरकार ने जो पैसा देने की घोषणा की थी, उसके लिए मना कर दिया था, लेकिन भारत सरकार के मना कर देने का मतलब यह नहीं था कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने दायित्व और अपनी जिम्मेदारी से हाथ खींच लिया था, बल्कि हमने खुद अपने विभाग से जितना भी पैसा हो सकता था, वह सब कुम्भ मेले के

लिए दे दिया और कुम्भ मेले में होने वाले किसी काम को नहीं रूकने दिया, न कोई पुल का काम रूका, न कोई सड़क का काम रूका, किसी प्रकार का कोई भी काम नहीं रूका। भारत सरकार ने पैसा देने से इन्कार किया इसके बावजूद भी उन्होंने रकम फिर जारी की, इसलिए जारी की कि इस पैसे को रोक देने का सन्देश बहुत बुरा जाने वाला था, लेकिन इतनी देर से वह आदेश हुआ है कि उस पैसे का इस्तेमाल बाद में तो हो सकता है या जो कर्जा रह जाये उसमें हो सकता है या जो पुल हम बनाना चाहते हैं उसमें हो सकता है, लेकिन जो सही वक्त था, जो असल वक्त था जिस वक्त इस पैसे की जरूरत थी उस वक्त भारत सरकार ने यह पैसा हमको नहीं दिया मान्यवर, इसलिए मान्यवर, हमें 1165 करोड़ रुपये का प्राविधान करना पड़ा है, इसलिए भी अनुपूरक बजट की आवश्यकता है।

मान्यवर, कन्याधन योजना के लिए अनुपूरक बजट से, यह कन्या विद्याधन सभी कन्याओं के लिए है, उसमें धर्म, जाति कुछ नहीं आता मान्यवर, इसके लिए 450 करोड़ का प्राविधान किया गया है। अल्पसंख्यक समुदाय की बच्चियां मान्यवर, जैसा मैंने कहा हुकुम सिंह जी को अच्छी नहीं लगती तो यह उनकी अपनी सोच हो सकती है, इन बच्चियों की शादी न हो, यह बूढ़ी हो जायं बगैर शादी के, भारतीय जनता पार्टी की यह मानसिकता हो सकती है। मान्यवर, यह बच्चियां पढ़ें नहीं और धरती का बोझ बनी रहें, भारतीय जनता पार्टी का यह विचार हो सकता है जैसा कि इजहार किया, लेकिन कांग्रेस ने इससे अपने आप को सम्बद्ध किया, यह बात अफसोसजनक है। यह बात अच्छी नहीं है। लिहाजा मान्यवर, इन बच्चियों की पढ़ाई और विवाह के लिए 250 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है और मान्यवर, इसमें एक ख्याल यह भी रखा गया है, बहुजन समाज पार्टी की सरकार में इन कमजोर लोगों को कोई लाभ न हो, मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय की दीवारें गिरा दी जायं, उसकी इमारतों पर बुल्डोजर चला दिये जायं, उसे न चलने दिया जाय, योजनाबद्ध तरीके से एक खास जाति और धर्म के लोगों को जाहिल और अनपढ़ रखा जाय यह उनकी सोंच थी मान्यवर, इसीलिए तमाम चीजों को बी0पी0एल0 से ले जाकर के जोड़ दिया गया ताकि उन कमजोर लोगों को जिनकी तादात बहुत ज्यादा है उन्हें सरकारी धन का कोई लाभ नही हो सके। समाजवादी पार्टी की सरकार ने समाज के अन्दर समानता पैदा करने के लिए उस शर्त को हटा दिया है और 36 हजार रुपये जिनकी वार्षिक आय है उन सबको इस लाभ का हिस्सेदार बनाया। इसी तरह मान्यवर, राज्य सड़क परिवहन निगम, बसों का जो हाल है मान्यवर, जो पूरे प्रदेश का हाल किया वही हाल परिवहन निगम का भी हुआ। मान्यवर, 06 करोड़ रुपये से उसकी मदद की जा रही है और यह बताना चाहूंगा, मान्यवर, नहीं हैं नेता प्रतिपक्ष चले गये हैं कि हम बजट के इस बजट के इस पैसे को किसी को खाने नहीं देंगें और अगर हाथी भी खा जायेगा तो उसकी हलक में हाथ डालकर निकाल लेंगें। नहीं खाने देंगें मान्यवर, यह गरीब जनता का पैसा है, उसी को जायेगा, हाथी के पेट में नहीं जायेगा। मान्यवर, बेसिक शिक्षा परिषद् के शिक्षकों और कर्मचारियों की पेंशन के सिलसिले में बार-बार शिकायतें मिलती थीं, उनको समय से पेंशन का भुगतान नहीं होता है, हमें इस सदन को यह बताते हुए बहुत खुशी का एहसास हो रहा है कि जनवरी, 2013 से बेसिक शिक्षा के सभी शिक्षकों को और इसमें सारा सहयोग हमारे चौधरी साहब का है, 2013 से बेसिक शिक्षा के सभी शिक्षकों और कर्मचारियों को पेंशन का भुगतान कोषागारों से किया जायेगा और इसके लिए अनुपूरक बजट में 828 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। यह भी मान्यवर, एक बड़ी रकम है और यह किसी पार्क को बनाने के लिए या किसी पत्थर के पशु को बनाने के लिए नहीं लगाया जायेगा। जनपद फिरोजाबाद में एक सिंचाई और पानी की सुविधा को नया आयाम देने के लिये एक नयी जसराना नहर परियोजना बनायी गयी है जिसमें न सिर्फ किसानों को सिंचाई के

लिये पानी मिलेगा बल्कि फिरोजाबाद शहर के लोगों को पीने का पानी भी मिलेगा। इस योजना की शुरूआत के लिये, पूरी योजना के लिये नहीं मान्यवर, क्योंकि अनुपूरक बजट या तो किसी काम को पूरा करने के लिये या किसी काम को शुरू करने के लिये होता है। इस योजना को शुरू करने के लिये पहली किस्त 10 करोड़ रुपये की रखी गयी है। एक मशहूर शायर कैफी आजमी, हमारे सरकार में इनके नाम को, ऐसे शायर जिन्होंने समाज में गरीबों और मेहनतकशों के लिये अलग से अपनी शायरी को राह दी थी उनमें साहिर लुधियानवी के बाद। यूं तो बहुत से शायर रहे जो सिर्फ इश्क और मोहब्बत की हदों से बाहर नहीं निकल सके जिनमें गालिब थे, दाग थे, सौदा थे और रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी थे, मजाज लखनवी थे। लेकिन इसी जमाने में कुछ ऐसे शायर भी पैदा हुये, जिन्होंने पूरी दुनिया में अपना सिक्का जमाया और उन्होंने शायरी को गजल और नज़्म से हटाकर एक आजाद जिन्दगी के साथ भी, एक आजाद शायरी के साथ भी जोड़ा और ऐसे सवालों को उठाया जैसे-

''ताज तेरे लिये एक मज़हर-ऐ-उलफत ही सही,
तुझको इस वादी-ए-रंगी से अक़ीकत ही सही।।''

इस तरह के सवाल भी रखे कि ये ताज महल जो एक शहंशाह की बनायी हुई मोहब्बत की निशानी है। वो गरीबों के लिये क्या संदेश देता है। साहिर के बाद जो दुनिया में जाने गये अपनी उस शायरी के लिये, गरीबों के लिये। उसके बाद एक और शायर ने उत्तर प्रदेश की पहचान करायी और उनका नाम था कैफी आजमी आजमगढ़ के। उनकी एक यादगार कायम की गयी है और कैफी आजमी पुरस्कार का भी प्राविधान किया गया है और इसी अनुपूरक बजट से किया गया है। मान्यवर, हमें यह कहते हुए भी इन्तेहाई खुशी हो रही है कि उत्तर प्रदेश के 63 और जनपदों में पारिवारिक न्यायालयों की स्थापना की जायेगी। न्यायिक सेवा के अधिकारियों को लैपटाप दिया जायेगा क्योंकि वो उनकी जरूरत होगी। न्यायिक सेवा के अधिकारियों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिये एस0जी0पी0जी0आई0 में रिवॉल्विंग फण्ड का प्राविधान किया जायेगा, स्थापित किया जायेगा। मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी के लोग ज्यादा परिचित हैं कि जब 1975 में इमरजेंसी लगी थी, आप भी उसके भुक्तभोगी हैं। हम भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनीवर्सिटी में थे, एल0एल0एम0 का फाइनल सेमेस्टर था हमारा। हो सकता था कि अगर हम मीसा में बन्द न हुये होते तो हम यहां आज खड़े ही न होते। यूनियन के सेक्रेटरी थे, सुना कि ऊंट पकड़े जा रहे हैं, भागे जा रहे थे ऊंट और उनमें एक लोमड़ी भी भागी जा रही थी तो किसी ने कहा लोमड़ी से कि भई लोमड़ी पकड़े तो ऊंट जा रहे हैं, तू कहां जा रही है तो उसने कहा कि मैं भी अपनी जान बचा रही हैं तो उससे कहा गया कि तुझे कौन पकड़ेगा तो उसने कहा कि देखो इस वक्त तो पकड़ी जाऊंगी, ये बात तो पता नहीं कब तय होगी कि मैं ऊंट हूं कि लोमड़ी। मान्यवर, तो उस वक्त जिस तरह से लोग पकड़े गये और बनारस जेल में किस तरह से लोग आये थे। मान्यवर, एक साहब ऐसे आये कि उनका एक विरोधी आ गया जेल में आर0एस0एस0 का, उन्होंने जेल से एक चिट्टी लिखी, खुला पोस्टकार्ड और लिखा कि जो सामग्री मैंने भेजी, कुछ नहीं भेजी थी, जो सामग्री मैंने भेजी थी, मुझे सूचना मिल गयी कि आपने पहुंचा दी। अब एक नया क्रांतिकारी निर्णय लेना है मैं वो आपको जानकारी दूंगा। वो पोस्टकार्ड एल0आई0यू0 के पास गया और उन बेचारे को दुकान से उठाकर लाया गया और उनको बन्द कर दिया गया। मान्यवर, इस तरह से लोग पकड़े गये थे। बहुत कुछ हुआ था, बड़ी नाइंसाफियां, बड़े जुल्म हुये थे मान्यवर। हमें जब अलीगढ़ जेल में रखा गया मान्यवर, बताइये हम यूनियन के सेक्रेटरी, एल0एल0एम0 फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट, पढ़ने में भी हम अच्छे थे। हमें उस कोठरी में रखा गया, जिसमें सुन्दर डाकू को

रखा गया था और मान्यवर, वह इतनी-सी कोठरी थी, जिसमें करवट नहीं ली जा सकती थी। उसी में पेशाब-पखाना भी करना होता था, एक मिट्टी का बर्तन रखा था और चौबीस घंटे अपनी उस गंदगी को खुद सूंघना पड़ता था और चौबीस घंटे में वह जमीन के इतने अन्दर थी, मान्यवर, वह इसलिए कि सुन्दर डाकू भाग न जाए। इतनी ज्यादा जमीन के अन्दर थी मान्यवर कि जब सूरज अपनी इंतेहा को होता था, तक यह अहसास होता था कि दिन निकला है। 24 दिन हमें उसमें रखा गया। एक बड़ा इतिहास है मान्यवर, हम 19-20 महीने रहे, 4-5 ईदें हमारी बनारस की जेल में हुई, उसे यह कहा गया कि यह एक नई आजादी है। उस नई आजादी को कहा तो लोगों ने लेकिन उस पर अमल बहुत कम लोगों ने किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, बसपा के साथ भी बनी। 6 दिसम्बर, 1992 के मुजरिमों की सरकार भी यहां आई, लेकिन मीसा बंदियों के बारे में किसी ने नहीं सोचा। मीसा बंदियों के बारे में मा0 मुलायम सिंह यादव ने जो सोच रखी थी, उसका सबने स्वागत किया और नेता जी ने उसे लागू भी किया, लेकिन जब अगली सरकार आई, तो उसने उस प्रोग्राम को रोक दिया, उस मद्द को रोक दिया। लिहाजा मीसा बंदियों की और डी0आई0आर0 बंदियों की उस कुर्बानी को मानते हुए और सलाम करते हुए, चाहे वह किसी भी राजनैतिक दल के हो, 16 करोड़ 40 लाख रुपये का अतिरिक्त मदद देने का प्राविधान किया गया है (मेजें थपथपाई गई)। मान्यवर, यह भी निर्णय लिया है हमारी सरकार ने कि प्रदेश के समस्त ग्राम चौकीदारों के मानदेय में वृद्धि की जाए (सत्तापक्ष के मा0 सदस्यों द्वारा मेंजे थपथपाई गई)। मेरे ख्याल से आज कपूर साहब कह रहे थे होमगार्ड्स के सिलसिले में। वे कह रहे थे कि होमगाड्र्स की तनख्वाह बहुत कम है। यह सही है कि होमगार्ड्स की तनख्वाह बहुत कम है, मगर कोई होमगार्ड्स तनख्वाह कम होने की बुनियाद पर नौकरी छोड़ने को तैयार नहीं है। उसकी वजह आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। उन्हें साइकिल, टार्च और फोटोयुक्त पहचान-पत्र दिया जायेगा। इसके लिए 15 करोड़ रुपये की धनराशि का प्राविधान किया गया है। मान्यवर, मा0 मुख्य मंत्री जी ने यह घोषणा की थी, सदन में और हमें यह मान लेने से कोई एतराज नहीं है। अच्छी बात कोई भी कहे, अच्छा आचरण किसी का भी रहे। प्रमोद तिवारी जी को यह मलका और यह कमाल हासिल रहा है कि उन्होंने कोई भी मुख्य मंत्री हो और खास तौर से समाजवादी मुख्य मंत्रियों से अपनी बातें मनवाने में हमेशा पहल की है। वो बातें उनके अपने अकेले के लिए नहीं हुई हैं, सबके लिए हुई है। हम उनके हमेशा शुक्रगुजार रहे हैं, इसलिए नहीं कि वह कम एज के हैं, इसलिए भी नहीं कि वह हमारे बहुत पुराने साथी हैं, बल्कि उनका यह तरीका हमेशा सभी को बहुत अच्छा लगा है। इसका यह मतलब नहीं है कि माथुर साहब की मैं उपेक्षा कर रहा हूं। माथुर साहब, मेरे आप से ज्यादा अच्छे मित्र हैं। आप तो हमें कभी विदेश लेकर नहीं गए, माथुर साहब हमें विदेश ले गए। माथुर साहब ने हमें ऐसी बढ़िया सी0डी0 बनाकर दी, जिसे हम अक्सर देखा करते हैं। आपने चाहा था कि विधायकों का, उस वक्त तो नहीं बढ़ाया जा सकता था, कुछ संसाधनों की कमी थीं, लेकिन मुख्य मंत्री जी ने खुद इस बात को महसूस किया कि विधायकों को दिए जाने वाला, जिसे विधायक निधि से बदलकर दूसरा नाम देने का प्रस्ताव था। यह सही है कि आज भी जो हमारा कमजोर वर्कर है या हमारा वोटर है वह हमसे आसानी से मिल सकता है। हम कितने ही बड़े मंत्री क्यों न बन जाएं, लेकिन जब हम अपने क्षेत्र में जाते हैं, यहां भले ही हम रंगीन शीशे चढ़ाकर चलें, लेकिन जब हम अपने क्षेत्रों में जाते हैं तो रिक्शा वाला भी जो हमारी गाड़ी के आगे हाथ देता है, तो हमारा काफिला रूक जाता है। वही लोग राजनीति में ज्यादा दिन तक उस गरम पानी में तैर सकते हैं, जिनका ऐसा ही काम करने का तरीका हो। यहां पर बार-बार आने वालों के काम करने के तरीके

मान्यवर, अगर आप देखेंगे तो ऐसे ही होगें कि हर कमजोर व्यक्ति यह समझता है कि यह विधायक मेरा है और मैं सबसे ज्यादा इसका हूं व उसकी पुलिया, उसकी सड़क, उसकी नाली डी0एम0 साहब की मेज से नहीं बन सकती। एस0डी0एम0 साहब के कलम से नही बन सकती, लेकिन विधायक के कलम से बन सकती है। बहुत सी शिकायतें हो सकती हैं, उन शिकायतों को दूर करना हमारे अपने ऊपर मनस्सर है, वह हम जब चाहेंगे, उसे खत्म और कम कर सकते हैं, लेकिन मुख्य मंत्री जी ने इसका अहसास किया कि यह धन कम है, वह बढ़ाना ज्यादा चाहते थे लेकिन और कटाक्ष न हों, औरों के भी हमलें न हों, इसलिये 25 लाख रुपये की धनराशि बढ़ाकर इसे डेढ़ करोड़ कर दिया गया है और इसके लिये मान्यवर, आपके माध्यम से सदन को यह सूचना देना है कि 126 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था की गयी है। मैं नहीं समझता कि ऐसी अनुपूरक मांगों का विरोध हुकुम सिंह जैसे एक संजीदा और तजुर्बेकार व्यक्ति ने क्यों किया है, उन्होंने क्यों गरीब किसानों की मुखालफत की, उन्होनें क्यों मजदूरों और कमजोरों की आज इस सदन में मुखालफत की, क्यों उन्होंने मुसलमान बच्चियों का अहित चाहा और इन सबके लिये अपने आपको कांग्रेस ने और किसानों की हितैषी पार्टी ने अपने आपको सम्बद्ध क्यों किया, इसका दुःख है मान्यवर और हम चाहते हैं कि कांग्रेस 2014 तक कम से कम अपने वह दांत जो दिखाने के हैं, उन्हें अन्दर कर लें और जो काम के दांत हैं, उनसे ही काम करें, वरना 2014 काफी गरां गुजरेगा।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

2014 जल्दी आयेगा।

श्री मोहम्मद आजम खां-

जल्दी वल्दी कुछ नहीं आयेगा, यह तो आपकी गलतफहमी है। अगर आयेगा तो आप आओगे और आप आओगे तो आपके यहां भी बंगारू लक्ष्मण आयेंगे।

तो मान्यवर, अपने सीमित संसाधनों के बावजूद हमने जो वायदे जनता से किये हैं, उन्हें पूरा कर रहे हैं। हुकुम सिंह जी को बुनकरों की याद आई, इसके लिये मैं उनका कम से कम एक लाख मर्तबा शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि बुनकर ज्यादातर मुसलमान होते हैं। अब या तो उन्हें पता नहीं होगा कि मुसलमान होते हैं।

श्री हुकुम सिंह-

मुझे यह पता है कि इंसान होते हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

''मैंने जब अपने गिरेबां के किये थे टुकड़े,
तुमको क्यों अपना गिरेबां याद आया।''

मान्यवर, बुनकरों के विद्युत बिलों के भुगतान के लिये मूल बजट में पहले से 127 करोड़ रुपये की व्यवस्था है और इतने जानकार व्यक्ति को यह मालूम नहीं है, यह कैसी अजीब बात है। अब या तो मैं यह कहूं कि सदन को गुमराह किये या अपने आपको गुमराह किया और दोनों सूरत में हमारा तो कम से कम नुकसान है। 127 करोड़ का पहले से प्रावधान है मान्यवर और अनुपूरक बजट में बुनकरों के विद्युत बिलों के भुगतान के लिये 50 करोड़ रुपये की अतिरिक्त व्यवस्था की जा रही है, इस तरह किसी की जानकारी के लिये हुकुम सिंह जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनकी जानकारी के लिये बताना चाहता हूं कि 177 करोड़ रुपया बुनकरों के विद्युत बिलों के

भुगतान हेतु प्रावधान किया है और कैलाश मानसरोवर यात्रा हेतु पहली बार यात्रियों को मदद करने का प्रावधान भी किया गया है। इसी के साथ मान्यवर, मैं आप सभी का और खासतौर से माननीय नेतागण का, जिन्होनें हमारी कमियों की तरफ ऊंगली उठाई है, शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। उनका धन्यवाद करना चाहता हूं और मान्यवर, मैं आपसे अनुपूरक बजट की मांगों को रखने की इजाज़त चाहता हूं।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, स्पष्टीकरण की परम्परा है तो मुझे एक स्पष्टीकरण पूछ लेने दें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

इसमें नहीं है। अनुपूरक में नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

अभी आप लोगों को चर्चा में भाग लेना है, बड़ी महत्वपूर्ण दो चर्चायें लगी हैं।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, आसान हो जायेगा चर्चा में भाग लेना।

श्री मोहम्मद आजम खां-

अरे बात निकलेगी तो बहुत दूर तलक जायेगी।

श्री अध्यक्ष-

मेरा आग्रह है।

श्री प्रमोद तिवारी-

आपका आग्रह आदेश के बराबर है। अगर आपको लगे कि नहीं तो नहीं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, इतना मस्का लगाया लेकिन कोई काम नहीं आया।

*श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मैं इनके मस्का लगाने को तैयार हूं ये समझें तो पहले सुन्दर आदमी के साथ रहकर कितना बदले गये हैं आप। माननीय आजम खां साहब ने पहले एक बात कही थी सदन में और माननीय सिंचाई मंत्री जी ने भी कही थी कुम्भ मेले के बारे में, मैं उसी में कह रहा हूं। बड़ी अच्छी बात है कि पुल बनायेंगे, लोग वहां पहुंचेंगे, लिफ्ट होगा लोग उससे उतरेंगे। मान्यवर, मुझे नहीं मालूम कि कितना व्यावहारिक है, उनके पास तकनीकी ज्ञान होगा वह जरूर बतायेंगे। लेकिन एक बात यह थी कि हर की पैड़ी की तरह एक कैनाल बन जायेगी जो बांध के नीचे होगी उससे लोगों को जो दो, तीन, चार किलोमीटर जाना पड़ता था उस पर विराम मिलेगा। मैं माननीय मंत्री जी को याद दिलाना चाह रहा था, आप सिर्फ इतना बता दें कि यदि है तो अच्छी बात है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मैं यह भी बता दूं कि मथुरा के लिए भी है।

(मा0 नेता लोकदल श्री दलवीर सिंह के खड़े होने पर)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, मैं नेता, लोकदल से यह कहूंगा कि गन्ने की कीमत बढ़ेगी, आज आप मा0 मुख्य मंत्री जी का शुक्रिया अदा कर दें और जो कीमत बढ़े उसका शुक्रिया अदा करें। मैंने आपसे कहा था कि जब भी घोषणा करने की नीयत होती है तब आप रास्ते में आ जाते हैं। देखिये आज आप सुबह रास्ते में आ गये नहीं तो आज घोषणा हो जाती। आज आपकी वजह से रुक गई, मैं चाहूंगा कि आप दो-चार दिन सब्र करके बैठे तो शायद कुछ हो जाए।

अनुदान संख्या-03-उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान सं0-03-उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन) के अन्तर्गत 2,46,21,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2012-2013 के लिए स्वीकार की जाए।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान सं0-03-उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन) के अन्तर्गत 2,46,21,00 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2012-2013 के लिए स्वीकार की जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-05-उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)

खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री (श्री राजाराम पाण्डेय)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान सं0-05-उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग) के अन्तर्गत 25,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2012-2013 के लिए स्वीकार की जाए।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान सं0-05-उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग) के अन्तर्गत 25,00,00,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2012-2013 के लिए स्वीकार की जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-06-उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)

वस्त्र उद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री शिव कुमार बेरिया)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान सं0-06-उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) के अन्तर्गत 3,19,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2012-2013 के लिए स्वीकार की जाए।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान सं0-06-उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) के अन्तर्गत 3,19,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2012-2013 के लिए स्वीकार की जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, क्या यह सम्भव है कि हम सारी मांगों को नम्बरवार पढ़ दें।

श्री अध्यक्ष-

नहीं, यह परम्परा नहीं रही है। सदन व्यवस्थित है एक-एक मांग पास होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, पहले भी ऐसा होता रहा है।

श्री अध्यक्ष-

नहीं यह ठीक नहीं है।

अनुदान संख्या-07-उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान सं0-07-उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत 1,54,09,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2012-2013 के लिए स्वीकार की जाए।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान सं0-07-उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत 1,54,09,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2012-2013 के लिए स्वीकार की जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-09-(ऊर्जा विभाग)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान सं0-09-ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत 83,27,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2012-2013 के लिए स्वीकार की जाए।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान सं0-09-ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत 83,27,00,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2012-2013 के लिए स्वीकार की जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-10-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास)

उद्यान मंत्री (श्री राज किशोर सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान सं0-10-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास) के अन्तर्गत 10,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2012-2013 के लिए स्वीकार की जाए।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान सं0-10-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास) के अन्तर्गत 10,00,00,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2012-2013 के लिए स्वीकार की जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-11-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)

कृषि मंत्री (श्री आनन्द सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान सं0-11-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) के अन्तर्गत 2,50,01,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2012-2013 के लिए स्वीकार की जाए।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान सं0-11-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) के अन्तर्गत 2,50,01,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2012-2013 के लिए स्वीकार की जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-13-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)

ग्राम्य विकास राज्य मंत्री (श्री अरविन्द सिंह गोप)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-13-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) के अन्तर्गत 3,94,23,28,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2012-2013 के लिए स्वीकार की जाए।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-13-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) के अन्तर्गत 3,94,23,28,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2012-2013 के लिए स्वीकार की जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-14-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)

पंचायती राज मंत्री (श्री बलराम यादव)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-14-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) के अन्तर्गत 3,40,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2012-2013 के लिए स्वीकार की जाए।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-14-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) के अन्तर्गत 3,40,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2012-2013 के लिए स्वीकार की जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-15-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)

लघु सिंचाई, पशुधन मंत्री (श्री पारस नाथ यादव)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-15-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) के अन्तर्गत 6,08,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2012-2013 के लिए स्वीकार की जाए।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-15-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) के अन्तर्गत 6,08,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2012-2013 के लिए स्वीकार की जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-16-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)

पंचायती राज मंत्री (श्री बलराम यादव)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-16-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) के अन्तर्गत 28,10,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2012-2013 के लिए स्वीकार की जाए।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-16-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) के अन्तर्गत 28,10,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2012-2013 के लिए स्वीकार की जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-18-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)

लोक निर्माण, सिंचाई मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-18-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) के अन्तर्गत 4,10,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2012-2013 के लिए स्वीकार की जाए।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-18-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) के अन्तर्गत 4,10,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2012-2013 के लिए स्वीकार की जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-21-खाद्य तथा रसद विभाग

खाद्य एवं रसद, कारागार मंत्री (श्री रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैय्या)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-21-खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत 8,47,91,63,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2012-2013 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-21-खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत 8,47,91,63,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2012-2013 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-22-खेल विभाग

वाह्य सहायतित परियोजना राज्य मंत्री (श्री राम करन आर्य)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-22-खेल विभाग के अन्तर्गत 33,44,64,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2012-2013 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-22-खेल विभाग के अन्तर्गत 33,44,64,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2012-2013 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-23-गन्ना विकास विभाग (गन्ना)

होमगार्ड्स, प्रान्तीय रक्षक दल मंत्री (श्री ब्रह्माशंकर त्रिपाठी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-23-गन्ना विकास विभाग (गन्ना) के अन्तर्गत 16,00,90,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2012-2013 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-23-गन्ना विकास विभाग (गन्ना) के अन्तर्गत 16,00,90,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2012-2013 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-26-गृह विभाग (पुलिस)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-26-गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत 28,07,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2012-2013 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-26-गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत 28,07,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2012-2013 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-28-गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-28-गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 16,40,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2012-2013 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-28-गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 16,40,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2012-2013 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के अन्तर्गत 37,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2012-2013 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के अन्तर्गत 37,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2012-2013 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-32-चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री शंखलाल मांझी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-32-चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत 5,05,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2012-2013 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-32-चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत 5,05,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2012-2013 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-35-चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री शंखलाल मांझी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-35-चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत 80,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2012-2013 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-35-चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत 80,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2012-2013 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-37-नगर विकास विभाग

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-37-नगर विकास विभाग के अन्तर्गत 24,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2012-2013 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-37-नगर विकास विभाग के अन्तर्गत 24,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2012-2013 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-40-नियोजन विभाग

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-40-नियोजन विभाग के अन्तर्गत 4,10,46,02,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2012-2013 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-40-नियोजन विभाग के अन्तर्गत 4,10,46,02,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2012-2013 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-41-निर्वाचन विभाग

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-41-निर्वाचन विभाग के अन्तर्गत 18,34,28,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2012-2013 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-41-निर्वाचन विभाग के अन्तर्गत 18,34,28,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2012-2013 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-42-न्याय विभाग

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-42-न्याय विभाग के अन्तर्गत 73,92,88,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2012-2013 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-42-न्याय विभाग के अन्तर्गत 73,92,88,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2012-2013 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-43-परिवहन विभाग

परिवहन मंत्री (श्री महेन्द्र अरिदमन सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-43-परिवहन विभाग के अन्तर्गत 6,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2012-2013 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-43-परिवहन विभाग के अन्तर्गत 6,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2012-2013 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-44-पर्यटन विभाग

होमगार्ड्स, प्रान्तीय रक्षक दल मंत्री (श्री ब्रह्माशंकर त्रिपाठी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-44-पर्यटन विभाग के अन्तर्गत 2,50,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2012-2013 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-44-पर्यटन विभाग के अन्तर्गत 2,50,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2012-2013 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-47-प्राविधिक शिक्षा विभाग

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-47-प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 28,72,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2012-2013 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-47-प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 28,72,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2012-2013 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-48-अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-48-अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अन्तर्गत 2,71,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2012-2013 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-48-अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अन्तर्गत 2,71,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2012-2013 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-49-महिला एवं बाल कल्याण विभाग

बाल विकास एवं पुष्टाहार, बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-49-महिला एवं बाल कल्याण विभाग के अन्तर्गत 69,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2012-2013 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-49-महिला एवं बाल कल्याण विभाग के अन्तर्गत 69,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2012-2013 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-58-लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़कें)

लोक निर्माण, सिंचाई मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-58-लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़कें) के अन्तर्गत 3,10,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2012-2013 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-58-लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़कें) के अन्तर्गत 3,10,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2012-2013 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-59-लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-59-लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) के अन्तर्गत 2,50,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2012-2013 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-59-लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) के अन्तर्गत 2,50,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2012-2013 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-60-वन विभाग

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-60-वन विभाग के अन्तर्गत 7,81,42,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2012-2013 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-60-वन विभाग के अन्तर्गत 7,81,42,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2012-2013 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-62-वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-62-वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें) के अन्तर्गत 8,28,08,20,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2012-2013 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-62-वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें) के अन्तर्गत 8,28,08,20,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2012-2013 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-65-वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प-बचत आदि)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-65-वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प-बचत आदि) के अन्तर्गत 6,12,09,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2012-2013 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-65-वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प-बचत आदि) के अन्तर्गत 6,12,09,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2012-2013 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-68-विधान सभा सचिवालय

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-68-विधान सभा सचिवालय के अन्तर्गत 60,41,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2012-2013 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-68-विधान सभा सचिवालय के अन्तर्गत 60,41,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2012-2013 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-71-शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)

बाल विकास एवं पुष्टाहार, बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-71-शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) के अन्तर्गत 4,00,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2012-2013 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-71-शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) के अन्तर्गत 4,00,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2012-2013 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-72-शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)

होमगार्ड्स, प्रान्तीय रक्षक दल मंत्री (श्री ब्रह्माशंकर त्रिपाठी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-72-शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) के अन्तर्गत 3,24,59,73,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2012-2013 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-72-शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) के अन्तर्गत 3,24,59,73,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2012-2013 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-73-शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-73-शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) के अन्तर्गत 2,15,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2012-2013 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-73-शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) के अन्तर्गत 2,15,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2012-2013 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-75-शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्)

बाल विकास एवं पुष्टाहार, बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-75-शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्) के अन्तर्गत 2,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2012-2013 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-75-शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्) के अन्तर्गत 2,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2012-2013 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-76-श्रम विभाग (श्रम कल्याण)

श्रम एवं सेवायोजन मंत्री (डा0 वकार अहमद)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-76-श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत 50,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2012-2013 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-76-श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत 50,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2012-2013 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-78-सचिवालय प्रशासन विभाग

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-78-सचिवालय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत 25,50,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2012-2013 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-78-सचिवालय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत 25,50,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2012-2013 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-80-समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)

समाज कल्याण मंत्री (श्री अवधेश प्रसाद)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-80-समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण) के अन्तर्गत 1,39,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2012-2013 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-80-समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण) के अन्तर्गत 1,39,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2012-2013 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-81-समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)

समाज कल्याण मंत्री (श्री अवधेश प्रसाद)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-81-समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) के अन्तर्गत 5,05,72,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2012-2013 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-81-समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) के अन्तर्गत 5,05,72,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2012-2013 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-82-सतर्कता विभाग

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-82-सतर्कता विभाग के अन्तर्गत 1,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2012-2013 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-82-सतर्कता विभाग के अन्तर्गत 1,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2012-2013 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-83-समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)

समाज कल्याण मंत्री (श्री अवधेश प्रसाद)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-83-समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना) के अन्तर्गत 5,47,52,83,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2012-2013 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-83-समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना) के अन्तर्गत 5,47,52,83,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2012-2013 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-84-सामान्य प्रशासन विभाग

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-84-सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत 12,50,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2012-2013 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-84-सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत 12,50,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2012-2013 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-88-संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-88-संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय) के अन्तर्गत 17,33,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2012-2013 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-88-संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय) के अन्तर्गत 17,33,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2012-2013 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-91-संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)

स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री दुर्गा प्रसाद यादव)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-91-संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) के अन्तर्गत 11,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2012-2013 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-91-संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) के अन्तर्गत 11,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2012-2013 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-92-संस्कृति विभाग

महिला कल्याण, संस्कृति राज्य मंत्री (श्रीमती अरूणा कोरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-92-संस्कृति विभाग के अन्तर्गत 1,20,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2012-2013 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-92-संस्कृति विभाग के अन्तर्गत 1,20,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2012-2013 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-94-सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)

लोक निर्माण, सिंचाई मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-94-सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अन्तर्गत 15,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2012-2013 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-94-सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अन्तर्गत 15,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2012-2013 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या-95-सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)

लोक निर्माण, सिंचाई मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-95-सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत 2,00,05,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2012-2013 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-95-सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत 2,00,05,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2012-2013 के लिए स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश विनियोग (2012-2013 का अनुपूरक) विधेयक, 2012†

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विनियोग (2012-2013 का अनुपूरक) विधेयक, 2012 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2012-2013 का अनुपूरक) विधेयक, 2012 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विनियोग (2012-2013 का अनुपूरक) विधेयक, 2012 को पुरःस्थापित करता हूं।

(विधेयक की प्रतियां वितरित की गयीं)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2012-2013 का अनुपूरक) विधेयक, 2012 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2012-2013 का अनुपूरक) विधेयक, 2012 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, अनुसूची, खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश विनियोग (2012-2013 का अनुपूरक) विधेयक, 2012

31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिए राज्य की समेकित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का प्राधिकार देने की व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम 1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग (2012-2013 का अनुपूरक) अधिनियम, 2012 कहलायेगा।

---

† दिनांक 11-12-2012 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

उत्तर प्रदेश राज्य की समेकित निधि में से वर्ष 2012-2013 के लिए 5861,29,60,000 रुपये का दिया जाना

2-ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के लिये जो 31 मार्च, 2013 ई0 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ-2 में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में देने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश राज्य की समेकित निधि में से इतनी धनराशि निकाली और काम में लायी जा सकती है जो अनुसूची के स्तम्भ-3 में दी हुई धनराशियों से, जिनका कुल योग 5861,29,60,000 रुपये (पांच हजार आठ सौ इकसठ करोड़ उन्तीस लाख साठ हजार रुपये मात्र) होता है, से अधिक न हो।

विनियोग

3-इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य की समेकित निधि में से, जिन धनराशियों को निकालने और काम में लाने का प्राधिकार दिया गया है, उनका विनियोग 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायेगा जो अनुसूची में दिये गये हैं।

अनुसूची

(धारा 2 और 3 देखें)

1	2	3	4		
अनुदान/ क्र0सं0	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (रु0 हजार में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
03	उद्योग विभाग (लघु) उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन	राजस्व :	11707	...	11707
		पूंजी :	12914	...	12914
05	उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग)	राजस्व :	250000	...	250000
		पूंजी :	...	...	0
06	उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)	राजस्व :	319	...	319
		पूंजी :	...	...	...
07	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	राजस्व :	909	...	909
		पूंजी :	14500	...	14500
09	ऊर्जा विभाग	राजस्व :	500000	...	500000
		पूंजी :	332700	...	332700
10	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास)	राजस्व :	100000	...	100000
		पूंजी :	...	...	0

1	2	3		4	
11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध	राजस्व :	15001	...	15001
	विभाग (कृषि)	पूंजी :	10000	...	10000
12	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध	राजस्व :	73000	...	73000
	विभाग (ग्राम्य विकास)	पूंजी :	3869328	...	3869328
14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध	राजस्व :	200	...	200
	विभाग (पंचायती राज)	पूंजी :	33800	...	33800
15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध	राजस्व :	58300	...	58300
	विभाग (पशुधन)	पूंजी :	2500	...	2500
16	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध	राजस्व :	281000	...	281000
	विभाग (दुग्धशाला विकास)	पूंजी :	...	...	0
18	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध	राजस्व :	4100000	696	4100696
	विभाग (सहकारिता)	पूंजी :	...	...	0
21	खाद्य तथा रसद विभाग	राजस्व :	...	...	0
		पूंजी :	8479163	400324	8879487
22	खेल विभाग	राजस्व :	...	...	0
		पूंजी :	334464	...	334464
23	गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	राजस्व :	...	...	0
		पूंजी :	160090	...	160090
26	गृह विभाग (पुलिस)	राजस्व :	280700	...	280700
		पूंजी :	...	...	0
28	गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन	राजस्व :	164000	...	164000
	तथा अन्य व्यय)	पूंजी :	...	...	0
31	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा	राजस्व :	15000	...	15000
	शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	पूंजी :	355000	...	355000
32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी	राजस्व :	50500	...	50500
	चिकित्सा)	पूंजी :	00	...	0
35	चिकित्सा विभाग (परिवार	राजस्व :	800000	...	800000
	कल्याण)	पूंजी :	...	...	0
37	नगर विकास विभाग	राजस्व :	240000	...	240000
		पूंजी :	...	...	0
40	नियोजन विभाग	राजस्व :	4602	...	4602
		पूंजी :	4100000	...	4100000

1	2	3		4	
41	निर्वाचन विभाग	राजस्व :	183428	...	183428
		पूंजी :	...	...	0
42	न्याय विभाग	राजस्व :	164288	115802	280090
		पूंजी :	575000	420000	1045000
43	परिवहन विभाग	राजस्व :	...	...	0
		पूंजी :	60000	...	60000
44	पर्यटन विभाग	राजस्व :	15000	...	15000
		पूंजी :	10000	...	10000
47	प्राविधिक शिक्षा विभाग	राजस्व :	...	...	0
		पूंजी :	287200	...	287200
48	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	राजस्व :	2710000	...	2710000
		पूंजी :	...	...	0
49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	राजस्व :	690000	...	690000
		पूंजी :	...	...	0
58	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़क)	राजस्व :	...	...	0
		पूंजी :	3100000	...	3100000
59	लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)	राजस्व :	15000	...	15000
		पूंजी :	10000	...	10000
60	वन विभाग	राजस्व :	77045	...	77045
		पूंजी :	1097	...	1097
62	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें)	राजस्व :	8280820	...	8280820
		पूंजी :	...	...	0
65	वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प-बचत आदि)	राजस्व :	61209	...	61209
		पूंजी :	...	...	0
68	विधान सभा सचिवालय	राजस्व :	2614	...	2614
		पूंजी :	3427	...	3427
71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	राजस्व :	4000000	...	4000000
		पूंजी :	...	...	0
72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	राजस्व :	3026160	...	3026160
		पूंजी :	219813	...	219813
73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	राजस्व :	4000	...	4000
		पूंजी :	17500	...	17500

1	2	3		4	
75	शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्)	राजस्व :	1	...	1
		पूंजी :	1	...	1
76	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	राजस्व :	5000	...	5000
		पूंजी :	...	...	0
78	सचिवालय प्रशासन विभाग	राजस्व :	255000	...	255000
		पूंजी :	...	...	0
80	समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)	राजस्व :	1390000	...	1390000
		पूंजी :	...	...	0
81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	राजस्व :	50572	...	50572
		पूंजी :	...	...	0
82	सतर्कता विभाग	राजस्व :	...	1500	1500
		पूंजी :	10000	...	10000
83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)	राजस्व :	5474031	...	5774031
		पूंजी :	1252	...	1252
84	सामान्य प्रशासन विभाग	राजस्व :	1250	...	1250
		पूंजी :	...	...	0
88	संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)	राजस्व :	1733	...	1733
		पूंजी :	...	...	0
91	संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)	राजस्व :	110000	...	110000
		पूंजी :	...	...	0
92	संस्कृति विभाग	राजस्व :	7000	...	7000
		पूंजी :	5000	...	5000
94	सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)	राजस्व :	...	...	0
		पूंजी :	150000	...	150000
95	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	राजस्व :	2000500	...	2000500
		पूंजी :	...	...	0
	योग :	**राजस्व :**	**35469889**	**117998**	**35587887**
		पूंजी :	**22154749**	**870324**	**23025073**
	महायोग :		**57624638**	**988322**	**58612960**

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, अनुसूची, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाएं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2012-2013 का अनुपूरक) विधेयक, 2012 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2012-2013 का अनुपूरक) विधेयक, 2012 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(मेजों की थपथपाहट)

नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 27-11-2012 को नियम-301 के अन्तर्गत कुल 35 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। जिसमें से निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनाएं स्वीकार हुई हैं।

पहली सूचना श्री अजय मिश्र 'टेनी' की है, जो जनपद लखीमपुर खीरी में चावल खरीद न शुरू होने व फर्जी धान क्रय केन्द्रों के सम्बन्ध में।

श्री अजय मिश्र 'टेनी'-

मान्यवर, मैं अपनी सूचना को पढ़ना चाहता हूं।

(मा0 सदस्य द्वारा सूचना पढ़ी गयी)

श्री अध्यक्ष-

दूसरी सूचना श्री रविन्द्र जायसवाल की है वाराणसी में हैरीटेज योजना हेतु उपलब्ध 1 अरब 25 करोड़ की धनराशि का प्रयोग जनप्रतिनिधियों की सहमति से खर्च किये जाने के सम्बन्ध में है।

श्री रविन्द्र जायसवाल-

मान्यवर, मैं इसको पढ़ना चाहता हूं।

(माननीय सदस्य द्वारा सूचना पढ़ी गयी)

श्री अध्यक्ष-

तीसरी सूचना श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव की वाराणसी नगर निगम के संविदा कर्मियों की सेवायें समाप्त होने से उनके परिवारों को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में है, पढ़ी हुई मानी गयी। चौथी सूचना श्री प्रदीप चौधरी की है वह उपस्थित नहीं हैं, वह हमेशा ऐसा करते हैं सुबह पहुंच जायेंगे यहां रहेंगे नहीं। पांचवीं सूचना श्री मनीष असीजा की नगर फिरोजाबाद में पेयजल की भीषण समस्या एवं भू-गर्भ के गिरते जल स्तर के सम्बन्ध में है पढ़ी हुई मानी गयी। छठी सूचना श्री राघव लखन पाल शर्मा की जनपद सहारनपुर स्थित दया शुगर मिल में किसानों के बकाये का भुगतान न किये जाने एवं

अन्य समस्याओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है पढ़ी हुई मानी गयी। सातवीं सूचना श्री राधेश्याम जायसवाल की जनपद सीतापुर की नगरपालिका परिषद् खैराबाद की करोड़ों की जमीन भू-माफियाओं के कब्जे से मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में है पढ़ी हुई मानी गयी। आठवीं सूचना श्री आरिफ अनवर हाशमी की प्रदेश के भूतपूर्व विधायकों की विधवाओं एवं महिला विधायकों के पतियों की पेंशन एवं इलाज दिलाये जाने के सम्बन्ध में है।

पत्नी तो पेंशन पाती है आप पति की पेंशन मांग रहे हैं। आप पढ़ेंगे तो पढ़िये।

*श्री आरिफ अनवर हाशमी-

मान्यवर, पिछली सरकार ने एक पेंशन की स्कीम लागू की जो इस सदन की सेवा कर चुके हैं विधायक उनकी पत्नी जो जीवित हैं उन्हें पेंशन दे दिया जाय वह ऐसा त्रुटिपूर्ण और गलत आर्डर इन्होंने पास कर दिया कि मात्र 2010 से यह लागू होगी [x x x] ।

श्री अध्यक्ष-

आप भाषण न करें जो लिखा है वही पढ़े।

श्री आरिफ अनवर हाशमी-

मान्यवर, वही लिखा है।

श्री अध्यक्ष-

यह नहीं लिखा जायेगा, जो लिखा है वही पढ़ें।

श्री आरिफ अनवर हाशमी-

मान्यवर, वही पढ़ रहा हूं।

(माननीय सदस्य द्वारा सूचना पढ़ी गयी)

श्री अध्यक्ष-

नवीं सूचना श्री अनूप कुमार गुप्ता की जनपद सीतापुर के अन्तर्गत मनरेगा योजना में क्षेत्र पंचायत मिश्रिख में कराये गये कार्यों का भुगतान न किये जाने के सम्बन्ध में है पढ़ी हुई मानी गयी। दसवीं सूचना श्री विजय कुमार की विधान सभा क्षेत्र कपिलवस्तु के अन्तर्गत सेमरा घाट (बूढी राप्ती नदी) पर पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में है पढ़ी हुई मानी गयी। ग्यारहवीं सूचना श्री भीम प्रसाद सोनकर की जनपद अम्बेडकर नगर की तहसील आलापुर के अन्तर्गत ग्राम माझा कम्हरिया में लगी भीषण आग से प्रभावित परिवारों को सहायता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में है (उपस्थित)। बारहवीं सूचना श्री राजनारायण बुधौलिया की जनपद महोबा में भूमि संरक्षण विभाग में हो रहे भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में (उपस्थित), तेरहवीं सूचना श्री बब्बन सिंह चौहान की जनपद चन्दौली क्षेत्र मुगलसराय के औद्योगिक क्षेत्र रामनगर में फैक्ट्रियों द्वारा किये जा रहे प्रदूषण के सम्बन्ध में है (उपस्थित)। चौदहवीं सूचना श्री पंकज कुमार मलिक की विधान सभा क्षेत्र शामली में फैली विद्युत अव्यवस्था के सम्बन्ध में है (उपस्थित)। पन्द्रहवीं सूचना श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य की जनपद शाहजहांपुर के थाना कलान के थानाध्यक्ष के द्वारा फर्जी मुकदमा कायम करने एवं माननीय सदस्य का अपमान किये जाने के सम्बन्ध में है (उपस्थित)।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

उपस्थित माननीय सदस्यों की सूचनायें पढ़ी हुयी मानी जाती हैं।

स्वीकृत सूचनाएं पढ़ी हुयी मानी गयीं।

श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य-

मान्यवर, यह हमारा व्यक्तिगत मामला है। मैं अपनी सूचना पढ़ना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

[मा0 सदस्य श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य ने अपनी सूचना को पढ़ा]

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचना अस्वीकार की गयीं :-

श्री प्रदीप माथुर, श्रीमती रूबी प्रसाद, श्री जगन प्रसाद गर्ग, श्री रामचन्द्र यादव, श्री सन्त प्रसाद, डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेई, श्री मुकुट बिहारी वर्मा, श्री अमरपाल शर्मा, डा0 पूर्णमासी देहाती, श्री ब्रजेश कुमार, श्री राजबली जैसल, श्री मुकेश श्रीवास्तव, श्री विजय कुमार दुबे, श्री पूरन प्रकाश, डा0 धर्मपाल सिंह, डा0 रमेश चन्द्र बिन्द, श्री अगयश राम सरन वर्मा, ठाकुर दलवीर सिंह, श्री जय प्रकाश अंचल, श्री विजय बहादुर यादव।

श्री मुकुट बिहारी वर्मा-

मान्यवर, जो अनुपस्थित हैं उसके स्थान पर मेरी सूचना ले लें।

श्री अध्यक्ष-

बैठिये-बैठिये बात करेंगे।

जनपद लखीमपुर खीरी में चावल खरीद न शुरू होने व फर्जी धान क्रय केन्द्रों के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अजय मिश्र 'टेनी'-

महोदय, उ0 प्र0 में जनपद लखीमपुर खीरी धान व चावल उत्पादन में विशेष स्थान रखता है। जहां धान यहां की मुख्य फसल है तथा जिले के किसानों की आमदनी का मुख्य जरिया है वहीं चावल उत्पादन की दो सौ से अधिक इकाइयां स्थापित हैं जो जिले के व्यवसाय व आय के मुख्य स्रोत हैं। परन्तु उ0 प्र0 सरकार की बहुत सारी घोषणाओं के बावजूद धान क्रय केन्द्रों द्वारा धान न खरीदने तथा सरकारी क्रय एजेन्सियों द्वारा चावल खरीद न होने के कारण किसानों को मजबूरन वह धान जिसका मूल्य 1250/-प्रति कु0 मिलना चाहिए था, 850 से 900 रु0 प्रति कु0 में बेचना पड़ रहा है। जिससे किसानों व व्यापारियों की स्थिति बहुत खराब हो गयी है। लोगों में हताशा और निराशा है तथा सरकार के विरुद्ध आक्रोश व्याप्त है। आवश्यकता है आवश्यक दिशा-निर्देश देकर सरकारी क्रय एजेन्सियों से चावल व धान क्रय केन्द्रों द्वारा खरीद शीघ्र शुरू करायी जाये।

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर मैं आपके माध्यम से सरकार से कार्यवाही की मांग करता हूं।

वाराणसी में हैरीटेज योजना के हेतु लगभग 1 अरब 25 करोड़ की धनराशि का प्रयोग जनप्रतिनिधियों की सहमति से खर्च किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रविन्द्र जायसवाल-

वाराणसी मे भारत सरकार द्वारा हेरीटेज योजना में 1 अरब 25 करोड़ रुपये स्वीकृत किया गया है। इस निधि का उपयोग कहां होना है इस पर क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि से कोई चर्चा नहीं होती है। अधिकारी वर्ग जो किसी भी जनपद में कुछ समय के लिए तैनात रहते हैं उन्हें वहां के कल्चर और

स्थानीय संस्कृति की बहुत जानकारी नहीं हो पाती है जो जबकि स्थानीय जनप्रतिनिधि को क्षेत्र की समस्त जानकारी उपलब्ध होती है। अधिकारी वर्ग तारांकित होटलों में कुछ अधिकारियों के साथ चर्चा करके पैसा बर्बाद करते हैं और जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए धन दिया जाता है वह जस का तस रह जाता है। इसमें क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों की भागीदारी उनके विचार/प्रस्ताव अवश्य लेना चाहिए जिससे क्षेत्र के विकास हेतु उपलब्ध कराये गये धनराशि का सही उपयोग हो सके।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए वाराणसी में आये हैरीटेज योजना हेतु उपलब्ध 1 अरब 25 करोड़ की धनराशि का उपयोग जनप्रतिनिधि की सहमति/प्रस्ताव से खर्च किये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।

वाराणसी नगर निगम के संविदा कर्मियों की सेवायें समाप्त होने से उनके परिवारों को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव-

[महोदय, माननीय नगर विकास मंत्री ने दिनांक 26-11-12 को विधान सभा में एक प्रश्न के उत्तर में कहा है कि वाराणसी नगर निगम के संविदा कर्मियों को अनियमित ढंग में दी गयी नौकरी के कारण नौकरी समाप्त की गई है। लेकिन हर कार्य का एक मानवीय व सामाजिक पहलू भी होता है। विशेषकर, प्रजातंत्र व लोकतंत्र में जिन लोगों ने नगर निगम में कार्य करते हुये अपना आधा जीवन बिता दिया, आज वे कहीं भी नौकरी पाने की स्थिति में नहीं हैं। जिन्होंने अपने जीवन के 15-20 महत्वपूर्ण साल नगर निगम की सेवा में बिता दिया, उनके बच्चों की आज पढ़ाई भी बन्द हो रही है, घर में भुखमरी की स्थिति पैदा हो गई है। ऐसे लोगों की विशेषकर ऐसे समय जब सरकार बेरोजगारी भत्ता देने की शुरुआत कर रही है। क्या वे पूर्व निगम कर्मी बेरोजगारी भत्ता के उचित पात्र नहीं हैं ?

जनहित के इस महत्वपूर्ण विषय पर सहानुभूति पूर्वक विचार कर आवश्यक कदम उठाने की घोषणा करें।]

नगर फिरोजाबाद में पेयजल की भीषण समस्या एवं भू-गर्भ के गिरते जल स्तर के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मनीष असीजा-

[महोदय, नगर फिरोजाबाद की जनता को पेयजल की अत्यन्त भीषण समस्या का सामना करना पड़ रहा है। नगरीय क्षेत्र में भू-गर्भ जल स्तर लगातार नीचे गिरते चले जाने के कारण अधिकांश नलकूपों ने कार्य करना बंद कर दिया है या बहुत कम मात्रा में पानी उपलब्ध करा रहे हैं।

महोदय, पीने के पानी की सर्दी के समय इतनी भीषण समस्या है तो आने वाले गर्मी के मौसम में स्थिति अत्यन्त विकराल हो जायेगी।

अतः अत्यन्त लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए तत्काल नगर के बाहरी क्षेत्रों में जहां भू-गर्भ जल का स्तर ठीक है, नलकूपों की स्थापना कर पाइप लाइन के माध्यम से नगर में पेयजल की आपूर्ति कराये जाने की मांग करता हूं।]

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद सहानपुर स्थित दया शुगर मिल में किसानों के बकाये का भुगतान न किये जाने एवं अन्य समस्याओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राघव लखनपाल शर्मा-

[महोदय, जनपद सहारनपुर स्थित दया शुगर मिल में किसानों के बकाये का भुगतान न किये जाने के कारण लगभग 15 दिनों तक मिल के सामने धरना दिया गया। उक्त धरने को समाप्त कराने हेतु जिलाधिकारी, सहारनपुर को आकर 15 दिन के भीतर गन्ना किसानों को ब्याज सहित भुगतान का आश्वासन देना पड़ा था। जिसके बाद किसानों ने मिल के सामने से अपना धरना समाप्त किया। मिल मालिकों द्वारा वर्ष 2007-08 का अन्तर गन्ना मूल्य भुगतान रु0 4.78 करोड़ व बकाया गन्ना भुगतान 3.75 करोड़ मय ब्याज के किये जाने का आश्वासन दिया गया। परन्तु उक्त भुगतान आज तक नहीं किया गया।

इसके अतिरिक्त मिल के अन्दर से 1 लाख 40 हजार बोरियां स्टाक में से गायब कर दी गयीं। जिस सम्बन्ध में सहकारी गन्ना विकास समिति, सहारनपुर के सचिव प्रभारी ने थाना गागलहेड़ी में दिनांक 23-10-2012 को चार लोगों के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी है। मिल मालिक, मिल से सम्बन्धित पदाधिकारीगण तथा शासन की मिलीभगत से किसानों के करोड़ों रुपये का बंदरबांट कर दिया गया है जिससे वहां के किसानों में अत्यधिक आक्रोश व्याप्त है।

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए, किसानों के लगभग 9.0 करोड़ की बकाया धनराशि का भुगतान मिल मालिकों से कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद सीतापुर की नगरपालिका खैराबाद की करोड़ों की जमीन भू-माफियाओं के कब्जे से मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राधेश्याम जायसवाल-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। नगर पालिका परिषद् खैराबाद जनपद सीतापुर की करोड़ों की जमीन कुछ लोगों की मिली-भगत से बेची जा रही है और साजिश के तहत नगर पालिका की जमीन जिसमें तालाबों व कूड़ा डालने के स्थान को भी भू-माफियाओं ने फ्री-होल्ड कराकर हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। खेल का मैदान प्राइमरी स्कूल की जमीन आदि पर पट्टा धारकों को दिया जा रहा है, खेलने के लिए बच्चे इधर-उधर परेशान हो रहे हैं। इस प्रकार से स्थानीय लोगों में काफी रोष भी है। प्रापर्टी डीलर ऊंचे रेट पर जमीनों का पट्टा कराकर बेंच रहे हैं। नगर पालिका की महत्वपूर्ण कीमती जमीन को बेचने में स्थानीय अधिकारी भी सम्मिलित हैं।

अतः इसकी जांच कराकर भू-माफियाओं को पट्टे पर देने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने एवं फर्जी रूप से किये गये पट्टे निरस्त किये जाने की मांगा करता हूं।]

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

प्रदेश के भूतपूर्व विधायकों की विधवाओं एवं महिला विधायकों के पतियों को पेंशन एवं इलाज दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री आरिफ अनवर हाशमी-

मान्यवर, अवगत कराना है कि पिछली सरकार में भूतपूर्व विधायक की विधवाओं एवं महिला विधायकों के पतियों के लिए पेंशन दिये जाने की व्यवस्था बनायी थी, परन्तु यह व्यवस्था मार्च, 2010 से ही लागू किया हैं जबकि 1952 से पहली विधान सभा से जीवित पूर्व विधायक की पत्नियों को पेंशन लाभ दिये जाने की आवश्यकता हैं क्योंकि ज्यादेतर ऐसे लोगों को दवा व इलाज जीवन भरण-पोषण न मिलने के कारण एवं आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण जटिल समस्या हो गयी है।

अतः इस गम्भीर विषय जो मानवीय भी है एवं सदन की सेवा कर चुके लोगों से सम्बन्धित है। इस गम्भीर विषय को सदन के लाते हुए सरकार से त्रुटिपूर्ण आदेश में संशोधन करते हुए समस्त पूर्व विधायकों के विधवाओं को पेंशन आदि का लाभ दिये जाने की मांग करता हूं।

जनपद सीतापुर के अन्तर्गत मनरेगा योजना में क्षेत्र पंचायत मिश्रिख में कराये गये कार्यों का भुगतान न किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अनूप कुमार गुप्ता-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान अति लोक महत्व के गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि जनपद सीतापुर के अन्तर्गत मनरेगा योजना में क्षेत्र पंचायत मिश्रिख में वित्तीय वर्ष 2010-2011 में कराये गये विभिन्न कार्यों का आज तक श्रम एवं सामग्री का भुगतान खण्ड विकास अधिकारी मिश्रिख द्वारा नहीं किया गया है। हजारों श्रमिक भुगतान न पाने के कारण भुखमरी के कगार पर हैं। जिलाधिकारी सीतापुर द्वारा सभी निर्माण कार्यों का टीम गठित कर सत्यापन भी कराया जा चुका है। श्री जाहिर मंजर अब्बास रिजवी मुख्य विकास अधिकारी सीतापुर बसपा सरकार के समय से तैनात हैं। क्षेत्र पंचायत के बकाया श्रम एवं सामग्री के भुगतान हेतु कई बार धनराशि मांग करने के बावजूद अवमुक्त नहीं की जा रही है। मनरेगा अधिनियमों का घोर उल्लंघन किया जा रहा है मुख्य विकास अधिकारी, परियोजना अधिकारी एवं बी0डी0ओ0 द्वारा कार्य को जानबूझकर भुगतान नहीं किया जा रहा है। इससे सरकार की छवि खराब हो रही है। जिससे क्षेत्रीय जनता में आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सरकार से अपरोक्त धनराशि भुगतान कराये जाने की मांग करता हूं।]

विधान सभा क्षेत्र कपिलवस्तु के अन्तर्गत सेमरा घाट (बूढ़ी राप्ती नदी) पर पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विजय कुमार-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के विषय की ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र कपिलवस्तु जनपद सिद्धार्थ नगर के अन्तर्गत सेमरा घाट (बूढ़ी राप्ती नदी) पर एक नया पुल का निर्माण जनहित में बहुत ही आवश्यक है। इस पुल के बन जाने से क्षेत्र की जनता को लगभग 8-10 किमी0 की दूरी कम हो जायेगी। पूरे क्षेत्र के लोग बाढ़ के समय

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ता है। पुल के बनने से मुख्यालय पहुंचने में क्षेत्र की जनता को काफी सुविधा मिल जायेगी और बूढ़ी राप्ती नदी पर ही खजूरडाढ़ घाट पर बने अधूरे पुल का निर्माण कराना बहुत ही आवश्यक है। इस सम्बन्ध में कई बार लिखित रूप से शिकायत की गयी है। लेकिन अभी तक पुल का निर्माण कार्य नहीं किया गया है। उक्त पुल बनने से 10 हजार की आबादी वाले लोगों को सुविधा मिल सकती है। मान्यवर, यह पुल जनहित में आवश्यक है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए उपरोक्त नदी पर एक नया पुल का निर्माण एवं खजूरडाढ़ घाट पर बने पुल के अधूरे कार्य जो यथाशीघ्र कराये जाने हेतु सरकार से वक्तव्य दिये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद अम्बेडकर नगर की तहसील आलापुर के अन्तर्गत ग्राम माझा कम्हरिया में लगी भीषण आग से प्रभावित परिवारों को सहायता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री भीम प्रसाद सोनकर-

[मान्यवर, मैं महत्वपूर्ण विषय पर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। जनपद अम्बेडकर नगर तहसील आलापुर के ग्राम माझा कम्हरिया में दिनांक 24-11-2012 के दिन में लगभग 2.00 बजे भीषण आग लगने से काफी परिवार प्रभावित हुये हैं। पूरे घर, सामान जल कर राख हो गये हैं। कुछ परिवार के लड़के एवं लड़कियों की शादी भी होनी थी वह भी रूक गयी है। सूची निम्नवत् है :-वीरेन्द्र यादव पुत्र बाढू यादव के लड़के एवं लड़की की शादी दि0-5 दिसम्बर व 8 दिसम्बर, 2012 को निर्धारित है। रामधनी यादव पुत्र केवल यादव, लड़की की शादी 10 दिसम्बर, 12 भम्भूती पुत्र हरख यादव लड़की की शादी 23 जनवरी, 2013, मोहन पुत्र कुबेर यादव लड़की की शादी 30 जनवरी निर्धारित है। राधेश्याम पुत्र राम हरख, चन्द्रेश पुत्र राम दुलार, राजू पुत्र वीरेन्द्र यादव मंगल यादव पुत्र पराग लाल, बचन यादव पुत्र रामशब्द, रामजीत यादव पुत्र हन्सू, हरि शंकर यादव पुत्र पूजन, कन्हई पुत्र केवल यादव, छोटे लाल पुत्र राम सुमेर, बनवारी पुत्र राम सुमेर, जनार्दन पुत्र राम सुमेर, सतीराम पुत्र राम सुमेर, रामधनी पुत्र केवल, राम उजागिर पुत्र रामधनी, जय प्रकाश पुत्र रामधनी, अवधेश पुत्र राम उजागिर, दिनेश पुत्र भभूती, मन्नू पुत्र तीरथ, बिहारी पुत्र तीरथ, कालेन्द्र पुत्र बिहारी, लल्लन, लालचन्द्र पुत्रगण तीरथ, विनोद पुत्र लल्लन, जोगेश पुत्र लालचन्द्र, रूदल पुत्र पलट, रामसुमेर पुत्र केवल आदि परिवार आग की चपेट में आने के कारण प्रभावित हैं। घर में खाने-पीने का कोई सामान नहीं है, जलकर सारा सामान राख हो गया हैं। बहुत ही दयनीय स्थिति है।

अतः मेरा आग्रह है कि इन पीड़ित परिवारों को सरकार की तरफ से बच्चे एवं बच्चियों की शादी हेतु व अन्य प्रभावित परिवारों को समुचित सहायता राशि दिये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद महोबा में भूमि संरक्षण विभाग में हो रहे भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राज नारायण बुधौलिया-

[मान्यवर, अवगत कराना चाहूंगा कि जनपद महोबा में भूमि संरक्षण विभाग (रा0जल0) के द्वारा वित्तीय वर्ष 2010 से 2012-13 के बीच व्यापक स्तर पर भारी भ्रष्टाचार एवं धांधली की गयी है, इस दौरान कराये गये मिट्टी के कच्चे कार्य एवं बंधियों में बनाये गये पक्के जल निकास संरचना

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

में पूरी तरह से मानकों के अनदेखी कर भारी अनियमिततायें कर फर्जी भुगतान निकाले गये, जिसके फल स्वरूप सभी पक्के स्ट्रेक्चर इस समय टूटे एवं फटे हुए पड़े हैं। उदाहरण के तौर पर ग्राम-छानी में पक्का स्ट्रेक्चर फटा हुआ पड़ा है। इसी श्रेणी में ग्राम लिलवाही में बन्धी का निर्माण लघु सिंचाई द्वारा कराया गया था। उसी समय लघु सिंचाई द्वारा भुगतान भी हो चुका था। लेकिन मात्र 50 दिन बाद उसी कार्य का फर्जी भुगतान भूमि संरक्षण विभाग द्वारा निकाला गया तथा इसी पक्के स्ट्रेक्चर की टीपा-टापी कर दी गयी।

इसी क्रम में वर्ष 2012-13 में चल रहे बुन्देलखण्ड पैकेज से इन्टी प्वाइंट योजना में चल रहे ग्रामों में पुलिया बनायी गयी जो की पूर्ण तरह से मानक के विपरीत है एवं नबार्ड-16 के अन्तर्गत वर्तमान में चल रहे समस्त कच्चे एवं पक्के कार्यो में बड़े पैमाने पर धांधली की जा रही है।

यहां पर यह भी अवगत कराना चाहूंगा कि विभाग में हो रही धांधली एवं भ्रष्टाचार से सम्बन्धित जानकारी सी0डी0ओ0 महोबा के माध्यम से मांगने पर भी भूमि संरक्षण विभाग के अधिकारियों द्वारा गुमराह करने वाली एवं अधूरी जानकारी लिखित रूप में भेजी गयी।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषी लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद चन्दौली क्षेत्र मुगलसराय के औद्योगिक क्षेत्र रामनगर में फैक्ट्रियों द्वारा किये जा रहे प्रदूषण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बब्बन सिंह चौहान-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि जनपद चन्दौली के क्षेत्र मुगलसराय में औद्योगिक क्षेत्र रामनगर में फैक्ट्रियों द्वारा बड़े पैमाने पर कोयला एवं कैमिकल्स की उपयोग के कारण क्षेत्र के आस-पास उसके द्वारा हो रहे प्रदूषण के कारण क्षेत्रीय जनता को अनेकों प्रकार की बीमारियां जैसे-चर्मरोग, दमा, स्वास की बीमारी एवं आंखों को प्रभावित कर रहे हैं तथा इनके द्वारा निकल रहे गन्दे पानी सीधे गंगा नदी में जाता जिसके कारण गंगा जल भी प्रदूषित हो रहा है। जिसके कारण क्षेत्रीय जनता में काफी समय से जनाक्रोश व्याप्त है। किसी भी समय स्थिति विस्फोटक हो सकती है।

अतः महोदय इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उपरोक्त प्रकरण में मेरा सरकार से अनुरोध है कि मुगलसराय में स्थित फैक्ट्रियों द्वारा फैलाये जा रहे प्रदूषण हेतु रोकथाम हेतु शीघ्र कार्यवाही करने की मांग करता हूं।]

विधान सभा क्षेत्र शामली में फैली विद्युत अव्यवस्था के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पंकज कुमार मलिक-

[महोदय, मेरी विधान सभा क्षेत्र शामली, जिला शामली में बिजली की स्थिति बहुत खराब है। विधान सभा शामली के गांव हांगरोड, भभीसा, हुरमंजपुर आदि गांवों में ट्रासफार्मर काफी ओवरलोड चल रहे हैं, जिससे ट्रांसफार्मर जल्दी-जल्दी फुंक जाते हैं और विभाग द्वारा जल्दी मरम्मत नहीं किया जाता है, जिससे लोगों को बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है।

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

नगर पालिका शामली के मोहल्ला काकानगर में ट्रांसफार्मर ओवरलोड चल रहा है और वहां 250 के0वी0ए0 के ट्रांसफार्मर की सभी औपचारिकताएं पूर्ण हो चुकी हैं परन्तु विभागीय अधिकारियों की हठधर्मिता के कारण वहां ट्रांसफार्मर नहीं बदला जा सका है। चांद मस्जिद के पास नई बस्ती में आज तक विद्युतीकरण नहीं हो पाया है जबकि विभाग को इस सम्बन्ध में कई बार अवगत कराया जा चुका है।

विधान सभा शामली के गांव एल्लम, लाक, बहाबड़ी, भभीसा, कावडोल में तार बहुत जर्जर अवस्था में हैं, तारों के टूटने से पूर्व में भी कई बार दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, परन्तु विभाग ने आज तक उन जर्जर तारों को नहीं बदलवाया है। यदि समय रहते इन तारों को न बदला गया तो भविष्य में कोई बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है।

अतः मैं लोक महत्व के इस विषय पर सदन के माध्यम से सरकार से वक्तव्य की मांग करता हूं।]

जनपद शाहजहांपुर के थाना कलान के थानाध्यक्ष के द्वारा फर्जी मुकदमा कायम करने एवं मा0 सदस्य का अपमान किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य-

मान्यवर, अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र 132, जलालाबाद, जनपद शाहजहांपुर के अन्तर्गत आने वाले थाना-कलान, जनपद-शाहजहांपुर के थानाध्यक्ष श्री गौरव से मैंने दि0 24-11-2012 को उनके सी0यू0जी0 नं0 9454404207 पर अपने सी0यू0जी0 नं0 9415607332 से एक घटना के सम्बन्ध में वार्ता की तो एस0ओ0 कलान श्री गौरव ने मुझसे ठीक से बात नहीं की मैंने उनसे पुनः दि0 24-11-2012 को फिर एक समस्या बतानी चाही तो उन्होंने मुझसे बहुत ही अभद्र भाषा में बात की और मेरा उपहास भी उड़ाया, इसके बाद मैंने यह जानकारी एस0पी0 शाहजहांपुर को भी उनके सी0यू0जी0 नं0 9454400306 पर दी। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं थानाध्यक्ष से बात करूंगा। पुनः मैंने 25-11-2012 को थानाध्यक्ष से बात करनी चाही तो उन्होंने मुझसे कहा, विधायक आप मेरा कुछ नहीं कर पाओगे, जहां मर्जी आयें शिकायत कर लो, और अपशब्द कहने लगे, तो मैंने फोन काट दिया, तो उन्होंने स्वयं मेरे फोन पर फोन करके कहा कि तूने फोन क्यों काट दिया, अभी तेरे खिलाफ मुकदमा लिखता हूं। तेरी विधायकी बताता हूं। मैंने फिर फोन काट दिया,, इसके बाद थानाध्यक्ष कलान ने मेरे खिलाफ थाना कलान में, फर्जी मुकदमा दर्ज कर दिया है।

इस पूरे घटनाक्रम से मेरा तो अपमान हुआ ही है। साथ ही पूरी विधायिका का भी अपमान हुआ है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त दोषी थानाध्यक्ष श्री गौरव के खिलाफ सख्त कार्यवाही एवं मेरे ऊपर लगाया गया फर्जी मुकदमा वापस लिए जाने की मांग करता हूं।

औचित्य के प्रश्न की सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 27 नवम्बर, 2012 को नियम-300 के अन्तर्गत निम्नलिखित 09 सूचनायें प्राप्त हुयीं। जिसमें पहली सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना एवं श्रीमती सीमा की मा0 मुख्य मंत्री जी की घोषणानुसार स्थानीय विधायकों की संस्तुति के आधार पर समग्र विकास के लिये लोहिया ग्राम/जनेश्वर

मिश्र ग्राम का चयन न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। दूसरी सूचना श्री प्रमोद तिवारी की विधान सभा क्षेत्र विकास निधि के अन्तर्गत शासन द्वारा नामित कार्यदायी संस्थाओं द्वारा मा0 सदस्यों के प्रस्तावित कार्यों को कराने में टाल-मटोल किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। तीसरी सूचना श्री बृजेश कुमार की जनपद-हरदोई के थाना-मल्लावां के अन्तर्गत दिनांक 25 अक्टूबर, 2012 को मा0 सदस्य पर जानलेवा हमला करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। चौथी सूचना श्री सतीश महाना की उत्तर प्रदेश विधान सभा के सत्र एक वर्ष में 90 दिन चलायें जाने के सम्बन्ध में। पांचवी सूचना श्री मनीष असीजा की प्रदेश के असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को किसान दुर्घटना बीमा की भांति आकस्मिक दुर्घटना में मृत्यु अथवा विकलांग होने की दशा में मुआवजा प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में। छठी सूचना श्री प्रदीप माथुर की मा0 मुख्य मंत्री द्वारा सदन में की गयी घोषणा का अनुपालन ग्राम विकास, चिकित्सा एवं नगर विकास आदि विभागों द्वारा न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। सातवीं सूचना डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की वर्तमान अल्पकालिक सत्र में अल्पसूचित तारांकित प्रश्नों में कटौती/शासन द्वारा स्थगित के सम्बन्ध में। आठवीं सूचना श्री अगयश राम सरन वर्मा की प्रदेश के सेवामुक्त किये गये किसान मित्रों को पुनः सेवायोजित किये जाने के सम्बन्ध में। इन सूचनाओं में से कुछ सूचनायें सुनी जायेगी, कुछ सूचनायें नहीं सुनी जायेंगी। अब मैं क्रम से सुन ले रहा हूं, सबसे पहले श्री सुरेश कुमार खन्ना और श्रीमती सीमा द्विवेदी जी अपनी बात रख दें। सब सुन लेंगे, दो-दो मिनट का है, कोई बात नहीं है।

माननीय मुख्य मंत्री जी की घोषणानुसार स्थानीय विधायकों की संस्तुति के आधार पर समग्र विकास के लिये लोहिया ग्राम/जनेश्वर मिश्र ग्राम का चयन न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने नियम-300 की सूचना पर मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मा0 अध्यक्ष जी, संविधान के 164(2) में मंत्रिमण्डल का इस लेजिस्लेचर के प्रति संयुक्त उत्तर दायित्व है। मा0 मुख्य मंत्री जी ने इसी सदन में जिस दिन सदन समाप्त हो रहा था उस दिन समापन के भाषण में उन्होंने यह घोषणा की थी कि मा0 विधायकों की राय भी ली जायेगी जिस समय लोहिया ग्राम का चयन किया जायेगा मान्यवर, मैं उनके भाषण की तीन लाइन अगर आप कहे तो पढ़ कर सुना दूं।

''हम लोगों ने लोहिया ग्राम योजना तय की है, अभी तक बहुत सारे विधायक इस बात की शिकायत कर रहे थे कि जो सूची बन रही है, जो गांव चिन्हित किये जा रहे हैं, वह उनकी राय पर नहीं किये जा रहे हैं। अध्यक्ष जी, यह सरकार ऐसी व्यवस्था बनायेगी कि जो पिछड़े क्षेत्र हैं जो पिछड़े गांव हैं जो सूची बनेगी उसके बाद विधायकों की राय लेकर ही उन गांवों को चिन्हित किया जायेगा।'' यह मान्यवर, 03 जुलाई, 2012 को इसी सदन में मा0 मुख्य मंत्री जी की घोषणा है। ग्राम्य विकास विभाग की ओर से जो समाचार पत्रों में पढ़ने को मिला वह यह था कि अब प्राभारी मंत्री यह तय करेंगे कि किस-किस क्षेत्र में कौन-कौन सा गांव लोहिया ग्राम के रूप में चयनित किया जायेगा। मान्यवर, हम लोग जो शपथ लेते हैं, मंत्रिगण जो शपथ लेते हैं, संविधान की तीसरी अनुसूची में उसकी व्यवस्था है और उस शपथ में निश्चितरूप में एक लाइन पढ़ी जाती है कि हम बिना पक्षपात के

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कोई कार्य करेंगे। मान्यवर, लोहिया ग्रामों का जो चयन अभी तक हुआ है या जो होने की प्रक्रिया है उसमें यह पक्षपात पूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है नम्बर-एक मा0 मुख्य मंत्री की घोषणा के अनुसार हम लोगों से कोई राय नहीं ली गई मान्यवर, हम लोगों ने उस सूचना को पढ़ कर अपनी तरफ से जो हमारी संस्तुति थी, वह दो ग्रामों की दे दी, लेकिन उसको नजरन्दाज कर के हमारे विधान सभा क्षेत्र में जो ब्लाक आता है मान्यवर, उसमें कोई लोहिया ग्राम का चयन ही नहीं किया गया क्योंकि वह हमारा ब्लाक है मान्यवर, तो इससे ज्यादा अब और क्या कहा जा सकता है। तो मान्यवर, एक तरफ तो मंत्रिमण्डल की ज्वाइन्ट रिसपान्सबिलिटी की बात है, मा0 मुख्य मंत्री जी एक घोषणा करते हैं और ग्राम्य विकास विभाग इसका पालन न कर के दूसरी व्यवस्था बनाता है और दूसरी तरफ मान्यवर, पक्षपातपूर्ण रवैया भी दिखाई पड़ता है, इसलिए मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह व्यवस्था चाहता हूं कि जो मा0 मुख्य मंत्री जी की घोषणा है उसका अक्षरशः अनुपालन किया जाय। सरकार के मुखिया 224 विधायकों के नेता, इस प्रदेश के 20 करोड़ लोगों की आशा की किरण मान्यवर, उन जैसे मुख्य मंत्री की मान्यवर, उन्होंने कोई परवाह नहीं की। मान्यवर, मैं आपसे केवल यह जरूर चाहता हूं कि उनकी घोषणा का अनुपालन किया जाय और लोहिया ग्रामों के चयन में विधायकों की भागीदारी हो, इसलिए यह औचित्य का प्रश्न बनता है और इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है अब शेष सीमा द्विवेदी जी को बताने दीजिए। सीमा द्विवेदी जी आप बोलिये।

*श्रीमती सीमा-

मा0 अध्यक्ष जी, आपने नियम-300 पर हमारे प्रति जो आपने अपनी सहृदयता दिखायी है, इसके लिये हम आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। मा0 खन्ना जी ने जो विषय रखा है उससे मैं अपने आपको सम्बद्ध करती हूं। मान्यवर, यही सदन है, यही हमारी सरकार थी, यही विधायक थे जब सदन में घोषणा हुयी थी कि अब हम लोहिया ग्राम का चयन करेंगे और उनको सारे विधायकों की संस्तुति पर लिया जायेगा। मान्यवर, सारे विधायक इतने खुश हुये और सबने मिलकर मेज थपथपाई और सबके मन से खयाली पुलाव बनने लगे कि अब हम जो हमारा गांव बहुत पिछड़ा होगा, हम उसका चयन कर लेंगे। मान्यवर, मैं आपको अपने जनपद की बात बताऊं कि मेरे जनपद में कुल 9 विधान सभा क्षेत्र हैं। हमारे यहां 7 सत्ताधारी दल के विधायक हैं, एक मैं हूं और एक कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं। हो सकता है कि सरकार की हम से कोई नाराजगी हो लेकिन कांग्रेस से इनकी क्या नाराजगी है, इन्होंने कांग्रेस का समर्थन भी दे रखा है तो उनका भी कोई प्रस्ताव नहीं माना गया। मान्यवर, हमारे जिले में अधिकारियों के द्वारा जो पूरे जिले की सूची बनायी गयी। पूरे जनपद में कुल 615 गांव उस काराइटेरिया में आये जो शासन की मंशा थी। 615 गांव में 7 विधान सभाओं में कुल मिला करके 35 गांव का चयन हमारे जनपद में किया गया, उन 35 गांवों में न मेरी विधान सभा का कोई गांव है और न नदीम भाई के विधान सभा क्षेत्र का कोई गांव है। जब मुझे यह पता लगा कि हमारे गांव छूट गये हैं तो मैं विकास भवन गयी और मैंने अधिकारियों से पूछा तो उन्होंने बड़ी ईमानदारी से हमको बताया कि मैडम हमने प्रस्ताव बना करके भेज दिये थे। शासन की जो मंशा थी हमने वैसा काम किया तो मुझे लगा कि हमारे प्रभारी मंत्री जी हम लोगों को कम समझ करके छोड़ दिये हों और दूसरे जिले में बराबर का मामला हो। मैं अपने साथियों से बात की और दूसरे दल के विधायकों से भी बात की और जब मुझे पता लगा कि हर जिले में ऐसा किया गया है मान्यवर, तो

बड़ी विचित्र सी स्थिति पैदा हुई। मान्यवर, मैं एक बात कहना चाहूंगी कि हमारे पास में जो लोग बैठे हैं, इससे पहले जिनकी सरकार थी। कुछ दिनों पहले प्रदेश में अम्बेडकर गांव का चयन होता था, अम्बेडकर गांव के नाम का काम होता था, अम्बेडकर की मूर्तियों पर काम होता था मान्यवर। फिर ये सरकार आयी और इस सरकार ने सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिये सरकार ने कहा कि अम्बेडकर गांव का चयन ठीक तरीके से नहीं होता था। हम लोहिया के नाम पर चयन करेंगे। मैं बड़ी विनम्रता के साथ सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि लोहिया का नाम आप बदनाम क्यों कर रहे हैं। लोहिया का न तो कोई अपना था और न तो कोई पराया था, लोहिया के सब थे। जब लोहिया के नाम पर आपने गांव का चयन किया है तो विधायकों में विभेद करके, दलीय लोगों में विभेद करके मान्यवर, इससे अच्छा संदेश नहीं जा रहा है। मान्यवर, हम इस पर आपका संरक्षण चाहते हैं। इस पर आपका निर्देश प्राप्त हो और हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हैं, मुझे उन पर पूरा भरोसा है कि अभी वो उठेंगे और इस बात की तस्वीर साफ करेंगे कि सारे विधायकों को एक समान मौका दिया जायेगा।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, कई मा0 सदस्यों की तरफ से यह शिकायत आयी है और आज मेरी इस पर मा0 मुख्य मंत्री जी से भी बात हुई थी और उन्होंने जैसा आश्वस्त किया है कि वो इस मामले को अपने स्तर से भी देखेंगे और किसी प्रकार का पक्षपात न हो इसकी पूरी कोशिश की जायेगी।

श्री अध्यक्ष-

मैंने मा0 खन्ना जी को, मा0 सीमा द्विवेदी जी को सुना, संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना, ये नियम-300 में नहीं आता है इसलिये मैं इसे निरस्त करता हूं।

विधान सभा क्षेत्र विकास निधि के अन्तर्गत शासन द्वारा नामित कार्यदायी संस्थाओं द्वारा मा0 सदस्यों के प्रस्तावित कार्यों को कराने में टाल-मटोल किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री प्रमोद तिवारी-

मा0 अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे इस औचित्य के प्रश्न पर बोलने का अवसर दिया है। मान्यवर, मैं जो प्रश्न उठा रहा हूं इससे कोई आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा और सरकार को कोई कष्ट भी नहीं होगा लेकिन सम्पूर्ण प्रदेश का भला हो जायेगा मान्यवर। एक व्यवस्था थी जो हट गयी है अगर उसको फिर लागू किया जाये तो मान्यवर, मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा से ज्यादा प्यासे लोगों को पानी मिल जायेगा। मान्यवर, प्रारम्भ में ये था, संसदीय कार्य मंत्री जी आपकी सरकार में था, उसके पहले की सरकार में भी था और उससे पहले की सरकार में भी था कि मान्यवर, जो हैण्डपम्प जाते थे, वो मा0 जनप्रतिनिधियों की राय से, उनके द्वारा इंगित स्थान पर लगाये जाते थे। मान्यवर, ये परम्परा हमेशा, से चली आ रही है और मान्यवर, मैं यह मानता हूं कि एक जनप्रतिनिधि जो भ्रमण करता रहता है, विधान सभा क्षेत्र का, उसको जितनी जानकारी होती है, उतनी किसी और को नहीं होती है। वह आवश्यकता को समझता है। मान्यवर, अभी इस व्यवस्था में पिछले 3-4 साल पहले परिवर्तन किया गया, जनप्रतिनिधियों और विधायकों की राय के स्थान पर मान्यवर,

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उसे अधिकारियों पर छोड़ दिया गया। अब अधिकारियों के कहने पर छोड़ा गया लेकिन एक अलिखित आदेश था कि संगठन के कुछ पदाधिकारी जब कहेंगे तो उनकी राय पर लगेगा। मान्यवर, मेरा सिर्फ इतना अनुरोध है कि हर सरकार का अपनी नीति बनाने का अधिकार है, हर सरकार को विकास के लिए कदम उठाने का अधिकार है, मैं विगत में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं यह जरूर चाहता हूं कि इसका दुरुपयोग हो रहा है। बहुत से हैण्डपम्प जो पिछले साल के थे, वह लगे ही नहीं क्योंकि पदाधिकारियों का सम्पर्क सीधे जनता से नहीं हो पाता था जिलाधिकारी का सम्पर्क जनता से नहीं हो पाता। वह एक-एक पुरवों में नहीं जा सकता, एक-एक गांव में नहीं जा सकता, एक-एक न्याय पंचायत में नहीं जा सकता लेकिन जनप्रतिनिधि की तो यह मजबूरी होती है मान्यवर, कि वह गांव-गांव का भ्रमण करें, न्याय पंचायत का स्थल भ्रमण करें, मैं तो सिर्फ एक सुझाव दे रहा हूं मान्यवर, कि जो पुरानी व्यवस्था तत्कालीन समाजवादी पार्टी की सरकार की थी, उसे वापस लागू कर दिया जाए। यानि कि हैण्डपम्प कहां लगे, उस स्थल के चयन की जिम्मेदारी और चयन का अधिकार क्षेत्र प्रतिनिधित विधायकों को सौंप दिया जाए अगर तो मान्यवर, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि वह सही स्थल पर लगना प्रारम्भ हो जाऐंगे और मुझे इस संदर्भ में कुछ नहीं कहना है मान्यवर, मैं नहीं समझता कि इससे सरकार को कोई अड़चन आएगी। मैं नहीं समझता अध्यक्ष महोदय कि मेरी बात से आप नहीं सहमत होंगे और मेरी बात को आपका समर्थन नहीं मिलेगा। मान्यवर, हैण्डपम्प हैं, लगने हैं, कहां लगे यही तो है। किस जनपद में कितना लगे वह भी संख्या घटाने-बढ़ाने की बात मैं नहीं कर रहा हूं। मैं तो सिर्फ यह कह रहा हूं कि उपयुक्त स्थल पर लगे, शर्तों के अनुसार लगे। अगर 75 मीटर के अन्दर नहीं लगना है तो न लगे लेकिन लगे कहां मान्यवर, किस पुरवा में लगे, किस गांव में लगे, गांव के किस हिस्से में लगे। अगर इसके कोई सबसे सही सुझाव दे सकता है, तो एक जनप्रतिनिधि दे सकता है, मान्यवर। मान्यवर, मैं सिर्फ एक लाइन का व्यवस्था परिवर्तन चाहता हूं, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी से कि सिर्फ इतना आश्वस्त कर दीजिए कि जो पूरी पहले समाजवादी पार्टी सरकार में व्यवस्था थी, वह पुनः लागू हो जाएगी। मैं नहीं समझता की इससे कोई आर्थिक बोझ बढ़ेगा या कोई कठिनाई आ जाएगी। दूसरा मान्यवर, मैं इसी समय एक और चीज कह दूं, कि यह जो विधायक निधि है मान्यवर, विधान सभा क्षेत्र विकास निधि, जिसे अब नया नाम दिया गया है, इसे हम सुझाव के अनुसार अपने क्षेत्र में दे सकते हैं, देना भी चाहिए, लेकिन होता क्या है कि कुछ एजेसियां जैसे भूखी-प्यासी बैठी हुई हैं, वह प्रस्ताव बनाकर लोगों को पकड़ा देती हैं लोगों को और हम जो सुझाव देना चाहते हैं, उस सुझाव के स्थान पर वह अपने प्रस्ताव भेजती रहती हैं। मान्यवर, क्षेत्र में तमाम तरह के दबाव होते हैं, तमाम तरह की परेशानियां हो सकती हैं। शहर में लोगों के सामने समस्या हो या न हो ग्रामीण अंचल में होती है। वहां पर कई जनप्रतिनिधि जो छोटे स्तर पर होते हैं, जो हमारे कार्यकर्ता होते हैं, वह ले आते हैं। तो जो हमने दिया, जो विधायक देता है, जिस एजेंसी को देता हैं

श्री अध्यक्ष-

अब ठीक खत्म करें।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, समाप्त कर देता हूं। इसमें सिर्फ एक लाइन का आश्वासन चाहता हूं कि सम्बन्धित विधायक जिस एजेन्सी के माध्यम से या जो कार्य संस्तुति कर दे, उसे समयबद्ध ढंग से लागू कर दिया जाए। इसके अलावा मेरा कोई सुझाव नहीं है। मान्यवर, इस सम्बन्ध में आपसे नम्र निवेदन करते हुए

ये दोनों बातें कहते हुए तीसरी बात क्योंकि मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी सिद्धांततः सहमत हैं और आप भी सिद्धांततः सहमत हैं, वह जो विद्यालयों वाली बात है कि विद्यालयों में जिसमें मा0 विधायक दूर से भी जुड़े हैं, अगर हम उसमें धन नहीं दे सकते तो क्षेत्र में कहां देंगे मान्यवर। हम विद्यालय में वही सम्बद्ध हुए होंगे जहां पिछड़ा क्षेत्र होगा, जहां विकास नहीं हो रहा होगा, कोई खोलने को विद्यालय नहीं तैयार होगा उसके लिए हमने सहयोग दिया होगा, तो मान्यवर, यह प्रतिबन्ध जो अभी लागू नहीं हुआ, यह लागू न किया जाए, जो प्रस्तावित है उसे रोक लिया जाए क्योंकि इस संदर्भ में आपका भी और संसदीय कार्य मंत्री जी का भी ध्यान है, परन्तु हैण्डपम्प के बारे में, मैं मान्यवर, स्पष्ट रूप से मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी को अगर वह समझते हैं कि मस्का लगाने से काम चलेगा तो वह जितना कहें, उतना मस्का लगाने का तैयार हूं। सिर्फ एक लाइन का पत्र भेज दें मान्यवर, कि जनपदों में हैण्डपम्प वहीं लगाया जाए, चाहे शहर हो या देहात हो, जहां जनप्रतिनिधि उसका सुझाव दें।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैंने तो अभी अनुपूरक बजट पर बोलते हुये कहा था कि जनप्रतिनिधि जितना अच्छे तरीके से समस्याओं को बता सकते हैं, अधिकारी नहीं बता सकते और इसी निधि के सिलसिले में कहा था मैंनें। मान्यवर, इस पर विचार कर लेंगे।

श्री अध्यक्ष-

मैंने इस सूचना पर माननीय प्रमोद तिवारी जी को सुना, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना, यह नियम-300 में नहीं आती, इसलिये इसे अग्राह्य करता हूं।

अब इसमें 2-3 सूचनायें और हैं, एक तो विधायक का व्यक्तिगत मामला है और माथुर साहब आपका जो है, वह है कि अनुपालन घोषणा का नहीं होता है तो यह घोषणा बाहर भी होती है, अन्दर भी होती है, इसलिये विधान सभा से बहुत ज्यादा सम्बन्धित नहीं है। तीसरा बाजपेयी जी का है, अल्पसूचित तारांकित प्रश्न करने का, इसके बाद आपका सदन को 90 दिन करने का है, तो 90 दिन पर महाना जी हम लोग बहुत बोल चुके है, यह विषय बराबर आता रहा है। अब सबसे पहले विधायक जी का ले लिया जाये।

जनपद हरदोई के थाना मल्लावां के अन्तर्गत दिनांक 25 अक्टूबर, 2012 को मा0 सदस्य पर जानलेवा हमला करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री बृजेश कुमार-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने नियम-300 के तहत मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिये हम आपके आभारी हैं। दिनांक 25 अक्टूबर को मैं अपने क्षेत्र भ्रमण कार्यक्रम के तहत अपने क्षेत्र में था। इसी समय कुछ लोगों ने मुझ पर जानलेवा हमला किया, नाजायज असलहों से मुझ पर फायर किया, मैं बाल-बाल बचा, मैनें तुरन्त इसकी सूचना मल्लावां थाने के इंस्पेक्टर और जिले के एस0पी0 को दी परन्तु सूचना देने के तीन घंटे बाद तक वहां पर कोई भी नहीं पहुंचा और वहां पर जब हल्का दरोगा पहुंचे तो उन्होंने मुझसे कहा कि धारा 144 लागू हैं, ऐसे समय में आप क्षेत्र में नहीं निकल सकते। मैनें उनसे कहा कि धारा 144 जब भी लागू होती है तो कोई भी जनप्रतिनिधि क्षेत्र में निकल

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सकता है। मैनें उनको अवगत कराया कि जिन लोगों ने मुझ पर हमला किया है, वह लोग फलां मकान में छुपे हुये हैं, परन्तु उन्होंने वहां पर जाकर उनको पकड़ने के बजाय, उनको वहां से निकालने का कार्य किया। हम लोग मल्लावां थाने पहुंचे, वहां पर मैनें अपनी तरफ से एफ0आई0आर0 दर्ज करवाई, उस पर किसी भी प्रकार की कार्यवाई होने के बजाय अगले ही दिन मुझ पर लूटपाट, डकैती, छेड़खानी का मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि यदि जनप्रतिनिधि भी अपने क्षेत्र में सुरक्षित नहीं है और उन पर किये गये हमले को इस तरीके से दबाया जायेगा कि उन पर ही झूठे मुकदमे दर्ज करवाकर उनकी बात को दबाने का प्रयास किया जायेगा तो किस तरीके से हम लोग अपने क्षेत्र में काम करेंगे और किस तरीके से हम लोग अपनी जिन्दगी को सुरक्षित रखेंगे। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि दोषी व्यक्तियों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्यवाही की जाये और साथ में मेरी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किये जायें जिससे कि हम लोग अपने क्षेत्र में पूरी तरह से भ्रमण कर सकें।

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, इनकी सुरक्षा की व्यवस्था करा दें और इस मामले को दिखवा भी लें।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

जी मान्यवर, देखेगें और इसको भी दिखवा लेगें।

उत्तर प्रदेश विधान सभा का सत्र एक वर्ष में 90 दिन चलाये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष-

माथुर साहब बोलना जरूरी है, लेकिन इससे पहले सतीश महाना जी का हो जाने दीजिए। एक मिनट का विषय है, वह हम जानते हैं।

*श्री सतीश महाना-

मान्यवर, मेरा एक निवेदन है जैसे कि आपने कहा कि एक मिनट का विषय है और स्वयं मान्यवर, आपने कृपापूर्वक इस बात को कहा है कि यह विषय आता रहा है। यह तब भी आता रहा जिस समय दूसरी सरकार थी और वह सम्मानित मित्र लोग इसे उठाते रहे हैं जो इधर थे। मान्यवर, बहुत सारी चीजें अपेक्षाओं के अनुसार होती हैं।

श्री अध्यक्ष-

महाना जी, जल्दी खत्म करें, दो महत्वपूर्ण चर्चायें लगी हैं।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण और क्या हो सकता है कि हम सदन की सत्रावधि बढ़ाने की बात करें। उसी में तो सारी की सारी बात आ जायेगी। मान्यवर, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-14 के अन्तर्गत इस बात का प्रावधान है। मान्यवर, इसमें किसी प्रकार का आप्शन नहीं दिया गया है। इसमें कहा हुआ है कि अनुच्छेद 174 के अधीन रहते हुए साधारणतः प्रत्येक वर्ष में तीन अधिवेशन अर्थात् आय-व्ययक अधिवेशन, वर्षाकालीन अधिवेशन और शीतकालीन अधिवेशन और कुल 90 दिन के उपवेशन होंगें, जिसमें यथासम्भव दो माह

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के अन्तराल पर यथासम्भव कम से कम 10 कार्यकारी दिवसों के लिए विधान सभा का सत्र बुलाया जायेगा। यह नहीं लिखा है कि बुलाया जाना चाहिए। जिस समय यह सरकार पदारूढ़ हुई, वर्तमान सरकार की बात कर रहा हूं। इस सरकार के मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने कृपापूर्वक इस बात को इस सदन में कहा है, आप कार्यवाही उठा करके देख लेंगे और मा0 अम्बिका चौधरी जी ने भी कहा था जिस समय व्यवधान हो रहा था, फिर कुछ कह रहे हैं। मैं इस बात को बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूं और यह विधान सभा की कार्यवाही में भी है कि माननीय मुख्य मंत्री ने भी इसमें अपनी सकारात्मक सहमति भी प्रदान की है। जिस समय सरकार के मा0 मुख्य मंत्री जी सहमति प्रदान करते हैं, जिस समय मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी सहमति प्रदान करते हैं और जिस समय आप स्वयं जो इस सदन के संरक्षक के रूप में आप वहां पर बैठे हुए हैं, आपकी भी मंशा यह रहती हे। मुझे लगता है कि अगर 6 महीने की बाध्यता न होती तो शायद यह सत्र आहूत न की जाती। 6 महीने की बाध्यता है तो फिर वो जो बातें कही गयी थी, हम वहां पर बैठते थे इसलिए उसके बाद वहां पर आये नहीं इसलिए आप थोड़ा उसको बदलकर चलो। मान्यवर, प्रदेश भर के अन्दर समस्याओं का अम्बार है और विपक्ष की यह जिम्मेदारी है कि सरकार को समस्याओं के प्रति सचेत करे ताकि जनता का हित प्रभावित न हो। यहां पर आलोचना-प्रत्यालोचना किसी व्यक्तिगत बात के लिए नहीं होती, जनता के लिए होती है। मान्यवर, ऐसी परिस्थितियों में कल भी जिस समय हम सब लोगों ने इस बात के लिए निवेदन किया था तो आपने कृपापूर्वक और मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने कृपापूर्वक इस बात का आश्वासन दिया था कि हम इस सदन के इस सत्र की समयावधि बढ़ाने के लिए बात करेंगे और आपके द्वारा भी आश्वासन दिया गया था। आपके द्वारा दिया या आश्वासन और नियमावली के अन्तर्गत दिये गये नियम के अनुसार और इस सदन के सभी सम्मानित सदस्यों की मंशा के अनुरूप अगर यह सदन नहीं चलेगा तो फिर कैसे चलेगा ? मैं जब सदन के सभी सदस्यों की बात कर रहा हूं तो सभी सदस्य हैं, उसमें एक पक्ष या दूसरे पक्ष की बात नहीं है। मान्यवर, हम लोग यहां पर आकर प्रदेश की जनता के बारे में बात कर सकें, उनकी समस्याओं का समाधान करवा सकें और सरकार के पास जो बात नहीं पहुचती क्योंकि अधिकारियों के काम और नाक, उनके जुबान के रूप में यह सरकार काम करती है। जनता की आवाज जैसे कि स्वयं मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने कई अवसरों पर कहा कि जनप्रतिनिधि जमीन से जुड़ी बात बताता है, असलियत बता सकता है वह कोई और नहीं बता सकता। मान्यवर, उसका अवसर तो हमको दें। 6 महीने बाद सत्र बुलाया जायेगा वह भी 4 दिन के लिए। यह मान लिया जायेगा कि पहले दिन सत्र नहीं होगा, तो तीन दिन में हम कितनी बात कहेंगे। जो भी हम सबके पास आता है, शिक्षक आता है तो वह कहता है कि हमारी बात उठाओ, लेबर आता है तो वह कहता है कि हमारी बात उठाओ, किसान आता है तो वह कहता है कि हमारी बात उठाओ, डाक्टर आता है तो वह कहता है कि हमारी बात उठाओ। मान्यवर, जितने आपने अनुपूरक मद लिये होंगे उतनी ही समस्यायें हैं इसलिए मान्यवर, आपसे निवेदन करना चाहता हूं और आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस सत्र की समयावधि बढ़ायी जाए इस सत्र की समयावधि बढ़ाने के बाद जो भी जनता की बातें हम जनप्रतिनिधियों द्वारा आये उसका निराकरण करने का सरकार प्रयास करे।

श्री अध्यक्ष-

माननीय महाना जी, यह वित्तीय वर्ष अभी पूरा हुआ नहीं है और एक वित्तीय वर्ष में 90 दिन के उपवेशन का प्राविधान है। अभी जब पूरा ही नहीं हुआ तो कैसे मान लें कि पूरा नहीं होगा।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, एक वित्तीय वर्ष नहीं, बल्कि एक वर्ष की बात है।

श्री अध्यक्ष-

तब भी अभी एक वर्ष पूरा नहीं हुआ है।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, इसके ऊपर जवाब दिलवा दें।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, यहां भी बात हुई थी, आपके कक्ष में भी हुई थी। पता नहीं क्यों महाना जी ने घर की बात को पराया कर दिया, जब बातें हो गयी थी और अध्यक्ष जी के कक्ष में बैठकर चाय पीने, बात करने और निर्णय लेने का अधिकार है। (श्री सतीश महाना ने अपने आसन पर बैठे हुए कहा कि अध्यक्ष जी ने चाय नहीं पिलायी थी।) तभी तो आप शिकायत कर रहे हैं। अगर अध्यक्ष जी, चाय पिला देते तो यह नहीं होता। आपकी बात में दम है, विचार होना चाहिए और इस पर भी विचार होना चाहिए कि कल जिस तरह से समय खराब हुआ और आज भी जिन बातों को ले करके नेता प्रतिपक्ष रूठ गये, ऐसी बात तो नहीं थी। अगर यह यहां रहते तो ज्यादा अच्छा लगता, आपकी मौजूदगी में बजट पास होता।

श्री अध्यक्ष-

हालांकि वह भाषण कर गए। भाषण करना भी भाग लेना माना जाता है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

नेता प्रतिपक्ष पूरे सदन को डांटकर तो चले जाते हैं फिर हमारी सफाई नहीं सुनते। कम से कम यह मौका भी देना चाहिए। एक आध गन्ना हाथी के मुंह में भी रखना चाहिए। सब आप ही अकेले रख लें तो कैसे काम चलेगा। जहां कि प्रस्तुत सूचना की बात है विचार होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

इस सूचना पर माननीय सदस्य और संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के बाद मैं इसे अग्राह्य करता हूं।

वर्तमान अल्पकालिक सत्र में अल्पसूचित तारांकित प्रश्नों में कटौती/शासन द्वारा स्थगित कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी-

माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश की यह विधान सभा नियमावली और परम्पराओं से चलती है। नियमावली में प्रश्न पूछने का अधिकार माननीय सदस्यों को प्राप्त है। माननीय सदस्यगण विभिन्न विषयों पर और क्षेत्र की समस्याओं के बारे में प्रश्न पूछकर सरकार से उत्तर प्राप्त करते हैं। अल्पसूचित प्रश्नों के बारे में दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति यह पैदा हुई कि अल्पकाल का यह सत्र और जितने भी अल्पसूचित प्रश्न माननीय विधायकों द्वारा पूछे गए उसमें से 24 अल्पसूचित प्रश्न स्वीकृत हुए। उसमें से बाद में 2 को निरस्त कर दिया गया 4 को नियमित कर दिया और मात्र 3 अल्पसूचित

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रश्नों के उत्तर इस सत्र में आने की संभावना है या आएंगे। शेष सरकारी विभागों ने स्थगित करा लिए। मान्यवर, लम्बे अन्तराल के बाद सत्र का होना अन्तराल के दौर में क्षेत्र की समस्याओं का इकट्ठा होना प्रश्न आना, समस्याएं आना और माननीय विधायक उस पर प्रश्न रखकर शासन से यदि उत्तर की अपेक्षा करते हैं और विभाग उनको स्थगित करा लेता है तो मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों का जो सदन में अधिकार है उस अधिकार पर कहीं न कहीं रोक लग रही है या वह अधिकार कहीं न कहीं बाधित हो रहा है। तो माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे नियमावली के इस भाग पर यह चाहता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप शासन को निर्देश दें कि अल्पसूचित प्रश्नों के सम्बन्ध में या अन्य प्रश्नों के सम्बन्ध में जो सूचनाएं हैं उनको जरा गम्भीरता से लेना शुरू करें मान्यवर, मुझे वह समय भी याद है जब मैं स्टूडेंट लीडर के रूप में आया था और देखता था कोई एक विधायक का प्रश्न या सूचना जिले में पहुंचती थी तो जिले में अधिकारी थर-थर कांपता था। आज कहीं न कहीं हम सबके कारण यह परिस्थिति बन गई है कि हमारी सूचना या प्रश्न या तो जाते नहीं हैं और अगर चले गए तो उसका उत्तर तक न देने का साहस जुटाते हैं सरकार को संस्तुति करते हैं और सरकार की तरफ से यह आ जाता है कि इसका उत्तर देना संभव नहीं है इसलिए इसे स्थगित कर दिया जाय। मैं आपकी कृपापूर्ण व्यवस्था चाहता हूं कि कोई भी सीमा निर्धारित हो और इस प्रकार प्रश्नों के उत्तर न देने को नियमित करा लेने की स्थगित करा लेने की और निरस्त करा लेने की क्योंकि आपके सचिवालय द्वारा यह तय करा लिया गया कि प्रश्न उत्तरित होना चाहिए तो विभाग को यह कहने की स्थिति नहीं होनी चाहिए कि यह प्रश्न उपयुक्त नहीं है। इसलिए मैं आपकी कृपापूर्ण व्यवस्था चाहता हूं इस औचित्य के प्रश्न के माध्यम से।

श्री अध्यक्ष-

इस प्रश्न पर मैंने बाजपेई जी को सुना है इस पर हम संसदीय कार्य मंत्री जी से वार्ता करके इस प्रक्रिया को सुधारने का प्रयास करेंगे।

मा0 मुख्य मंत्री द्वारा सभी विधायकों को डा0 लोहिया समग्र ग्राम्य विकास योजनान्तर्गत गांव दिये जाने विषयक सदन में की गयी घोषणा का अनुपालन ग्राम विकास, चिकित्सा एवं नगर विकास आदि विभागों द्वारा न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री प्रदीप माथुर-

माननीय अध्यक्ष जी, अभी हालांकि इस मुद्दे पर खन्ना जी चर्चा कर चुके हैं।

श्री अध्यक्ष-

उसी विषय पर आप भी चर्चा कर रहे हैं।

श्री प्रदीप माथुर-

जब यह सरकार आई थी और यह आश्वासन दिया गया था कि पूरे प्रदेश का समग्र विकास होगा परन्तु हमें ऐसा लग रहा है कि सरकार आने के बाद वह भी उन्हीं कदमों पर चलने लगी है जैसी पूर्ववर्ती सरकार चला करती थी। हमें याद है कि अम्बेडकर गांवों के नाम पर हमें कोई अम्बेडकर गांव नहीं मिला करता था।

श्री अध्यक्ष-

इस पर चर्चा हो चुकी है। कोई नई बात कहें।

*श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, 3 जुलाई, 2012 को माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा करी कि सभी विधायकों को डा0 लोहिया समग्र ग्राम्य विकास योजना के अन्तर्गत गांव दिए गाएंगे। इसी तरह से हैण्ड पम्पों का मामला हुआ था मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे यहां से समाजवादी पार्टी का कोई विधायक नहीं है तो जनपदीय मंत्री द्वारा समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों से सूची ली जा रही है हम लोगों से पूछा ही नहीं जा रहा है। मजे की बात देखिए कि केन्द्र सरकार की परियोजनाओं में एम्बुलेंस आई उत्तर प्रदेश में उसमें एन0आर0एच0एम0एम्बुलेंस न लिखकर समाजवादी स्वास्थ्य सेवाएं लिख दिया गया एक मेसेज यह दिया गया कि यह समाजवादी पार्टी की एम्बुलेंस हैं केन्द्र सरकार का कोई कंट्रीब्यूसन ही नहीं है। इसी तरह से केन्द्र सरकार की जवाहर लाल नेशनल अरबन रेन्युअल मिशन चाहे यू0डी0आई0एस0एम0टी0 हो चाहे अवस्थापना निधि हो चाहे डूडा का मामला हो चाहे नगर पालिका की अवस्थापना हो सबसे इन विधायकों को इग्नोर किया जाता है। मैं समझता हूं कि वर्तमान सरकार जो सबको साथ लेकर चलने की बात करती है वह सभी विधायकों को तरजीह देते हुए इस बात को गौर फरमाये कि विधायकों की एहमियत बनी रहे। उनसे सूची अधिकारी मांगे।

श्री अध्यक्ष-

यह तो हो गया। यह सब बात पहले आ चुकी है।

श्री प्रदीप माथुर-

केन्द्र सरकार की परियोजना के तहत कितना धन केन्द्र सरकार से आता है उसमें कांग्रेस के विधायकों को तो कहीं पूछा ही नहीं जाता। अभी मैं पर्यटन राज्य मंत्री जी से कह रहा था कि मथुरा को मैंने डेस्टिनेशन स्कीम के रूप में तीसरे जनपद के रूप में उत्तर प्रदेश में शामिल कराया। आपकी ओर से इस तरह का निर्णय आना चाहिए क्योंकि संसदीय कार्य मंत्री जिन पर हम विश्वास करते हैं, जिनके अल्फाजों में दम होता है। (किसी माननीय सदस्य के कहने पर) मक्खन थोड़ा लगाने दीजिये। हालांकि मक्खन सबको प्रतिबंधित है, मैं ऐसा आश्वासन चाहूंगा कि वह सभी एम0एल0ए0 के बारे में जानेंगे। खास तौर से कांग्रेस के विधायकों को केन्द्र सरकार की स्कीम के मामले में तरजीह दिलवायेंगें। खाली समाजवादी स्वास्थ्य सेवा करके मैसेज यह दे दिया लोगों को कि यह आपकी सरकार ने किया है। कहीं उसमें एन0आर0एच0एम0 नहीं लिखा गया, कहीं कोई शुक्रिया अदा नहीं किया गया खाली हरी झंडी दिखा दी गई। हमको भी बुला लेते हम भी डंडे में हाथ लगा लेते तो क्या जाता।

श्री अध्यक्ष-

देखिये यह नियम-300 में नहीं आता इसलिये इसको अग्राह्य करता हूं। इस पर मंत्री जी ने जवाब दे दिया है अब आप बैठिये।

प्रदेश के असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को किसान दुर्घटना बीमा की भांति आकस्मिक दुर्घटना में मृत्यु अथवा विकलांग होने की दशा में मुआवजा प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष-

अगला अब है मनीष असीजा जी का। यह आपका प्रदेश के असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को किसान दुर्घटना बीमा। यह नियम-300 में नहीं आता। इसके बाद श्री अगयश राम सरन वर्मा जी का

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रदेश के सेवामुक्त किये गये किसान मित्रों को पुनः सेवायोजित किये जाने के सम्बन्ध में हैं, यह भी नियम-300 में नहीं आता है। (श्री मनीष असीजा के बोलने पर) अरे यह नहीं आयेगा। आकस्मिक दुर्घटना बीमा कैसे इसमें आयेगा ?

*श्री मनीष असीजा-

मैं यह निवेदन कर रहा था मान्यवर कि यह जनहित का मामला है। मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि असंगठित क्षेत्र में लाखों की संख्या में लोग काम करते हैं।

श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, मंत्री जी से जवाब दिलवा दीजिए।

(श्री प्रदीप माथुर व श्री मनीष असीजा के एक साथ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष-

अरे इनको चुप करवाइये।

श्री मनीष असीजा-

मान्यवर, यह तो इतने बड़े नेता हैं, मैं कैसे चुप करा सकता हूं।

श्री अध्यक्ष-

माथुर साहब आपकी बात आ चुकी है। मंत्री जी उत्तर दे चुके हैं। असीजा जी, आप ऐसा करिये इसको नियम-301 में ले आइये।

(माननीय प्रदीप माथुर और उनके दल के माननीय सदस्य सरकार विरोधी नारे लगाते हुए सदन से बाहर चले गये)

श्री मनीष असीजा-

मान्यवर, दो मिनट की बात है। मैं आपके माध्यम से सदन को भी बताना चाहता हूं। असंगठित क्षेत्र में लाखों की संख्या में मजदूर काम करता है इसमें रिक्शा चलाने वाला, रेहड़ी पर काम करने वाला। घरेलू कर्मचारी, होटल रेस्टोरेंट गोदाम आदि में काम करने वाला, बिजली मिस्त्री, वाहन चालक, मोटर मैकेनिक एवं अन्य सैकड़ों कार्यों में लगे रहने वाला एक साधारण मेहनतकश मजदूर होता है। जिनका कहीं कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। महोदय मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन गरीब मेहनतकश लोगों को कभी भी किसी भी दिन गम्भीर दुर्घटना का शिकार होने पर इनके पूरे के पूरे परिवारों के जीवन में अंधकार छा जाता है। महोदय, अभी हमारे फिरोजाबाद में 16 तारीख को एक ट्रक जो है अनियंत्रित होकर मजदूरों के ऊपर चढ़ गया और उसमें 6 लोगों की मृत्यु हो गई एवं 20 लोग गम्भीर रूप से घायल हो गये हालांकि उसमें मुख्य मंत्री जी के माध्यम से उनको मुआवजे की भी घोषणा हुई। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि सामाजिक सुरक्षा अधिनियम-2008 असंगठित क्षेत्र के मजदूरों हेतु केन्द्र द्वारा लागू किया जा चुका है। मेरा आपसे अनुरोध है कृपया उत्तर प्रदेश में उक्त अधिनियम लागू न हो पाने के कारण करोड़ों की संख्या में परिवारों को इस अत्यन्त लोक महत्व के एवं गरीब मेहनतकश जनता की हितकारी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि कृपया अविलम्ब सामाजिक

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सुरक्षा अधिनियम 2008 प्रदेश में लागू कराया जाय जिससे कि इस क्षेत्र में आने वाले लाखों करोड़ों परिवार लाभान्वित हो सकें। महोदय यह विषय कहीं न कहीं इस एक्ट में आ जाता है तो बड़ा मैसेज गरीब, मजदूरों के लिए जाएगा यह मैं अनुरोध करना चाहता हूं आपके माध्यम से।

श्री हुकुम सिंह-

एक बहुत अच्छा मुद्दा इन्होंने उठाया है। नियमों को नोटिफाइड कर दें।

श्री अध्यक्ष-

यह कह रहे हैं नियम है, नोटिफिकेशन नहीं हुआ है।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

अब हल तो बता ही दिया हुकुम सिंह जी ने, मात्र नोटिफाईड करना है, बाकी तो कुछ नहीं करना है।

श्री अध्यक्ष-

उसके लिए धन की व्यवस्था भी तो होगी।

श्री मोहम्मद आजम खां-

अगर सिर्फ नोटिफाइड करना है और यह कहकर आप अपने मा0 सदस्यों को मुतमईन करना चाहते हैं तो यह बात तो सही नहीं है। असल में जितने संसाधन हैं उसके एतबार से समाज के हर उस वर्ग की, जिसकी मदद करनी चाहिए कोशिश की जा रही है। मा0 सदस्य, आपका सुझाव बहुत अच्छा है, क्योंकि आप खुद बहुत अच्छे हैं, और संजीदगी से आपके सुझावों को सुना भी है और जब भी ऐसा होगा कि हमारे संसाधन ऐसे हों, हमने कोशिश की है किसानों के लिए, बिजली से मर जाने वालो या हादसों से मर जाने वाले ऐसे गरीब लोगों की मदद करने का निर्णय लिया है और मदद कर भी रहे हैं। आसीजा जी आपका सुझाव यकीनन बहुत अच्छा है और बहुत दर्दमंदी का है। जब भी ऐसे हालात होंगे उस पर न केवल विचार करेंगे बल्कि उसको पूरा करने की भी कोशिश करेंगे।

श्री मनीष आसीजा-

बहुत धन्यवाद।

श्री हुकुम सिंह-

आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

(एक सदस्य के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप कहां खड़े हो गये, जो सेवामुक्त हो गए वह कहां 300 में आते हैं।

मैंने मा0 आसीजा जी को सुना, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी का उत्तर सुना इस मैं अग्राह्य करता हूं यह नियम 300 में नहीं आता है।

नियम-311 की सूचनाओं के सम्बन्ध में व्यवस्था

श्री अध्यक्ष-

नियम-311 के अन्तर्गत आज कुछ सूचनायें आई थीं। दिनांक 27-11-2012 को नियम-311 में जो सूचनायें आईं उसे अग्राह्य कर दिया गया है।

आज की कार्य-सूची में मद संख्या-31 कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं पहले लिए जाने का अनुरोध

श्री अध्यक्ष-

मा0 हुकुम सिंह जी मद संख्या-7 में विधेयक ले लीजिए। जल्दी-जल्दी खत्म हो जाए फिर चर्चा शुरू करा दें।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

निवेदन है कि नियम-56 के अन्तर्गत जो सूचनायें लगी हैं यह अति महत्वपूर्ण हैं और अभी तक की जो परिपाटी और परम्परा रही है उसका भी उल्लंघन हो रहा है। इसको शून्यप्रहर के ठीक बाद, नियम-300 और 301 के ठीक बाद लिया जाता रहा है। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं उदासीनता बरती जा रही है। मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा कि इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कराई जाए।

श्री अध्यक्ष-

मैं आपके विचार से सहमत हूं। कल कार्यमंत्रणा समिति में विचार हुआ था पहले यह विधेयक पास हो जाएंगे उसके बाद इसको ले लेंगे।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

पहले अनुदान पर चर्चा और पारण की बात थी और उस पर हमने सहमति भी जता दी थी और वह हो भी गया। आपका निर्देश अनुपूरक अनुदान के पारण का था वह हो गया। अब नियम-56 की सूचना आनी थी वह बहुत महत्वपूर्ण है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी, नेता विरोधी दल चाहते हैं कि पहले जो नियम-56 की सूचना है उसको पहले ले लिया जाए। फिर विधेयक पारित करा लें आपकी क्या राय है। उस पर चर्चा होनी है चाहे आज करें चाहे बाद में करें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

नियम-56 पहले हमेशा लिया जाता रहा है यह परम्परा रही है। वह परम्परा बनी रहे यह हम चाहते हैं।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

माननीय नेता प्रतिपक्ष की मंशा आप नहीं समझे। मंशा मात्र यह है कि विधेयक बाद में पारित हो जाएंगे और यह अपनी बात कहकर वाक आउट कर जाएंगे। मान्यवर, अगर इतने अरसे बाद हम एक दूसरे का दिल नहीं सुन सके, दिल नहीं समझ सके, तो लानत है फिर, आपका अधिकार है आप जैसे चाहे कर लें, आपको जाना तो है ही, यहां से भी जाना था, वहां से भी जाना है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मैं सुबह 11.00 बजे से यहां बैठा हूं और प्रमुख मुद्दे जो जनहित मुद्दे पर सरकार अनसुनी कर रही है उसमें भी मैं बहिर्गमन करके लाबी में बैठा था। इसलिए मान्यवर, मैं आपकी बात प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कहीं न कहीं से सुनता रहता हूं, इसलिए न सुनने की बात तो जाने दीजिए

लेकिन मैं इसका महत्व, इसकी ग्राह्यता और हमेशा से जो परम्परा रही है, उसके अनुसार नियम-56 की सूचनाओं को शून्य प्रहर के बाद लिया जाता है, इसलिए मैं अनुरोध कर रहा हूं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, जैसी इच्छा है।

आज की कार्य-सूची में मद संख्या-7 से पूर्व मद मद संख्या-31 पर कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं पहले लिये जाने का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

इसके लिए प्रस्ताव करना पड़ेगा। कार्य-स्थगन का प्रस्ताव मद संख्या-31 पर था।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, यह हठधर्मियों की सरकार नहीं है। इसलिए मा0, मै प्रस्ताव करता हूं कि पहले नियम-56 की सूचनाएं ले ली जायं।

श्री अध्यक्ष-

क्या यह सदन सहमत है कि विधेयकों के पहले नियम-56 की सूचनायें ले ली जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 27 नवम्बर, 2012 को नियम-56 में कुल 21 सूचनाएं प्राप्त हुईं, जिनमें शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनाएं चयनित की गई है। प्रथम-2 सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा। शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकर्षित किया जा सकता है।

1-(1) श्री प्रदीप माथुर
श्री प्रमोद तिवारी
श्रीमती रूबी प्रसाद
श्रीमती उमाकान्ती सिंह
श्री दलजीत सिंह
श्री विजय कुमार दुबे
श्री संजय प्रताप जायसवाल
श्री राधे श्याम
कुंवर कौशल सिंह
श्री ललितेशपति त्रिपाठी
श्री गयादीन अनुरागी
प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी
श्री विवेक कुमार सिंह
श्री अखिलेश प्रताप सिंह
श्री अनुग्रह नारायण सिंह
श्री नदीम जावेद

(2) श्री संतराम कुशवाहा

श्री राजबली जैसल

श्री शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली

श्री दीपक पटेल

श्री बृजेश

चौ0 गजेन्द्र सिंह

श्री बब्बन चौहान

श्री मुसर्रत अली

श्री अली युसुफ अली

श्री रामहेत भारती

श्री जितेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी

श्री महावीर सिंह राणा

श्री उमेश पाण्डेय

श्री इन्द्रजीत सरोज

श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत

श्री देव नारायण उर्फ जी0एम0 सिंह

(3) डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेई

(4) श्री रामचन्द्र यादव की प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

2-श्री हुकुम सिंह

श्री राम चन्द्र यादव

श्री मुकुट बिहारी वर्मा

श्री सुरेश राणा की चीनी मिलों द्वारा गन्ना पेराई का सत्र समय से आरम्भ न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

3-(1) श्री सलिल विश्नोई

(2) डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल की उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग द्वारा इलेक्ट्रिक सिटी ड्यूटी/विद्युत दरों में भारी वृद्धि को वापस लिये जाने के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनायें चयनित नहीं हुई अतः अस्वीकृत की जाती हैं :-

1-श्री जगन प्रसाद गर्ग,

2-साध्वी निरंजन ज्योति,

3-श्री सुरेश कुमार खन्ना,

4-श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव,

5-श्री सुरेश बंसल,

6-(1) श्री रोमी साहनी,
श्री बृजेश,
श्री उमेश पाण्डेय,
श्री शमशेर बहादूर उर्फ शेरू भईया,
श्री रामहेत भारती,
(2) श्री संजय कपूर,
श्री गजराज सिंह,
श्री प्रदीप चौधरी,
श्री नदीम जावेद,
श्री बंशी सिंह पहाड़िया,
श्री दिलनवाज खां,
(3) श्री पंकज कुमार मलिक,
7-श्री मुकेश श्रीवास्तव,
8-ठा0 दलवीर सिंह,
श्री त्रिलोकी राम,
पं0 सुदेश शर्मा,
श्री वीरपाल राठी,
श्री भगवती प्रसाद,
9-श्री पूरन प्रकाश,
10-डा0 धर्मपाल सिंह,
11-श्री राजनारायण बुधौलिया,
12-श्री अगयश राम सरन वर्मा,

यह कानून व्यवस्था के विषय पर हर दल के एक-एक मा0 सदस्य बोल लेंगे तो फिर गन्ने के विषय पर भी चर्चा हो जायेगी। मा0 नेता विरोधी दल जी जो आपकी आज्ञा है जिसका पहले आया है नोटिस उसको ले लें या पहले आप बोल लेंगे।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

मान्यवर, जो आप निर्णय ले लें लेकिन जो परम्परायें रही हैं उनका अनुकरण हो तो उपयुक्त होगा।

*श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, जैसी कि परम्परायें रही हैं अगर मा0 नेता विरोधी दल और मा0 नेता सदन किसी भी समय में किसी भी विषय में इंटरविन करना चाहें तो उन पर कोई रोक नहीं होती है। लेकिन यह

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माननीय नेता विरोधी दल का बड़कप्पन होगा कि उनके साथी लोग पहले बोल लें फिर अन्त में वह सब कुछ बोल लेंगे।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, मैं माननीय प्रमोद तिवारी जी का बहुत सम्मान करता हूं। इसलिए मैं चाहूंगा कि विभिन्न दलों के माननीय नेतागण पहले बोल लें फिर बाद में मैं बोल लूंगा।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, माननीय नेता विरोधी दल जी मैं कुछ अच्छी बातें मेरे साथ में रहने से आ गयी हैं। उनका धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

किस स्तर तक आप लोग साथ रहते हैं। (हंसी)

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, प्रदेश सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही होती है कि प्रदेश में आम लोगों में सुरक्षा की भावना जगायें ताकि आम लोग अपने जीवन को सुरक्षित महसूस कर सकें। लेकिन मान्यवर, आज सिलसिलेवार जिस तरह से रोज घटनायें प्रदेश में हो रही हैं उनको आप देखने का काम करें। यह घटनायें मान्यवर, हम सबके लिए चिन्ता का विषय हो सकती हैं। इसको देखने से लगता है कि हम कहीं कानून के राज से जंगल राज में तो नहीं चले गये हैं। मैं आंकड़ों का सिलसिलेवार ब्यौरा तो नहीं देना चाहता हूं, लेकिन संक्षेप में कहना चाहता हूं। मान्यवर, अगर आप 2010, 2011, 2012 के अब तक के आंकड़े देखें। मान्यवर, 16 मार्च, 2012 से 30 सितम्बर, 2012 तक डकैती के अपराधों में वृद्धि हुई है। 2012 में अब तक 18244 डकैती की घटनायें हुई हैं, 2011 में यह 19424 हुई, 2010 में 16709 हुई। जो भी सरकारें आयी हैं सिलसिलेवार इसमें वृद्धि हुई है। हत्याओं की घटनाओं में वृद्धि हुई है इसका आंकड़ा क्रमशः 4844, 4933, 3794 है। बलवा की घटनायें भी निरन्तर बढ़ती जा रही हैं। मान्यवर, आपराधिक घटनाओं में एक उभार सा आया है। ऑनर किलिंग की बात कही गयी है। बुलन्दशहर में एक घटना घटी है और अन्य जगहो पर जिस तरह से घटनायें घट रही हैं उस पर कठोरता से कदम उठाने की बात होनी चाहिए इस सरकार में। मान्यवर, आज प्रदेश का उत्तर, पश्चिम और दक्षिण कोई इलाका नहीं बचा है जहां पर अपराधों में उभार न आया हो। यह हम मानते हैं कि हर क्षेत्र में उन्नति हुई है, प्रगति हुई है। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इधर अपराध की घटनाओं में एक उभार सा आ गया है साम्प्रदायिक दंगों के रूप में। आज जनपद अलीगढ़, बाराबंकी, सुल्तानपुर में बढ़ती हुई घटनाओं को देख लें। आज बहुत सी जगहों पर साम्प्रदायिक तनाव है दंगे हुए हैं वहां पर सख्ती की जानी चाहिए और ऐसी घटनाओं को रोका जाना चाहिए। जितनी भी शक्ति का उपयोग हो सकता है वह किया जाना चाहिए। अगर इस तरह से साम्प्रदायिक तनाव होगा तो फिर आपसी सामाजिक सौहार्द कैसे बढ़ेगा। ऐसी घटनाओं के चलते मान्यवर, आम आदमी कैसे अपने को सुरक्षित महसूस कर सकता है। आज बढ़ती बलात्कार की घटनायें चिंता का विषय है। मान्यवर, हम रोज अखबार उठाकर देखते हैं टीवी पर देखते हैं बलात्कार की घटनायें बढ़ रही हैं। इस पर आप नियंत्रण करने का काम करें। किसी न किसी घटना का जिक्र किया होगा हमारे साथी दुबे जी कह रहे हैं कि थाने में बलात्कार हुआ और इनके जनपद में हुआ।

श्री विजय कुमार दुबे-

मान्यवर, हमारे यहां दलित महिला के साथ चौकीदारी की नौकरी दिलाने के नाम पर 20 घन्टे सामूहिक बलात्कार किया गया और 2.00 बजे रात को मुकदमा मैंने दर्ज करवाया है उसमें 6 लोग निलम्बित हुए।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मैं जहां इन सब बातों को रख रहा हूं मैं जानता हूं कि बहुत से लोग बोलना चाहते हैं, बहुत समय नहीं लेना चाहता लेकिन मैंने आंकड़े देखे एक चीज देखी लूट बढ़ी है, डकैती बढ़ी है, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार की घटनाएं बढ़ी हैं, थाने तक में बलात्कार हुआ है और इसके साथ-साथ सम्प्रदायिक दंगे जो हुए हैं वह किसी का भी विश्वास हिला देने के लिए काफी है। मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहता हूं और सरकार को सचेत करना चाहता हूं सजेस्ट भी करना चाहता हूं कि यह जो सम्प्रदायिक घटनाएं हो रही हैं सिर्फ एक घटना का जिक्र करना चाहता हूं फैजाबाद का। फैजाबाद सालों तक इस देश की अशांति का कारण रहा। अयोध्या और फैजाबाद में घटनाएं हुई। मैं इस देश के हिन्दू और मुसलमानों को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने एक सम्प्रदायिक सौहार्द के वातावरण बनाये रखा, आज चारो तरफ शांति है और कम से कम फैजाबाद से विगत कई वर्षो से इस तरह की घटना नहीं हुई लेकिन मान्यवर, जो कुछ फैजाबाद में हुआ वह हमें एक आने वाले कल की ओर इशारा करता है कि क्या यह प्रयास हो रहा है कि एक बार फिर फैजाबाद को उद्वेलित किया जाय, फैजाबाद को फिर आग लगाई जाय और फैजाबाद की आग में पूरे प्रदेश को जलाया जाय, पूरे देश को जलाया जाय। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से संसदीय कार्य मंत्री जी को एक सवाल देते हुए एक सुझाव देना चाहता हूं कि जिस समय फैजाबाद में दुर्गा मूर्ति का विसर्जन हो रहा था, सारा का सारा प्रशासन वहां पर था उसी समय भदरसा में सड़क जाम किया जा रहा है क्यों ? क्या मान्यवर, एक प्रयास तो नहीं था कि फैजाबाद में जो वहां पर सशस्त्र बल है जो वहां पर प्रशासन के अधिकारी हैं उनको भदरसा की तरफ .....

(इस समय 3 बजकर 15 मिनट पर अधिष्ठाता श्री आरिफ अनवर हाशमी पीठासीन हुए।)

मोड़ दिया जाय। जैसे ही वह भदरसा गये हैं, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, जैसे इंतजार हो रहा था कि यह अधिकारी और सशस्त्र बल लोग भदरसा की ओर कुच करें, कहां से लोग आये जहां पर कोई सम्प्रदायिक तनाव और विवाद भी नहीं था विवाद दो सजातीयों के बीच में था एक सम्प्रदाय विशेष के लोगों को दुकान जला दी गयी। मान्यवर, मैं समझता हूं कि यह कहीं न कहीं से फैजाबाद के तनाव को बढ़ाने के लिए वहां पर यह किया गया। मान्यवर, यह तो मैं बधाई दूंगा फैजाबाद की आम जनता को कि बाराबंकी, बहराइच, गोण्डा, बस्ती जो लगे हुए अगल-बगल के जिले हैं शायद उन्होंने इस बात को समझा कि यह सम्प्रदायिक दंगे हुए नहीं बल्कि कराये गये हैं इसलिए यह आग की लपट लगने नहीं पाई, वरना कोशिश तो यही थी कि पूरे देश को सम्प्रदायिकता की आग मे झोक दिया जाय। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि यह सरकार विकास की बात करती है, विकास में शिथिल हो जाय, हम बरदाश्त कर लेंगे, मान्यवर, अपने कुछ वायदे पूरे कर पाये न कर पाये।

श्री अधिष्ठाता-

अब आपकी सारी बातें आ गयी हैं।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, आपकी समझ आ गयी होंगी सदन की समझ में नहीं आई हैं इसलिए थोड़ा समय लगेगा। इंटलीजेंस लोग जल्दी समझ लेते हैं और लोग थोड़ा देर से समझते हैं। मान्यवर, मैं थोड़ा सा अपने साथियों को भी समझा दूं।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपसे सिर्फ विनम्रतापूर्वक यह कहना चाह रहा था कि यह साम्प्रदायिक दंगे कराने वाले लोग अगर सक्रिय होते हैं तो फिर 2014 के चुनाव भी बहुत दूर नहीं हैं। 2014 के चुनाव में भी कुछ लोग मुद्दे बनाने की कोशिश करेंगे। मान्यवर, इनकी इंटेलीजेंस यूनिट पूरी तरह फेल रही है, इनका प्रशासन पूरी तरह से फेल रहा है। जिलाधिकारी, एस0पी0 आपने हटाया है। तो यह तो मानना ही पड़ेगा कि सरकार की प्रशासनिक असफलता के कारण ही यह दंगे हुये। लेकिन अगर यह ट्रेलर था तो आगे आने वाले दिनों के लिए सचेत होना पड़ेगा। आने वाले दिनों में यह सुनिश्चित कर लें कि साम्प्रदायिक तनाव होने की जिम्मेदारी के लिए सिर्फ उन हाथों में हथकड़ियां नहीं लगनी चाहिए जो जलायें बल्कि जिन्होंने उन हाथों को प्रेरित किया है कि घरों में आग लगायी जायें तो उनके हाथों में भी हथकड़ियां लगनी चाहिए। उनके भी चेहरे को बेनकाब किया जाना चाहिए। कुछ संगठन इसी चीज का प्रयास कर रहे हैं उन संगठनों पर रोक लगनी चाहिए। वह चाहे जिस धर्म के उग्रवादी संगठन हों उनको अलग-थलग करना पड़ेगा और उनके खिलाफ दृढ़ता से कार्यवाही करनी पड़ेगी। मान्यवर आठ महीने जो गुजरे हैं इसमें कानून व्यवस्था के नाम पर प्रदेश सरकार असफल रही है। कई जगहों पर ऐसा लगता है कि आम आदमी अपने आपको सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। मैं दृढ़ता से कहना चाहता हूं कि कानून व्यवस्था सुदृढ़ की जाये और साम्प्रदायिकता फैलाने वालों के चेहरे को बेनकाब किया जाये उनको रोका जाये और जरूरत पड़े तो दृढ़ता से उनके खिलाफ कार्यवाही की जाये।

*श्री सतीश महाना-

मान्यवर, आपने अतिसंवेदनशील और वर्तमान में प्रदेश में जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है कानून व्यवस्था के ऊपर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, मैं अपने साथी आदरणीय प्रमोद जी के द्वारा कही गयी बातों के साथ अपने को सम्बद्ध करता हूं। वर्तमान में जब यह सरकार आयी थी तो जो कुछ शपथ ग्रहण के बाद हुआ था और उसके बाद जो संदेशा आया था उसको देखकर मन में एक विश्वास हुआ था कि जो पुराना चरित्र और जो पुरानी परम्परायें थी इस सरकार की उस पर कहीं न कहीं रोक लगेगी। जो लोग उसमें दोषी थे उनके खिलाफ कार्यवाही कर शायद यह संदेश देना चाहते थे कि शायद अब सत्ता में बैठे हुए लोग अपराध नहीं करेंगे और अपने आपको अनुशासन में रखेंगे। मैंने उस समय कहा था कि नई सरकार है नई उम्मीदें हैं नये मुख्य मंत्री हैं चरित्र पुराना है। तो शायद हमने सोचा कि चरित्र पुराना है तो चरित्र में कुछ बदलाव आएगा। लेकिन वर्तमान में परिस्थितियां बहुत विषम हैं। आठ महीने इस सरकार को हो गये और प्रदेश में 9 साम्प्रदायिक दंगे हुये। जो लोग भी उसमें सम्मिलित थे उनके खिलाफ कार्यवाही में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। समस्या तब आती है जब उसमें भेदभाव होता है। जब वास्तविक अपराधी नहीं पकड़ा जाता है तो उसका मनोबल बढ़ता है और अपराध करने के लिए इससे उसको एक ताकत मिलती है एक उत्साह मिलता है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जब यह सरकार आयी थी

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तो एक नारा देकर आयी थी कि जो पिछली सरकार थी उसमें अपराध बढ़ गया था और अपराधियों को पकड़कर जेल में डालेगे इस नारे को कहकर यह सरकार आयी थी। एक बार फिर मन में विश्वास जगा। फिर एक दिन समाचार पत्र में पढ़ा कि फंला-फंला वर्ग के लोग जेलों से छोड़ दिये जायें। जब इस बात पर स्पष्टीकरण मांगा गया तो फिर कहा कि इस वर्ग के निर्दोश लोगों को छोड़ दिया जाये। तो क्या बाकी सब वर्ग के निर्दोष लोगों को उसके अन्दर रहने दिया जाय। मान्यवर, अपराधी की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, किसी भी प्रकार का कोई मजहब नहीं होता है। मान्यवर, जेल में बन्द अपराधियों को छोड़ने के लिए कोई बात कही जायेगी और उसके ऊपर अगर इलाहाबाद मा0 उच्च न्यायालय को टिप्पणी करनी पड़ेगी कि क्या इनको कुछ मेडेल वगैरह देने की बात है, कुछ शौर्य पदक देने की बात है, इनको कोई पद्विभूषण देने की बात है। यह टिप्पणी मान्यवर, हमारी सरकार के लिए शर्मनाक थी और जिस समय उच्च न्यायालय ने कहा कि इनको छोड़ने के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है कि बहुत अच्छा काम आपने किया था इसलिए आपके मुकदमें वापस लिये जा रहे हैं, मुकदमें वापस लेना गलत है। अगर मुकदमें की जांच हुई थी अगर निर्दोष थे तो उस जांच में आ जाना चाहिए था, अगर दोषी थे तो उस जांच में आ गया होगा। तो कानूनी प्रक्रिया और न्यायालय की पूरी प्रक्रिया को पूरा कर के जो निर्दोष होगा वह अपने आप छूट जायेगा। उसमें भी मान्यवर, यह सन्देश देने का काम किया गया कि अगर इनको छोड़ा गया हालांकि उन्हें छोड़ा नहीं गया, लेकिन यह संदेश दे दिया गया क जो बन्द हैं उनको छोड़ रहे हैं तो तुम्हारा क्या, तुम तो बड़े आराम से अपना काम करो। कल मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा था कि जेल में बन्द करेंगे। हमें लेकिन इन आठ महीनों के अन्तर्गत यह दिखाई नहीं पड़ा कि जिन्होंनें अपराध किया उन्हें जेल में बन्द करेंगे और मान्यवर, साम्प्रदायिक दंगे भी केवल इस बात के लिए होंगे कि विदेशी घुसपैठियों को लेकर, अगर असम में कोई बात कही जायेगी तो उसको पूरे देश में फैलाया जायेगा और उत्तर प्रदेश में भी उसकी आंच आयेगी।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करें।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैं अपनी बात को निश्चितरूप से समाप्त करूंगा, इसीलिए मैंने पहले बोला कि मैं बिन्दुवार बोलूंगा, विस्तार से नहीं बोलूंगा। मान्यवर, क्या इस बात के लिए यह संदेश देना चाहते थे कि अगर कोई एक बात हो जाय, भारत की सीमा से सम्बन्धित कोई बात हो जाय तो उसको मान्यवर, जाति और धर्म के आधार पर नहीं देखा जाना चाहिए। मान्यवर, एक बात मैं और बहुत महत्वपूर्ण कहना चाहता हूं कि गोकशी की एक बाढ़ सी आ गई है कानपुर में, बहुत महत्वपूर्ण बात है, कानपुर ही नहीं पूरे प्रदेश में हो रहा है, मैं तो कानपुर का सिर्फ उदाहरण देना चाहता हूं, कानपुर में थाना चकेरी के क्षेत्र के अन्तर्गत श्याम नगर में गाय उसकी पली हुई थी, उसकी गाय काट कर उसका सिर वहां छोड़ ये बाकी सब ले गये। मान्यवर, यह गम्भीर बात है, यह उकसाने वाली बात है, केवल यहां तक नहीं था कि उसने गाय को काट दिया, इस बात को लेकर आगे बात बढ़े लेकिन मैं फिर इस बात को कहूंगा कि उत्तर प्रदेश की जनता ने बहुत धैर्य से काम लिया। इसके साथ ही मान्यवर, मैं एक और बात कहना चाहता हूं, कालेज में कोई विवाद हुआ, प्रधानाचार्य से छात्र संगठन के कुछ लोगों के साथ विवाद हुआ उन्होंने प्रधानाचार्य के एक आदमी की पिटाई कर दी,

प्रधानाचार्य के टीचर जब थाने में गये और उन लोगों के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई तो मान्यवर जब एस0पी0 ने उन लोगों के खिलाफ कार्यवाही करनी चाही तो उसमें उठा कर उनको थाने में बन्द कर दिया गया तो मान्यवर, जो लोग थे, अपराधी थे जिनके खिलाफ रिपोर्ट लिखाई गई, वह तो छूट गये, एस0पी0 साहब का ट्रान्सफर हो गया। मान्यवर, यह अच्छा सन्देश नहीं है। अगर अपराधियों के खिलाफ कोई कार्यवाही करना चाहता है तो यहां पर मान्यवर, ए0डी0जी0 साहब बैठे हुए हैं, उन्होंने जाकर वहां पर कहा, यह बयान देना पड़ा उनको कि कोई भी आदमी हो, अगर पुलिस के अधिकारी के कालर पर हाथ डालता है, उसको थप्पड़ मारता है तो उनको उसका प्रत्युत्व जरूर देना चाहिए। सही कहा आपने मान्यवर, पुलिसवाले की कालर घसीट कर थाने के अन्दर अपराध करेंगे और पुलिस वाले उसका प्रतिकार करेंगे तो थानेदार का ट्रान्सफर हो गया।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया अब समाप्त करें।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, बड़ी गम्भीर बात है, मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं, मान्यवर, यह तो मैंने एक बानगी के रूप में रखा है। इसी सदन में आज से छः महीने पहले इन्होंने स्वयं खड़े होकर के कहा था कि एक विश्वास का वातावरण पैदा करना चाहते हैं लेकिन मान्यवर, उस पुराने चरित्र में कुछ सुधार नहीं हुआ। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि अभी शुरूआत है, अभी संभल जाइये, अगर आप नहीं संभले तो बात हाथ से निकल जायेगी और अगर बात हाथ से निकल जायेगी तो फिर इन अपराधियों के ऊपर अंकुश लगाना कठिन हो जायेगा। अपराधी-अपराधी है, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी पार्टी का हो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करना बहुत आवश्यक है। मैं आपके माध्यम से सरकार से इस बात की अपेक्षा करता हूं कि अपराधमुक्त प्रदेश जो देने की बात कही थी, वह अपराधयुक्त, बलात्कारयुक्त मान्यवर, आठ साल की बच्ची के साथ, ढाई साल की अबोध बच्ची के साथ, आज के पेपर में है केवल एक साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया। मान्यवर, ये लोग मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं। इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिये। इनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये। मान्यवर, मैं बस इतनी ही बात कह कर नियम-56 के अन्तर्गत सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराये जाने की मांग करता हूं।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर)

श्री अधिष्ठाता-

आप लोग सीनियर सदस्य हैं, कृपया बैठ जायें। क्रमवार चलने दें। आप इसके बाद बोल लीजिएगा।

(डा0 रीता बहुगुणा जोशी के लगातार खड़े रहकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अधिष्ठाता-

आप भी बोलेंगी, आप भी बोलेंगी। अब बहुजन समाज पार्टी की ओर से नेता विरोधी दल ने एक मा0 सदस्य को अधिकृत किया है, इनको बोल लेने दें।

*श्री देव नारायण उर्फ जी0एम0सिंह-

मा0 अधिष्ठाता जी, मैं कानून व्यवस्था के मसले पर बोलना चाहता हूं। इनमें कई रूप हैं, कई चेहरे हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि सबसे भयावह चेहरा तो आतंकवाद का है, उससे भयावह चेहरा साम्प्रदायिक दंगों का है। लूट, हत्या, बलात्कार और दहेज हत्या इसमें तमाम अन्तर है, इसमें मेरी अलग-अलग राय है लेकिन अभी हमारे बड़े भाई प्रमोद तिवारी जी और महाना जी ने अपनी बातों को रखा। मैं उससे अपने आपको सम्बद्ध करते हुए यह कहना चाहता हूं कि दोनों लोगों ने बड़ी ईमानदारी से कहा कि फैजाबाद के दंगों में दोषियों के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये। मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी भी अन्दर से जानते हैं कि कौन दोषी है, महाना साहब भी जानते हैं और प्रमोद तिवारी जी भी जानते हैं। मान्यवर, कार्यवाही हो ही जानी चाहिये जिसने वहां दंगा फैलाने की कोशिश की। मान्यवर, दोनों लोगों की बातों से मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, इन दोनों ने आतंकवाद के संगठित रूप को बढ़ावा देने का काम किया है। कभी भारतीय जनता पार्टी के लोगों का नाम आ जाता है मस्जिद के विस्फोट में, कभी किसी दल का नाम आ जाता है मन्दिर के विस्फोट में और मान्यवर, इतना ही नहीं किया गया। मैं बहुत दमदारी से इस सदन में कहना चाहता हूं कि [xxx] को तिरंगा झण्डा दिया गया। कांग्रेस पार्टी की वहां गवर्नमेन्ट है। उस [xxx] की शिवसेना के साथ भारतीय जनता पार्टी का एलाइंस है।

(बी0जे0पी0 सदस्यों द्वारा खड़े होकर विरोध स्वरूप शोरगुल की स्थिति के मध्य एवं मा0 सदस्य देवनारायण की ओर उंगली दिखाये जाने पर)

श्री देव नारायण उर्फ जी0एम0 सिंह-

उंगली मत दिखाओ, उंगली दिखा करके बात नहीं।

श्री अधिष्ठाता-

सभी मा0 सदस्य बैठ जायें, बैठ जायें, शान्त रहें। कृपया शान्त रहें, सदन को व्यवस्थित रखें तभी तो कार्यवाही चलगी। कृपया शान्त रहें।

(भारतीय जनता पार्टी के मा0 सदस्यों द्वारा बाल ठाकरे अमर रहें, बाल ठाकरे अमर रहें के नारे लगाये गये।)

श्री देव नारायण उर्फ जी0एम0 सिंह-

मान्यवर, ये इतने राष्ट्रवादी हैं कि जब हमारे उत्तर भारत के लोग, इनके राष्ट्रवाद की परिभाषा सुनिये कि जब हमारे घरों के बच्चे, उत्तर भारतीय बच्चे, बिहार, उत्तर प्रदेश के बच्चे और हमारे घर के नौजवान जब वहां पर गये तो [xxx]

(इस समय 3 बजकर 35 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

श्री अध्यक्ष-

अरे, धीरे-धीरे बात करों।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोटः-[xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री देव रारायण उर्फ जी0एम0 सिंह-

मान्यवर, इसके अलावा हमारा एक भाई अबू आजमी जो विधायक था। जब वह हिन्दी और उर्दू में विधान सभा में शपथ लेने गया तो उसको विधान सभा में पीटा गया। ये है इनका राष्ट्रवादी चेहरा। मान्यवर, जो उदाहरण है मैं उसी की बात कर रहा हूं। मान्यवर, वहां कहा गया कि मैं [xxx]

(भारतीय जनता पार्टी के मा0 सदस्यों द्वारा नारे लगाये गये।)

(भारतीय जनता पार्टी के कई मा0 सदस्य अपने स्थान पर खड़े होकर [xxx] बहुजन समाज पार्टी के कई मा0 सदस्य विरोध में खड़े हो गए, जिससे व्यवधान कि स्थिति उत्पन्न हो गई।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

हुकुम सिंह जी, बताएं क्या कहना चाहते हैं ?

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, ये बैठे तो सही। मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य बी0एस0पी0 आप रूकिये, अभी आप से बुलवाते हैं। मा0 हुकुम सिंह जी क्या बात हुई ?

श्री हुकुम सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं बहुत विनम्रता के साथ आपसे आग्रह करना चाहता हूं और एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं, मान्यवर कि जो महानुभाव इस सदन के सदस्य नहीं हैं और आज दुर्भाग्य से इस संसार में भी नहीं हैं और जिनको राजकीय, राष्ट्रीय सम्मान दिया गया हो।

श्री देव नारायण उर्फ जी0एम0 सिंह-

यहीं तो हमें आपत्ति है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य आप रूक जाइये।

श्री हुकुम सिंह-

....उनके बारे में ऐसी बेहूदी टिप्पणी करना, ऐसी प्रतिकूल टिप्पणी करना मान्यवर, यह संसदीय परंपराओं के प्रतिकूल है और मैं यह चाहता हूं कि जो कुछ इन्होंने उनके बारे में कहा है उसे सदन की कार्यवाही से निकाल दिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

हम देख लेते हैं आवश्यक होगा तो निकाल देंगे। अब मा0 सदस्य आप अपनी बात बोलें।

श्री देव नारायण उर्फ जी0एम0 सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 हुकुम सिंह जी बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, 5 गुण बता दें [xxx] के तों

नोटः-[xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य देखिए, यह सदन है और सदन नियमों से चलता है उन नियमों का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता है।

श्री देव नारायण उर्फ जी0एम0 सिंह-

जो साम्प्रदायिक ताकतों को बढ़ावा देते हैं, वह साम्प्रदायिकता रोकने की बात कतई न करें।

(भारतीय जनता पार्टी के कई सदस्यों के एक साथ विरोध में खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

कार्यवाही में जो भी ऐसी बातें हैं, जो नहीं होनी चाहिए, उसे देखकर मैं तत्काल निकलवा दूंगा। आप अपनी बात कहिए।

श्री देव नारायण उर्फ जी0एम0 सिंह-

मान्यवर, साम्प्रदायिक दंगों पर मैं बोल रहा हूं किसी का सम्बन्ध मंदिर विस्फोट में है और किसी का सम्बन्ध मस्जिद विस्फोट में हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी हैं जिसका सम्बन्ध न मंदिर विस्फोट से और न मस्जिद विस्फोट में है। यही मैं कहना चाहता हूं, मैं यह कहना चाहता हूं।

(भारतीय जनता पार्टी के कई मा0 सदस्यों के खड़े होकर बोलने के प्रयास के कारण व्यवधान की स्थिति)

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य, आप अपनी बात कहिए।

श्री देव नारायण उर्फ जी0एम0 सिंह-

मान्यवर, जो ताबूत घोटाला कर दिए और जो कफन चोरी कर दिए हैं, ये वही हैं।

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य आप जो भी बात कहेंगे नियमों में कहेंगे। जिस तरह से अपनी बात कह रहे हैं, वह नियमों में नहीं आता। इसके लिए नियमावली बनी है और अपनी बात को रखने का तरीका है और उसी ढंग से रखिए इसे। आप अपनी बात कहिए संजीदगी से कहिए, ऐसी बात भी नहीं बोलनी चाहिए जिससे कोई व्यवस्था का उल्लंघन हो। आप अपनी बात कहें संजीदगी से। आप क्यों बैठ गए नेता विरोधी दल आपने और बढ़ा दिया।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

नहीं मान्यवर।

श्री देव नारायण उर्फ जी0एम0 सिंह-

नहीं मान्यवर, बढ़ा नहीं दिया, मेरी बात पूरी आ जाने दें, नहीं तो गलत हो जायेगा। मा0 दूसरी बात जिस पर मैं आना चाहता हूं, वह यह है कि सरकार ने जिन आतंकवादियों को छोड़ने की बात कही। मान्यवर, चाहे हिन्दू आतंकवादी हो, उसे भी नहीं बख्शना चाहिए और चाहे मुस्लिम आतंकवादी हो, उसे भी नहीं बख्शना चाहिए। सरकार ने जिन आतंकवादियों को छोड़ने की बात की, मुसलमान के नाम पर वह गलत है। मैं यह कहता हूं कि मुसलमान आतंकवादी छोड़कर, मुसलमानों

को कुछ नहीं किया हो सकता है। इस देश के मुसलमानों को मैं प्रणाम करता हूं इस बात के लिए कि कसाब जिसने मुम्बई में इतना बड़ा आतंकवादी हमला किया, उसके लोगों ने हमला किया इस देश के मुसलमानों ने कहा कि हिन्दुस्तान की किसी भी कब्रिस्तान में ऐसे आतंकवादियों के लिए दो फीट जमीन नहीं दी जायेगी। इस हिन्दुस्तान के मुसलमानों को मैं प्रणाम करता हूं और यह मानसिकता हिन्दुस्तान के मुसलमानों के लिए रखना कतई ठीक नहीं होगा। मान्यवर, किसी भी आतंकवादी को छोड़ने के खिलाफ बहुजन समाज पार्टी की सरकार सदैव रही है, कोई चैलेन्ज कानून के मुद्दे के विषय पर हमें नहीं कर सकता है। कानून के मुद्दे पर हमारी नेता बहन कुमार मायावती जी ने बी0एस0पी0 को नहीं बख्शने का काम किया, किसी भी अपराधी को नहीं बख्शने का काम नहीं किया। मान्यवर, मैं संसदीय कार्य मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, दो चीजों पर लूट को कम किया जा सकता है लेकिन दो चीजों से मैं सहमत नहीं हूं, बलात्कार से और दहेज हत्या से मान्यवर, मेरी इस पर अलग राय है। बलात्कार के मामले में आपको पता है, आप इस सदन की कुर्सी पर बैठे हैं, आप जानते हैं कि पिता और बेटे को बलात्कार में फंसाया गया। आधे मामले बलात्कार के समझौता हो जा रहे हैं। इसकी रिपोर्ट मंगाई जाये और जो बलात्कार के मामलों में समझौता हो जा रहा है उसमें उसके खिलाफ भी कार्यवाही की जाये। जहां तक दहेज हत्या की बात है अगर किसी के परिवार में दहेज हत्या हो गयी तो ननद की सास को, सास को फंसाया जा रहा है, जिसकी शादी हो गयी और घर चली गयी, उसको जिसको अपने घर गये 10 साल हो गया उसको। मैं सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि एक एस0पी0 ने दमदारी के साथ अपना बयान दिया था बलात्कार के मुद्दे पर उसकी निन्दा हुयी जबकि मैं समझता हूं कि उसकी निन्दा नहीं होना चाहिये थी, बल्कि उसकी तारीफ होना चाहिये क्योंकि उसने दमदार तरीके से सत्य बात कहने का साहस किया था। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि अलग-अलग अपराध, अलग-अलग कानून, अलग-अलग श्रेणी, हत्या, लूट और दहेज उत्पीड़न, इन सब मामलों की सही तरीके से जांच कराई जाये और सरकार पूरी पावर सी0ओ0 को दे ताकि जो लोग गलत तरीके से फंस रहे हैं, उनको बचाया जाये और दोषियों को दण्डित किया जाये, यही मैं कहना चाहता हूं, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

(श्री दलवीर सिंह के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

आपकी तो इसमें सूचना है नहीं। जिसकी सूचना होती है, वही बोलते हैं। आपकी सूचना कानून-व्यवस्था के विषय पर नहीं है।

(श्रीमती रीता बहुगुणा जोशी के खड़े होने पर)

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, पीठ पर जो भी बैठा होता है, उसका सम्मान किया जाता है। मैं सुन रहा था और अधिष्ठाता महोदय ने रीता जी से कहा था कि आप बोलेंगी।

श्री दलवीर सिंह-

मान्यवर, मैंने अपने पूर्व सभी साथियों की बात सुनी, सबने विस्तार से अवगत कराया, मैं आपको इससे हटकर थोड़ी जानकारी देना चाहता हूं। संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हैं, उनसे कहना चाहता हूं कि हमारे अलीगढ़ जनपद में मवेशियों की बहुत चोरी हो रही है, अवैध कट्टियां बहुत बढ़ गयी हैं और इस कदर पूरे प्रदेश में मवेशियों की चोरी का अपराध बढ़ रहा है कि इसका कोई ठिकाना

नहीं है। मैं सदन के माध्यम से आपका ध्यान आकर्षित करते हुये यह चाहता हूं कि इन अवैध कट्टीघरों पर और पशुओं की चोरी पर सख्ती से जब तक आप रोक नहीं लगायेंगे तब तक प्रदेश में दुधारू पशु नहीं रह सकता। आज एक भैंस की कीमत 50 हजार रुपया है और कटने के बाद उस भैंस की कीमत 60 हजार रुपया हैं। इसलिये अगर आप इस प्रदेश में दूध बचाये रखना चाहते हैं तो आपको इस प्रदेश में अवैध कट्टीघरों पर पूरी तरह से प्रतिबन्ध लगाना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, एक-एक, दो-दो मिनट सब लोग बोल लें।

*प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी-

माननीय अध्यक्ष जी, बहुत देर से चर्चा हो रही है, मैं समझती हूं कि सबसे महत्वपूर्ण विषय पर अब चर्चा शुरू हुयी है क्योंकि पूरा प्रदेश चाहे वह जन प्रतिनिधि हो, चाहे सामान्य व्यक्ति हो, हर व्यक्ति इस समय कानून-व्यवस्था से परेशान हैं। बहुत सारे तथ्य आपके सामने प्रस्तुत किये गये। इसमें कोई दो राय नहीं है कि किसी भी जनपद का रिकार्ड अगर आप उठाकर देखेंगे तो आप पायेंगे कि वहां हर तरह के अपराध में वृद्धि हुयी है। मैं दुनिया की बात न करके केवल लखनऊ की बात करती हूं यह उत्तर प्रदेश की राजधानी है, यहां सारे बड़े अधिकारी रहते हैं, सारा मंत्रि-परिषद् यहीं बैठता है। आप और हम भी यहां बहुत समय व्यतीत करते हैं और इस समय जो हालात लखनऊ राजधानी के हैं, वह ही इस बात का बयान कर देते हैं कि पूरे प्रदेश में क्या हाल हो रहा होगा। पहले मैं क्राइम की बात करती हूं, लूट हो, अपहरण हो, चाहे हत्याये हों, सभी मैं वृद्धि हुयी है लेकिन महिलाओं के उत्पीड़न में सर्वाधिक वृद्धि हुयी है। मैं अखबार पढ़ती हूं, साधारण महिला हूं, इसलिये दो ही अखबार मंगाती हूं, सिर्फ इसी लखनऊ जनपद में और उन दो अखबारों से मुझे महिलाओं से सम्बन्धित दो सौ अपराधों की सूचना मिली है। जबकि आप जानते हैं कि आजकल अखबार मण्डलीय स्तर पर छपते हैं, सारी खबरें सब जगह नहीं आतीं फिर कैसे यह अपराध हो रहे होंगे प्रदेश के विभिन्न कोनों में कि लखनऊ के अखबार उसका संज्ञान ले रहे हैं और पिछले नौ महीनों में महिलाओं से सम्बन्धित दो सौ अपराधों की सूची मेरे पास है, मैं यह लिस्ट आपके पास भेज दूंगी। मात्र लखनऊ में 75 वारदातें जो कि महत्वपूर्ण किस्म की हैं, खराब किस्म की हैं घटित हुई हैं। चाहे वह थाने के अन्दर बलात्कार का हो, चाहे महिला उत्पीड़न का हो, चाहे हत्या का हो, सबसे ज्यादा 23 केसेज रेप के लखनऊ में रजिस्टर्ड हुए हैं जो केसेज सामने नहीं आये उनको छोड़ दीजिये। 21 हत्याएं महिलाओं की इस लखनऊ जनपद में हुई हैं। मैं इसको सिद्ध भी कर सकती हूं तो ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है तो जिस प्रदेश की राजधानी इतनी बुरी तरह से अपराध से ग्रस्त हो उस प्रदेश के हालात पर हम लोगों को चिन्तन करना चाहिए। कोई चुनाव नहीं होने वाले हैं कल कि हम लोग चुनाव क्षेत्र में जा रहे हैं। परन्तु जब वर्ष 2007 में चुनाव हुआ विधान सभा का तो हमारी पूर्व सरकार को एक ही नारे पर जनता ने बाहर किया था कि अपराध बढ़ा है और जो सरकार सत्ता में आयी वह यही कह कर आयी थी कि अपराधी बहुत बढ़ गये हैं। हम इनको सजा देंगे। फिर 2012 में सबसे बड़ा अगर कोई मुद्दा था तो वह कानून-व्यवस्था का मुद्दा था और उसे लेकर वह भी सरकार गई और आज 224 मा0 सदस्यों की बहुमत की सरकार बैठी है। मुख्य मंत्री जी युवा हैं, बड़ी आशाएं हैं उनसे प्रदेश को लेकिन आशा कब तक 9 महीने हो गये दो-तीन महीने में साल पूरा होने को आ रहा है। मैं

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आपसे कहना चाहती हूं कि इतिहास उठाकर देख लीजिये कोई भी शासन इस बात से पहचाना जाता है कि उसके कार्यकाल में कानून-व्यवस्था कैसी थी ? मान्यवर, नौ-नौ दंगे हो जाएं 9 महीने में और वह भी उस सरकार के रहते हुए जो सरकार गरीबों की रहनुमा मानी जाती हो, जिसको गरीब आंख बन्द करके वोट देता हो, जो हमेशा यही कहते हों कि हम साम्प्रदायिक दंगे नहीं होने देंगे। छोटी-छोटी बातों पर, ऐसी-ऐसी बातों पर दंगे हुए जो नहीं होने चाहिए थे। प्रशासनिक ढिलाई हुई, प्रशासनिक कमी हुई, मुझे अफसोस हुआ जब शासकीय दल की ओर से यह कहा गया कि हम उन लोगों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं जो दंगे करते आये हैं जो समाज में अपराध फैलाते आये हैं। इसका क्या मतलब हुआ, आप दोनों के झगड़े में क्या यह प्रदेश हर वक्त त्रस्त होता रहेगा, इसको सुशासन मिलेगा या नहीं मिलेगा। मेरा कहना इतना है कि चाहे किसी का शासन हो, अगर उसमें अपराध है तो उस शासन को माफ नहीं किया जा सकता है। हमारी गंगा-जमुनी संस्कृति है, हर चीज को लाकर राजनीति पर नहीं रखना चाहिए। हमारी मिली-जुली संस्कृति है, हमारी गंगा-जमुनी संस्कृति है, हमारा देश इसी से चलता है और मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहती हूं कि यह सच है कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, अपराध का भी कोई मजहब नहीं होता है लेकिन अगर सरकार सख्त हो जाए तो इसे रोका जा सकता है। मैंने बहुत शासन देखा है, 63 वर्ष की मेरी आयु हो गई है, मैंने सत्ता में बैठे अपने परिवार को तथा परिवार से जुड़े बहुत लोगों को सत्ता में बैठे देखा है। प्रशासन-शासन चलाया जाता है, वह भय पैदा करना होता है अपराधियों के दिल में प्रशासन के दिल में कि वह फिर गलती न कर सके और अगर प्रशासन भी न डरे, अभी-अभी आप बहुत लम्बी चौड़ी बातें रामपुर से कर रहे थे, इन्हीं के बिल्कुल बगल में बलरामपुर में एक दलित लड़की को घर के अन्दर बन्द करके उसके साथ बलात्कार किया गया। कहां थे ये, क्यों नहीं जाकर वहां पहुंचे, लखनऊ से कांग्रेस की टीम वहां गई जिसने जाकर वहां आवाज उठाई तो मान्यवर, सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता है। हर मुद्दे को राजनीतिक मुद्दा मत बनाइये, यह संवेदनशील मुद्दा हम सबका है, सौहार्द रहना चाहिए, दंगे नहीं होने चाहिए महिलाओं को सुरक्षित रहना चाहिए। मैं फिर निवेदन करती हूं कि अगर महिलाएं असुरक्षित हो गई तो कोई भी शासन टिक नहीं पायेगा। इसी निवेदन के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

पहले यह बात हुई थी कि गन्ने पर चर्चा है, विधेयक भी पारित कराना है तो यह हुआ था कि एक-एक नेता बोल लें अब चूंकि कांग्रेस से दो नेता बोल लिये हैं।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के खड़े होने पर)

आपका नाम उस सूची में है ? आपने दस्तखत किये हैं ? आप और मा0 बाजपेयी जी तय कर लीजिए कि आप दोनों में कौन बोलेगा क्योंकि एक ही मा0 सदस्य को बोलने को मिलेगा।

एक दल से कितने लोग बोलेंगे ?

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, यह आपको तय करना है। मेरी नियम-56 में सूचना है।

श्री अध्यक्ष-

बाजपेयी जी, आप बोल लीजिए।

* डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश की कानून-व्यवस्था पर नियम-56 के अन्तर्गत आपने मेरे कार्य-स्थगन प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। मैं इसके लिए आपके प्रति आभारी हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी की सरकार आयी तो अपराधमुक्त प्रदेश का नारा देकर आयी थी। समाजवादी पार्टी की सरकार आने के बाद अविश्वसनीय रूप से अपराध बढ़े हैं। आंकड़ों की बात नहीं करना चाहता, रोज अखबार खोलें। तीन-तीन चार जिलों के अखबार लें लेकिन जिस जिले का अखबार आप खोलें उसका एक पन्ना पूरा पन्ना अपराध से भरा हुआ पायेंगे, लूट, डकैती, हत्या, बलात्कार और राहजनी से। मान्यवर, स्वयं सरकार के आंकड़े हैं जिसमें 20 प्रतिशत अपराध की वृद्धि है जोनल वाइज। अगर आप इजाजत देंगे तो मैं जनपद वाइज व जोन वाइज पढ़ सकता हूं लेकिन लखनऊ से जो समाचार-पत्र प्रकाशित होते हैं उसमें 1290 हत्या, 228 बलात्कार, लूट और चोरी 1308, गुण्डागर्दी 822 तथा अपहरण 127 अपराध हुए हैं। अगर सरकारी आंकड़े देखें तो 18.244 चोरी, अपहरण फिरौती के लिए 46, अन्य अपहरण 46, बलात्कार 1036, डकैती 112, लूट 1479, हत्या 2652, बलवा 2983, गृहभेदन 2866 और वाहन चोरी 11677। यह सरकार स्वीकार कर रही है और ये आंकड़े पिछले वर्षों के मुकाबले बढ़े हुए आंकड़े हैं। महिलाओं के साथ अत्याचार की बात बहन रीता बहुगुणा जोशी जी ने कही है। नवम्बर माह में महिलाओं के साथ जो लखनऊ क्षेत्र में अपराध हुए हैं 30 अपहरण, 9 हत्या, 6 बलात्कार, 14 गुण्डागर्दी और नवम्बर माह में पुलिस के द्वारा जो किये गये अपराध हैं उनमें 8 हत्यायें, 4 बलात्कार, लूट व चोरी की 10, गुण्डागर्दी के 27 और साम्प्रदायिक उन्माद की दृष्टि से अगर हम देखें तो 07 माह में 09 जिलों में 11 साम्प्रदायिक घटनायें घट चुकी हैं। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि प्रदेश की सरकार इस वक्त दिशाहीन सरकार है, अन्तर्विरोधी से ग्रस्त सरकार है और स्वयं अराजकता से ग्रस्त सरकार है घर के भीतर। पूरी तरीके से कानून का शासन स्थापित करने में यह सरकार विफल रही है। मान्यवर, जब उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक यह बयान देंगे कि मेरी कोई सुनता नहीं है तो फिर अपराधी मस्त होगा या नहीं होगा और जनता त्रस्त होगी या नहीं होगी, इसके अलावा कोई और रास्ता है ? क्यों पुलिस महानिदेशक जी बयान दे रहे हैं और अगर महानिदेशक इतने मजबूर हों, उनकी कोई सुनता नहीं है तो उनके पास पद त्याग करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है, क्यों वह पद पर बैठे हुए हैं ? अभी एक पुलिस की टोपी उछालने का प्रकरण समाजवादी पार्टी के राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त एक व्यक्ति के कार्यक्रम में हुआ। मान्यवर, एक सी0ओ0 ने घूस के सम्बन्ध में बयान दिया, बजाए उसके कि इसकी जांच होती, उसका निलम्बन कर दिया गया। निलम्बन करने के बाद उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। गौ-कशी की चर्चा की गयी है, पूरे प्रदेश में गौ-कशी बढ़ रही है। राष्ट्रीय लोक दल के सदस्य ने कहा कि पशुओं की चोरी बढ़ रही है। धीरे-धीरे स्थिति यह आ गयी है कि पशुधन इतना घटता जा रहा है, घटता इसलिए नहीं जा रहा है कि पैदा नहीं हो रहा है। घटता इसलिए जा रहा है कि वह कटते जा रहा है। दुधारू पशु कट रहे हैं और उसके कारण अवैध पशु कटान भी होने लगा है, गौ-कशी भी होने लगी है, दूध भी घट रहा है और अपराध भी हो रहा है। मेरठ जनपद के सरधना थाना क्षेत्र की केवल एक घटना बताना चाहूंगा वहां पर गौ-कशी हुई, गौ-कशी के बाद जिन लोगों ने गौ-कशी को पकड़वाया, पुलिस व अधिकारी मौके पर गये उनके विरुद्ध तो 2000 अज्ञात

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लोगों के खिलाफ मुकदमा कायम हो गया और गौ-कशी करने वाले केवल 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा कायम हुआ। फरीदपुर के जंगल में गोली चली गौ-कशी करते हुए लोगों को रोकने के लिये तो 28 गौ-कशी रोकने वालों के खिलाफ मुकदमा कायम हुआ और गौ-कशी करने वाले केवल 01 के खिलाफ मुकदमा कायम हुआ। मान्यवर, अगर मैं साम्प्रदायिक घटनाओं की चर्चा करूं तो कोसीकलां, मथुरा में घटना के दो महीने बाद भी एफ0आई0आर0 हो रही है। एक दुकान अगर जली है तो उस दुकान के लिये पिता भी एफ0आई0आर0 करा रहा है और बेटा भी एफ0आई0आर0 दर्ज करा रहा है। एक ही घटना की दो एफ0आई0आर0 एक ही परिवार के दो व्यक्तियों के द्वारा किया जा रहा है और उसमें अलग-अलग मुल्जिम है। सैकड़ों लोगों को पुलिस उत्पीड़ित कर रही है। मान्यवर बरेली की घटना प्रतापगढ़ जनपद में नवाबगंज क्षेत्र में आस्थान गांव में एक नाबालिग 11 साल की दलित बच्ची के साथ दुराचार हुआ था मान्यवर, बरेली में जो घटना हुई। किसी भी शासन का और प्रशासन का जो परम्परागत आयोजन परम्परागत जुलूस यदि शांतिपूर्वक निकल जाते हैं तो शासन के लिए प्रशासन के लिए क्रेडिट की बात होती है। लेकिन जगह-जगह निकलने वाले धार्मिक जुलूसों और आयोजनों में विभिन्न प्रकार की मांगें करना कि यहां बाजा नहीं बजेगा यहां पर डी0जे0 नहीं बजेगा फिर उन मांगों के बीच में से साम्प्रदायिक झगड़ा निकलकर आना कहीं न कहीं प्रशासन की असफलता है, शासन की असफलता है मैं इसमें जनता के साथ-साथ शासन का भी दोष मानता हूं। लेकिन जो लोग परम्परागत जुलूसों को रोकना चाहते हैं परम्पराओं को तोड़ना चाहते हैं स्थापित परम्पराओं के विरोध में करना चाहते हैं और प्रशासन के दबाव में चुप होकर खड़े रहना चाहता है तो यह प्रदेश में चलने वाला नहीं है। इसके कारण कठिनाई पैदा हो रही है। मान्यवर, मैं एक बात और कहना चाहूंगा फैजाबाद का दंगा पहले दिन घटना हो गई नहीं रुक पाई लेकिन चौथे दिन योजनाबद्ध तरीके से गांव में शाम के पांच बजे से लेकर देर रात तक मकान फूंकते रहे यह कैसे हो गया और यह प्रशासन क्यों नहीं रोक पाया इसमें कहीं प्रशासन का ढीलापन नहीं है ? मान्यवर मूर्ति विसर्जन के जुलूसों में यहां से नहीं जाएगी वहां से नहीं जाएगी यह तो कोई तर्क नहीं है मेरा बड़ा विनम्रतापूर्वक निवेदन है अगर आंकड़े की दृष्टि से देखें तो मेरे पास बहुत बड़ी फाइल तैयार है जिसको मैं यहां दिखा सकता था लेकिन मैं उन आंकड़ों को पढ़ने के बजाय विनम्रतापूर्वक आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कृपा करके सरकार को यह निर्देश दें कि कानून-व्यवस्था किसी भी सरकार की पहली प्राथमिकता है। वह प्राथमिकता जब अपराध मुक्त प्रदेश का नारा देकर जब समाजवादी पार्टी सत्ता में आई हो और अपराध मुक्त प्रदेश बनाने के बजाय अपराध युक्त प्रदेश बनाने में कामयाब हो गई हो तब फिर आपका हस्तक्षेप आवश्यक है। प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत बैठी है। इस पंचायत के माध्यम से प्रदेश में कानून का शासन स्थापित हो यह संकल्प जाना चाहिए जनता के बीच में और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच जाना चाहिए कि वह निष्पक्ष तरीके से घटनाओं पर कार्यवाही करें अपराधी जो हो उसके विरुद्ध कार्यवाही करें क्योंकि मैं अपराधी की जाति या धर्म नहीं मानता लेकिन किसी पार्टी के एजेन्ट के रूप में काम करने से बाज आएं निष्पक्षता से कार्यवाही करें यह मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूं। अभी मैं कल की दो घटनाओं का जिक्र करना चाहता हूं एक कन्नौज जिले में और एक भदोही में मुहर्रम का परम्परागत जुलूस था जिस परम्परा से निकलता था निकलने देना चाहिए था कोई दिक्कत उसमें नहीं होनी चाहिए थी लेकिन रूट का डायवर्जन प्रशासन की अनुमति नहीं और रूट डायवर्जन अगर होने लगे जबकि परम्परागत जुलूसों के आयोजनों के बारे में नियम यह है कि प्रशासन भी अनुमति नहीं बदल सकता है जब तक शासन से अनुमति प्राप्त न कर लें। ऐसे मौके पर जब

प्रशासन ने अनुमति न दी हो और जुलूस का रूट डायवर्जन करने की कोशिश और झगड़ा हो जाये फिर झगड़ा हुआ और गिरफ्तारी हों उनकी जिनका जुलूस के निकालने में और झगड़े में कोई सम्बन्ध नहीं था तो मैं आपका संरक्षण चाहता हूं और सच बताऊं तो जनता इस प्रदेश की पीठ का संरक्षण चाहती है जिस पर राजर्षि पुरुषोत्तम दास टण्डन जी जैसे लोग बैठे हों उनके जैसे न्यायप्रिय लोग बैठे हों तो आपसे न्याय की भी अपेक्षा है और आपका संरक्षण भी विधायकों के माध्यम से प्रदेश की जनता चाहती है कि अपराध युक्त प्रदेश के बजाय अपराध मुक्त प्रदेश बने ऐसा मेरा आग्रह है।

श्री राम चन्द्र यादव-

मान्यवर, दो मिनट मुझे भी सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

आप आपकी पार्टी के दो लोग बोल चुके हैं। बोलने के समय आप पता नहीं कहां मंत्रणा करने चले जाते हैं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी आज नियम-56 के अन्तर्गत प्रदेश में सबसे ज्यादा गम्भीर और संवेदनशील मुद्दा कानून-व्यवस्था पर सूचना प्रस्तुत करने के लिए आपने समय दिया है इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। मान्यवर, आज जिस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश की कानून-व्यवस्था चरमराई है प्रदेश की कानून-व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है और आज प्रदेश की जनता का जीना हराम हो गया है उसको देखते हुए यह पूरे सदन की चिन्ता है कि कानून-व्यवस्था को समय रहते चुस्त और दुरुस्त किया जाय। मान्यवर, जिस तरीके से चरमराई कानून-व्यवस्था है उससे लगता है कि प्रदेश में जंगल राज हो गया है। लूट, डकैती, हत्या, बलात्कार, बैंक डकैती, अपहरण और फिरौती बेशुमार बढ़े हैं। गरीबों की जमीन पर अवैध कब्जों का धन्धा चल पड़ा है। सरकार इस पर नियंत्रण करना तो दूर उल्टे जो उत्तर प्रदेश के कुख्यात गुंडे माफिया और अपराधी और हिस्ट्रीशीटर अपराधी जिन पर मुकदमें भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में लगा जिन पर मुकदमें समाजवादी पार्टी सरकार के शासन काल में लगा जिन पर मुकदमें बहुजन समाज पार्टी के शासन काल में लगे यानी सभी सरकारों में जिन पर मुकदमें लगे ऐसे भी अपराधियों को छोड़ने के लिए सरकार एक घिनौना खेल खेल रही है। यही नहीं मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं आज पूरे प्रदेश में कोई भी महफूज नहीं है। यहां तक कि छोटी कक्षाओं में पढ़ने वाली हमारी बेटियां हमारी बहनें हमारी बच्चियां तक अपहरण का शिकार हो रही है आज अराजक तत्व और गुण्डे माफिया अपराधियों के हौसले इतने बढ़ गये हैं कि अपनी दरिन्दगी वह आज छोटी-छोटी बच्चियों के साथ भी करने में कही कोई कोताही नहीं कर रहे हैं। आज कानून का कोई खौफ नहीं रह गया है। यही कारण है कि गुण्डे माफिया अपराधी जिनको जेल की सलाखों में रहना चाहिए आज उत्तर प्रदेश में क्या कारण है कि पूरे प्रदेश में दहशतगर्दी पैदा करके वह गुण्डा राज चला रहे हैं। मैं इस पर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं आज बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं। आज व्यापारी सुरक्षित नहीं है आम जन सुरक्षित नहीं है यहां तक कि मैं संसदीय कार्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं आज बड़े पैमाने पर थानों में घुसकर अपराधियों को छुड़ा ले जाने की घटनाएं आम हो गई कई थानेदार गोली के शिकार हुए हैं। कई पुलिस के कर्मी मौत के शिकार हुए हैं। कई इंजीनियर, कई जे0ई0 कई बी0डी0ओ0 और कई पुलिस कर्मी थाने में गोली के शिकार हुए हैं आज अधिकारी भी अपने आफिस में सुरक्षित नहीं है। पुलिस कर्मी अपने थाने में

सुरक्षित नहीं है। यही नहीं कानून के रखवाले भी कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं जिनकी जिम्मेदारी कानून की हिफाजत करने की है। ऐसे पुलिस कर्मी भी इस कानून को तार-तार करने में पीछे नहीं है। आज थानों पर हमारी बहन हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है। अगर उनको न्याय की भीख मांगने के लिए थानों में जाना पड़ता है तो सोचती है कि हम थानों से सुरक्षित लौटेंगी कि नहीं लौटेगी। कई थानों में हमारी तमाम बहनों के साथ तमाम माताओं के साथ तमाम महिलाओं के साथ दुराचार की घटनाएं भी बड़े पैमाने पर प्रकाश में आई हैं। यह सब गम्भीर चिन्तन की बात है। यह सूचना और यह प्रश्न सत्ता पक्ष का ही नहीं विपक्ष का ही नहीं बल्कि पूरे सदन का है क्योंकि हम सभी चुने हुए प्रतिनिधि चाहे सत्ता पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों जब क्षेत्रों में जाते हैं तो आम लोगों की फरियादें हम तक आती है जब हम उनका आंसू नहीं पोंछ पाते हैं जब हम उनको इंसाफ नहीं दिला पाते हैं जब हम उनको न्याय नहीं दिला पाते हैं तो जनप्रतिनिधियों पर भी उंगली उठती है इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज बड़े पैमाने पर जो-जो कानून पर पकड़ सरकार की ढीली हुई है उसको नये तरीके से सोचना पड़ेगा। पहले माननीय मुख्य मंत्री जी ने 6 महीने का समय मांगा था हम लोगों ने 6 महीने का इंतजार भी किया। मान्यवर, आज नवम्बर महीना बीतने जा रहा है और अभी कांग्रेस की नेता रीता बहुगुणा जी कह भी रही थीं कि सरकार को 9 महीने पूरे होने जा रहे हैं। साढ़े आठ महीने पूरे हो चुके हैं 9 महीने पूरे होने वाले हैं। प्रदेश में जो गुण्डा राज का आलम चल रहा है वह 9 महीना पूरा होने पर एक जिन्न ऐसा पैदा होगा जो आगामी लोक सभा के चुनाव में इस सत्ता पक्ष को निगल जायेगा। इसलिये समय रहते मैं सावधान कर देना चाहता हूं कि इस प्रदेश में जिन्न न पैदा होने पाए अन्यथा आप भी महफूज नहीं रहेंगे। इसलिये मैं मान्यवर, आपसे यह भी कहना चाहूंगा कि इससे आज सरकार की कानून के प्रति उदासीनता जाहिर होती है। रामपुर के दंगे में, बनारस के आतंकवादी घटनाओं में जिन लोगों का नाम प्रकाश में आया था, जो मामला न्यायालय में विचाराधीन है। उसके भी आतंकित चरित्र के अपराधियों को यह सरकार सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिये कुछ वोट के चक्कर में कुछ लोगों को खुश करने के चक्कर में जो घिनौना खेल खेलने जा रही है इससे पूरे प्रदेश में जो अराजक तत्व हैं जो कानून की धज्जियां दिन दहाड़े उड़ा रहे हैं उनका हौसला और बढ़ा है। और साथ ही साथ मैं आपसे भी कहना चाहता हूं कि जो कुख्यात हिस्ट्री शीटर अपराधी हों वे चाहे किसी भी पार्टी के हों उनके साथ अगर आप मुरौवत करेंगे तो वह कानून की धज्जियां उड़ायेंगे। आतंकवादियों को अगर आप छोड़ने को काम करेंगे तो उनके हौसले और बढ़ेंगे और आतंकवादी घटनाएं और बढ़ेंगी। इसलिये इस प्रवृत्ति पर रोक लगनी चाहिए और इसी के साथ ही साथ मान्यवर, आज बड़े पैमाने पर इस साढ़े आठ महीने की सरकार में लगभग दर्जन भर जगहों पर साम्प्रदायिक सौहार्द बिगड़ा है। पिछले दिनों यहां जो हिन्दू मुस्लिम भाईचारा है, तार-तार कहीं न कहीं हुआ है। इसके पीछे किसका हाथ है ? यह सरकार का काम है, इसको सुनिश्चित करे और साथ ही साथ आज जो साम्प्रदायिकता की आग कोसी कलां में लगी थी वह पूरे प्रदेश में फैल गई है जिसकी ज्वाला में पूरा प्रदेश कहीं न कहीं झुलस रहा है। आज चाहे कोसी कलां मथुरा हो, प्रतापगढ़, बरेली हो इसके साथ ही साथ मान्यवर, चाहे सीतापुर हो, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद हो वो तो यह कहिये उस दिन छुट्टी का दिन था। बाजारें बन्द थीं, आम लोगों का आना-जाना बन्द था। अन्यथा कोई बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। फैजाबाद जनपद जहां आजादी के बाद से लेकर आज तक कभी हिन्दू, मुस्लिम साम्प्रदायिक सौहार्द नहीं बिगड़ा था वहां भी साम्प्रदायिक सौहार्द तार-तार हुआ है। यहां तक कि जब बाबरी मस्जिद का गुम्बद गिरा था, यहां तक कि जब बाबरी मस्जिद ढहाई गई थी तब भी वहां के

हिन्दू मुस्लिमों ने अमन चैन में दखल नहीं आने दिया था। उसमें किसी प्रकार की कोई खलल नहीं हुई थी यानि उस समय भी वहां विपरीत परिस्थितियों में भी वहां के हिन्दू मुस्लिमों में सौहार्द बना हुआ था। कौन सा ऐसा कारण है कि आज हिन्दू मुस्लिम भाई-चारा तार-तार हो रहा है जो हिन्दू मुस्लिम साम्प्रदायिक सौहार्द था वह तार-तार हो रहा है। मैं यह सवाल करना चाहता हूं कि क्या कारण है ? हम भी सत्ता में रहे हैं। हम चार बार सरकार में रहे हैं। हमारी चार बार की सरकार में एक भी हिन्दू मुस्लिम दंगा फसाद पूरे प्रदेश में नहीं हुआ और कुछ मनचले सिरफिरे कभी लाना चाहते थे मथुरा परिक्रमा स्थल पर और ज्ञानव्यापी मस्जिद में और इसके साथ ही साथ बरेली में भी हमारी हुकूमत के दौरान कुछ सिरफिरे लोग सिर उठाने की कोशिश किये थे लेकिन एक-दो घण्टे के अन्दर उस पर हमने नियंत्रण किया और तमाम ऐसी जगहों पर जो उन्मादी ताकतें थीं जो कानून की धज्जियां उड़ाने की कोशिश कर रही थीं उन पर हमने नकेल लगाने का काम किया। चारों बार की हमारी हुकूमत में एक भी हिन्दू मुस्लिम दंगा नहीं हुआ। लेकिन मैं कहना चाहता हूं आज क्या कारण है कि एक दर्जन से ज्यादा दंगे हो गये। क्या यह इंगित नहीं करता कि कहीं न कहीं इसमें कोई साजिश है। ऐसी फिरकापरस्त ताकतें जो समाज को बांटने की राजनीति करते हैं। कोई हिन्दू की दुहाई देता है, कोई मुसलमान की दुहाई देता है। कहीं मुसलमानों और हिन्दुओं को दो राजनीतिक खेपों में बांट करके अपने राजनीतिक उल्लू को सीधा करने का इसमें कहीं कोई साजिश तो नहीं है। मान्यवर, यह बहुत गम्भीर विषय है। इसलिये मैं आपसे कहना चाहता हूं यह केवल बहस का विषय नहीं है यह चिन्तन का विषय है। इस पर नियंत्रण करने का विषय है इस पर गम्भीरता से एक कार्यक्रम बनाना चाहिए कि ऐसे अराजक तत्वों पर, ऐसे गुण्डे माफिया तत्वों पर जो कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं जो हिन्दू मुस्लिम के सौहार्द को तार-तार कर रहे हैं, उनको चिन्हित किया जाए। उन पर कानूनी कार्यवाही की जाए। संसदीय कार्य मंत्री जी खड़े होंगे, तो मैं उनसे अपेक्षा करूंगा कि इसको प्रतिकार के रूप में नहीं, इसको आप स्वीकार करें कि आठ महीने में एक दर्जन जगहों पर साम्प्रदायिक सौहार्द क्यों बिगड़ा। इस पर सोच-विचार कर प्रभावी कार्यवाही करने के लिए मैंने इस नियम-56 की सूचना के अन्तर्गत इस विषय को प्रस्तुत किया इसकी ग्राह्यता पर मैं बल देता हूं और मैं यह उम्मीद करता हूं कि आज इस पर सरकार गम्भीरता से चिन्तन करेगी और साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा कि तमाम जगहों पर डेढ़ दर्जन से ज्यादा लोग मौत का शिकार हुए। चाहे बरेली की घटना हो कोसी कलां की घटना हो, प्रतापगढ़ की घटना हो, सीतापुर की घटना हो मसूरी गाजियाबाद की घटना हो, फैजाबाद की घटना हो, डेढ़ दर्जन लोगों की मौत हुई है और करीब पांच सौ घर और दुकानें आग के हवाले हुए हैं।

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त करें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं ऐसे गम्भीर विषय पर सरकार को चिन्तन करने की आवश्यकता है। इसी के साथ-साथ एक चीज और निवेदन करना चाहता हूं। मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी, कुशीनगर जनपद जहां से मैं चुनकर आता हूं उसी कुशीनगर जनपद में एक सेवरही जगह हैं अभी दशहरे मेले के दौरान वहां मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि किसी के साथ अन्याय न होने पावे, वहां पर कुछ हिन्दू वाहिनी के लोग दुर्गा मूर्ति उतारने के लिए एक दुकान पर चन्दा मांगने गये वहां एक मसूरी की दुकान पर चन्दा मांगने गये उसने पचास रुपया दिया जब उसने पचास रुपया दिया

तो उससे झगड़कर उन लोगों ने कहा कि 50 क्या होता है, पांच सौ रुपया दो, जब उस दुकानदार ने कहा कि चन्दा अपने मन से दिया जाता है तो उसके साथ मारपीट किया बदसलूकी किया और उसको उसकी दुकान में बन्द कर दिया। जब वहां पर एस0पी0, डी0एम0 पहुंचे तो उसको निकाला। मान्यवर, वह दुकानदार जो मनमाना चंदा देने से मना कर दिये थे उनके ऊपर कार्यवाही की गई, जबकि हिन्दू वाहिनी के लोगों पर कार्यवाही होनी चाहिए थी। चार मुस्लिम समाज के लोगों पर एन0एस0ए0 लगाया जा रहा है जबकि हिन्दू वाहिनी के पांच सौ लोगों पर पुलिस कर्मी और थाने का दरोगा एफ0आई0आर0 लिखाया उस पर कार्यवाही नहीं हुई और हिन्दू वाहिनी के लोग जिस मुस्लिम समाज के लोगों पर एफ0आई0आर0 लिखाई उन पर एन0एस0ए0 लगाया जा रहा है। कानून की धज्जियां उड़ाने वाले लोगों से सरकार भी डरती है, प्रशासन भी डरता है और जो कानून की बात करते हैं उनको सरकार और शासन प्रशासन भी ठेंगा दिखाता है। इसलिए मान्यवर, ऐसे गम्भीर मामलों पर चिन्तन करें कार्यवाही करें। विचार करें हम समझते हैं कि संसदीय कार्य मंत्री जी कोई सकारात्मक जवाब देंगे।

(श्री रामचन्द्र यादव के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

रामचन्द्र जी आप क्या कहना चाहते हैं। आप जो कहेंगे वह मौर्या जी भी कह चुके हैं।

श्री रामचन्द्र यादव-

मान्यवर, मैं जनपद फैजाबाद के रुदौली विधान सभा क्षेत्र से चुनकर आता हूं। नियम-56 के अन्तर्गत जो सूचना आपके संज्ञान में हमने दी है उसी विषय पर आपने हमें बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मान्यवर, प्रदेश सरकार ने जब मार्च में सत्ता संभाली थी तब से लगातार नारा लगाती रही कि पूर्ववर्ती सरकार की तरह घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होने दी जायेगी। यह भी कहा जाता रहा कि हम पूरी सरकार को जवाबदेह बनायेंगे लेकिन आज मान्यवर, हम जैसे लोगों को भी मुकदमों में मुल्जिम बनाया जा रहा है। जब 24 तारीख को रूदौली विधान सभा क्षेत्र में कुछ उपद्रवी तत्वों ने इन्हौना गांव में एक घटना की जहां पर मूर्तियों को विखण्डित किया गया। उस उपद्रव को शांत कराने के लिये रूदौली नगर के चेयरमैन और हम बहुत सारे साथियों ने काम किया। इसके बाद में भी मुकदमा अपराध संख्या-1017 में हम लोगों को मुल्जिम बना दिया गया। साढ़े बारह बजे दिन से लेकर रात्रि 1.00 बजे तक पूरे क्षेत्र के मूर्ति विर्सजन में हम लोग लगे रहे। केवल लोगों को खुश करने के लिये लोगों को संतुष्ट करने के लिये वहां की पुलिस ने हम लोगों को मुल्जिम बना दिया। आज फैजाबाद व रूदौली विधान सभा के लगभग 500 लोगों को जो गुनहगार नहीं हैं उन्हें मुल्जिम बना दिया गया, उनको जेलों में बन्द कर दिया गया। ऐसे लोग जो पढ़ने-लिखने वाले लोग हैं, जो नौकरी पेशे में हैं, उनको भी सरेआम चौराहों पर कपड़ा उतार कर पीटा गया, आज वह लोग जेल में बन्द हैं। मान्यवर, इतना ही नहीं जो लोग इन तमाम घटनाओं को रोकने के लिए काम कर रहे थे जो पुलिस के साथ थे, उनको 302 जैसी धाराओं में बन्द कर दिया गया। मान्यवर, इतना ही नहीं, बहुत सारे लोग जिनका कोई गुनाह नहीं है, आज वह जेल में बन्द हैं। हम लोगों के इलाके में पुलिस का ताण्डव हो रहा है, घरों में दबिश दी जा रही है। रोज पैसे की वसूली की जा रही है और जब इसकी पुलिस अधीक्षक को शिकायत की गयी, मैं उनको धन्यवाद भी देता हूं, उन्होंने उस थाने के दो दरोगारों को निलम्बित भी किया। इतना ही नहीं मान्यवर, मैं सरकार को भी धन्यवाद देना चाहता हूं

कि इस बड़ी घटना को रोकने के लिए सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया, वहां के डी0एम0 और एस0एस0पी0 को भी हटाया। वहां पर इन घटनाओं के कारण जो नुकसान हुआ था, उसकी तत्काल मुआवजा देने की भी कार्यवाही की गयी, इसके लिए सरकार बधाई की पात्र है। लेकिन मान्यवर, क्या राजनीतिक द्वेषवश निर्दोश लोगों को जेल भेजा जायेगा ? हम समझते हैं कि ऐसा करके लोकतंत्र में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। इसलिए मान्यवर, मैं चाहता हूं कि फैजाबाद में जो पुलिसिया कार्यवाही हुई है, जिस तरीके से निर्दोष लोगों को जेल भेजा गया है, इसके लिए मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि इसके लिए एक सर्वदलीय कमेटी बना दी जाए, जो इसकी जांच कर ले। मान्यवर, यदि आपका संरक्षण मिलेगा तो वहां पर जिन लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, उन्हें न्याय मिल सकेगा। इन्हीं बातों के साथ मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।

(श्री पवन पाण्डेय के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

पवन पाण्डेय जी, उन्होंने नियम-56 में सूचना दी थी। आपकी जगह पर आपके मंत्री बोलेंगे। यह चर्चा नहीं हो रही है। उस क्षेत्र से उन्होंने नोटिस दिया था, उन्होंने अपनी बात कही, आप कैसे कहोगे ?

*श्री तेज नारायण उर्फ पवन पाण्डेय-

माननीय अध्यक्ष जी, फैजाबाद की जो घटना है, वह मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं। अभी भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित सदस्य ने जिस तरह से 24 तारीख की घटना को बताया, हम इस सदन के संज्ञान में इस बात को लाना चाहते हैं कि 24 तारीख की घटना जो अयोध्या-फैजाबाद की धरती पर हुई और फैजाबाद जनपद में एक साथ 5-5 स्थानों पर आग लगना, यह पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की साजिश थी। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस पूरे प्रदेश के सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने के लिए हिन्दू-मुस्लिम भाईचारा जो अयोध्या-फैजाबाद का था, उसे बिगाड़ने के लिए और अपनी राजनीतिक रोटी को सेंकने के लिए फैजाबाद शहर में जो मुस्लिम समाज के लोगों की दुकानें थीं, कम से कम 50 दुकानों में आग लगाने का काम किया और मैं सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक फैजाबाद के रकाबगंज पर जब फैजाबाद में मुस्लिम समुदाय के लोगों की दुकानें जल रही थी जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आ रही थी, उनको रोकने का काम किया, उन पर पथराव किया और उसके बाद मुस्लिम बिरादरी की जो दुकानें जल रही थीं, उनको बुझने नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी के लोगों का यह चेहरा है। भारतीय जनता पार्टी अयोध्या के नाम पर राजनीति करती है, जिन्होंने अयोध्या के नाम पर राजनीति करके उत्तर प्रदेश और हिन्दुस्तान में राज किया था, लेकिन इस बार अयोध्या की हार से बौखला करके वह फैजाबाद में हिन्दू-मुस्लिम सौहार्द का बिगाड़ना चाहते हैं। मान्यवर, मैं इस प्रदेश के मुख्य मंत्री जी को इस बात की बधाई देना चाहता हूं कि जिन लोगों की वहां पर दुकानें जलीं थी उन लोगों को आर्थिक मुआवजा देने का काम किया। (मेजों की थपथपाहट) और पुलिस प्रशासन पर कार्यवाही की। मान्यवर, वहां फैजाबाद की जेल में जो बन्द हैं वह बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठ जाएं। यह चर्चा नहीं हो रही है।

श्री प्रदीप माथुर-

श्रीमन् जिन शहरों में हाल के महीनों में साम्प्रदायिक दंगे हुए हैं और अन्य घटनाएं हुई हैं, उसमें सरकार पीड़ितों को पूरा मुआवजा दे। मान्यवर, जिनकी दुकानें जलती हैं या तोड़-फोड़ होती है उनका व्यापार ठप हो जाता है। सरकार के द्वारा आर्थिक सहायता के नाम पर एक टोकन मनी दे दी जाती है। इसलिए हमारा कहना है कि उन्हें पूरा मुआवजा दिया जाए। मान्यवर, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि कानून-व्यवस्था बिल्कुल वीक हो जायेगी यदि दरोगा राज प्रदेश में इसी तरह से चलता रहेगा। मान्यवर, आज दरोगा लोग अपने एस0पी0, एस0एस0पी0, आई0जी0 और डी0जी0पी0 की बात नहीं मानते हैं। वह सीधे मुख्य मंत्री और अन्य मंत्रियों के सम्पर्क में होने की बात करते हैं और उनसे अपने रिश्ते बताते हैं। कोई बात कहो तो मुख्य मंत्री और अन्य मंत्रियों से टेलीफोन पर बात करने की बात करते हैं। इसलिए आज दरोगा पूरी तरह से हावी हो गये हैं और उससे कानून-व्यवस्था पर प्रभाव पड़ रहा है इसको रोका जाए तभी कानून-व्यवस्था कायम हो जायेगी।

सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र नकुड़ में कुएं के अन्दर दबे दो लोगों को बचाने हेतु तत्काल कार्यवाही किये जाने का अनुरोध

डा0 धर्म सिंह सैनी-

मान्यवर, मुझे आपकी अनुमति से माननीय संसदीय कार्य मंत्री को यह सूचना देनी है कि हमारे जिले सहारनपुर में गांव नीची नकुड़, तहसील व थाना नकुड़ में वाटर लेबिल नीचे चला गया है तो उसमें कुएं में दो लोग गिर गये हैं। यह दो तीन घण्टे पहले की सूचना है। मैंने वहां के अधिकारियों से फोन पर बात की तो उनका कहना है कि वह लोग बैठक में व्यस्त हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि सरकार इसमें तुरन्त हस्तक्षेप करे ताकि उन लोगों की जान बच सके।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

यह किस गांव की घटना है। हम दिखवा लेंगे।

डा0 धर्म सिंह सैनी-

मान्यवर, यह नीची नकुड़ गांव है। तहसील व थाना नकुड़ है हमारे जनपद सहारनपुर में। उसमें दो लोग कुएं में गिरकर फंस गये हैं। उनको तुरन्त निकालने की कार्यवाही की जाए।

श्री अध्यक्ष-

मा0 डा0 धर्मसिंह सैनी जी आपकी बात हो गई और माननीय संसदीय कार्य मंत्री इसका संज्ञान ले रहे हैं।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (क्रमागत)

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, कानून-व्यवस्था को लेकर बहुत सी बातें आई हैं। मान्यवर, यह उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा कहलाता है। यहां 21 करोड़ लोग रहते हैं। यहां पर अयोध्या है, मथुरा है, काशी है। यहां पर बाबरी मस्जिद और रामजन्म भूमि का विवाद था। यहां ज्ञानव्यापी मस्जिद का विवाद था। यहां मथुरा की ईदगाह का भी विवाद है। मान्यवर, ऐसे विवाद देश के किसी अन्य राज्य में नहीं है। अब

यह उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है या दुर्भाग्य है यह मुझे नहीं मालूम है। मान्यवर, मैं मामले को बढ़ाना नहीं चाहता हूं बल्कि चाहता हूं कि आज इस माहौल को ठंडा किया जाए। मान्यवर, मैं बार-बार एक बात कहता हूं कि जिन लोगों में बर्दाश्त करने की सहनशीलता नहीं है, उन्हें अपने अन्दर सहनशीलता पैदा करनी चाहिए और जिनके अन्दर सहनशीलता है उसे उन्हें ज्यादा बढ़ाना चाहिए। मान्यवर, यह मजबूरी ही सही अगर खुशी से साथ नहीं रहेंगे तो दुख के साथ रहना होगा और उसमें उनको दोहरा घाटा होगा। कोई कहीं जाने वाला नहीं है, सरहदें बन्द हैं न किसी को पाकिस्तान लेगा, न किसी को बांग्लादेश लेगा, न किसी को श्रीलंका लेगा। इन्हीं सरहदों के अन्दर खुशी से या मजबूरी से हम सबको आपस में रिश्ते बनाकर रखने की जरूरत है और किसी को मार देने से यह तजुर्बा, 6 दिसम्बर, 1992 के बाद तय हो गया और साबित हो गया कि एक आम कत्लेआम के बावजूद भी गुजरात जैसे नरसंहार के बावजूद भी किसी की आबादी पर कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं अक्सर कहता हूं कि कुदरत का निजाम है जो चीज जितनी काटी जाती है वह उतनी ही बढ़ती है। घास जितनी काटी जाती है उतनी बढ़ती है मवेशी जिन्हें खाने के काम में लिया जाता है वह जितने काटे जाते हैं उतने बढ़ते हैं इसी तरह जो फिरकापरस्त ताकतें हैं जो मुल्क के लिए बहुत नुकसानदेह है वह कोई भी हों, कई साथियों ने अपने दिल का दर्द बड़े सभ्य अंदाज से रखा है, मैं उनकी पीड़ा को महसूस कर रहा था कि वह किस तरह से अपनी नफरत को दबाकर और ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे थे जिनसे लग रहा था कि उफ कुछ न कर सके उफ हम जो लबादा ओढ़े हैं लोकतंत्र का, समाज का, राजनीति का और चुने हुए लोगों का, उस लबादे पर कहीं एतराज की छीटें न आ जायें। लिहाजा वह बात तो कह रहे हैं वही, जो हुआ है चाहे वह कोसीकला में हो, चाहे फैजाबाद में हो लेकिन उनका प्रतिनिधित्व जिस अंदाज में सभ्य समाज के सभ्य लोगों ने किया है, बड़ी तकलीफ के साथ और बार-बार यह बात आई है कि आतंकवादियों को छोड़ा जा रहा है आतंकवादी नहीं खुलकर कहिये मुसलमानों को, बात कहिये तो ईमानदारी से जिस रामपुर काण्ड की बात है। 31 दिसम्बर की रात को यह हादसा हुआ है, 31 दिसम्बर और पहली जनवरी की रात को और अगले दिन आपकी मुख्य मंत्री साहिबा रामपुर तशरीफ लेकर गई थी और मात्र चन्द सेकेण्ड रुकी थीं सी0आर0पी0एफ0 में और यह कहकर वापस आ गयी थी अखबारात गवाह है इसके। मैं एक जिम्मेदार की हैसियत से सदन में कह रहा हूं यह कहकर वापस आ गयी थीं कि राज्य सरकार का इससे कोई लेना-देना नहीं यह उनका अंदरूनी मामला है। आई0बी0 की जांच आ गयी है, मैं आई0बी0 की जांच को यहां कहना नहीं चाहता। आई0बी0 की जांच से यह पता चल जायेगा कि 31 दिसम्बर की रात को क्या हुआ था और वह कौन लोग थे। बेगुनाह लोग पकड़े गये। उसमें सिर्फ मुसलमान ही नहीं हैं हिन्दू भी हैं आपको मालूम नहीं है उसकी तफसील उसमें सिर्फ मुसलमान ही नहीं है उसमें हिन्दू ज्यादा हैं लेकिन जब आतंकवादी का नाम आता है तो समझा जाता है कि यह मुसलमान होगा लेकिन हर आतंकवादी मुसलमान नहीं हैं लेकिन यह कहना कि हर मुसलमान आतंकवादी है यह कहकर आप हिन्दोस्तान की दूसरी बड़ी आबादी को जलील करते हैं उनका दिल दुखाते हैं, उन्हें नम्बर-2 का शहरी बनने के लिये मजबूर करते हैं। जिस दिन यह नम्बर दो के शहरी बन जायेंगे और इन्हें यह एहसास हो जायेगा कि यह इनका वतन नहीं है उस वक्त नुकसान उस दूसरी आबादी का नहीं हिन्दोस्तान में रहने वाले 101 करोड़ हिन्दोतानियों का होगा। यह बात मैं हमेशा कहता हूं कि यह जो सभ्य समाज के लोग अपने दिल पर पत्थर रखकर सदनों में बातें कहते हैं इनसे बड़ा नुकसान है। नेता प्रतिपक्ष से कहना चाहूंगा, आप बहुत खुश हैं कि आपकी सरकार में दंगे नहीं हुए, क्यों नहीं हुए इसलिए कि आप और वह अन्दर से एक थे आपका संरक्षण

उनको था और उनका संरक्षण आपको था। उनका पूरा सहयोग था आपकी सरकार लाने में, आपने भारतीय जनता पार्टी को सीमित कर दिया। आपने उनकी ताकत को तोड़ दिया। क्या वजह है कि भाजपा की सरकार बनती है तो दंगा नहीं होता।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

भाजपा की सरकार में दंगा होता है सपा की सरकार में दंगा होता है और यही कारण हैं कि सपा और भाजपा मिलकर दंगा कराते हैं।

श्री अध्यक्ष-

अब हो गया आप बैठिये।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है दंगा नहीं होता। उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकार आती है दंगा नहीं होता समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो दंगा होता है।

(विपक्ष के कई सदस्यों के टोका-टाकी करने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप बैठें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मैं आपकी बात पर विचलित नहीं होउंगा। मैं आपकी असलियत जानता हूं। देश के प्रति आपकी कितनी वफादारी है और देश में रहने वालों के लिए आपके क्या जज्बात हैं यह जानता हूं और इसी सदन में जवानी से लेकर उम्र की इस मंजिल तक आया हूं। हमारे ऊपर जितने इल्जामात लगे हैं आज तक कोई साबित नहीं हुआ। हमने सार्वजनिक तौर पर कहा कि हम चौथी बार वजीर हैं अगर किसी एक पत्रावली में धर्म-जाति के नाम पर कोई एक आदेश हो तो हम फांसी के लिए तैयार हैं। कोई एक उंगली उठाकर कहे कि हमारे जीवन में हराम की एक बूंद शामिल है तो हम फांसी के लिए तैयार हैं। यह कैसे देशभक्त हैं यह कैसे भारत मां के सपूत हैं जो भारत मां को रोज लूटते हैं रोज उसके साथ अन्याय करते हैं। रिश्वत कमाते हैं, घूस कमाते हैं। इंसानियत का शरीर नोचते हैं। बाजपेयी जी, रामपुर में जाकर हमारी साख पूछिये और मेरठ में जाकर अपने बारे में पूछिये।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मुझे अपनी और आपकी साख के बारे में पता है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

लेकिन आज जो असल प्रश्न था उस पर बिल्कुल बहस नहीं हुयी। प्रदेश का माहौल कैसे ठीक हो इस पर बिल्कुल बहस नहीं हुयी। बल्कि सबने अपना राजनीतिक एजेण्डा रखा। कोशिश इस बात की हुयी कि समाजवादी पार्टी को कैसे नुकसान पहुंचे। सरकार कैसे कमजोर हो और बेगुनाहों को कैसे और नुकसान पहुंचाया जाये। मान्यवर, फैजाबाद में जो कुछ हुआ है। आप प्रोजेक्टर लगवाइये मैं आपको सी0डी0 दिखाऊंगा। आपकी अनुमति चाहिए अगर आप अनुमति देंगे तो सिवाय बर्दाश्त शब्द के वहां कुछ नहीं है। किस बात का झगड़ा था। दो शराबी जो मुसलमान नहीं थे उनमें झगड़ा हुआ और उनमें से एक शराबी एक मुसलमान की दुकान में घुस गया। उसे यह नहीं मालूम था कि इसका धर्म क्या है लेकिन उस शक्स ने उसे बचाने के लिये कि दूसरा उसे मार डालेगा। उसे बचाने की

कोशिश की। आप कितना समाज को बांटना चाहते हैं आप सदन में बांटेंगे लेकिन हिन्दुस्तान में रहने वाले लोग वह हिन्दू और मुसलमान नहीं बटेंगे उतना जितना आप बांटना चाहते हैं और फैजाबाद में नहीं बंटे और उस शक्स को बचाने का इतना भयानक अंजाम हुआ कि चौक की कोई दुकान नहीं बची। मारा इसलिए नहीं इस दंगे में कि समाजवादी सरकार ने मरने वालों का मुआवजा तय किया था। मान्यवर, जान की कोई कीमत नहीं होती। किसी के बच्चे को तराजू में तोला नहीं जा सकता। गाजियाबाद मंसूरी में अपने घर की छत पर खड़ा हुआ बी0 टेक0 का नौजवान, उसके गोली लगी, वह मरकर नीचे गिरा। उसने कोई विरोध भी नहीं किया, बहुत कमजोर परिवार था वह, वह जोर से बोल भी नहीं सकते थे, वह रपट भी नहीं लिखा सकते थे। इसी तरह फैजाबाद में मान्यवर, जिस तरह से बरबाद किया है मालीतौर पर लोगों के हाथ में एक प्याला आ गया है, स्टील से लदी दुकानें 70-80 लाख रुपये का सामान, स्टील के बरतन पिघल कर एक डिमर बन गये। बहुत बरबादी हुई है मान्यवर, लेकिन हम आपको यह सूचना देना चाहते हैं इस सदन में लोगों को बांटने के जिम्मेदार कुछ लोग, इसके बावजूद भी इतिहास है अयोध्या का और फैजाबाद का, अयोध्या का तो मतलब ही यही है कि वह जगह जहां युद्ध न हो और हम आपसे कहना चाहते हैं कि हम तो यहां तक आपस में बात करते हैं कि हमारे लिए अयोध्या उतना ही मोहतरम है जितना हमारे लिए अपनी वह पाक जमीन मोहतरम है जहां अल्ला ने कत्ल को हराम कहा है, जहां मच्छर और मक्खी को नहीं मारा जा सकता और इसलिए भी कह रहे हैं हम आपसे कि हमारे लिए अयोध्या इसलिए बहुत अहम है कि वहां शीश अलैस्सलाम की कब्र है। हमारे लिए इसलिए अहम है कि अगर आप कल का इतिहास उठाकर देखेंगे तो अयोध्या इस्लाम के नुक्तै निगाह से और उनके बुजुर्गों के नुक्तै निगाह से और वहां आज जो मसैज्जिद है उन्हें जाकर देखिये, अयोध्या हमारे लिए उतना ही काबिल अहतराम है शायद जितना आपके लिए है। पूरी तहरीब गुजर गई। बाबरी मस्जिद और राम जन्म भूमि का मूवमेन्ट गुजर गया, मस्जिद नहीं रही आज, विवाद किया दोस्त ने मुझे इक्तेफाक नहीं था इस बात से हो सकता था कि आप सोंच रहे हों कि हम खुश होंगे, लेकिन इसलिए नहीं हुए, उससे भी हमारा ही नुकसान है, उसकी आंच भी हम पर आयेगी, इसमें कोई शक नहीं हमने तो उन्हें, जिनका आपने नाम नहीं लिया हमने कहा था कि बहुत बहादुर आदमी थे, कोई शक नहीं बहुत बहादुर थे, सुप्रीमकोर्ट में हलफनामा था, हाईकोर्ट का आदेश था, एकता परिषद् का रेगुलेशन था उसके बावजूद बाबरी मस्जिद गिराई गई और गिराने वालों ने कहा हमने गिराई है, यह बहादुरी की बात थी हमने तोड़ा है देश को, हमने नुकसान पहुंचाया है, हमने आतंकवाद के लिए रास्ते खोले हैं, यह बहादुरी की बात थी, इसलिए मैं खमोश बैठा था और मैं नहीं चाहता था कि आप ज्यादा कहें क्योंकि उसका नुकसान अगर आप हमारे हमदर्द हैं तो इन बातों से हमारा नुकसान है क्योंकि हम बहुत कमजोर है, हम बहुत सताये हुए हैं। सन् 1947 में जो लोग पाकिस्तान चले गये वह हिन्दुस्तान की क्रीम थे, यहां जो लोग बचे हिन्दुस्तान में उनके अपने पैर नहीं थे, उनके अपने हाथ नहीं थे, उनका सिर था, लेकिन उस पर आंखें नहीं थी, उनका सिर था, लेकिन उसमें सोंचने के लिए बुद्धि नहीं थी, उन बचे हुए लोगों का जो बाकी का हिन्दुस्तान है वह बाकी के मुसलमान जो बहुत बेसहारा थे, जिन्हें जाने वाले पाकिस्तान के जिम्मेदार मुसलमान छोड़कर, बेसहारा छोड़कर गये थे, हम उनमें से हैं।

श्री देवनरायन उर्फ जी0एम0 सिंह-

सिर्फ मुसलमानों की बात क्यों करते हैं उसमें तो बहुत सारे हिन्दू भी प्रभावित हुए थे।

श्री अध्यक्ष-

जी0एम0 सिंह जी, आप बैठ जाइये, बीच में बोलने का कोई मतलब नहीं है। पहले इन्हें बोल लेने दीजिए उसके बाद आप अपनी बात कहें। इसके लिए भी नियम हैं आप नियमों का पालन करें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, यह किसी भी सरकार के लिए, आपके लिए बहुत अच्छी बात है, आपके जमाने में दंगे नहीं हुए। आपके समझौते थे। हमारे जमाने में हुए और इसलिए हुए।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, एक मिनट मेरी बात सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

नेता विरोधी दल, पहले मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी बात पूरी हो जाने दीजिए, उसके बाद आप अपनी बात कह लेना।

श्री मोहम्मद आजम खां-

आप जब बोले हैं, हमने कोई शब्द नहीं कहा। हम हर बात आपकी सुनते रहे और हमेशा सुनते हैं आपकी बात, आप भी सुनिये, आप बाद में जवाब दे सकते हैं और जवाब देने के बाद उसके जवाब का इन्तजार करें। मान्यवर, हमारी सरकार में दंगे हुए और वह दंगे किसकी बदौलत हुए।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मेरा अनुरोध यह है कि सामान्य कानून-व्यवस्था पर चर्चा है, यहां पाकिस्तान का 1947 का, कब क्या हुआ, उसका कोई मसला है ही नहीं। बहुत अच्छी तकरीर आप देते हैं, मुझे अच्छा लगता है तकरीर सुनना, लेकिन आज जिस विषय को यहां पर रखा गया है, अगर विपक्ष उस विषय पर कायम है। अगर विपक्ष उस विषय पर कायम है तो सत्ता पक्ष भी उसी विषय तक सीमित रहे। ये मेरा आग्रह है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 हुकुम सिंह जी, घूमघाम करके साम्प्रदायिक बातें आ गयी हैं। कानून-व्यवस्था पर ही अगर अकेले बात होती तो कोई बात नहीं थी। ये जिस किसी ने भी किया और घूम करके साम्प्रदायिक बातें कर दीं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मैंने आपसे यही कहा कि अगर सामान्य प्रशासन पर और आज के हालात पर सिर्फ बात होती तो हम बिल्कुल वहीं तक सीमित रहते लेकिन बात बहुत दूर तक चली गयी है। सरकार के ऊपर कुछ ऐसे इल्जामात लगाये गये हैं, उसकी नियत पर लगाये गये हैं। मान्यवर, हम मान रहे हैं कि दंगे हुए हैं, उससे दुखी है हम, बहुत शर्मिन्दा हैं हम, कार्यवाहियां भी हुयी है और होने वाली है। एक बात ऐसी सच है जिसे सब मानेंगे कि जिसकी दुकान जली है, जिसका घर जला है, जिसका जवान मरा है, अगर उससे भी पूछेंगे तो वो यही कहेगा कि इसमें समाजवादी पार्टी की नहीं, साम्प्रदायिक ताकतों की नियत है। ये उनका काम है, अगर वो नाराज है तो इनसे नाराज है, हमसे नाराज नहीं है। मान्यवर, ये हमारी उपलब्धि है क्योंकि हमारी नियत बिल्कुल साफ है और हमारी उसी

नियत को नुकसान पहुंचाने के लिये क्योंकि हम उनके लिये काम कर रहे हैं। इसी सदन में मुसलमान बच्चियों को शादी के लिये या 11वीं में पढ़ने के लिये अगर सरकारी खजाने से पैसा जा रहा था तो कितनी तकलीफ हो रही थी। ये वही ताकते हैं मान्यवर, ये वही ताकतें हैं ये वही नफरत है, ये वही नफरत है जो उन बच्चियों को अपने समाज की बच्चियां मानने को तैयार नहीं हैं। ये वही ताकते हैं। ये वही लोग हैं जो उन बच्चियों को अपनी बच्चियां मानने को तैयार नहीं हैं। जो उनकी शादियां कराने को तैयार नहीं है जो उनको पढ़ाने और लिखाने के लिये तैयार नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष-

मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी, आप इसको जल्दी समाप्त करवायें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मा0 अध्यक्ष जी, जब कोई भी सदस्य विषय से हट करके बोलता है तो आप उसको इंगित करते हैं लेकिन संसदीय कार्य मंत्री जी लगातार विषय पर न बोल करके सूचना का जवाब न दे करके विषयान्तर में जा रहे हैं। इसलिये मान्यवर, मेरा यह अनुरोध है कि जो विषय प्रस्तुत किया गया है उस पर उत्तर आना चाहिये।

श्री अध्यक्ष-

मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी, इसमें थोड़ा संक्षेप करके इन लोगों का जवाब दीजिये।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, अगर मुझे नियम इनसे सीखने पड़ेंगे तो फिर मुझे यहां खड़े होने का अधिकार ही नहीं है। मैं नियम-56 भी जानता हूं, यह नियम भी जानता हूं कि किस सवाल का क्या जवाब देना है। आप जानते हैं कि मैं इतना भी जानता हूं कि किस वक्त क्या कहना चाहिये यह भी जानता हूं। मुझे अपनी सरकार के बारे में यह बताना पड़ा और यह बताना पड़ा है कि सरकार पूरी तरह से साम्प्रदायिक ताकतों को रोकने, उन्हें कुचलने के लिये पूरी तरह से तैयार है और मान्यवर, इस बात का सुबूत है कि मोहर्रम एक बड़ा मौका मजहबी रहता है और इसमें जुलूसों का और ताजियेदारी का सिलसिला रहता है। लगभग पूरे प्रदेश में ये बहुत शांति से सम्पन्न हुआ। हमने रोक लगायी है। मान्यवर, हो सकता है कि इन आठ महीनों में जो हमारी एक मंशा थी कि बहुत अच्छे से सरकार चले और कोई ऐसा इल्जाम न आये जिससे ये हो कि ताकत का इस्तेमाल हुआ है। जायज और नाजायज तो बाद में यह होगा लेकिन तजुर्बा यह हुआ कि इलाज कभी मीठी दवा से नहीं होता, इलाज कड़वी दवा से ही होता है। मान्यवर, लिहाजा इस बात की भी तलाश हो रही है कि इस दंगे के असल जिम्मेदार कौन हैं और क्योंकि इसमें थोड़ी सी हिकमत इसीलिये बरती गयी है कि पहले हालात को बेहतर बनाने की कोशिश की गयी है और इस बात की तलाश है कि वो कौन से लोग हैं जिनकी वजह से प्रदेश में ये हालात पैदा हुए। चाहे वो आम लोग हों, चाहे वो राजनैतिक लोग हों और चाहे वो सरकारी मुलाजमीन या अफसरान हों। इस बार उनकी जिम्मेदारी भी आईत की जायेगी और इस बात के लिये मैं आश्वस्त करता हूं कि सरकार पुरअमन रहे प्रदेश और सबके साथ बराबरी का सुलूक हो। सबको भाईचारे के माहौल में रहने के लिए सरकार अपनी मदद दे सके, उसके लिए तैयार हैं हम और उसकी कोशिश में हैं। प्रदेश में बिल्कुल शांति है और अच्छा माहौल है, यह माहौल बना रहे, इसमें यकीनन आपके सहयोग की जरूरत है। सरकार को बदनाम करने के लिये, सरकार को कमजोर करने के लिये इस तरह के अगर हादसे कराये जायेंगे तो इससे समाजवादी पार्टी का या आज की

सरकार का कोई अहित नहीं होगा। लोग अब बहुत समझ गये हैं, जानकार हो गये हैं, लोगों को सबकी असलियतें मालूम हो गई हैं, लिहाजा सरकार यह चाहेगी कि सभी लोग उत्तर प्रदेश के माहौल को बेहतर बनाने के लिये अपना-अपना सहयोग दें। मान्यवर, क्योंकि यह नियम-56 के अन्तर्गत नहीं आता है और जिसके अन्तर्गत आता है उसी तरह रखा गया था और उसी तरह जवाब दिया गया। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि इसको निरस्त किया जाए।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने सही मायने में आपने स्वीकार किया कि फैजाबाद में जो हुआ है उसकी वीडियो फिल्म बनी है, अनुमति हो तो दिखा दिया जाए। अगर आपके पास वीडियो है तो आपके पास यह भी आंकड़ा है कि किसने यह दंगा कराया है। अगर यह जानकारी है तो अभी तक उनके खिलाफ आपने कार्रवाई क्यों नहीं करायी, इसका मतलब यह कहीं न कहीं मिलीभगत को जाहिर कर रहा है। दूसरी चीज आपने कही कि ''जो गर्व से कहते हैं कि हमने बाबरी मस्जिद गिराई, उसी को आपके नेता जी ने बड़े प्यार से गले लगाई।'' कल्याण सिंह और मुलायम सिंह क्या थे, यह सब जानते हैं। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह सरकार कानून-व्यवस्था पर स्थिर नहीं है, गम्भीर नहीं है। कानून नहीं है। कानून की धज्जियां उड़ा रही हैं। समाजवादी पार्टी अराजक तत्वों से मिल करके प्रदेश को आग के हवाले कर रही है। कानून-व्यवस्था के इस गम्भीर मुद्दे पर हमारी पार्टी सदन का बहिष्कार करती है।

(तत्पश्चात् बहुजन समाज पार्टी के मा0 सदस्य सरकार विरोधी नारे लगाते हुए नेता विरोधी दल के साथ सदन से बहिर्गमन कर गये)

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, जाइये।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, जिस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं और जिस तरह कानून-व्यवस्था ध्वस्त हो रही है, कैसे उसको रोका जाए। प्रदेश में कैसे अमन कायम किया जाये, शान्ति कैसे कायम की जाये, अपराधियों को कैसे पकड़ा जाये, आतंकवादी घटनाओं को कैसे कम किया जाए, हम इनसे यह पूछना चाह रहे थे और इन्होंने 1947, अलाना-फलाना, इधर-उधर इसके सिवा कुछ नहीं कहा, मान्यवर, और रहा गले लगाने का सवाल, जो वाकआउट करके गये हैं, उनसे कह रहा हूं कि तीन बार हमारे समर्थन से सरकार इन्होंने चला ली और आज इनको कमी नजर आ रही है। हमने इनको मुख्य मंत्री के पद तक पहुंचाया वरना कालकोठरी में बंद रहते। मान्यवर, इस सरकार ने किसी बात का संतोषजनक उत्तर नहीं दिया, इसके विरोध में मैं और हमारा दल विरोध करता है।

(तत्पश्चात् भारतीय जनता पार्टी के सभी मा0 सदस्य सरकार विरोधी नारे लगाते हुए श्री हुकुम सिंह के साथ सदन से बहिर्गमन कर गये।)

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, गन्ना पर कांग्रेस को बुलवा दीजिये।

श्री अध्यक्ष-

रुकिये बुलवा रहे हैं। (मा0 हुकुम सिंह के सदन में आगमन पर) ये बड़े होशियार हैं, वापस आ गये हैं।

(कांग्रेस दल के मा0 सदस्यों के खड़े होने पर)

अभी बुलवाते हैं, आपको भी बोलने का मौका मिलेगा। मैंने मा0 नेता विरोधी दल और अन्य दल के नेताओं द्वारा अपने नियम-56 पर रखे गये तथ्यों को सुना। मा0 संसदीय कार्य मंत्री को सुना, यह नियम-56 में नहीं आता है। इसे अग्राह्य करता हूं। अब चीनी मिलों द्वारा गन्ना पिराई का सत्र समय से आरम्भ न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में मा0 हुकुम सिंह जी, कल स्नान है इसलिये इसको जल्दी से जल्दी खत्म करायें।

(कांग्रेस दल के मा0 सदस्यों के खड़े होने पर)

आप बाद में बोलियेगा आपको बोलने का मौका मिलेगा। इनको शुरू कर लेने दीजिये इसका नाम पहले है, फिर आपको भी बोलने का मौका मिलेगा। अब वह लोकल लड़ाई को छोड़िये, इनको बोलने दीजिये।

श्री हुकुम सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं उत्तर प्रदेश की आम जनता के जनजीवन से जुड़ा हुआ बहुत महत्वपूर्ण विषय इस सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। 70 लाख परिवार किसानों के गन्ने की मिलों में आपूर्ति करते हैं। 70 लाख किसान हुए और 70 लाख ही परिवार हो गये। साफ-साफ जाहिर है कि साढ़े तीन से लेकर 4 करोड़ प्रदेश की जनता और प्रदेश का किसान परिवार इस गन्ने की खेती पर निर्भर करता है। हमें शिकायत क्या है, शिकायत यह है मान्यवर, कि नवम्बर के पहले सप्ताह में गन्ने की खेती पक कर तैयार हो जाती है और उस समय अगर गन्ने की मिल चला दी जाये तो उससे दो फायदे होंगे। एक तो स्वाभाविक है कि नवम्बर तक आते-आते किसानों के सामने चारे की समस्या बहुत ज्यादा पैदा हो जाती है। गन्ने की कटाई होगी तो किसानों को पशुओं का चारा उपलब्ध हो जायेगा। दूसरी बात मान्यवर, उत्तर प्रदेश में खासतौर से बहुत छोटी जोत रह गई है और बहुत छोटे-छोटे किसान रह गये हैं। उनकी यह कोशिश रहती है कि गन्ना काटाकर मिलों में डाल दें और फिर उस जमीन में गेहूं की बुवाई कर दें। इस प्रकार वह दो फसल ले लेते हैं। एक महीने के लिये गेहूं भी आ जाता है और खर्चा चलाने के लिये गन्ने के दाम आ जाते हैं अगर यह नवम्बर के पहले सप्ताह में मिल चल गई होती तो उन छोटे किसानों की उदर पूर्ति का इंतजाम हो गया होता। मिल नहीं चली तो इसका परिणाम क्या हुआ कि गुड़ बनने लगा, कम्पीटीटर कोई है नहीं। कहीं पर दूसरा कोई विकल्प किसान के पास है नहीं। मजबूर होकर जो भी भाव तय कर दिया, किसी ने सवा सौ दे दिया, किसी ने डेढ़ सौ दे दिया, किसी ने पौने दो सौ दे दिया, उस छोटे किसान को मजबूर हो करके, क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी कि वह दो महीने प्रतीक्षा कर सके, मजबूर होकर गन्ना उसको उन कोल्हुओं पर डालना पड़ा और इस तरह उसका शोषण हो गया। आखिर यह मिल क्यों नहीं चल सके, हम बार-बार पत्र लिखकर, बयान देकर इस बात की मांग करते रहे कि गन्ने की फसल तैयार है, मिलों को चलाया जाये। कारण क्या है, उस कारण को मैं बता दूं। कारण यह है कि चीनी का पुराना स्टाक मिलों के पास है और मिल वालों को मौका मिल गया कि 30 रुपये से बढ़कर 35 रुपये और 40 रुपये तक चीनी का भाव हो गया। मिल चल जायेंगे तो नया स्टाक आना शुरू हो जायेगा, चीनी की कीमत कम होगी। तो शायद मिल वालों को उतना फायदा न हो पाये, अब सरकार में जो पार्टी बैठी हुई है, हर हालत में इनकी सांठ-गांठ इन मिल वालों से थी। वह एक साजिश थी कि किस तरह से हम यहां के करोड़ों किसानों को वंचित करके फायदा उठायें और मिल वालों से भारी रकम वसूल करें। मान्यवर, इसमें सरकार ने साजिश करके मिलों को नवम्बर में नहीं चलने दिया और

अब इन मिलों के चलने की बात आई है। अब मान्यवर, दूसरी बात पर आता हूं किसानों को क्या भाव मिले। कल भी कहीं जिक्र आया कि गन्ने का क्या भाव होना चाहिये। हमने मांग की कि 400 रुपये क्विंटल होना चाहिये, इस मांग के आधार क्या है मैं उस आधार को आपके सामने रखना चाहता हूं। हम औसत मानकर चलें कि एक क्विंटल गन्ने से दस किलो चीनी बनेगी। दस किलो चीनी का भाव देख लें सीधा-सीधा 400 रुपये हो गया अगर 40 रुपये किलो चीनी है तो 400 रुपये की चीनी हो गई और एक क्विंटल गन्ने से 400 रुपये की चीनी आ गई अब आप कहेंगे कि 400 रुपये तो आप भी मांग रहे हैं तो मिल वाले का काम कैसे चलेगा। हम कहना चाहते हैं कि आज अगर 10 प्रतिशत चीनी आई है तो 90 प्रतिशत माल मिल वाले के पास बाकी है। क्या माल है, चीनी निकलने के बाद में शीरा आज महत्वपूर्ण उत्पाद है। इससे अल्कोहल बनती है, शराब बनती है, केमिकल्स बनते हैं और हर उत्पाद में शीरे का उपयोग होता है मुंह मांगे दाम मिल वाले शीरे का लेते हैं। इस प्रकार मिल का सारे का सारा शीरा बच गया, इसमें किसान का कोई हिस्सा तो नहीं है। इसके बाद बगास जिसे हम खोई कहते हैं इससे कागज बनता है अब वह खोई नहीं कि किसान भी शाम को जिसे रखकर आंच सेंक लेता था अब वह बगास इतनी मंहगी हो गई कि एक-एक पत्ता बगास का इकट्ठा करके ट्राली में भरकर पेपर मिल मालिक के यहां जाता है और उसके कागज बनते हैं उसमें किसान की कोई हिस्सेदारी नहीं है। तीसरा है प्रेसमड, मान्यवर, आज प्रेसमड का उपयोग सबसे उपयोगी फर्टिलाइजर के रूप में होने लगा है। मिल वाले उसको अलग-अलग करके फर्टिलाइजर बनाते हैं, बोरी से भरते हैं और किसान लाइन लगाकर उसे खरीदता है। मान्यवर, यह तीन चीजें हैं इस प्रकार से मैं कह सकता हूं कि मिल वाले को 8 सौ रुपये सीधे-सीधे एक कुन्तल गन्ने पर मिल रहे हैं और यदि वह 8 सौ रुपये में से 4 सौ रुपये किसान को दे दे तो किसान की माली हालत अच्छी हो जायेगी, उसके यहां भी बच्चे को पढ़ाने की सुविधा हो जायेगी, उसका भी एक कमरा बन जायेगा, उसको भी बेटी की शादी करने का मौका मिल जायेगा क्योंकि किसान के पास तो कोई और जरिया है नहीं आमदनी का कोई और स्रोत तो है नहीं, केवल यही स्रोत है। बहुत से लोगों को लगा कि 4 सौ रुपये मांग रहे हैं, मिल वाला कैसे देगा, मिल वाले की बहुत चिन्ता हो रही है लेकिन उसकी चिन्ता नहीं हुई जो गन्ना उपजा रहा है साल भर से उसके इन्तजार में बैठा हुआ है कि कब गन्ने की फसल जायेगी उसकी कोई चिन्ता किसी को नहीं है। अगर उसकी चिन्ता है तो जो आंकड़े मैने पेश किये हैं आपके सामने उसको झुठला दीजिये। आज प्रदेश की हालत क्या है, मान्यवर, पूरे देश में गन्ने का जो क्षेत्रफल है उसके 43 प्रतिशत क्षेत्र में हम गन्ना पैदा करते हैं, हमारा चीनी में योगदान क्या है 24 प्रतिशत। मान्यवर, अगर हमारे यहां रिकवरी अच्छी हो, अगर हमारे यहां प्रतिएकड़ गन्ने की पैदावार अच्छी हो तो अगर हम 43 प्रतिशत क्षेत्र में गन्ना बो रहे हैं तो हमारा योगदान भी 43 प्रतिशत होना चाहिये, 24 प्रतिशत क्यों है उसके कारण पर मैं आता हूं। एक तो अगर समय पर मिल चलाते तो गन्ने का डाइवर्जन न होता और 24 प्रतिशत न हो करके 35 प्रतिशत तक पहुंचता और उससे राज्य को राजस्व भी मिलता और किसान को पैसा भी मिलता। सरकार ने तरह-तरह के प्रतिबन्ध लगाये, एक गन्ना आयुक्त का कार्यालय स्थापित किया और उसके हाथ में वह डंडा दे दिया कि जब चाहोगे तुम्हारा क्षेत्र कम कर दूंगा। जब चाहोगे तुम्हारा क्षेत्र बढ़ा दूंगा। यह क्षेत्र कम करने और बढ़ाने की आवश्यकता क्यों पड़ी ? हम जब सरकार में रहे तब भी हम इस बात पर जोर दे रहे थे कि हर साल मिल वालों पर डंडा ले करके यह दुकान खोलकर नहीं बैठना चाहिये। जब उनका शोषण यहां हो जायेगा तो जो पैसा किसानों के पास जाना चाहिये वह उसके पास न जा करके यहां

जायेगा। मान्यवर, एक सरकार थी, बहुत गरीबों की दुहाई दे करके वह सरकार आई थी। उस सरकार ने गन्ना किसानों का जो हाल किया उसकी एक मिसाल दे करके मैं आगे बढ़ूंगा। सारे मिल वालों की मीटिंग होती है, ओखला में एक आलीशान डाक बंगला बना हुआ है, वहां सारे मिल वालों को बुलाया जाता है और सीधे-सीधे कहा जाता है कि जितने कुन्तल गन्ने की पेराई करोगे 10 रुपये प्रति क्विंटल आपको अलग से रखना होगा। यदि 10 रुपये प्रति क्विंटल किसी की जेब में न जा करके किसानों की जेब में गया होता तो क्या यहां का किसान सम्पन्न न होता क्या किसान की माली हालत अच्छी न होती तो क्या आप इस बीमारी को दूर कर पायेंगे। मान्यवर, दूर करने का तरीका यही है जो मैंने बताया है, 12 प्रकार के नियंत्रण आपने गन्ने पर लगा दिये हैं, क्षेत्र बांट दिये, कम्प्टीशन की भावना समाप्त कर दी, किसान किसी भी दूसरे मिल गन्ना नहीं ले जा सकेगा। यदि गन्ना नहीं ले जा सकेगा तो वह मिल का बन्धुआ मजदूर हो गया, जब बन्धुआ मजदूर हो गया तो मिल वाला अपनी इच्छा से उसे पर्ची देगा। मान्यवर, यदि किसान की बीस पर्ची आनी है और वह 4-6 महीने इन्तजार करेगा तो उतने समय उसकी जमीन घिरी रहेगी, पैसा उसकी जेब में नहीं आयेगा तो एक तरह से मिल इनका बन्धुआ हो गया और किसान मिल का बन्धुआ हो गया, उस बन्धुआ मजदूर को हम कैसे अलग करें। मान्यवर, कमिश्नर का जो आफिस है उसका नियंत्रण कम कीजिये और यह प्रतिबन्ध लगाइये कि जो क्षेत्र एक बार हमने आरक्षित कर दिया गन्ने का तो कम से कम पांच साल तक उसमें परिवर्तन नहीं होगा तो मिल वाले की जिम्मेदारी हो जायेगी। मैंने पिछली बार भी सवाल उठाया था कि गन्ने में कीड़ा आ गया कोई इन्तेजाम करने वाला है नहीं, नई बीज की ब्राइटी देने वाला कोई है नहीं तो कम से कम मिल वाले जिम्मेदारी इतनी तो कर दें कि पांच साल तक वह आधुनिक ब्राइटी लाकर हमको दें, गन्ने की बीमारी पर नियंत्रण करने की जिम्मेदारी वह लें। लेकिन जब उसको यह चिन्ता रहती है कि अगली बार यह क्षेत्र उसके पास रहेगा या नहीं रहेगा, क्षेत्र अपने पास रखने के लिये क्या करना पड़ेगा, कहां देना पड़ेगा, किसको ओबलाइज करना पड़ेगा तो मान्यवर, एक प्रकार से अनिश्चितता का वातावरण तो रहेगा ही रहेगा। मान्यवर, मेरा तीन बातों का अनुरोध है। पहली बात मिलों को ठीक समय पर चलाना चाहिये था, और ठीक समय गया, चलाना चाहिये था आपको। दूसरी बात, आज सरकार इस बात की घोषणा करे कि 400 रुपये प्रति क्विंटल गन्ने का भाव होगा। तीसरी घोषणा यह करें कि किसान के खेत का एक-एक गन्ना मिल मालिक को लेना लाजिमी होगा, वरना ये तीन-चार महीने कैसे जायेंगे, तलवार लटकी रहेगी किसान के ऊपर। पिछले साल का पैसा अब तक आया है। सबसे पैसे वाला किसान ही है क्या यहां है ?

एक सदस्य-

अभी तक पिछले साल का पैसा किसानों को नहीं मिला है, बकाया है।

श्री हुकुम सिंह-

मुझको पता है। ऐसे-ऐसे मिल मालिक हैं गन्ना खरीदने के बाद, चीनी बेचने के बाद उस पैसे को दूसरी जगह लगा देते हैं और किसान तरसता घूमता है और सरकार इससे अपने आपको अलग-अलग करके बैठ जाती है, कोई सुनने वाला नहीं है। अखबारों के आदेश, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश, सरकार के आदेश, आखिर वह आदेश गये कहां ? जब तक यह पीड़ा है मा0 सदस्यगण की कि अब तक भुगतान नहीं हुआ इसके लिये दोषी कौन है, सरकार का काम यह है कि जो हुआ, उसके लिये जिम्मेदार कौन है, उसकी जिम्मेदारी फिक्स करें, दायित्व फिक्स करें। दायित्व फिक्स करने के बाद

में जो गन्ना एक्ट में निर्धारित है कि अगर इतने दिनों के बाद भुगतान नहीं होता है, तो मय ब्याज के भुगतान होना चाहिये। केवल यहां कहने से काम नहीं चलता, सरकार की जिम्मेदारी यह होगी कि मय ब्याज के उनका भुगतान करायें और मैं चाहता हूं कि आज संवेदनशीलता का परिचय देते हुए इस सदन में गन्ना मूल्य सरकार 400 रुपये प्रति क्विंटल देने की घोषणा करे।

*श्री पंकज कुमार मलिक-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे नियम-56 में गन्ने पर बोलने का मौका दिया इसके लिये मैं आपका धन्यवाद देता हूं। अध्यक्ष जी, मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से चुन करके आता हूं जहां 90 प्रतिशत लोग खेती पर आधारित है उसमें गन्ना एक मुख्य फसल है। मैंने इसलिये आपसे अनुरोध किया था कि सम्मानित हुकुम सिंह जी से पहले मैं बोल लेता तो जो मैं कमी छोड़ता उसको वह पूरी कर देते।

श्री अध्यक्ष-

उनकी जो कमी बची है उसे आप कह दीजिये।

श्री पंकज कुमार मलिक-

आज गन्ना किसान सबसे ज्यादा दुःखी है। वास्तव में जैसा मा0 नेता भा0ज0पा0 ने कहा आज चूंकि गन्ना मिल बहुत देर से चली है। मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की बात कहूंगा। गन्ना किसानों को दुःखी होकर कोल्हुओं पर औने-पौने दाम पर बेचना पड़ा क्योंकि मिल चल नहीं रही थी, उसकी फसल खराब हो रही थी और आने वाली फसल भी खराब होने का खतरा था। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि जो देरी गन्ना मिल चलाने में की गई है, वह क्या कारण रहे हैं यह तो मैं नहीं जानता। दूसरी बात, अध्यक्ष जी गन्ने का उचित मूल्य किसान को नहीं मिल पाता है, जबकि किसान जो गन्ना शुगर मिल को देता है, उसे लाभ ही लाभ है। गन्ना से प्रेसमड 4 प्रतिशत होता है जो 30 से 40 रुपये प्रति क्विंटल बिकता है, बगास 30 प्रतिशत होती है जो 150 से 200 रुपये प्रति क्विंटल बेची जाती है। शीरा जो कि चार से साढ़े चार प्रतिशत के आस-पास होता है यह 125 रुपये से लेकर 200 रुपये प्रति क्विंटल तक बेंचा जाता है। यह सीधा-सीधा शुगर मिल मालिकों का लाभ है। किसानों को लागत मूल्य भी नहीं मिल पाता है। इसलिये गन्ने का मूल्य लगभग 400-425 रुपये प्रति क्विंटल होना चाहिये। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि अगर 400-425 रुपये प्रति क्विंटल का भाव नहीं दे सकते हैं तो कम से कम 350 रुपये प्रति क्विंटल देने का काम करें तो किसानों को कुछ राहत की सांस मिलेगी। समाजवादी पार्टी ने चुनाव के समय में लागत मूल्य से 50 प्रतिशत मुनाफा देने की बात कही थी, यह मैंने समाचार-पत्र में पढ़ा था। जो आपने कहा था, वह आपको करना चाहिये।

दूसरी बात गन्ना किसानों से सम्बन्धित मैं कह रहा हूं। ऋण माफी की बात आज आई थी, आपने ऋण माफी की यह बहुत अच्छी बात उसमें गन्ना किसान भी आता है। सभी किसानों की ऋण माफी की बात आई है लेकिन उसमें आपने एक शर्त लगा दी कि 10 प्रतिशत जमा करना पड़ेगा। गरीब किसान कहां से 10 प्रतिशत दे पायेगा। दे ही नहीं पाता इसीलिये आधे से ज्यादा लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। मैं जानता हूं कि सरकार किसानों के प्रति बड़ी गम्भीर है। हमारे युवा मुख्य मंत्री किसानों के प्रति गम्भीर हैं और वे भी एक किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं। समय-समय पर

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उन्होंने गम्भीर निर्णय लिये हैं। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि अगर आपने ऋण माफी की है तो पूर्ण रूप से ऋण माफी कर दी जाय तो किसान का भला होगा। अध्यक्ष जी, मैं जानता हूं कि मुझे पीड़ा है, मैं खुद किसान परिवार से हूं। मेरे यहां गन्ना होता है। जिस समय शादी का समय आता है किसान डर के मारे कांपता है और वो देखता है अपनी बच्चियों की तरफ कि किस तरह से मैं इसका खर्च उठा पाऊंगा, किस तरह से शादी होगी। जिस समय फेरों का समय आता है उस समय उसकी स्थिति क्या होती है। आधे से ज्यादा लोगों को मेरी पीढ़ी के लोगों को धन के अभाव में शिक्षा नहीं मिल पाती क्योंकि किसान की आर्थिक स्थिति आज भी बहुत कमजोर है। किसान की कोई बिरादरी नहीं है। किसान हर बिरादरी से है। किसान हिन्दुस्तान का रहने वाला वो व्यक्ति है जो हिन्दुस्तान को अन्न देने का काम करता है। अध्यक्ष जी, मेरा अनुरोध है, मैं जानता हूं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी बहुत गम्भीर हैं, बहुत परिपक्व हैं, मैं बहुत सम्मान करता हूं। मेरे पिताजी से भी पहले से यह विधान सभा में बार-बार चुनकर आते हैं। एक बात की मुझे आज बहुत पीड़ा हुई, बड़ी ठेस पहुंची। आज हमारे इस सदन के सम्मानित सदस्यों ने जो एक दल से ताल्लुक रखते हैं, अपनी बात को यहां उठाया। जब हाउस शुरू हुआ तो वेल में आये, तो उस बात को हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी ने बहुत हल्के में कहा लेकिन जो बात कही है चाहे वह मजाक में कही हो, मुझे बहुत बुरी लगी है। हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि आज हम घोषणा करने वाले थे लेकिन आप वेल में आये इसलिये हमने घोषणा नहीं की। यह बहुत गलत है। मैं तो जहां तक मंत्री जी के बारे में जानता हूं सरकार के बारे में जानता हूं कि यह सरकार किसानों के बारे में बहुत गम्भीर सरकार है लेकिन इससे गम्भीरता कहीं नजर नहीं आई। मैं और मेरी पार्टी साढ़े तीन सौ से ज्यादा सवा चार सौ के बीच में गन्नाा मूल्य की मांग करते हैं और संसदीय कार्य मंत्री जी के इस व्यवहार से दुःखी होकर सदन से बहिर्गमन करते हैं।

(पंकज मलिक और उनकी पार्टी के सदस्य सदन के वेल से चले गये)

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

अभी एक-एक आदमी को बुलवाता हूं। देखिये सैनी जी, आपका इसमें नाम नहीं है। आपकी पार्टी का जितना नाम है वह मैं पढ़ देता हूं। श्री रोमी साहनी, श्री बृजेश, श्री उमेश पाण्डेय, शमशेर जी, रामहेत भारती, संजय कपूर, गजराज सिंह, प्रदीप चौधरी, नदीम जावेद, बंशी सिंह पहाड़िया, दिलनवाज खां, पंकज कुमार मलिक इतने लोगों का नाम है।

डा0 धर्म सिंह सैनी-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी कह देते।

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, यह कह रहे हैं कि कह देते अफसर से तो शायद दो जान बच जाय। बार-बार आग्रह कर रहे हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

यहां से मैं उठ पाऊंगा तब ही तो कहूंगा। मुझे 5 मिनट का समय मिल जाय।

डा0 धर्म सिंह सैनी-

आप वहां जल्दी मैसेज करवा देंगे तो दो लोगों की जान बच जायेगी। मेरा अनुरोध यह है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मैं यह गन्ने का जवाब दे दूं तो किसी साथी को बैठाकर जाता हूं।

डा0 धर्म सिंह सैनी-

मैंने अधिकारियों को फोन किया है यहां से तो अधिकारी कह रहे हैं कि हम मीटिंग में व्यस्त हैं हम लेखपाल को और तहसीलदार को .....

श्री मोहम्मद आजम खां-

मेरी सुन तो लें।

डा0 धर्म सिंह सैनी-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा अनुरोध यह है कि मीटिंग इतनी जरूरी नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

वह कह तो रहे हैं कि अभी जाकर कह देंगे।

श्री मोहम्मद आजम खां-

अब अगर आपको सिर्फ रिकार्ड पर अपनी बात लाना है तो कहते रहिये।

डा0 धर्म सिंह सैनी-

रिकार्ड पर नहीं लाना है।

श्री अध्यक्ष-

आज कह रहे हैं कि मैं अभी करा दे रहा हूं।

*श्री शमशेर बहादुर सिंह उर्फ शेरू भइया-

अध्यक्ष जी, 1 अक्टूबर से पेराई सत्र शुरू हो चुका है। चीनी मिलें चालू हो चुकी हैं। क्रेशर, कोल्हू वाले, ब्वायलर प्लान्ट यह सब चालू हो चुके हैं। किसानों को यह आशंका थी क्योंकि समाजवादी पार्टी ने अपने घोषणा-पत्र में साढ़े तीन सौ रुपये गन्ना मूल्य के लिये कहा था और किसानों को हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी ने डेढ़ सौ रुपये मूल्य बढ़ोत्तरी के रूप में दिया था और उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार गन्ने के बकाये पर 15 परसेन्ट ब्याज दिलाया गया था। मान्यवर, किसान बड़ी उम्मीद से इनके साथ जुड़ा है और किसानों ने सोचा कि गन्ने का मूल्य साढ़े तीन सौ रुपये हो जायेगा। दु-ख की बात है, कल भी सदन इसलिये नहीं चला था कि गन्ने का मूल्य इन्होंने घोषित नहीं किया है और अफरा-तफरी मची हुई है। मान्यवर, किसान समझ नहीं पा रहा है कि उनके गन्ने का मूल्य घोषित न करने का क्या कारण है। कोल्हू पर वह 170 में अपना गन्ना बेंच रहा है। ब्वायलरों को डेढ़ सौ पौने दो सौ रुपये में वह अपना गन्ना बेच रहे हैं। आज उनको अगर गेहूं की बुआई करनी है, खाद लेना है, गेहूं के बीज लेने जाना है, डीजल की व्यवस्था करनी है, किसानों को जिन चीजों की जरूरत है वह चीजें मंहगी मिल रही हैं। डीजल के लिये अलग से बात हुई थी। सदन में चर्चा हुई थी संसदीय कार्य मंत्री जी ने तब कहा था कि उनका अलग से मूल्य घोषित किया जाए। डीजल किसानों को सब्सिडाइज रेट पर दिया जाना चाहिये लेकिन किसानों को व्यवसायिक रेट पर डीजल खरीदना पड़ता है। खाद के दाम बढ़ते जा रहे हैं। गेहूं के बीज जब हमें बीज के रूप में लेना

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पड़ता है तो 25-30 रुपये में लेना पड़ता है जब गेहूं हम अपना तैयार करके देते हैं तो 10 और 15 रुपये में देते हैं। किसानों को जिन चीजों की जरूरत है वह मंहगे हैं। ट्रैक्टरों के दाम मंहगे हैं, उनके इक्युपमेंट मंहगे हैं, उनके औजार मंहगे हैं गन्ने का दाम जो नहीं घोषित हुआ है उसकी वजह से अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो चीनी मिल मालिकान जिन्होंने अपना एक संगठन बना लिया है उस संगठन के जरिये चाहे वह यहां की सरकार हो चाहे वहां की सरकार हो उस पर वह अपना बराबर दबाव बनाते हैं किसानों की बात सुनने के लिये सिर्फ हम ही लोग हैं, जो लोग चुनकर आते हैं और उत्तर प्रदेश की इस बड़ी पंचायत में बैठकर उनके सुख-दुख का जिक्र यहां करते हैं। हम लोगों को किसान देखता है हम लोगों को किसान सुनता है और आज वह दो दिन से बड़ी हसरत भरी निगाह से देख रहा है कि हमारे गन्ने का मूल्य नहीं घोषित हुआ इतना बड़ा आन्दोलन चल रहा है विधायक लोग धरने पर बैठे हैं प्रदर्शन कर रहे हैं अब अगर उनको उचित और लाभकारी मूल्य नहीं मिलेगा।

(शोर)

श्री अध्यक्ष-

समाप्त करें।

गन्ना किसान को गन्ने का मूल्य कम से कम चार सौ रुपये घोषित किया जाये। आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिये मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।

श्री दलवीर सिंह-

मान्यवर, हमारी पार्टी का मुख्य मुद्दा है मैं आपके संज्ञान में एक चीज लाना चाहता हूं मेरी पार्टी के दो विधायक तीन महीने तक अनशन और धरने पर बैठे थे। शर्मा जी और श्री राठी जी यह जिस क्षेत्र से चुनकर आते हैं वह बागपत से सटे हैं मेरा आपसे निवेदन है कि आप मेरा समय इन दोनों को दे दें।

श्री अध्यक्ष-

फिर आप क्यों बोल रहे हैं।

*श्री वीरपाल राठी-

मान्यवर, आपने मुझे नियम-56 के अन्तर्गत बोलने का मौका दिया इसके लिये मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं और एक निवेदन करना चाहता हूं आज समय देखने की जरूरत है यह जरूरत है कि गेहूं कि बुआई का उपयुक्त समय कौन सा है। 15 नवम्बर से लेकर 15 दिसम्बर तक का समय सबसे उपयुक्त गेहूं की बुआई का है। लेकिन आज दिसम्बर शुरू हो रहा है और दिसम्बर शुरू होने पर प्रदेश सरकार कितनी गम्भीर है कितनी चिन्तित है यह सोचने का विषय है। किसानों के प्रति जो सरकार यह कहती है कि हम किसानों की रहनुमा है यह सरकार किसानों की है तो उसमें यह ध्यान देने की जरूरत है कि अभी तक दस चीनी मिल बन्द हैं। और जहां तक मान्यवर, सवाल है, गन्ने के पेमेन्ट का, अभी माननीय हुकुम सिंह जी कह रहे थे कि मलकपुर चीनी मिल ने पेमेन्ट नहीं दिया। मैं ऐसा व्यक्ति था, मैंने लोगों के साथ 95 दिन तक धरना दिया, तमाम संघर्ष किया, यहां पर संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हैं इनके जिले में रोज जाम करने का काम हमारे क्षेत्र के लोगों ने गन्ना

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पेमेन्ट को लेकर दिया लेकिन कोई गम्भीर चिन्ता नहीं व्यक्त की गई। समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं कि हम गम्भीर हैं, लेकिन मैं नहीं मानता, अगर यह गम्भीर होते तो एक जनप्रतिनिधि जो 95 दिन तक धरने पर बैठा है, उसकी सुध ली जाती, यह सरकार का कर्तव्य था। यह कर्तव्य इन लोगों का था जो किसानों के प्रति चिन्ता जाहिर करते। मान्यवर, गन्ने के भाव पर मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। पिछली मायावती जी की सरकार थी, उस सरकार में विपक्ष के नेता शिवपाल यादव जी थे। आप कार्यवाही निकलवा कर देख लीजिये, शिवपाल यादव जी ने इसी सदन में 350 रुपये गन्ने के भाव की मांग की थी। इतने दिनों में और चीजों के कितने भाव बढ़े होंगे, यदि यह वास्तव में किसानों के प्रति गम्भीर हैं, यहां पर संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हैं, घोषणा करें कि 400 रुपये गन्ने का भाव है तब मैं संसदीय कार्य मंत्री जी का स्वागत करूंगा और धन्यवाद दूंगा कि यह सरकार किसानों के प्रति गम्भीर है। मान्यवर, एक छोटी सी बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा, एक छोटी से बिस्लरी की बोतल 15 रुपये की है और किसान कितनी मेहनत से गन्ने को पैदा करता है। अपने पूरे परिवार को ले करके गन्ने को पैदा करता है। यहां पर हुकुम सिंह जी बोल रहे थे, गन्ने से जितने प्रोडक्ट बनते हैं, उनकी चर्चा की और उनके तमाम आंकड़े इस सदन के अन्दर पेश किये। गन्ने पर कितनी मेहनत, कितने प्रोडक्ट, उन सबको छोड़ करके एक बिस्लरी की बोतल। यह समाजवादी पार्टी का घोषणा-पत्र है, इस घोषणा पत्र में स्पष्ट लिखा है, इन्होंने इसी सदन में गन्ने के भाव की मांग की थी, उसी पर मेरा निवेदन है कि उसी आधार पर गन्ने का भाव घोषित करें।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल के कुछ अन्य सदस्य भी बोलने के लिये खड़े हो गये।)

श्री अध्यक्ष-

पहले सुरेश राणा जी को बुलवा लेते हैं, उसके बाद आप बोल लेना।

*श्री सुरेश राणा-

मान्यवर, आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। इस सदन के वरिष्ठ नेता मा0 हुकुम सिंह जी के इस विषय पर बोलने के बाद वैसे तो कुछ बात बचती नहीं लेकिन फिर भी चूंकि बड़ा गम्भीर विषय है और मैं एक किसान पुत्र हूं तो अपनी भावना इस सदन के सामने रखना चाहता हूं। जब पिछला सत्र था तो माननीय मुख्य मंत्री जी के लिये बहुत सारी टिप्पणियां विपक्ष की ओर से भी आई कि वह युवा हैं, बहुत अच्छे हैं, विकास पुरुष हैं, बड़ी उम्मीदें हैं और हम लोग जब क्षेत्र में गये, खासकर युवा विधायक चाहे इधर के हों या उधर के हों, सभी युवा विधायकों ने अपने क्षेत्रों में मुख्य मंत्री जी की जमकर तारीफ की। लेकिन अब हम एक बार वास्तव में सोचते हैं कि क्षेत्र में क्या कहेंगे- ''या बाबा तेरी मोहब्बत का रिसवा तभी तो,

तेरी बेवफाई का रिसवा करूं तो मेरी मोहब्बत की तौहीन होगी।''

मान्यवर, आज हालत ऐसी पैदा हो गई है, अभी माननीय हुकुम सिंह जी ने विस्तार से बताया, जब गन्ना मूल्य की बढ़ोत्तरी की बात आती है, जब कभी थोड़ा सा भी दाम बढ़ता है तब सोचा जाता है कि बहुत सारे दाम बढ़ा दिये गये हैं। वास्तव में किसान कितनी मेहनत करता है, मान्यवर, गन्ने की ऐसी खेती है, जब गन्ना किसान रात में ट्यूबवेल चलाने जाता है, चूंकि मैं पश्चिम का हूं, इसलिये कभी-कभी मैं पश्चिम की भाषा का प्रयोग कर लेता हूं, कुछ लोगों की समझ में आती

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

भी नहीं होगी। जब रात में ट्यूबवेल चलाने किसान जाता है, हमारे यहां चाबी के लिये एक जगह बनती है। मान्यवर, जब रात को वह किसान ट्यूबवेल चलाने के लिये जाता है और चाभी ढुढ़ता है तो वहां उसे सांप बैठा हुआ मिलता है। मान्यवर, बहुत बार वह सांप किसानों को काट लेता है। मान्यवर, वह संवेदनशील किसान जो गन्ने की रात बिरात बोता है और उसकी देखरेख करता है उसको अपने गन्ने का भाव प्राप्त करने के लिये लड़ाई लड़नी पड़ती है। मान्यवर, चाहे इधर की पार्टी की सरकार रही हो या सामने की सरकार हो उसको उसकी लागत का मूल्य नहीं मिल पा रहा है। आज उसकी लागत के हिसाब से गन्ने का मूल्य 400 रुपये घोषित किया जाय। मान्यवर, आज डी0पी0ए0 की क्या हालत है। कितनी मंहगाई है। मान्यवर, जावेद उस्मानी जी मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी योजना भवन में उसने किसानों के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे। उन्होंने गन्ने की लागत और उसके भावों के बारे में वहां अपनी बात रखी थी, मान्यवर, जो शोध केन्द्र हैं चाहे वह शाहजहांपुर हो या मेरठ हो उसकी रिपोर्ट भी है। शाहजहांपुर की रिपोर्ट यह है कि गन्ने की लागत 228 रुपये प्रति क्विंटल आ रही है वहीं मेरठ की रिपोर्ट है कि 232 रुपये लागत आ रही है। और सभी की यह संस्तुति है कि किसानों को 400 रुपये का भाव मिलना चाहिये। मान्यवर, मा0 मुलायम सिंह जी को किसान लोग मानते हैं और उनको विश्वास है कि वे किसानों के हित की बात करते हैं, आज मुलायम सिंह जी के विचारों की यह सरकार चल रही है और अखिलेश यादव जी यहां पर मुख्य मंत्री हैं। हम चाहते हैं कि यह सरकार आज 400 रुपये का भाव घोषित करे। अगर यह ऐसा नहीं करती है तो यह माना जायेगा कि यह सरकार गन्ना किसानों के पक्ष की सरकार न होकर उनकी विरोधी सरकार है। मेरा यही कहना है कि सरकार 400 रुपये का भाव घोषित करें। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी सरकार के वरिष्ठ मंत्री हैं वह सरकार की ओर से ऐसी घोषणा करें।

श्री प्रदीप चौधरी-

मान्यवर, गन्ने के मूल्य के रूप में उत्तर प्रदेश के अन्दर 140 करोड़ रुपये की धनराशि गन्ना किसानों की मिलों पर बकाया है। मान्यवर, हमारे गंगोह, सहारनपुर में दया शुगर मिल है वहां 2007-2008 का साढ़े तीन करोड़ रुपये का अभी भी बकाया है। उसके बाद सन 2010-11 का बकाया लगभग डेढ़ करोड़ है। वहां मान्यवर, किसान अपने बकाये के भुगतान के लिये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मान्यवर, किसानों ने वहां 36 दिनों तक धरना प्रदर्शन किया। मान्यवर, जिलाधिकारी वहां गये और आश्वासन भी दिया कि गन्ने के मूल्य के बकाये का शीघ्र भुगतान करा दिया जायेगा। लेकिन उसके बाद भी अभी तक भुगतान नहीं हुआ है। मान्यवर, जब जिलाधिकारी ने वहां पर चीनी मिल का स्टाक देखा था तो उस समय एक लाख इकसठ हजार चीनी की बोरियां मौजूद थीं और उन्हें सील किया गया था। वर्तमान में वहां केवल 20 हजार बोरियां हैं। मान्यवर, अब यह समझ में नहीं आ रहा है कि किसकी मिली भगत से वह बोरियां कहां चली गई हैं। और वह कैसे गायब हो गई किसको दे दी गई। मान्यवर, किसान की आज बहुत दुर्दशा है उसको चार सौ रुपये का भाव दिलाया जाए। मान्यवर, गन्ना किसानों को 400 रुपये का भाव मिल जाता है तो वह समाजवादी पार्टी की सरकार का आभार मानेगा। मान्यवर, एक बात यह भी कहनी है कि हमारे यहां जनपद सहारनपुर और गंगोह क्षेत्र की सड़कें बहुत खराब हैं। गन्ना किसान अपना गन्ना जो बुग्गी गाड़ी में लादकर लेकर चीनी मिलों में जाता है उसे अत्यन्त कठिनाई होती है तो मेरा अनुरोध है कि उन खराब सड़कों पर गौर किया जाय और उस क्षेत्र की खराब सड़कें बनवा दी जाए उससे गन्ना किसानों को बहुत फायदा होगा।

*श्री सुदेश शर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिये आपका बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। बाकी गन्ने के विषय में माननीय सभी नेताओं ने और माननीय सदस्यजनों ने अपने विचार रखे हैं और मैं भी कोई बात ऐसी अलग बात कहने नहीं जा रहा हूं लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि चाहे यह सरकार हो चाहे पिछली सरकार हो और विशेष रूप से समाजवादी पार्टी की सरकार हमेशा से किसानों का हितैषी बनने का दावा करती आई है लेकिन आज तक गन्ने का रेट घोषित नहीं किया गया और इस बात से मुझे बहुत पीड़ा है, मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का बहुत सम्मान करता हूं और एक बात मैं कहना चाहता हूं कि वास्तव में जो उनकी नीतियां हैं मैं उसका फालोवर हूं और मैंने कल उनसे यह बात कही भी थी और मुझे यह बात सदन में कहने में कोई गुरेज नहीं है लेकिन आज उन्होंने सदन में इतनी पीड़ादायक बात कही है, ऐसी गम्भीर बात कही है कि जब भी माननीय मुख्य मंत्री रेट घोषित करना चाहते हैं तो राष्ट्रीय लोकदल बीच में आ जाता है। मैं पूछना चाहता हूं कि संसदीय कार्य मंत्री जी से कि क्या राष्ट्रीय लोकदल किसान विरोधी है, क्या यदि वह गन्ने के भुगतान की बात करता है, गन्ने का रेट घोषित करने की बात करता है तो क्या यह गलत है। मैं कहना चाहता हूं कि आज तक हाईकोर्ट और सुप्रीमकोर्ट के आदेश के बावजूद भी यह सरकार अभी तक किसानों का भुगतान नहीं करा पाई है क्या इसकी वजह है, क्या यह भुगतान कराना नहीं चाहती या हो नहीं रहा है। मेरे क्षेत्र में दो चीनी मिले हैं यह मेरी पीड़ा है। माननीय मुख्य मंत्री जी मेरठ में जाकर के घोषणा करके आ चुके हैं कि मोहम्मदीपुर शुगर मिल को शीघ्र चलाया जायेगा लेकिन सीजन बीत रहा है और आज तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। मैं पूछना चाहूंगा कि इसके बारे में कब तक आपके द्वारा कार्यवाही की जा रही है। एक बात और कहना चाहूंगा कि आज अगर बाजार में जाते हैं मूंगफली भी खरीदते हैं तो उसकी भी दुकानदार पहले आपसे पैसा ले लेता है तब आपको मूंगफली देता है। लेकिन गन्ना ऐसी चीज है कि पहले गन्ने का रेट न देकर फिर उसके बाद भुगतान के लिये दौड़ना पड़ता है आखिर क्यों।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, किसानों से सम्बन्धित इतना महत्वपूर्ण सूचना है।

श्री अध्यक्ष-

आपकी सूचना क्या थी चीनी मिलों द्वारा गन्ना पेराई का सत्र समय से आरम्भ न किये जाने के सम्बन्ध में तो विषय यह था और पूरी चीनी पालिटिक्स पर बोल गये।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, यह नियम-56 के अन्दर मेरी सूचना है।

श्री अध्यक्ष-

लेकिन विषय क्या है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, विषय यही है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है आप बोलिये जो बोलना है। जरा जल्दी खत्म करिये। स्नान है, आप स्नान पर विश्वास करते हैं कि नहीं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, उत्तर प्रदेश के किसानों से सम्बन्धित और विशेष रूप से गन्ना किसानों से सम्बन्धित इस सूचना को नियम 56 के अन्तर्गत आपने प्रस्तुत करने का मौका दिया इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं आपसे केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि किसान का हमदर्द बनने वाली समाजवादी पार्टी की सरकार नवम्बर माह बीतने की कगार पर है लेकिन अभी तक गन्ना मूल्य निर्धारित नहीं कर सकी है। मान्यवर, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि अक्टूबर में ही गन्ना सीजन प्रारम्भ हो जाता है और 2 महीना बीतने जा रहे हैं लेकिन क्या मजबूरी है कि माननीय मुख्य मंत्री जी रोज आश्वासन देते हैं कि मैं जल्दी ही गन्ना मूल्य तय करने वाला हूं लेकिन बार-बार आश्वासन के बाद भी गन्ना मूल्य तय नहीं हो पा रहा है। आखिर कारण क्या है ? मान्यवर, आपके माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं कि इसी पिछले वर्ष में हम 23-11-2011 तक 78 चीनी मिलें चलवा चुके थे लेकिन आज 23-11-2012 बीत रहा है और मात्र 35 चीनी मिलें अभी तक चल पाई हैं। प्रदेश की तमाम चीनी मिलें अभी प्रारम्भ नहीं हो सकी हैं और विशेष रूप से मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि गन्ना सीजन एक अक्तूबर से शुरू हो जाता है और अभी दो महीने बीत जाने के बाद भी आज तक सरकार द्वारा गन्ना मूल्य निर्धारित नहीं किया गया है। यह किसानों के प्रति उदासीनता है किसानों का मजाक उड़ाया जा रहा है। जब हमारी सरकार थी तो हमने वर्ष 2010-11 का शत-प्रतिशत भुगतान 2011 के जुलाई के महीनें में कर दिया था लेकिन जुलाई, 2012 तक 100 करोड़ रुपये का अभी भुगतान बकाया है। मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं कि जब इसके पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो वर्ष 2003-04 में तो उस समय भी दिसम्बर तक गन्ना का दाम निर्धारित नहीं किया जा सका था। उसके बाद वर्ष 2005-06 में 125 रुपये प्रति कु0 निर्धारित किया और वह भी दिसम्बर के महीने में। मान्यवर, समाजवादी पार्टी की सरकार में जिस गन्ने का दाम 125 रुपया, 160 रुपया होता तो हमने अपने शासनकाल में उसमें बढ़ोत्तरी करके 240 और 250 रुपया प्रति कु0 किया था। तो उस समय विपक्ष में बैठे हुए समाजवादी पार्टी के लोगों ने मांग की थी कि गन्ना मूल्य 350 रुपये प्रति कु0 निर्धारित किया जाये। यहां तक कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और इस प्रदेश के कई बार मुख्य मंत्री रहे श्री मुलायम सिंह यादव जी ने भी 350 रुपये की मांग की थी। तत्कालीन नेता विरोधी दल मा0 शिवपाल सिंह यादव जी ने भी 350 रुपये प्रति कु0 की मांग की थी। यहां तक कि समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं ने भी 350 रुपये की मांग की थी। एक साल का समय बीत गया और सिंचाई, खाद और बुआई की लागत बढ़ी है। तो एक साल समय बीत जाने के बाद 350 रुपये प्रति कु0 की मांग करने वाले लोगों को सवा चार सौ रुपये प्रति कु0 गन्ने का दाम निर्धारित कर देना चाहिये। लेकिन अभी तक यह सरकार दाम निर्धारित नहीं कर सकी है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि आज समाजवादी पार्टी का वह चेहरा जिसमें वह अपने को किसानों का रहनुमा दिखाते हैं आज उत्तर प्रदेश के सामने बेनकाब हो रहा है। अभी कुशीनगर, गोरखपुर, महाराजगंज के हजारों किसान दारुलशफा के दरवाजे पर इसी बात को लेकर बैठे भी हुए हैं। मैं इसलिये इस गम्भीर मामले को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कि अभी तो मा0 मुख्य मंत्री जी आश्वासन दे रहे हैं। 30 तारीख को यह सदन स्थगित हो जायेगा और उसके बाद हर बार की तरह दिसम्बर के अन्त तक यह कीमत निर्धारित करने का काम करेंगे।

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त करें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

इसलिये मान्यवर, मैं मांग करता हूं कि सरकार किसानों के इस उज्जलंत मुद्दे पर गम्भीरता से विचार करने का काम करे। आज इसीलिये इसकी ग्राह्यता पर प्रश्न प्रस्तुत किया है। हम समझते हैं कि इस पर संतोषजनक उत्तर आयेगा और किसानों के हित में कोई न कोई निर्णय आयेगा।

(विपक्ष के कई मा0 सदस्यों के एक साथ बोलने का प्रयास करने पर।)

श्री अध्यक्ष-

अब नहीं आप अलग से लिखकर दे देना।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मा0 अध्यक्ष जी गन्ने की बहस पर सभी मा0 सदस्यों ने अपने-अपने विचार रखे हैं। सभी ने किसानों की हमदर्दी में और किसानों के गन्ने का अच्छा दाम मिलने के लिये बल दिया है। जहां तक मिल मालिक का सवाल है हमारी तो कभी ऐसी मंशा नहीं रही कि हम मिल मालिक का फायदा देखें किसान का न देखें अगर हम यह कहते हैं कि हम किसान के हितैशी हैं तो वह इस बात से सिद्ध होता है कि कैसे भी सही हम चौथी बार इस सदन में सत्ता में हैं। और बगैर किसान के सहयोग के इतने बड़े बहुमत के साथ सदन में नहीं आया जा सकता था, किसान को अच्छा दाम मिले, यह सरकार की कोशिश है और मिलेगा दाम अच्छा। जहां तक हमारे कांग्रेस के नौजवान सदस्य की पीड़ा है वह पढ़े लिखे दोस्त हैं। हमारे, बस सेन्स ह्यूमर की कमी है उनके अन्दर इसका मुझे दुख हुआ आज और लोकदल के साथी भी हमारे मैं तो कोशिश करूंगा बल्कि कहूंगा मुख्य मंत्री जी से जब वह गन्ने के दाम की घोषणा करें तो कम से कम आपके नेता को साथ रखें। हम जब तक बड़ी लकीर नहीं खीचेंगे सबको साथ लेकर नहीं चलेंगे, कोई बड़ा सन्देश नहीं दे पायेंगे। हरगिज यह मंशा नहीं थी बस सदन में हर वक्त संजीदगी रहे, हर वक्त तनाव रहे, यह भी अच्छा नहीं होता। कभी-कभी आपस में चुटकुले भी होना चाहिये। आज प्रदीप जी पर बड़ा तरस आया है, आज आपकी हैसियत को बहुत घटते हुए देखा हमने और आपको इस पर थोड़ी चिन्ता होनी चाहिये। आज जिस तरह से नौजवान साथी आपको घसीट कर ले गये वेल से बाहर, अगर आप ऐसे ही नेता बनेंगे तो कैसे आगे नेता बनेंगे, कैसे प्रदेश के मुख्य मंत्री बनेंगे, अगर अपने दल के नेता ही न रहे आप। हमेशा याद रखिये, नेता के पीछे जनता होनी चाहिये और जब जनता नेता के आगे आ जाती है तो नेता उस दिन खत्म हो जाता है। आपका दल आपके पीछे होना चाहिये और आपके साथी आपके कहने में होने चाहिये और आपके यहां इतना अनुशासन होना चाहिये और देखिये कांग्रेस का अनुशासन जब खत्म हुआ तो आप सिमट कर कितने रह गये और हम नहीं चाहते कि आप और कम हो जायं, इसलिये आप अपने यहां कम से कम अनुशासन कायम कीजिये।

(मा0 सदस्य श्री प्रदीप माथुर के खड़े होने पर)

श्री मोहम्मद आजम खां-

अरे बैठिये, यह इतना दिल पर लेने की बात नहीं है।

श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, आपकी नसीहत सिर आंखों पर है, पर वह नये उभरते हुए एम0एल0ए0 हैं, उनकी इच्छाशक्ति थी और आपको उनकी तल्ख बात जरा गलत लग गई। हमने उनकी हौसला आफजाई के

लिये, जब उन्होंने बायकाट किया तो हमने कहा कि चलिये कभी-कभी छोटों का भी कहा मान लेना चाहिये, लेकिन इसमें नेता पर कोई आंच नहीं आ रही है।

श्री अध्यक्ष-

आप तो नेता हैं ही, आप क्यों चिन्तित हो रहे हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

आप ज्यादा उदार न होइये, इसी उदार होने में तो देखिये क्या से क्या हो गया। मान्यवर, गन्ने का मूल्य जल्दी ही घोषित होगा और मा0 मुख्य मंत्री जी से इस बारे में कई बार बात हुई है और उन्होंने आश्वस्त भी किया है। आज वह किसी जरूरी काम की वजह से यहां सदन में नहीं आ सके हैं। जल्द ही गन्ने का दाम घोषित होगा और किसानों के पक्ष में होगा, अच्छा रेट दिया जायेगा।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, बार-बार आश्वासन दे रहे हैं, कब घोषित होगा यह निश्चित नहीं है। इस प्रकार से आश्वासन देकर गन्ना किसानों को धोखा दिया जा रहा है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

आप वाकआउट कर सकते हैं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

यह किसान विरोधी सरकार नहीं चलेगी, जिस तरीके से किसानों के साथ धोखा हो रहा है यह बहुत गलत चीज है और समाजवादी पार्टी के लोग किसानों की आंख में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं।

(बहुजन समाज पार्टी के कई सदस्यगण सदन की वेल में आकर सरकार विरोधी नारे लगाने लगे जिससे व्यवधान की स्थिति उत्पन्न हो गई।)

(व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

नेता विरोधी दल, आप क्यों उक्सा रहे हैं, आपका विरोध दर्ज हो गया। अब आप अपने सदस्यों को वापस बुला लें। देखिये आपने अपना विरोध प्रकट कर दिया, अब आगे की कार्यवाही चलने दीजिए। अरे नेता विरोधी दल क्यों उक्सा रहे हैं।

(तत्पश्चात बहुजन समाज पार्टी के मा0 सदस्य वेल में आकर विरोध प्रकट के सरकार विरोधी नारे लगाने लगे)

देखिए, अब हो गया। नेता विरोधी दल, अब आप इनको बुला लो। आपने अपना विरोध प्रकट कर दिया। आपका विरोध प्रकट हो गया, अब आप आगे कार्यवाही चलने दें। अब आप बुला लीजिये। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप चलें न। मैं आप लोगों से आग्रह कर रहा हूं कि आप लोग वहां चलो, यहां क्यों घोषित करें, जब मुख्य मंत्री जी नहीं हैं। मौर्या जी बुलाइये इनको। बुला लीजिये इनको, अब हो गया। अरे वो कह रहे हैं कि जल्दी करेंगे। मुख्य मंत्री जी आज नहीं हैं, जब आयेंगे तो अपना विचार करके घोषित करेंगे। अब आप लोग व्यवधान न करो। अब आप इन लोगों को ले चलें, हो गया विरोध। मा0 मौर्या जी इनको लेते जाइये। अब देखिये, कल भी हो गया, जब सारी बाते हो गयी, अब आप चलिये। आप तो इनको और उक्सा रहे हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मा0 अध्यक्ष जी, आगे का काम लें। आगे का काम लें मान्यवर।

श्री अध्यक्ष-

अब आगे मद सं0-7 में प्रस्ताव हैं। मा0 हुकुम सिंह जी, नहीं बोलना है। अब क्या बोलियेगा, ये विधेयक पास कराइये।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मा0 अध्यक्ष जी, हमने तो इस बात का बहुत लिहाज रखा था। ये नहीं कहा कि ये बकाया कब का है, ये भी नहीं कहा कि कौड़ियों के दाम आपने कितनी चीनी मिलें बेच दीं। अब उसके बाद किसानों का हितैषी बनकर वेल में आने के लिये वाकई हिम्मत चाहिये और इसके लिये हम आपको दाद देते हैं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, कब तक देते रहेंगे ? कब तक ये बात कह करके लॉलीपॉप देते रहेंगे ? कब तक किसानों की आंखों में धूल झोंकते रहेंगे ? क्या मजबूरी है कि अभी तक आपने दाम निर्धारित नहीं किया है ? अब आप ये किसानों की आंख में धूल झोंकने का काम बन्द कर दें।

श्री अध्यक्ष-

मा0 विश्नोई जी, मैं उस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करा ले रहा हूं। इसको 29 को दे दीजिएगा।

उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग (निरसन) अध्यादेश, 2012 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग (निरसन) विधेयक, 2012

श्री अध्यक्ष-

मा0 हुकुम सिंह जी, संकल्प पर 2 मिनट बोल लीजिये, इसको पास कराइये।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, विधेयक पास कराना, न कराना तो सदन का काम है।

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग (निरसन) अध्यादेश, 2012 का अननुमोदन करता है।

सहासपुर के नकुड़ क्षेत्र में ट्यूबवेल में गिरे दो व्यक्तियों की दुःखद मृत्यु की सूचना

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, एक सूचना आ गयी है। मा0 अध्यक्ष जी, बहुत खेद के साथ ये कहना पड़ रहा है कि मा0 सदस्य ने साढ़े बारह या एक बजे जो सूचना दी थी और यह नकुड़ का हादसा है। 30 फिट गहरा ट्यूबवेल था जिसमें एक सुरेश नाम के सज्जन गिर गये थे और सुरेश को बचाने के लिये सुखबीर उस कुएं में कूद गये और इसमें दोनों की ही मौत हो गयी। जो बहुत दुःखद है। सुरेश जी की डेड बॉडी निकाल ली गयी है और सुखबीर जी की डेड बॉडी को निकालने की कोशिश हो रही है। बहुत खेद के साथ कहना पड़ रहा है।

उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग (निरसन) अध्यादेश, 2012 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग (निरसन) विधेयक, 2012 (क्रमागत)

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैंने इस प्रस्ताव को इसलिये रखा है कि एक राज्य विधि आयोग का गठन किया गया और गठन का उद्देश्य रखा गया कि राज्य में विभिन्न प्रकार के कानून हैं, अधिनियम हैं, उनका सरलीकरण किया जाये, उनको और मजबूत किया जाये और उसके ऊपर विचार होना चाहिये। अब आप लाये उसको कि वो समाप्त हो जाये। मेरी समझ में बात यह नहीं आती है मान्यवर, कारण आपने यह दिया किया अभी उन्होंने कोई काम नहीं किया। अभी तक उन्होंने कोई काम नहीं किया तो आपने हमेशा के लिए खत्म कर दिया। आप इस बात की आवश्यकता नहीं मानते क्या कि प्रदेश में जितने प्रकार के अधिनियम और कानून बने हुए हैं, उनके बारे में एक चर्चा भी चल रही है और राजस्व मंत्री भी एक विधेयक लाने वाले हैं, पिछले 5 साल से, 10 साल से वह ट्राय कर रहे हैं, वह विधेयक ला नहीं पाए अब तक और इसी दिशा में वह भी कदम बढ़ा रहे हैं और इसी दिशा में शायद पूर्ववर्ती सरकार ने उसको बनाया हो, आपने तो उसका वजूद ही खत्म कर दिया। बजाय इसके की उसमें सुधार करते, उनको सुविधा उपलब्ध कराते, उनसे कारण जानते कि आखिर क्या कारण है कि आप दो साल में तीन साल में क्यों इस दिशा में कदम नहीं बढ़ा पाए। उस दिशा में जाए बगैर आपने उसको समाप्त कर दिया। यह समझ में आने वाली बात नहीं है मान्यवर। यह जरूरी नहीं कि एक सरकार कोई अच्छा कदम उठाये तो दूसरी सरकार उसे खत्म करने पर ही आमादा हो। यह जो एक अतांकक्षरी शुरू हो गई है कि इन्होंने किया तो हम खत्म करेंगे, उन्होंने किया है, तो हम खत्म करेंगे। इसमें निर्णय होना चाहिए गुण-दोष के आधार पर, निर्णय होना चाहिए प्रदेश की अच्छी स्थिति बनाने के लिए, निर्णय होना चाहिए कि हमारे हित में क्या है और क्या हमारे हित में नहीं है, वह तो है नहीं, खाली इतना है कि उन्होंने बनाया है तो हम खत्म करके रहेंगे। आगे भी ऐसे ही नाम आएंगे। एक नाम वो रखेंगे और एक नाम ये रखेंगे। यह जो मजाक बनाकर रख दिया गया है, महापुरूषों का मजाक बना कर रख दिया है, मैं उस पर अभी बाद में आऊंगा, लेकिन कम-से-कम मैं इसके बारे में कह रहा हूं कि यह जो लाएं हैं, मैं इसका सैद्धांतिक विरोध करता हूं मान्यवर, कि इस प्रकार की मानसिकता नहीं होनी चाहिए अगर विधि आयोग का गठन किया, भले ही वह पूर्ववर्ती सरकार ने किया हो। उन्होंने अब तक काम नहीं किया तो उसे समाप्त करने के बजाय, उनके लिए सुचारू रूप से काम करने की व्यवस्था करनी चाहिए थी। उनके लिए सुचारू रूप से व्यवस्था करके काम करवाना चाहिए था। इसलिए मैं इसका विरोध करना चाहता हूं। मान्यवर, आपने वह घड़ियाल देखा है क्या आपने, मैंने नाम सुना है।

श्री अध्यक्ष-

आपकी तरफ बहुत होते हैं।

श्री हुकुम सिंह-

घड़ियाल के आंसू भी देखे हैं क्या आपने ? कुछ ऐसा ही नजारा मैं यहां पर देख रहा था।

श्री अध्यक्ष-

आपको इसमें कुछ जवाब देना है। कुछ नहीं देना है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, इसमें जवाब देंगे लायक कुछ बात हो तो जवाब देना जरूरी हो सकता है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग (निरसन) अध्यादेश, 2012 का अननुमोदन करता है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग (निरसन) विधेयक, 2012 पर विचार किया जाए।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग (निरसन) विधेयक, 2012 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें। समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे।

मान्यवर, यह सरकार निर्विचार की स्थिति में आ चुकी है। एक स्थिति आती है, जब विचार से ऊपर उठ जाते हैं और विचार से नीचे आ जाते हैं। विचार तो रहा नहीं कोई। किस आशय को लेकर के, किस तर्क को लेकर के विचार कर रहे हैं, क्या कारण है, क्यों इसको समाप्त कर रहे हैं। विचार है नहीं। किसी ने सुझा दिया कि ले आओ तो इसे खत्म कर दिया। आपकी पसंद का शायद कोई विधि आयोग का अध्यक्ष नहीं बना होगा, कारण तो यही है न, क्योंकि विधि आयोग के अध्यक्ष बनने के बाद में उसको हटाने की एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को अपनाए बिना, अब कोई फ्री आ जाएगा। यह विधेयक फिर भी आना है, यह अधिनियम भी बनना है। अभी यह अगले सत्र में आ जायेगा, तब यह अपनी पसंद के किसी व्यक्ति को लाकर के उसका अध्यक्ष बना देंगे। मान्यवर, इस संस्थाओं को क्यों बर्बाद कर रहे हैं, मेरी पसंद, उसकी पसंद, इसकी पसंद। हमें एक स्टैण्ड लेना चाहिए इस बात का कि एक संस्था बनी हुई है इस संस्था को हम इस प्रदेश के हित में कैसे काम करायें, इसलिये मैंने कहा कि आप ले ही आये हैं तो इतनी कृपा कर दीजिये कि एक प्रवर समिति बना दीजिये, उसमें विचार हो जायेगा और विचार होने के बाद में यदि आवश्यक होगा तो आपकी बात से सहमति व्यक्त कर देंगे अन्यथा आपको सलाह दे देंगे कि इसको रहने दीजिये। इसलिये मान्यवर, मैं इसको लाया हूं। जैसा मैंने कहा कि यह निर्विचार की स्थिति में पहुंच गये हैं, यह आप भी जानते हैं कि जब विचार समाप्त हो जाते हैं तब निर्विचार की स्थिति हो जाती है और विचार कब समाप्त होते हैं, बस वही स्थिति है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग (निरसन) विधेयक, 2012 को इस सदन की एक प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग (निरसन) विधेयक, 2012 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग (निरसन) विधेयक, 2012

उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग अधिनियम, 2010 को निरसित करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग (निरसन) अधिनियम, 2012 कहा जायेगा।

(2) यह 11 सितम्बर, 2012 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-10 सन् 2010 का निरसन

2-उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग अधिनियम, 2010 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-7 सन् 2012 का निरसन

3-उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग (निरसन) अध्यादेश, 2012 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग (निरसन) विधेयक, 2012 पारित किया जाय ?

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग (निरसन) विधेयक, 2012 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

छत्रपति शाहू जी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश (संशोधन) अध्यादेश, 2012 के अननुमोदन का संकल्प तथा छत्रपति शाहू जी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2012

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन छत्रपति शाहू जी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश (संशोधन) अध्यादेश, 2012 का अननुमोदन करता है।

मान्यवर, इसलिये मैंने यह प्रस्ताव दिया कि यह शाहू जी महाराज एक महापुरुष थे। अपने जीवन में इन्होंने पिछड़ों के लिये, गरीबों के लिये, शोषितों के लिये बहुत काम किया। कौन सी बुराई इसमें आ गई थी कि किंग जार्ज का नाम हटाकर शाहू जी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय किया, खाली जिद थी और कौन सी जिद इनको चढ़ गई कि अगर इन्होंने नाम बदल दिया था तो यह फिर उसका नाम बदले। मेरा कहना यह है कि महापुरुषों के नाम पर यह मजाक नहीं होना चाहिये। चाहे यह पक्ष हो या वह पक्ष हो। मेरा सैद्धान्तिक विरोध इस बात पर है। इन्होंने नाम बदलकर शाहू जी महाराज रखा, इन्होंने हटा दिया, यह फिर आये, फिर शाहू जी महाराज कर दिया। अब आप ही मान जाते, इतना तो मान ही जाते, शाहू जी महाराज कोई विदेशी नहीं है। शाहू जी महाराज ने इस भारत भूमि पर जन्म लिया और जन्म लेने के बाद में उस समय जब किसी की हिम्मत नहीं होती थी, गरीबों के लिये, पिछड़ों के लिये, दलितों के लिये और दबे हुए लोगों के लिये आवाज उठाने की, उस समय उस महापुरुष ने उनकी आवाज उठाई और आवाज उठाने के बाद में इस सरकार ने उनको सम्मान दिया और उनके नाम से एक संस्था बना दी तो हमें भी अच्छा लगता था कि उस महापुरुष के नाम की संस्था में हम जा रहे हैं। आखिर यह क्या चक्र है, किंग जार्ज से उनका कोई पुराना नाता है, उन्हीं के नाम पर क्यों, आपको करना ही था तो डाक्टर लोहिया के नाम पर कर देते, मुझे भी अच्छा लगता और भी बहुत से महापुरुष हुए, उनके नाम पर कर देते तो मुझे अच्छा लगता। आप अभी भी उसी संस्कृति में जीना चाहते हैं जिस संस्कृति के खिलाफ आपने झंडा उठाया। समाजवादी पार्टी उस संस्कृति के खिलाफ झंडा उठाने वाली थी, आपने अंग्रेजी मिटा-मिटाकर हिन्दी लिखी। आपने अंग्रेजों के नाम हटा-हटाकर हिन्दुस्तानियों के नाम लिखे, भारतवासियों के नाम लिखे और डा0 लोहिया ने उस दिशा में बहुत काम किया। लेकिन पता नहीं इनके दिल में किंग जार्ज के प्रति क्या मोहब्बत छाई हुई है कि नहीं हम शाहू जी महाराज का नाम हटाकर के किंग जार्ज का ही नाम रखेंगे। इस संस्कृति से इनका इतना लगाव होगा, अपने आपको समाजवादी कहने वालों का, यह मैं समझ नहीं सकता था। मान्यवर, आज भी समय है कि इस प्रतिष्ठा को बने रहने दें, इस संस्था के नाम को रहने दें। मान्यवर, वह नाम हमें एक आदर्श के रूप में नजर आता है। इसलिये मैं इस प्रस्ताव को लाया हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि यह सदन छत्रपति शाहू जी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश (संशोधन) अध्यादेश, 2012 का अननुमोदन करता है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि छत्रपति शाहू जी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश (संशोधन) अध्यादेश, 2012 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

मा0 हुकुम सिंह जी, आप तो कह ही चुके हैं क्या दोहरायेंगे।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं बार-बार कहूंगा। जब यह गलत बात को बार-बार कह सकते हैं तो मैं अच्छी बात को बार-बार कहूंगा।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि छत्रपति शाहू जी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2012 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

मान्यवर, जब हम इतिहास को पढ़ते हैं या हमारी पीढ़ी पढ़ती है तो कई ऐसे नाम हैं जैसे शिवाजी महाराज का ऐसा नाम है, महाराणा प्रताप का ऐसा नाम है, छत्रपति शाहू जी महाराज का ऐसा नाम है जिनका नाम आते ही पढ़ने वाले के मन में एक आत्मविश्वास झलकता है, उनके मन में यह आता है कि हमारे देश में हमारे समाज में ऐसे महापुरुषों ने जन्म लिया। मेरे ख्याल में अगर कुछ शिवाजी के नाम से भी बना होगा तो यह उसे भी बदल देंगे, महाराणा प्रताप के नाम से कुछ बना होगा तो उसे भी बदल देंगे और सबके नाम किंग जार्ज न जाने क्या-क्या ले आयेंगे वहां से। मान्यवर, आश्चर्य है मुझे इस पार्टी इस दल की सोच पर जो पार्टी महापुरुष डा0 लोहिया के नाम पर खड़ी है उसका नाम लेकर चलती है वह पार्टी भी विदेशों के नाम लेकर खुश होगी और हमारे देश के महापुरुषों का नाम संस्थाओं से हटायेगी। इस पर मुझे खेद है, मैं चाहता हूं कि इस पर एक बार फिर से विचार कर लें।

*श्री दीपक पटेल-

मान्यवर, बहुत-बहुत आभार। कल यह बिल सदन के अन्दर प्रस्तुत हुआ और बड़ी हैरत हुई इसे देखकर और यह एहसास भी हुआ कि आज हम उत्तर प्रदेश के अन्दर हैं जो अखण्ड भारत का हिस्सा है और आज भी ब्रितानी शासक का भूत इस सरकार के ऊपर इस कदर हावी है कि आज भी यह सरकार उनके नामों को भुला नहीं पा रही है। मान्यवर, इन्होंने इस पूरे बिल में जो 22 लाइन का है इसमें इन्होंने उन परिस्थितियों का जिक्र किया है कि आखिर क्यों नाम परिवर्तन की कार्यवाही इनके द्वारा की गई है। मान्यवर, मैं बताना चाहूंगा शायद यह लोग इतिहास से वाकिफ नहीं हैं कि छत्रपति शाहूजी महाराज का इतिहास क्या रहा है।

समाजवादी पार्टी की ओर से-

शाहूजी का पूरा नाम बताओ।

श्री दीपक पटेल-

आपको क्यों बतायें, आपको तो बिल्कुल नहीं बतायेंगे।

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य, कृपया टीका टिप्पणी न करें।

श्री दीपक पटेल-

मान्यवर, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि एक तरफ शाहू जी महाराज हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन दलितों, मजलूमों के लिये और ऐसे समाज के लिये संघर्ष करने में लगा दिया जो समाज इंसान होकर जानवर से बदतर जीवन जीने के लिये मजबूर था। उसको मान-सम्मान दिलाने के लिये, उसको इंसानियत की जिन्दगी जीने देने के लिये आवाज उठाई। मान्यवर, दूसरी तरफ किंग जार्ज हैं जिनसे हमारे साथियों को बहुत प्रेम है, इसमें इन्होंने तर्क दिया है कि किंग जार्ज की ख्याति पूरी दुनिया में है और छत्रपति शाहूजी महाराज की ख्याति हिन्दुस्तान के अन्दर कम है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कहना चाहूंगा कि किंग जार्ज दुनिया में वहीं जाने जाते हैं जहां पर ब्रितानी शासन रहा है। उस नाम को जो ब्रितानी शासन का संकेत है, जो हमारे अन्दर गुलामी का जज्बा पैदा कर रहा था वह नाम है किंग जार्ज। जब हम उस गली से निकलते हैं, इस नाम को देखते हैं तो यह एहसास होता है कि हमारे पूर्वज कभी गुलाम थे। मैं बधाई दूंगा अपनी नेता बहन मायावती जी को जिन्होंने पहले चिकित्सा विश्वविद्यालय का नाम हमारे महापुरुष छत्रपति शाहू जी महाराज के नाम पर रखने का काम किया। साथियों यह वही लोग हैं जो अपने आप को लोहिया का अनुयायी कहते हैं। लोहिया का शायद यह संदेश रहा हो कि हिन्दुस्तान के महापुरुष के नाम को परिवर्तित करके अंग्रेजों के नाम पर संस्था का नाम कर दीजिये। बड़ा आश्चर्य होता है आपकी सोच को ले करके। मैं तो कहता हूं कि अगर इनको कुर्मी महाराज के नाम पर आपत्ति है तो बहुत सारे हिस्ट्रीशीटर हैं इनकी पार्टी में, किसी के नाम पर इस यूनिवर्सिटी का नाम कर दें। लेकिन गुलामी के प्रतीक जिसको हम भुलाना चाहते हैं, जिसको पूरा देश भुलाना चाहता है ये लोग उस नाम को महिमामंडित कर रहे हैं, उस नाम की पूजा कर रहे हैं। मैं पुरजोर तरीके से इस संशोधन विधेयक का विरोध करता हूं।

(माननीय नेता विरोधी दल श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

माननीय मौर्या जी, आपकी पार्टी की तरफ से सारे बातें आ गई हैं, अब आप आसन ग्रहण करिये।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

आपकी अनुमति हो तो एक मिनट बोल लूं।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मौर्या जी, सारी बातें आ चुकी हैं।

(सत्ता पक्ष के कुछ सदस्य अपने आसन पर खड़े होकर जोर-जोर से यह कहने लगे कि पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखिये।)

श्री संग्राम सिंह यादव-

पहले आप पता कर लो, विधान परिषद् में बहिन जी ने किसको भेजा था ? पहले अपने गिरेबान में झांक लो, फिर दूसरे पर आरोप लगाया कीजिये। मान्यवर, सबसे ज्यादा अपराधियों को संरक्षण देने का काम किसी ने किया है तो इनकी पार्टी ने ही किया है। विधान परिषद् जो उच्च सदन है, उसकी सूरत आज क्या है ? रिकार्ड उठाकर आप देख लीजिये। हम उसकी निन्दा करते हैं।

श्री अध्यक्ष-

कृपया बैठिये। अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहां हूं।

प्रश्न यह है कि छत्रपति शाहू जी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2012 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि छत्रपति शाहू जी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2012 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक

छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2012

छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2002 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम छत्रपति शाहू जी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2012 कहा जायेगा।

(2) यह 8 अगस्त, 2012 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2002 का निरसन

2-छत्रपति शाहू जी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2002 में शब्द " छत्रपति शाहू जी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश जहां-जहां आये हों, जिसके अन्तर्गत शीर्षक और दीर्घ शीर्षक भी हैं, के स्थान पर शब्द" किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश" रख दिये जायेंगे।

निरसन और अपवाद

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-4 सन् 2012

3-(1) छत्रपति शाहू जी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2012 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबंधों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि छत्रपति शाहू जी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2012 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि छत्रपति शाहू जी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2012 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2012

(श्री अध्यक्ष द्वारा मद संख्या-13 पुकारे जाने तथा मा0 हुकुम सिंह जी द्वारा संकल्प प्रस्तुत न किये जाने पर)

श्री अध्यक्ष-

मा0 हुकुम सिंह जी संकल्प प्रस्तुत करें।

चूंकि माननीय सदस्य अपना संकल्प प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं, इसलिये अब मैं मद संख्या-14 ले रहा हूं।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2012 पर विचार किया जाय।

(किसी मा0 सदस्य द्वारा संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत न किये जाने पर)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2012 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-4 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2012

उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 और उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

अध्याय-1

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 2012 कहा जायेगा।

(2) यह 15 सितम्बर, 2006 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

अध्याय-2

उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-2 सन् 1916 की धारा-9 क का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा-9-क में, उपधारा (5) में, खण्ड (1) में उपखण्ड (च) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिये जायेंगे और उन्हें 15 सितम्बर, 2006 को बढ़ाया हुआ समझा जायेगा, अर्थात् :-

''स्पष्टीकरण-एक :-एतद्द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि इस खण्ड के उपखण्ड (च) में और अधिनियम में अन्यत्र आने वाले शब्द 'पूर्ववर्ती निर्वाचन' और 'पश्चात्वर्ती निर्वाचन' में उत्तर प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2006 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-3 सन् 2006) और उक्त अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार हुए निर्वाचन सम्मिलित नहीं होंगे और वे कभी भी सम्मिलित नहीं किये गये समझे जायेंगे।''

''स्पष्टीकरण-दो :-उत्तर प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2006 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-3 सन् 2006) के निरसन और उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-25 सन् 2006) द्वारा उसके प्रतिस्थापन या किसी न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकरण के निर्णय, आदेश या डिक्री के होते हुए भी, एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त अध्यादेश और उक्त अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार हुए निर्वाचन इस धारा के अधीन यथा अनुध्याय 'पूर्ववर्ती निर्वाचन' नहीं समझे जायेंगे और इस धारा के अधीन होने वाली आगामी निर्वाचन तद्नुसार 'पश्चात्वर्ती निर्वाचन' नहीं समझे जायेंगे।''

अध्याय-3

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-2 सन् 1959 की धारा-7 का संशोधन

3-उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा-7 में, उपधारा (5) में, खण्ड (1) में उपखण्ड (च) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिये जायेंगे और उन्हें 15 सितम्बर, 2006 को बढ़ाया हुआ समझा जायेगा, अर्थात् :-

''स्पष्टीकरण-एक :-एतद्द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि इस खण्ड के उपखण्ड (च) में और इस अधिनियम में अन्यत्र आने वाले शब्द 'पूर्ववर्ती निर्वाचन' और 'पश्चात्वर्ती निर्वाचन' में उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2006 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-4 सन् 2006) और उक्त अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार हुए निर्वाचन सम्मिलित नहीं होंगे और वे कभी भी सम्मिलित नहीं किये गये समझे जायेंगे।''

''स्पष्टीकरण-दो :-उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2006 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-4 सन् 2006) के निरसन और उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-25 सन् 2006) द्वारा उसके प्रतिस्थापन या किसी न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकरण के निर्णय, आदेश या डिक्री के होते हुए भी, एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त अध्यादेश और उक्त अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार हुए निर्वाचन इस धारा के अधीन यथा अनुध्यात 'पूर्ववर्ती निर्वाचन' नहीं समझे जायेंगे और इस धारा के अधीन होने वाली आगामी निर्वाचन तद्नुसार 'पश्चात्वर्ती निर्वाचन' नहीं समझे जायेंगे।''

निरसन और अपवाद

4-(1) उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2012 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-5 सन् 2012

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 और उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित उक्त अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपलब्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-4 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2012 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2012 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश सोलहवीं विधान सभा के प्रथम सत्र, 2012 में नियम-301 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश सोलहवीं विधान सभा के प्रथम सत्र, 2012 (दिनांक 28 मई, 2012 से 03 जुलाई, 2012 तक) में उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-301 के अधीन प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश संख्या-14(3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2012

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

माननीय अध्यक्ष की अनुज्ञा से यह सूचित किया जाता है कि ''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 197 के खण्ड (1) के उपखण्ड (ख) के साथ पठित उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-150 के उप नियम (1) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश लोक सेवा

(अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2012, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा के दिनांक 12 जून, 2012 के उपवेशन में पारित हुआ था, और जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के विचारार्थ दिनांक 12 जून, 2012 को पारेषित किया गया था तथा जो उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की दिनांक 13 जून, 2012 की बैठक में सदन की मेज पर रखा गया था, के तीन मास से अधिक समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी उक्त विधेयक अभी तक विधान सभा सचिवालय में वापस प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-18 में कुछ नहीं है।

उत्तर प्रदेश सोलहवीं विधान सभा की नियम समिति (2012-2013) का प्रथम प्रतिवेदन†

डा0 अजय कुमार-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश सोलहवीं विधान सभा की नियम समिति (2012-2013) का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश सोलहवीं विधान सभा की प्राक्कलन समिति (2012-2013) का प्रथम प्रतिवेदन†

सभापति, प्राक्कलन समिति-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश सोलहवीं विधान सभा की प्राक्कलन समिति (2012-2013) का प्रथम प्रतिवेदन, जो पशुधन विभाग के प्राक्कलनों वर्ष 2004-2005, 2005-2006 तथा 2006-2007 के परीक्षण के सम्बन्ध में है, प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश सोलहवीं विधान सभा की प्राक्कलन समिति (2012-2013) का द्वितीय प्रतिवेदन†

सभापति, प्राक्कलन समिति-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश सोलहवीं विधान सभा की प्राक्कलन समिति (2012-2013) का द्वितीय प्रतिवेदन जो सहकारिता विभाग के प्राक्कलनों वर्ष 2004-2005, 2005-2006 तथा 2006-2007 के परीक्षण के सम्बन्ध में है, प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

विशेषाधिकार के प्रश्न के प्रश्न तो बहुत हैं लेकिन वह विचाराधीन हैं।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 26 नवम्बर, 2012 की बैठक में विधान सभा के दिनांक 27 नवम्बर, 2012 से दिनांक 30 नवम्बर, 2012 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिशें की हैं :-

1-दिनांक 27 नवम्बर, 2012 को प्रश्नकाल के बाद वित्तीय वर्ष 2012-2013 के अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा, विचार एवं मतदान तथा तत्संबंधी विनियोग विधेयक का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण सम्बन्धी मदें, तत्पश्चात् शून्य

† छापी नहीं गई।

प्रहर की सूचनायें अर्थात् नियम-300, 301 एवं अन्य सूचनायें अन्तर्गत नियम-51, 56 व 311 तथा विधायी कार्य लिया जाय।

2-दिनांक 29 नवम्बर, 2012 को भूतपूर्व सदस्य, विधान सभा तथा उसके बाद विशिष्ट महानुभाव के निधन के निर्देश लिये जायं।

3-दिनांक 30 नवम्बर, 2012 असरकारी दिवस (आधा दिन) (पूर्व निर्धारित दिनांक 29 नवम्बर, 2012 के स्थान पर) तथा नियम 103 के पूर्व लम्बित/नये प्रस्ताव लिये जायं।

4-दिनांक 27 नवम्बर, 2012 से 30 नवम्बर, 2012 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नवत् रखा जाय :-

नवम्बर, 2012

27 मंगलवार 1-**12.20 बजे अपराह्न**

वित्तीय वर्ष 2012-2013 के अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा, विचार एवं मतदान तथा तत्संबंधी विनियोग विधेयक का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण।

2-निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उसका पारण :-

(क) उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग (निरसन) विधेयक, 2012

(ख) छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश, (संशोधन) विधेयक, 2012

(ग) उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2012

28 बुधवार गुरुनानक जयन्ती/कार्तिक पूर्णिमा का अवकाश--बैठक नहीं होगी।

29 गुरुवार 1-निधन के निर्देश अर्थात् निधन की सूचनायें,

2-विधायी कार्य।

30 शुक्रवार 1-असरकारी दिवस (आधा दिन) (दिनांक 29 नवम्बर, 2012 के स्थान पर)

2-(1) डा0 धर्मपाल सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं मा0 अध्यक्ष विधान सभा द्वारा ग्राह्य निम्नलिखित लम्बित प्रस्तावों पर अग्रतर चर्चा :-

(क) ''यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि जनपद आगरा महानगर में यातायात की सुगमता हेतु मेट्रो ट्रेन चलाये जाने के लिये प्रभावी कार्रवाई की जाय।''

(ख) ''यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि जनपद आगरा महानगर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान खोले जाने हेतु प्रभावी कार्रवाई की जाय।''

(ग) ''यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि जनपद आगरा महानगर के ऐतिहासिक महत्ता के दृष्टिगत आगरा में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाये जाने के लिए प्रभावी कार्रवाई की जाय।''

(2) डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं मा0 अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा ग्राह्य निम्नलिखित लम्बित प्रस्ताव पर अग्रतर चर्चा :-

''यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि काकोरी काण्ड के शहीदों की अविस्मरणीय स्मृति में लखनऊ स्थित प्रधान डाकघर के वर्तमान भवन को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाय।''

(3) श्री सतीश महाना, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं मा0 अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा ग्राह्य निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण एवं उस पर चर्चा :-

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि शहरी क्षेत्र में रहने वाले अल्प आय वर्ग के नागरिकों को शुद्ध पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित कराने हेतु 500 हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन किया जाय।''

3-विधायी कार्य।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश से जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गई है, से सहमत है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्तुत किया है, से यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-24 में कुछ नहीं है।

उत्तर प्रदेश जल प्रबन्धन और नियामक आयोग (निरसन) विधेयक, 2012

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश जल प्रबन्धन और नियामक आयोग (निरसन) विधेयक, 2012 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जल प्रबन्धन और नियामक आयोग (निरसन) विधेयक, 2012 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश जल प्रबन्धन और नियामक आयोग (निरसन) विधेयक, 2012 को पुरःस्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2012†

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2012 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2012 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2012 को पुरःस्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2012†

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2012 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2012 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2012 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

कार्य-स्थगन पहले लिया जा चुका है।

नियम-51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 27 नवम्बर, 2012 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 56 सूचनायें प्राप्त हुईं।

पहली सूचना श्री श्यामदेव राय चौधरी 'दादा' की जो वाराणसी जिला कारागार तथा केन्द्रीय कारागार में आपातकाल में डी0आई0आर0 तथा मीसा बन्दियों का रिकार्ड न रहने से लोकतंत्र सेनानियों

† दिनांक 17-12-12 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

के समक्ष उत्पन्न गम्भीर स्थिति के सम्बन्ध में है। दूसरी सूचना श्रीमती सीमा द्विवेदी की जो प्रदेश के जनपदों के विकास हेतु बुन्देलखण्ड विकास निधि, पूर्वांचल विकास निधि को तत्काल अवमुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में है। तीसरी सूचना श्री रामचन्द्र यादव की जो जनपद फैजाबाद के विधान सभा रुदौली में जर्जर विद्युत व्यवस्था, आपूर्ति एवं ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में है। चौथी सूचना श्री आरिफ अनवर हाशमी की जो जनपद बलरामपुर के उतरौला क्षेत्रान्तर्गत गैडास बुजुर्ग एवं रेहरा बाजार में सरकारी एजेन्सियों द्वारा धान का क्रय न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। पांचवी सूचना श्रीमती रूबी प्रसाद की जो जनपद सोनभद्र के कतिपय गांवों में पानी में मरकरी की मात्रा पाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। छठीं सूचना श्री भीम प्रसाद सोनकर की जो जनपद-अम्बेडकर नगर के आलापुर क्षेत्रान्तर्गत नहरों, ड्रेनों व नालों की सफाई कराकर टेल तक पानी पहुंचाये जाने के सम्बन्ध में है। सातवीं सूचना श्री राजनरायण बुधौलिया उर्फ रज्जू भैय्या की जो जनपद-महोबा के चन्देल कालीन इतिहास को जिन्दा रखने हेतु महोबा को पर्यटन उद्योग से जोड़ने के सम्बन्ध में है। आठवीं सूचना श्री प्रमोद तिवारी की जो जनपद-प्रतापगढ़ के रामपुर खास क्षेत्रान्तर्गत तहसील-लालगंज में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में है। नवीं सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना की जो जनपद-शाहजहांपुर के पुराने अस्पताल, शाहजहांपुर में आपातकालीन सेवा प्रारम्भ कराये जाने एवं निगोही रोड पर एक पी0एच0सी0 का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है। दसवीं सूचना श्री धर्मपाल सिंह की जो जनपद-बरेली के आंवला क्षेत्रान्तर्गत ग्राम शिवपुरी के निकट पक्का पुल बनवाये जाने के सम्बन्ध में है। ग्यारवीं सूचना श्री उमाशंकर सिंह की जो जनपद-बलिया के रसड़ा क्षेत्रान्तर्गत स्थित राजकीय बालिका विद्यालय का भवन बनवाये जाने के सम्बन्ध में है। बारहवीं सूचना श्री संजय कपूर की जो रामपुर की तहसील बिलासपुर के ग्राम खड़िया के पास भाखड़ा नदी पर पुल बनवाये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई।

पहली सूचना श्री बंशी सिंह पहाड़िया की मुख्य अग्निशमन अधिकारी, गौतमबुद्धनगर द्वारा अवैध रूप से धन उगाही तथा सरकारी नीतियों के विरुद्ध आचरण किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। दूसरी सूचना श्री मनीष असीजा की फिरोजाबाद नगर में कार्य करने वाले मजदूरों का राशन कार्ड बनवाये जाने के सम्बन्ध में है। तीसरी सूचना श्री मदन चौहान की जो जनपद हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में गंगा से अवैध रेत खनन से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। चौथी सूचना डा0 धर्मपाल सिंह की जो जनपद आगरा की नहरों की सफाई एवं खुदाई न होने के कारण किसानों को सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध न होने के सम्बन्ध में है। पांचवीं सूचना श्री अलगू प्रसाद चौहान की जो जनपद संतकबीरनगर स्थित सरयू नदी के बिड़हल घाट पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है। छठीं सूचना श्री जय प्रकाश अंचल की जो उ0 प्र0 के हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट के छात्र एवं छात्राओं के पंजीकरण फार्म न जमा कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। सातवीं सूचना श्री दीपक पटेल की जो जनपद इलाहाबाद की तहसील करछना के अन्तर्गत ग्राम कैथी में दलित परिवार पर हुए हमले में दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। आठवीं सूचना श्री राजबली जैसल की जो जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र कोरांव के कतिपय ग्रामों का विद्युतीकरण कराये जाने हेतु स्वीकृत धनराशि के उपरान्त भी विद्युतीकरण न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है तथा नवीं सूचना डा0 रमेश चन्द्र की जो जनपद-मीरजापुर के कतिपय क्षेत्रों में शुद्ध पानी उपलब्ध कराये जाने हेतु इण्डिया मार्का-II हैण्डपम्प लगवाये जाने के सम्बन्ध में है। ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत की जाती हैं।

निम्नलिखित सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की जाती हैं :-

1-श्री सुरेश बंसल,

2-श्री सुल्तान बेग,

3-श्री विजय कुमार,

4-श्री जगतम्बा सिंह,

5-श्री सुनील कुमार सिंह यादव,

6-श्री विजय कुमार दुबे,

7-श्री अनूप कुमार गुप्ता,

8-श्री बब्बन चौहान,

9-श्री राजेन्द्र,

10-श्री अगयश राम सरन वर्मा,

11-श्री बृजेश कुमार,

12-श्री अमित गौरव यादव, श्री रणजीत सुमन,

13-डा0 लक्ष्मीकांत बाजपेयी,

14-श्री अजय मिश्र 'टेनी',

15-श्री ललितेशपति त्रिपाठी,

16-श्री राघव लखन पाल शर्मा,

17-श्री अमरपाल शर्मा,

18-श्री रोशनलाल वर्मा,

19-श्री भगवती प्रसाद,

20-श्री पूरन प्रकाश,

21-ठा0 दलवीर सिंह,

22-श्री जगन प्रसाद गर्ग,

23-श्री प्रदीप माथुर,

24-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल,

25-श्री मुकुट बिहारी वर्मा,

26-श्री प्रदीप चौधरी,

27-श्री राधेश्याम सिंह,

28-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप,

29-श्री अवस्थी बाला प्रसाद,

30-श्री राजेश त्रिपाठी,

31-श्री संजय प्रताप जायसवाल,

32-श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी,

33-श्री विजय बहादुर यादव,

34-साध्वी निरंजन ज्योति तथा

35-श्री रवीन्द्र जायसवाल।

श्री अध्यक्ष-

नियम-51 में 10 सूचनायें लेनी थीं उसको बढ़ाकर 21 सूचनायें कर दी गई हैं।

(तीन मा0 सदस्य मान्यवर, हमने भी सूचना दी थी)

स्वीकृत सूचनायें पढ़ दी गई हैं।

अब हम उठते हैं 29-11-2012 को पूर्वाह्न 11.00 बजे पुनः बैठेंगे।

(इसके बाद सदन का अपवेशन 06 बजकर 17 मिनट पर गुरुवार, दिनांक 29 नवम्बर, 2012 के दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :

दिनांक 27 नवम्बर, 2012

प्रदीप कुमार दुबे,

प्रमुख सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या-27 का उत्तर पीछे पृष्ठ-41-42 पर)

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2012 के प्रथम मंगलवार के लिये निर्धारित श्री जाकिर अली, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-27 का संलग्नक।

डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 2010-11 में चयनित ग्रामों में कराये गये कार्यों का विवरण। निम्नवत् है :-

1-मार्गों का निर्माण

(1) सम्पर्क मार्ग-वर्ष 2010-11 में चयनित डा0 अम्बेडकर ग्राम शरफुद्दीनपुर जावली में चयन के पूर्व वर्ष में निर्मित क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग का 1.90 कि0मी0 का नवीनीकरण/मरम्मत धनराशि रु0 13.75 लाख का वित्तीय व्यय कार्य कराकर संतृप्त किया गया था।

वर्ष 2010-11 में चयनित डा0 अम्बेडकर ग्राम असालत फरुखनगर में चयन के समय मानक के अनुसार संतृप्त होने के फलस्वरूप कोई कार्य नहीं कराया गया।

(2) सी0सी0 रोड तथा के0सी0 ड्रेन-ग्राम शरफुद्दीनपुर जावली में चयन के वर्ष में धनराशि रु0 703.95 लाख का वित्तीय व्यय किया गया, जिसके सापेक्ष सी0सी0 रोड 16.050 कि0मी0 तथा के0सी0 ड्रेन 32.100 कि0मी0 का निर्माण कार्य कराते हुए ग्राम संतृप्त किया गया था।

वर्ष 2010-11 में चयनित डा0 अम्बेडकर ग्राम असालत फरुखनगर में चयन के वर्ष में धनराशि रु0 394.44 लाख की धनराशि से सी0सी0 रोड 11.870 कि0मी0 तथा के0सी0 ड्रेन 23.600 कि0मी0 का निर्माण कर ग्राम संतृप्त किया गया।

(3) मजरों को जोड़ना-वर्ष 2010-11 में चयनित ग्राम शरफुद्दीनपुर जावली तथा असावत फरुखनगर का कोई मजरा न होने के कारण मजरों को जोड़ने का कार्य अपेक्षित नहीं है।

2-ग्रामीण विद्युतीकरण-वर्ष 2010-11 में चयनित ग्राम शरफुद्दीनपुर जावली में रु0 57.39 लाख तथा ग्राम असालत फरुखनगर में रु0 42.08 लाख की धनराशि के सापेक्ष विद्युतीकरण का कार्य कराया गया।

3-स्वच्छ पेयजल-ग्राम शरफुद्दीनपुर जावली तथा असालत फरुखनगर में चयन के पूर्व वर्षों में स्वच्छ पेयजल योजना से ग्राम के संतृप्त होने के कारण वर्ष 2010-11 में कोई कार्य नहीं कराया गया।

4-स्वच्छ शौचालय-ग्राम असालत फरुखनगर में 73 स्वच्छ शौचालयों का निर्माण रु0 331420.00 की धनराशि व्यय करते हुए ग्राम को मानकों के अनुसार संतृप्त किया गया।

ग्राम शरफुद्दीनपुर जावली में 25 स्वच्छ शौचालय का निर्माण रु0 113500.00 की धनराशि व्यय करते हुए किया गया। निर्मित कराये गये शौचालयों का प्रयोग लाभार्थियों द्वारा किया जा रहा है। ग्राम को मानकों के अनुसार संतृप्त किया गया।

5-ग्रामीण आवास एवं कृषि योग्य भूमि का आवंटन-

(1) आवासहीन को आवास आवंटन-आवासहीन को इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत ग्राम शरफुद्दीनपुर जावली तथा असालत फरुखनगर में कोई भी पात्र लाभार्थी उपलब्ध नहीं होने के कारण चयन के वर्ष में कोई भी आवंटन का कार्य नहीं कराया गया।

ग्राम असालत फरुखनगर में 03 लाभार्थियों को महामाया आवास की सुविधा प्रदान करते हुए रु0 1.35 लाख की धनराशि व्यय की गई। महामाया सर्वजन आवास में लक्ष्य व पूर्ति शून्य रही। महामाया आवास लाभार्थियों द्वारा स्वयं बनाये गये। ग्राम को मानकों के अनुसार संतृप्त किया गया।

(2) आवासहीन को आवासीय पट्टा आवंटन-ग्राम असालत फरुखनगर तथा शरफुद्दीनपुर जावली में चयनित वर्ष में कोई भी आवासीय पट्टा आवंटित नहीं किया गया। चयन वर्ष से पूर्व के वर्षों में ग्राम शरफुद्दीनपुर जावली में 12 व्यक्तियों को 1600 वर्ग गज तथा ग्राम असालत फरुखनगर में 34 व्यक्तियों को 0.377 हे0 आवासीय भूमि के पट्टों का आवंटन करते हुए ग्राम को मानकों के अनुसार संतृप्त किया गया।

(3) भूमिहीन को कृषि योग्य भूमि पट्टा आवंटन-चयन वर्ष में ग्राम असालत फरुखनगर तथा शरफुद्दीनपुर जावली में कृषि भूमि का कोई भी पट्टा आवंटित नहीं किया गया। चयन वर्ष के पूर्व वर्षों में ग्राम असालत फरुखनगर में 67 व्यक्तियों को 19.650 हे0 तथा ग्राम शरफुद्दीनपुर जावली में 05 व्यक्तियों को 1.170 हे0 कृषि भूमि का आवंटन किया गया है। ग्राम को मानकों के अनुसार संतृप्त किया गया।

****

नत्थी 'ख'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या-49 का उत्तर पीछे पृष्ठ-49 पर)

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2012 के 1ले मंगलवार के लिये निर्धारित श्री सुनील कुमार सिंह यादव, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-49 का संलग्नक।

(लाख रु0 में)

क्र0सं0	कार्यों का विवरण	स्वीकृत धनराशि/व्यय
1	मधुपुर मझुई सम्पर्क मार्ग का अवशेष भाग (लेपन स्तर)	13.68
2	तियरा मानपुर सम्पर्क मार्ग से स्टेडियम तक सम्पर्क मार्ग एवं 3 पुलिया निर्माण	13.20
3	रौप से सहिजन कला मार्ग पर दो नग 600 एम.एम. ह्यूम पाइप द्वारा पुलिया निर्माण	1.08
4	बसौली में जवाहर नवोदय विद्यालय तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण (लेपन स्तर)	14.60
5	हिनौती महुआंव मार्ग से रतबल सम्पर्क मार्ग का अवशेष भाग का निर्माण	7.82
6	जिलाधिकारी आवास में पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था	6.96
7	जिला चिकित्सालय के सामने हाईमास्ट लाइटिंग की व्यवस्था	3.18
8	विकास भवन चहारदीवारी से नये कलेक्ट्रेट आवासीय परिसर तक रोड लेपन कार्य	14.45
9	जिलाधिकारी आवासीय परिसर में विद्युत की व्यवस्था	4.18554
10	अपर जिलाधिकारी आवासीय परिसर में बाउण्ड्रीवाल तथा ए.डी. एम. आवास में कोर्टफोर्ट का निर्माण	7.69
11	कलेक्ट्रेट सभाकक्ष का रिनोवेशन एवं मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर सिस्टम का कार्य	5.63
12	जिलाधिकारी आवास के सामने सड़क के किनारे इण्टरलाकिंग निर्माण की व्यवस्था	1.54
13	नगरपालिका परिषद् राबर्ट्सगंज सोनभद्र में 4000 ली0 पानी के दो टैंक कम्पलीट दो चक्के के साथ रंगाई एवं लिखाई सहित	2.24
14	कलेक्ट्रेट आवासीय परिसर में हाईमास्ट की व्यवस्था-एक नग	3.23
15	पुलिस लाइन के सामने हाईमास्ट की व्यवस्था	3.23
16	ग्राम बुड़हरखुर्द में बरकरा से कलवारी मार्ग में आर.सी.सी. पुलिया का निर्माण	8.13
17	इमीरती कालोनी में हरिश्चन्द्र मिश्रा के मकान से गली नं0-2 तक नाली निर्माण	2.62

क्र0सं0	कार्यों का विवरण	स्वीकृत धनराशि/व्यय
18	जमगांव के सामने नहर पर अरविन्द के घर के पास पुलिया निर्माण	6.00
19	अदलगंज से कुरहुल मार्ग पर अपूर्ण रपटा व आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण	5.60
20	ग्राम सभा नघिरा में सावाकुण्ड मार्ग पर रपटा (पुलिया निर्माण)	11.60

अखिलेश यादव,
मुख्य मंत्री।

नत्थी 'ग'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या-95 का उत्तर पीछे पृष्ठ-68 पर)

वर्ष 2011-12 में स्वीकृत प्राथमिक विद्यालय निर्माण की प्रगति

क्र0 सं0	विकास खण्ड	न्याय पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	चयनित परिषदीय प्राथमिक विद्यालय का नाम	निर्माण की स्थिति	
					निर्माणा-धीन	पूर्ण
1	राबर्ट्सगंज	बट-बन्तरा	महुअरिया	महुअरिया		V
2	राबर्ट्सगंज	गुरुपरासी	पंवर	कलवारी	V	
3	राबर्ट्सगंज	गयारतवल	बुड़हरकला	बुड़हरकला	V	
4	राबर्ट्सगंज	सलखन	सलखन	शिवल्लाटोला	V	
5	राबर्ट्सगंज	बट-बन्तरा	लोहरा	नौडिहवा	V	
6	राबर्ट्सगंज	बट-बन्तरा	आमडीह	कम्हरिया	V	
7	राबर्ट्सगंज	तरावां	बड़गांव	बहेरा	V	
8	राबर्ट्सगंज	बहुआर	बहुआर	कचरिया टोला		V
9	राबर्ट्सगंज	गुरुपरासी	बभनौली	बभनौली	V	
10	राबर्ट्सगंज	पसहीकला	बहुअरा	बहेरागंज		V
11	राबर्ट्सगंज	बट-बन्तरा	सुकृत	सुअरीनार		V
12	राबर्ट्सगंज	बट-बन्तरा	सुकृत	कठिनाई		V
13	राबर्ट्सगंज	बढ़ौली	ओरमौरा	बिचपई	V	
14	राबर्ट्सगंज	बहुआर	बहुआर	बढ़ौना	V	
15	राबर्ट्सगंज	पसहीकला	पसहीकला	चन्दुली	V	
16	राबर्ट्सगंज	बट-बन्तरा	बघोरी	बद्योरी		V
17	राबर्ट्सगंज	चुर्क	चुर्क	कोल्हुआ	V	
18	राबर्ट्सगंज	दुरावलकला	डेहरीकला	कुसाइ		V
19	राबर्ट्सगंज	तरावां	बड़गांव	खडेहरी	V	
20	राबर्ट्सगंज	पसहीकला	ओरगाई प	नौगांवखुर्द	V	
21	राबर्ट्सगंज	पसहीकला	बरवन	जमुआंव	V	
22	राबर्ट्सगंज	सलखन	सलखन	रुदौली (मुख्य बस्ती)	V	
23	राबर्ट्सगंज	चुर्क	सिद्धकला	सिद्धिखुर्द		V
24	राबर्ट्सगंज	बट-बन्तरा	मद्धुपुर	पथरहवा		V
25	राबर्ट्सगंज	सलखन	बेलछ	गठहखुरा	V	
26	राबर्ट्सगंज	बढ़ौली	लोढ़ी	हरिजन बस्ती लोढ़ी	V	
27	राबर्ट्सगंज	बढ़ौली	पेटराही	गोरारी	V	
28	राबर्ट्सगंज	तरावां	बड़गांव	बहेरी	V	

क्र0 सं0	विकास खण्ड	न्याय पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	चयनित परिषदीय प्राथमिक विद्यालय का नाम	निर्माण की स्थिति	
					निर्माणा-धीन	पूर्ण
29	राबर्ट्सगंज	बहुआर	बसौली	भूराइन टोला	V	
30	राबर्ट्सगंज	चुर्क	सिद्धकला	लखनवारकला	V	
31	राबर्ट्सगंज	पांपी	बसवानिस्फ	बसवानिस्फ		V
32	राबर्ट्सगंज	सलखन	मारकुण्डी	चकरिया 2		V
33	राबर्ट्सगंज	सलखन	बिलछ	अगरिहवा	V	
34	राबर्ट्सगंज	गयारतवल	कूसी	कूसी बेलाही	V	
35	राबर्ट्सगंज	गयारतवल	पलियाकला	गढ़वा		V
36	राबर्ट्सगंज	दुरावलकला	कतवरिया	नौगांवकला	V	
37	राबर्ट्सगंज	बट-बन्तरा	गौरही	चौहान बस्ती	V	
38	राबर्ट्सगंज	पांपी	डेहरी	करही	V	
39	राबर्ट्सगंज	सलखन	मारकुण्डी	कुसहिया	V	
40	राबर्ट्सगंज	पसहीकला	मंगुराही	खेखड़ा	V	
41	राबर्ट्सगंज	सलखन	पड्का	पथरहा		
42	राबर्ट्सगंज	पांपी	करकी	हरिजन बस्ती		
43	राबर्ट्सगंज	गयारतवल	बुड़हरखुर्द	थीरू	V	
44	राबर्ट्सगंज	पसहीकला	बरवन	धुरिया	V	
45	राबर्ट्सगंज	चुर्क	घोबही	खडेहरी	V	
46	राबर्ट्सगंज	बट-बन्तरा	तकिया	धौठवा	V	
47	राबर्ट्सगंज	सलखन	टेकमा	टेकमा		V
48	राबर्ट्सगंज	पसहीकला	बभनौलीकला	उड़ली	V	
49	राबर्ट्सगंज	गुरुपरासी	परासी पाण्डेय	खैराही		V
50	राबर्ट्सगंज	बढ़ौली	पकरी	तीरनाही	V	
51	राबर्ट्सगंज	पसहीकला	बहुअरा	पथरहियाबस्ती	V	
52	राबर्ट्सगंज	तरावां	सेमर	हरथर	V	
53	राबर्ट्सगंज	सलखन	मारकुण्डी	भुअरियाटोला	V	
54	राबर्ट्सगंज	गयारतवल	कूसी	डोमरिया	V	
55	राबर्ट्सगंज	पांपी	करकी	बसदेवा	V	
56	राबर्ट्सगंज	बढ़ौली	पेटराही	भड़राखुर्द	V	
57	राबर्ट्सगंज	बढ़ौली	रौप	घसियाबस्ती	V	
58	राबर्ट्सगंज	बट-बन्तरा	भवानीपुर	खजहवांबस्ती		V
59	राबर्ट्सगंज	बढ़ौली	कम्हारी	घुरमा (कम्हारी)	V	

क्र0 सं0	विकास खण्ड	न्याय पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	चयनित परिषदीय प्राथमिक विद्यालय का नाम	निर्माण की स्थिति	
					निर्माणा-धीन	पूर्ण
60	चोपन	सिन्दुरिया	पटवध	कोटिया		V
61	चोपन	कचनरवा	कुड़वा	धोबी बस्ती	V	
62	चोपन	सिन्दुरिया	पटवध	बसकटवा		V
63	चोपन	सिन्दुरिया	पटवध	चेरोबस्ती		V
64	चोपन	सिन्दुरिया	पटवध	गुरिहवा	V	
65	चोपन	सिन्दुरिया	पटवध	नरायनडीह		V
66	चोपन	सिन्दुरिया	पटवध	सोनाबस्ती	V	
67	चोपन	सिन्दुरिया	पटवध	वीरनखाड़ी	V	
68	चोपन	कोन	मिश्री	बरीयाती	V	
69	चोपन	कोटा	कोटा	सेक्टर-बी डाला		V
70	चोपन	कोटा	कोटा	सेक्टर-सी डाला		V
71	चोपन	कोटा	कोटा	रेक्सहवा		V
72	चोपन	कोटा	कोटा	सकला		V
73	चोपन	कोटा	कोटा	रानीताली बैरियर		V
74	चोपन	कोटा	कोटा	जुड़वानी		V
75	चोपन	कचनरवा	करइल	केवलिया	V	
76	चोपन	कचनरवा	करइल	धन्गरडिहा		V
77	चोपन	कचनरवा	करइल	परसाजरही		V
78	चोपन	कचनरवा	करइल	सीताकुण्ड	V	
79	चोपन	कचनरवा	करइल	कुजालादह		V
80	चोपन	कचनरवा	करइल	महुरांव		V
81	चोपन	चतरवार	करगरा	केवटा		V
82	चोपन	चतरवार	करगरा	पश्चिम टोला		V
83	चोपन	चतरवार	करगरा	करगरा उ0 टोला		V
84	चोपन	कचनरवा	पिपराखाड़	धोडबचवा	V	
85	चोपन	चतरवार	घोरिया	अहिराह	V	
86	चोपन	परसोई	बैरपुर	नदहरी		V
87	चोपन	परसोई	बैरपुर	टेवनहवा		V
88	चोपन	सिन्दुरिया	चोपन गांव	यादव बस्ती		V
89	चोपन	सिन्दुरिया	चोपन गांव	दक्षिण टोला		V
90	चोपन	सिन्दुरिया	चोपन गांव	बलुआ	V	

क्र0 सं0	विकास खण्ड	न्याय पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	चयनित परिषदीय प्राथमिक विद्यालय का नाम	निर्माण की स्थिति	
					निर्माणा-धीन	पूर्ण
91	चोपन	सिन्दुरिया	चोपन गांव	मलहिया टोला		V
92	चोपन	परसोई	पनारी	चोरपनिया		V
93	चोपन	परसोई	पनारी	मालोघाट		V
94	चोपन	परसोई	पनारी	कर्री		V
95	चोपन	परसोई	पनारी	अमरसोता		V
96	चोपन	परसोई	पनारी	मैराडाढ़		V
97	चोपन	परसोई	पनारी	गुरमुरा		V
98	चोपन	परसोई	पनारी	खाडर		V
99	चोपन	परसोई	पनारी	परासपानी		V
100	चोपन	परसोई	पनारी	चैनाटोला		V
101	चोपन	परसोई	पनारी	करमसार		V
102	चोपन	परसोई	पनारी	पंचमखाड़ी		V
103	चोपन	परसोई	पनारी	धनबहवा		V
104	चोपन	परसोई	पनारी	कुम्हिया		V
105	चोपन	परसोई	पनारी	कैमहापान		V
106	चोपन	परसोई	पनारी	बगबइसा		V
107	चोपन	कोटा	बिल्लीमारकुण्डी	मगरहवां		V
108	चोपन	कोटा	पड़रछ	पुरानीचुंगी		V
109	चोपन	कोटा	पड़रछ	कुड़वा	V	
110	चोपन	कोटा	पड़रछ	सरैया		V
111	चोपन	कोटा	पड़रछ	देवतरा		V
112	चोपन	कोन	मिटिहिनियां	केवरवार		V
113	चोपन	कोन	मिटिहिनियां	धागरटोला		V
114	चोपन	परसोई	परसोई	खटिहवा	V	
115	चोपन	परसोई	परसोई	कुबरौल		V
116	चोपन	परसोई	परसोई	खैरटिया	V	
117	चोपन	परसोई	परसोई	मगरदहा खास		V
118	चोपन	परसोई	परसोई	अणुआ पाथर		V
119	चोपन	परसोई	परसोई	रोहिनवां		V
120	चोपन	परसोई	परसोई	भौराकुण्ड		V
121	चोपन	परसोई	परसोई	खैराही		V

क्र0 सं0	विकास खण्ड	न्याय पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	चयनित परिषदीय प्राथमिक विद्यालय का नाम	निर्माण की स्थिति	
					निर्माणा-धीन	पूर्ण
122	चोपन	परसोई	परसोई	बभनमरी		V
123	चोपन	कचनरवा	पिपराखाड़	परह		V
124	चोपन	कचनरवा	पिपराखाड़	गिजिनिया दामर	V	
125	चोपन	चतरवार	घोरिया	हरिजन बस्ती	V	
126	चोपन	कोन	मिश्री	रगरम		V
127	चोपन	कचनरवा	गिधिया	परसिया टोला	V	
128	चोपन	चतरवार	बड़गवां	चौरिहवा		V
129	चोपन	कचनरवा	बागेसोती	जउआजोत		V
130	चोपन	चतरवार	चतरवार	कुब्बा	V	
131	चोपन	चतरवार	चतरवार	मदाइन		V
132	चोपन	चतरवार	चतरवार	छिलहवा		V
133	चोपन	कोटा	कोटा	धौटाटोला		
134	चोपन	सिन्दुरिया	गोठानी	हरदहवा	V	V
135	चोपन	रामगढ़	खेमपुर	चतरखड़िया		V
136	चोपन	कचनरवा	किशुनपुरवा	भैसबनधवां		V
137	चोपन	सेमिया	कोरट	बैसवार		V
138	चोपन	सेमिया	कोरट	कोलपुरवा	V	
139	चोपन	सेमिया	कोरट	चौरिहवा		V
140	चोपन	जुगैल	खरहरा	अमिलाखास		V
141	चोपन	जुगैल	खरहरा	करईलीडाड़		V
142	चोपन	कोन	खरौंधी	बादरलोहनी	V	
143	चोपन	कोन	खरौंधी	डेमोखाड़ी		V
144	चोपन	कोन	खरौंधी	सिन्होवादामर		V
145	चोपन	चतरवार	गुरदह	कुशहनिया टोला		V
146	चोपन	चतरवार	गुरदह	बुड़ीखाड़	V	
147	चोपन	कोटा	कनछ	गड़ई टोला		V
148	चोपन	कोटा	कनछ	मुड कटा		V
149	चोपन	कोटा	कनछ	झरिया टोला		V
150	चोपन	कोटा	कनछ	छिकड़ा		V
151	चोपन	कोटा	कनछ	तरियाबेल्ट	V	
152	चोपन	कोटा	कनछ	कोडड्ल		V

क्र0 सं0	विकास खण्ड	न्याय पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	चयनित परिषदीय प्राथमिक विद्यालय का नाम	निर्माण की स्थिति	
					निर्माणा-धीन	पूर्ण
153	चोपन	परसोई	कनहरा	गुलरिहवा		V
154	चोपन	परसोई	कनहरा	साजा बहरा	V	
155	चोपन	परसोई	कनहरा	सिघहवा		V
156	चोपन	परसोई	कनहरा	परास		V
157	चोपन	कोटा	हर्रा	दोहर		V
158	चोपन	कोटा	हर्रा	सोन्झर		V
159	चोपन	कोन	रोरवा	नाहटोला	V	
160	चोपन	कोटा	हर्रा	बिलरुआ	V	
161	चोपन	कोटा	हर्रा	रोगही	V	
162	चोपन	रामगढ़	निगाई	फुदना डंडी		V
163	चोपन	रामगढ़	निगाई	निगाई खास		V
164	चोपन	सेमिया	नेवारी	कोल पुरवा	V	
165	चोपन	सेमिया	नेवारी	उत्तर टोला	V	
166	चोपन	जुगैल	जुगैल	पचपेडिया		V
167	चोपन	जुगैल	जुगैल	झरइल		V
168	चोपन	जुगैल	जुगैल	करवनिया		V
169	चोपन	जुगैल	जुगैल	सिघहवाडाड		V
170	चोपन	जुगैल	जुगैल	कुडनिया		V
171	चोपन	जुगैल	जुगैल	थर्री		V
172	चोपन	जुगैल	जुगैल	भडाही		V
173	चोपन	जुगैल	जुगैल	चरका टोला		V
174	चोपन	जुगैल	जुगैल	परिसीधहिया		V
175	चोपन	जुगैल	जुगैल	महुअरिया	V	
176	चोपन	जुगैल	जुगैल	जुगैल खास पुर्वी		V
177	चोपन	जुगैल	जुगैल	करियवा		V
178	चोपन	जुगैल	जुगैल	सलैयापान		V
179	चोपन	जुगैल	जुगैल	बेलहवा	V	
180	चोपन	जुगैल	जुगैल	भैसौरा	V	
181	चोपन	जुगैल	जुगैल	पिपरा प0		V
182	चोपन	जुगैल	जुगैल	पुसरेव		V
183	चोपन	जुगैल	जुगैल	सेमरा		V

क्र0 सं0	विकास खण्ड	न्याय पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	चयनित परिषदीय प्राथमिक विद्यालय का नाम	निर्माण की स्थिति	
					निर्माणा-धीन	पूर्ण
184	चोपन	रामगढ़	नौडिहा	नोडिहा दामर		V
185	चोपन	कोन	मिश्री	सननवादामर	V	
186	चोपन	रामगढ़	नकतवार	भेदिहवा	V	
187	चोपन	रामगढ़	नकतवार	वियरहवा	V	
188	चोपन	रामगढ़	चांचीकला	तनुइया दामर		V
189	चोपन	रामगढ़	चांचीकला	बनखेता		V
190	चोपन	सेमिया	रिजुल	पुरसिधवा	V	
191	चोपन	सेमिया	नेवारी	नेवारी पूर्वी		V
192	चोपन	जुगैल	अगोरी खास	दुबटिया		V
193	चोपन	जुगैल	भरहरी	भरहरी पूर्वी	V	
194	चोपन	जुगैल	भरहरी	मुक्खा	V	
195	चोपन	जुगैल	भरहरी	पेडरहवा		V
196	चोपन	चतरवार	जमुअल	हरिजन बस्ती	V	
197	चोपन	सिन्दुरिया	बर्दिया	गडईयादव बस्ती	V	
198	चोपन	सिन्दुरिया	बर्दिया	पडरीपान		V
199	चोपन	सिन्दुरिया	बर्दिया	दडार	V	
200	चोपन	सिन्दुरिया	बर्दिया	चुनहिया टोला		V
201	चोपन	सिन्दुरिया	बर्दिया	सेमरियाखांड	V	
202	चोपन	सिन्दुरिया	बर्दिया	बखडोर		V
203	चोपन	कचनरवा	गिधिया	डवरौआ खांडी		V
204	चोपन	कचनरवा	गिधिया	गुलरिया दामर	V	
205	चोपन	कचनरवा	गिधिया	घोडियाही		V
206	चोपन	कचनरवा	गिधिया	भटंगवा		V
207	चोपन	सेमिया	रिजुल	बैरिहवाटोला	V	
208	चोपन	सेमिया	रिजुल	पटेहवा	V	
209	चोपन	कचनरवा	कुडवा	चिकनी चट्टान		V
210	चोपन	कचनरवा	कुड़वा	शिवाखांडी		V
211	चोपन	कचनरवा	कचनरवा	भरनाशिली	V	
212	चोपन	कचनरवा	कचनरवा	रोहनिया दामर	V	
213	चोपन	कचनरवा	कचनरवा	चरकपथरी		V
214	चोपन	कचनरवा	कचनरवा	परसवा टोला		V

क्र0 सं0	विकास खण्ड	न्याय पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	चयनित परिषदीय प्राथमिक विद्यालय का नाम	निर्माण की स्थिति	
					निर्माणा-धीन	पूर्ण
215	चोपन	कचनरवा	कचनरवा	शिकारी खोली	V	
216	चोपन	कचनरवा	कचनरवा	असना बांध	V	
217	चोपन	कचनरवा	कचनरवा	किशुनदेला जोत		V
218	चोपन	कचनरवा	कचनरवा	बुड़ी खाड़		V
219	चोपन	कचनरवा	कचनरवा	गौरा सिंहा	V	
220	चोपन	सेमिया	शिल्पी	बन्सहिया		V
221	चोपन	सेमिया	शिल्पी	शिल्पी द्वितीय		V
222	चोपन	कचनरवा	कुड़वा	यादव बस्ती	V	
223	चोपन	कोटा	पड़रछ	इस्लिमिया नगर		V
224	चोपन	कचनरवा	बागेसोती	झरियवा		V
225	चोपन	कचनरवा	पिपरखाड़	सिधवादामर	V	
226	म्योरपुर	जरहा	बीजपुर	राय कालोनी		V
227	म्योरपुर	जरहा	सेन्दूर (ज)	बखरिहवां		V
228	म्योरपुर	जरहा	रजमिलान	दनुआं		V
229	म्योरपुर	जरहा	पिण्डारी	बूड़ा		V
230	म्योरपुर	जरहा	जरहा	बियाडांड		V
231	म्योरपुर	जरहा	जरहा	पोतीपाथर		V
232	म्योरपुर	जरहा	नेमना	झूरहाटोला		V
233	म्योरपुर	जरहा	महुली	सरईडांड	V	
234	म्योरपुर	जरहा	नेमना	धौरहवां		V
235	म्योरपुर	जरहा	नेमना	समथरहवां		V
236	म्योरपुर	जरहा	जरहां	बरडांड		V
237	म्योरपुर	जरहा	रजमिलान	मैनहवां		V
238	म्योरपुर	जरहा	सेन्दूर (ज)	भट्टी टोला		V
239	म्योरपुर	जरहा	रजमिलान	बिछियारी		V
240	म्योरपुर	जरहा	झीलो	पर्वतवां		V
241	म्योरपुर	जरहा	सेन्दूर (ज)	जमतीडांड		V
242	म्योरपुर	जरहा	महरीकलां	गोलवाडांड		V
243	म्योरपुर	जरहा	महरीकलां	सवारीडांड		V
244	म्योरपुर	जरहा	सेन्दूर (ज)	मुनगहवां		V
245	म्योरपुर	जरहा	सेन्दूर (ज)	खर्री टोला		V

क्र0 सं0	विकास खण्ड	न्याय पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	चयनित परिषदीय प्राथमिक विद्यालय का नाम	निर्माण की स्थिति	
					निर्माणा-धीन	पूर्ण
246	म्योरपुर	जरहा	सेन्दूर (ज)	तेलडांड		V
247	म्योरपुर	जरहा	डोड़हर	मिटिहनी		V
248	म्योरपुर	जरहा	पिण्डारी	संचीराडाड़	V	
249	म्योरपुर	जरहा	डोड़हर	डोडहर पुनर्वास	V	
250	म्योरपुर	जरहा	सिरसोती	कुलरिहवां	V	
251	म्योरपुर	किरबिल	किरबिल	सवाकुड	V	
252	म्योरपुर	किरबिल	नधिरा	खरवारी टोला (नधिरा)		V
253	म्योरपुर	किरबिल	नधिरा	धरकार बस्ती	V	
254	म्योरपुर	किरबिल	देवरी	महुआरी टोला		V
255	म्योरपुर	किरबिल	काचन	बैगानी टोला (कि0)	V	
256	म्योरपुर	म्योरपुर	म्योरपुर	बभनडीहा		V
257	म्योरपुर	म्योरपुर	रासपहरी	कोटरडुब्बा		V
258	म्योरपुर	म्योरपुर	डढ़ियरा	टंगापाथर		V
259	म्योरपुर	म्योरपुर	बलियरी	उत्तरी टोला बलियरी		V
260	म्योरपुर	म्योरपुर	कुसम्हा	गम्भीरपुर		V
261	म्योरपुर	म्योरपुर	खैराही	दक्षिण बस्ती खैराही		V
262	म्योरपुर	म्योरपुर	रासपहरी	झरकट्टी टोला		V
263	म्योरपुर	म्योरपुर	ढ़ियरा	खालेडीह		V
264	म्योरपुर	म्योरपुर	कुण्डाडीह	हरिजन बस्ती	V	
265	म्योरपुर	म्योरपुर	पड़री	चौराडांड		V
266	म्योरपुर	म्योरपुर	गड़िया	गड़िया द्वितीय		V
267	म्योरपुर	म्योरपुर	किरवानी	मनरहवां टोला		V
268	म्योरपुर	म्योरपुर	रासपहरी	डकबदला	V	
269	म्योरपुर	म्योरपुर	गड़िया	भुअरी	V	
270	म्योरपुर	म्योरपुर	परनी	हल्दीमोड़	V	
271	म्योरपुर	सागोबांध	अहिरबुड़वा	मनरुटोला		V
272	म्योरपुर	सागोबांध	नौडिहा	उत्तरी टोला नौडिहा		V
273	म्योरपुर	सागोबांध	नौडिहा	पूर्वी टोला नौडिहा		V
274	म्योरपुर	सागोबांध	मधुवन	शिशटोला		V
275	म्योरपुर	सागोबांध	नौडिहा	दक्षिण टोला नौडिहा		V

क्र0 सं0	विकास खण्ड	न्याय पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	चयनित परिषदीय प्राथमिक विद्यालय का नाम	निर्माण की स्थिति	
					निर्माणा-धीन	पूर्ण
276	म्योरपुर	सागोबांध	नौडिहा	पश्चिम टोला नौडिहा		V
277	म्योरपुर	सागोबांध	सागोबांध	विश्रामपुर		V
278	म्योरपुर	आरंगपानी	सुपाचुआं	भिक्खूटोला		V
279	म्योरपुर	आरंगपानी	सुपाचुआं	पोखराटोला		V
280	म्योरपुर	आरंगपानी	आरंगपानी	तेलिया गढ़ी		V
281	म्योरपुर	आरंगपानी	आरंगपानी	पतेरी टोला	V	
282	म्योरपुर	बेलहत्थी	पाटी	पहाड़टोला (बेलहत्थी)		V
283	म्योरपुर	बेलहत्थी	मर्धवा	जोकाडी	V	
284	म्योरपुर	बेलहत्थी	बेलहत्थी	कोड़ारी		V
285	म्योरपुर	बेलहत्थी	बेलवादह	सेमरी डांड		V
286	म्योरपुर	बेलहत्थी	बेलहत्थी	खरछनवां		V
287	म्योरपुर	बेलहत्थी	सेन्दूर (म)	बिजुलझरिया	V	
288	म्योरपुर	बेलहत्थी	पाटी	बनपैसा		V
289	म्योरपुर	बेलहत्थी	मुर्धवा	धौकी नाला		V
290	म्योरपुर	बेलहत्थी	मुर्धवा	निहाय पाथर		V
291	म्योरपुर	बेलहत्थी	पाटी	बैगानी टोला	V	
292	म्योरपुर	बेलहत्थी	बेलहत्थी	बेलगुड़ी	V	
293	म्योरपुर	बेलहत्थी	सेन्दूर (म)	लभरी	V	
294	म्योरपुर	बेलहत्थी	बेलहत्थी	झरिहवां	V	
295	म्योरपुर	बेलहत्थी	बेलहत्थी	जोगीडीह	V	
296	म्योरपुर	बेलहत्थी	सेन्दूर (म)	कुलरीहवां	V	
297	म्योरपुर	कुलडोमरी	रणहोर	रणहोर (प0)		V
298	म्योरपुर	कुलडोमरी	कुलडोमरी	बोदरहहिया		V
299	म्योरपुर	कुलडोमरी	कुलडोमरी	लोट		V
300	म्योरपुर	कुलडोमरी	कुलडोमरी	चन्दूबहरा		V
301	म्योरपुर	कुलडोमरी	कुलडोमरी	परसिदाही		V
302	म्योरपुर	कुलडोमरी	कुलडोमरी	डेनिया		V
303	म्योरपुर	कुलडोमरी	रणहोर	कसिहवांटोला		V
304	म्योरपुर	कुलडोमरी	रणहोर	पतकटवाटोला		V
305	म्योरपुर	कुलडोमरी	कुलडोमरी	बरोहिया		V
306	म्योरपुर	कुलडोमरी	कुलडोमरी	डूडियानार		V

क्र0 सं0	विकास खण्ड	न्याय पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	चयनित परिषदीय प्राथमिक विद्यालय का नाम	निर्माण की स्थिति	
					निर्माणा-धीन	पूर्ण
307	म्योरपुर	कुलडोमरी	कुलडोमरी	मूड़ीसेमर		V
308	म्योरपुर	कोटा	खड़िया	राजकिसन बस्ती		V
309	म्योरपुर	कोटा	बासी	प0 बनवासी		V
310	म्योरपुर		फरीपान	खाड़ीटोला	V	
311	म्योरपुर		कुदरी	भदहरटोला	V	
312	म्योरपुर		कुदरी	पिपरहवाटोला	V	
313	म्योरपुर		जरहां	टोला बाजन्डी	V	

नत्थी 'घ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या-105 का उत्तर पीछे पृष्ठ-72-73 पर)

पयागपुर विधान सभा क्षेत्र में दुग्ध पट्टी पर मार्केटेबुल सरप्लस दूध वाले समिति गठन हेतु चिन्हांकित ग्रामों की सूची

जनपद बहराइच

क्र0सं0	ग्राम का नाम	विकास खण्ड
1	रायडीह	पयागपुर
2	बिलरवा	विशेश्वरगंज
3	शिवदहा	पयागपुर
4	लखाही पुतलीतारा	पयागपुर
5	बड़कागांव	पयागपुर
6	सेमरियावा	पयागपुर
7	निबुई खुर्द	हुजूरपुर
8	पडरी (परसिया)	पयागपुर

नत्थी 'ङ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या-106 का उत्तर पीछे पृष्ठ-73 पर)

PRIMARY SCHOOL

S.no.	Block name	School Name	Senction Post		Working Teacher		Working	Total	Vaccancy	
	Lucknow		HT	AT	HT	AT	S.M.	Teacher SM	HT	AT
1	Chinhat	Ahiranpurva	1	3	0	2	2	4	1	1
2	Chinhat	Alonagar Diguriya	1	4	1	3	2	6	0	1
3	Chinhat	Ali Nagar	1	2	1	1	2	4	0	1
4	Chinhat	Baburiha	0	2	0	1	2	3	0	1
5	Chinhat	Baghamau	1	3	1	2	2	5	0	1
6	Chinhat	Bhitauli Khurd	1	3	1	2	2	5	0	1
7	Chinhat	Bauroomau	1	3	1	1	2	4	0	2
8	Chinhat	Baisanbagh	0	2	0	1	2	3	0	1
9	Chinhat	Chandiyamau	1	3	1	1	2	4	0	2
10	Chinhat	Dewaria	1	2	0	2	2	4	1	0
11	Chinhat	Dugwar	1	3	1	1	2	4	0	2
12	Chinhat	Ghaila	1	3	1	2	2	5	0	1
13	Chinhat	Hiran Khuri	1	2	1	0	2	3	0	2
14	Chinhat	Juggaur-1	1	7	1	6	2	9	0	1
15	Chinhat	Juggaur-2	1	3	1	2	2	5	0	1
16	Chinhat	Khaley Dewaria	1	2	1	1	2	4	0	1
17	Chinhat	Kundari Bhauli	1	3	1	1	2	4	0	2
18	Chinhat	Khataiya	1	2	1	1	1	3	0	1
19	Chinhat	Kakakuli	1	3	1	2	2	5	0	1
20	Chinhat	Kamlapur	0	2	1	0	2	3	1	0
21	Chinhat	Khanipur	0	2	1	0	2	3	0	1
22	Chinhat	Lonapur-1	1	2	1	1	2	4	0	1
23	Chinhat	Lonapur-2	1	2	1	1	2	4	0	1
24	Chinhat	Lodhmau	1	3	1	1	2	4	0	2
25	Chinhat	Malesaumau-01	1	3	1	1	2	4	0	2
26	Chinhat	Malesaumau-02	1	3	1	2	2	5	0	1
27	Chinhat	Makhmdoompur	1	4	1	3	2	6	0	1

S.no.	Block name	School Name	Senction Post		Working Teacher		Working	Total	Vaccancy	
28	Chinhat	Mirzapur	1	3	1	1	2	4	0	2
29	Chinhat	Munshikhera	1	1	1	0	1	2	0	1
30	Chinhat	Narharpur	1	3	1	1	1	3	0	2
31	Chinhat	Papnamau-01	1	2	0	2	2	4	1	0
32	Chinhat	Poorabgaon	1	3	1	0	2	3	0	3
33	Chinhat	Palhari	1	3	1	1	2	4	0	2
34	Chinhat	Paschim Gaon	1	3	1	0	2	3	0	3
35	Chinhat	Roshanabad	1	3	1	1	2	4	0	2
36	Chinhat	Raitha	1	4	1	1	2	4	0	3
37	Chinhat	Sarai Shaikh	1	3	1	2	2	5	0	1
38	Chinhat	Saraura	1	3	1	0	2	3	0	3
39	Chinhat	Saidapur-1	1	2	0	1	2	3	1	1
40	Chinhat	Saidapur-2	1	2	1	1	2	4	0	1
41	Chinhat	Virampur	1	2	1	0	1	2	0	2

नोट :–विद्यालय में कार्यरत शिक्षामित्रों की सेवारत बी0टी0सी0 ट्रेनिंग कराई जा रही है जिन्हें भविष्य में विद्यालय में शिक्षक के पद पर पदस्थापित किया जायेगा।

पूर्व माध्यमिक विद्यालय

S.no.	Block name	School Name	Senction Post			Working Teacher				Vaccancy		
Dist	Lucknow		HT	Sc.T	AT	Sc.HT	HT	Sc.T	AT	HT	Sc.T	AT
1	Chinhat	Baurumau	1	1	3	0	1	1	1	0	0	2
2	Chinhat	Dhatingra	1	1	2	0	0	1	2	1	0	0
3	Chinhat	Sarai Shekh	1	1	1	0	0	0	2	1	1	0
4	Chinhat	Saraura	1	1	2	0	0	1	2	1	1	0
5	Chinhat	Purabgaon	1	1	5	1	0	0	3	0	0	2

नत्थी 'च'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या-143 का उत्तर पीछे पृष्ठ-84-85 पर)

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2012 के प्रथम मंगलवार के लिये निर्धारित श्री जाकिर अली, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-143 का संलग्नक।

डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 2010-11 में चयनित ग्रामों एवं उनके समस्त मजरों में कराये गये कार्यों का विवरण निम्नवत् हैं :-

1-मार्गों का निर्माण

(1) सम्पर्क मार्ग-वर्ष 2010-11 में चयनित डा0 अम्बेडकर ग्राम शरफुद्दीनपुर जावली में चयन के पूर्व वर्ष में निर्मित क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग का 1.90 कि0मी0 का नवीनीकरण/मरम्मत धनराशि रु0 13.75 लाख का वित्तीय व्यय कार्य कराकर संतृप्त किया गया था।

वर्ष 2010-11 में चयनित डा0 अम्बेडकर ग्राम असालत फरुखनगर में चयन के समय मानक के अनुसार संतृप्त होने के फलस्वरूप कोई कार्य नहीं कराया गया।

(2) सी0सी0 रोड तथा के0सी0 ड्रेन-ग्राम शरफुद्दीनपुर जावली में चयन के वर्ष में धनराशि रु0 703.95 लाख का वित्तीय व्यय किया गया, जिसके सापेक्ष सी0सी0 रोड 16.050 कि0मी0 तथा के0सी0 ड्रेन 32.100 कि0मी0 का निर्माण कार्य कराते हुए ग्राम संतृप्त किया गया था।

वर्ष 2010-11 में चयनित डा0 अम्बेडकर ग्राम असालत फरुखनगर में चयन के वर्ष में धनराशि रु0 394.44 लाख की धनराशि से सी0सी0 रोड 11.870 कि0मी0 तथा के0सी0 ड्रेन 23.600 कि0मी0 का निर्माण कर ग्राम संतृप्त किया गया।

(3) मजरों को जोड़ना-वर्ष 2010-11 में चयनित ग्राम शरफुद्दीनपुर जावली तथा असावल फरुखनगर का कोई मजरा न होने के कारण मजरों को जोड़ने का कार्य अपेक्षित नहीं है।

2-ग्रामीण विद्युतीकरण-वर्ष 2010-11 में चयनित ग्राम शरफुद्दीनपुर जावली में रु0 57.39 लाख तथा ग्राम असालत फरुखनगर में रु0 42.08 लाख की धनराशि के सापेक्ष विद्युतीकरण का कार्य कराया गया।

3-स्वच्छ पेयजल-ग्राम शरफुद्दीनपुर जावली तथा असालत फरुखनगर में चयन के पूर्व वर्षों में स्वच्छ पेयजल योजना से ग्राम के संतृप्त होने के कारण वर्ष 2010-11 में कोई कार्य नहीं कराया गया।

4-स्वच्छ शौचालय-ग्राम असालत फरुखनगर में 73 स्वच्छ शौचालयों का निर्माण रु0 331420.00 की धनराशि व्यय करते हुए ग्राम को मानकों के अनुसार संतृप्त किया गया।

ग्राम शरफुद्दीनपुर जावली में 25 स्वच्छ शौचालय का निर्माण रु0 113500.00 की धनराशि व्यय करते हुए किया गया। निर्मित कराये गये शौचालयों का प्रयोग लाभार्थियों द्वारा किया जा रहा है। ग्राम को मानकों के अनुसार संतृप्त किया गया।

5-ग्रामीण आवास एवं कृषि योग्य भूमि का आवंटन-

(1) आवासहीन को आवास-आवासहीन को इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत ग्राम शरफुद्दीनपुर जावली तथा असालत फरुखनगर में कोई भी पात्र लाभार्थी उपलब्ध नहीं होने के कारण चयन के वर्ष में कोई भी आवंटन का कार्य नहीं कराया गया।

ग्राम असालत फरुखनगर में 03 लाभार्थियों को महामाया आवास की सुविधा प्रदान करते हुए रु0 1.35 लाख की धनराशि व्यय की गई। महामाया सर्वजन आवास में लक्ष्य व पूर्ति शून्य रही। महामाया आवास लाभार्थियों द्वारा स्वयं बनाये गये। ग्राम को मानकों के अनुसार संतृप्त किया गया।

(2) आवासहीन को आवासीय पट्टा आवंटन-ग्राम असालत फरुखनगर तथा शरफुद्दीनपुर जावली में चयनित वर्ष में कोई भी आवासीय पट्टा आवंटित नहीं किया गया। चयन वर्ष से पूर्व के वर्षों में ग्राम शरफुद्दीनपुर जावली में 12 व्यक्तियों को 1600 वर्ग गज तथा ग्राम असालत फरुखनगर में 34 व्यक्तियों को 0.377 हे0 आवासीय भूमि के पट्टों का आवंटन करते हुए ग्राम को मानकों के अनुसार संतृप्त किया गया।

(3) भूमिहीन को कृषि योग्य भूमि पट्टा आवंटन-चयन वर्ष में ग्राम असालत फरुखनगर तथा शरफुद्दीनपुर जावली में कृषि भूमि का कोई भी पट्टा आवंटित नहीं किया गया। चयन वर्ष के पूर्व वर्षों में ग्राम असालत फरुखनगर में 67 व्यक्तियों को 19.650 हे0 तथा ग्राम शरफुद्दीनपुर जावली में 05 व्यक्तियों को 1.170 हे0 कृषि भूमि का आवंटन किया गया है। ग्राम को मानकों के अनुसार संतृप्त किया गया।

****

पी0एस0यू0पी0-एल0 422 विधान सभा (750)-21-3-2013-813 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।